ग्रष्टम माला, खड 43, अंक 1

बुधवार, 2 नवम्बर, 1988

11 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 43, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 1, बुधवार, 2 नवम्बर, 1988/11 कार्तिक, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	4-22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 3 और 5 से 9	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23-122
तारांकित प्रश्न संख्या : 1,2,4 और 10 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1,2 और 4 से 77	
अध्यक्ष द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में घोषणा	123-125
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	126
मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प के बारे में	126
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	127
19 अक्तूबर, 1988 को अहमदाबाद में इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान और गुवाहाटी के निकट वायुयूत के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य श्री शिवराज वी० पाटिल	130
नियम 377 के अधीन मामले	133
(एक) विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद स्थित ऐतिहासिक इमारतों की समुचित देखभाल की जाना श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	133
(दो) न्यू मंगलौर पत्तन में आन्दोलन कर रहे गोदी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाना श्री जी० ऐस० बासवराजु	133

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों को भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को ऋण देने के लिऐ निर्देश दिये जाना 134

श्रीमती ऊषा चौधरी

(चार) नाइमेर और आगरा फोर्ट के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों के समय में परिवर्तन किये जाना 134

श्री बुद्धि चन्द्र जैन

(पांच) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किये जाने की मांग 135

डा० प्रभात कुमार मिश्र

(छः) केरल में कन्नौर में राष्ट्रीय खेल संस्थान का एक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग 135

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

(सात) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कदीरी स्थित क्षेत्रीय तिलहन अनुसंधान केन्द्र में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग 136

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी

(आठ) बंगलौर से महालक्ष्मी एक्सप्रैस के चलने का समय पहले वाला बहाल किये जाने की मांग 136

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर

मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 137

सरदार बूटा सिंह 137

श्री ई० अय्यूप रेड्डी 139

श्री एन० टोम्बी सिंह 145

श्री शरद दिघे 151

श्री बाजूबन रियान 154

डा० गौरी शंकर राजहंस 158

श्री सैयद शाहबुद्दीन

विषय		पृष्ठ
	श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	163
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	166
	श्री वीर सेन	171
	श्री भद्रेश्वर तांती	174
	श्री बलन्वत सिंह रामूवालिया	177
पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को और आगे लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		186-204
	सरदार बूटा सिंह	186
	श्री बी० बी० रमैया	188
	श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	189
	श्री सैफुद्दीन चौधरी	195
	श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	200
	श्री तम्पन थामस	203
कार्य मन्त्रणा समिति		204
	60 वां प्रतिवेदन	204

आठवीं लोक सभा के सदस्यों की
वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा (सिकन्दराबाद)

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अख्तर हसन, श्री (कैराना)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)

अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अण्णानम्बी, श्री आर० (पोल्लाची)

अताउर्रहमान, श्री (बारपेटा)

अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)

अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)

अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)

अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)

अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)

अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अलखा राम, श्री (सलुम्बर)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)

अहमद, श्री सरफराज (गिरीडीह)

अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेर)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाड़े, श्री सांभाजीराव (बारामती)

कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)

कमल नाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)

कलानिधी, डा० ए० (मद्रास मध्य)

कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)

कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)

कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)

किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)

किम्बर लाल, श्री (हरदोई)

किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)

कुंवर राम, श्री (नवादा)

कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)

कुजूर, श्री मौरिस (सुन्दरगढ़)

कुन्जम्बु, श्री के० (अडूर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुरैशी, श्री अजीज (सतना)

कुलनवईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)

कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)

कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)

केन, श्री लाला राम (बयाना)

केयूर भूषण, श्री (रायपुर)

कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)

क्षीरसागर, श्रीमती केसरवाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)

खां, श्री असलम शेर (बैतूल)

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)

खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)

खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)

खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)

खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)

खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)

खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)

खुर्शीद अहमद, चौधरी (फरीदाबाद)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)

गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्री राजीव (अमेठी)

गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)

गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)

गायकवाड़, श्री उदयसिंह (कोल्हापुर)

गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)

गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)

गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)

गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)

गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)

गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)

गुरुडी, श्री एस० एम० (बीजापुर)

गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)

गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोस्वामी, श्री दिनेश (गुवाहटी)

गोहिल, श्री जी० वी (भावनगर)

गौडर, श्री ए० एस० (पलानी)

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

गौडा, श्री के० वी० शंकर (मांड्या)

घ

घोरपडे, श्री एम० वाई (रायचूर)

घोलप, श्री एस० जी० (ठाणे)

घोष, श्री तरुण कान्ति (बारसाट)

घोष, श्री विमल कान्ति (सीरमपुर)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव (नान्देड़)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई के० (आनन्द)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री समर ब्रह्म (कोकराझर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्टु)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालगंज)
जडेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, डा० बलराम (सीकर)
जाटव, श्री कम्मोदीलाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)
जीवरत्नम, श्री आर० (आर्कोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री डाल चन्द्र (दमोह)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चिनूर)
झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टन्डेल, श्री गोपाल के० (दमन तथा दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)
ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोणगांवकर, श्री साहिब राव पाटिल (औरंगाबाद)

डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ड

डिल्लों, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)
तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)
तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)
तांती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)
तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)
थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दत्ता, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दर्दो, श्री तेज सिंह (भटिंडा)
दलबीर सिंह, श्री हुसैन (शहडोल)
दलवाई, श्री हुसैन (रत्नागिरी)
दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री बिपिन पाल (तेजपुर)
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)
दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)
देव, श्री वी० किशोर चंद्र एस० (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिलचर)
देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिंडिगुल)
नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौलबाग)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री शांताराम (पणजी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशांगाबाद)
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (राय बरेली)

प

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)

पंवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (म्यूरम)

पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहान्डी)

पटनायक, श्रीमती जयन्ति (कटक)

पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)

पटेल, श्री उत्तमभाई ह० (बलसार)

पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)

पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)

पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)

पटेल, श्री मोहनभाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमभाई (गोधरा)

पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)

पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पांजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)

पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)

पांडे, श्री मनोज (बेतिया)

पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)

पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री प्रकाश बी० (सांयली)

पाटिल, श्री बालासाहेब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)

पाटिल, श्री शिवराज बी० (लातूर)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणी (भुवनेश्वर)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)

पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)

पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)

पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)

पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)

पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लोर)

पेरुमन, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश चन्द्र, श्री (बाड़)

प्रधान, श्री के० एन० (भोंपाल)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरी)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)

बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)
बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बागुन सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बिश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुढानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)
बूटा सिंह, सरदार (जालौर)
बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)
बहुगुणा, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (आरा)
भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)

मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)

मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)

मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)

मिश्र, श्री गार्गी शंकर (सिवनी)

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)

मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)

मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)

मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)

मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीना, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)

मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुरमू, श्री सिद्ध लाल (मयूरभंज)

मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)

मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड)

मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)

याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)

यादव, श्री कैलाश (जलेसर)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री बल राम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री महावीर प्रसाद (माधोपुरा)

यादव, श्री राम सिंह (अलवर)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)

यादव, श्री सुभाष (खारगोन)

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)

रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रत्तनम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)

रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)

रमैया, श्री बी० वी० (एलूरू)

रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)

राउत, श्री भोला (बगहा)

राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)

राजू, श्री आनन्द गजपति (बोबिली)

राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)

राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)

राम, श्री रामस्वरूप (गया)

राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)

राम धन, श्री (लाल गंज)

राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)

राम बहादुर सिंह, श्री (छपरा)

राम समुझावन, श्री (सैदपुर)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)

रामश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)

रामुलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)

रामूवालिया, श्री बलवंत सिंह (संगरूर)

राय, श्री आई० रामा (कासरगौड़)

राय, श्री राजकुमार (घोसी)

राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर (अमलापुरम)

राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)

राव, श्री जगन्नाथ (बहरामपुर)

राव, डा० जी० विजय रामा (सिद्दिपेट)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)

राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)

राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)

रावजी, श्री नवीन (अमरेली)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, श्री ई० अय्यपू (कुरनूल)

रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री एप० सुब्बा (नन्दयाल)

रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिंदुपुर)

रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)

रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री बेजावाड़ा पपी (अंगोल)

रेड्डी, श्री मानिक (मेडक)

रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालौन)

लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)

लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)

लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)

वनकर, श्री पूनम चन्द मीठाभाई (पाटन)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)

वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)

वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)

वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)

वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

वीर सेन, श्री (खुर्जा)

वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)

वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकर लाल, श्री (पाली)

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांती देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूप चन्द (बम्बई उत्तर)
शाहबुद्दीन, श्री सैयद (किशनगंज)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिंगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षण्मुख, श्री ए० सी० (बेल्लोर)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री विलियमसन (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयेन, श्री कालीचरण (खंडवा)
सत्येन्द्र चन्द, श्री (नैनीताल)
सम्बु, श्री सी० (बापतला)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सान्याल, श्री मानिक (जलपाईगुड़ी)
सामंत, डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहु, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण (पदरौना)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री भानु प्रताप (पीलीभीत)
सिंह, श्री राम नारायण (भिवानी)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (इलाहाबाद)
सिंह, श्री संतोष कुमार (आजमगढ़)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह देव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारा देवी (चिकमगलूर)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र (बरहामपुर)
सुख राम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)

सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)
सुन्दर सिंह, श्री चौधरी (फिल्लौर)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुमन, श्री राम प्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेलवेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)
सैकिया, श्री गोकुल (लखीमपुर)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढ़ी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)
सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालंधर)
स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसाराबपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)
हेत राम, श्री (सिरसा)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० बल राम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बिदुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसवराजेश्वरी

श्री जैनुल बशर

श्री शरद दिघे

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री सोमनाथ रथ

श्री एन० वेंकट रत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्री परिषद के सदस्यों की सूची

मंत्रीमंडल के सदस्य

1. प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रानिकी; महासागर विकास; अंतरिक्ष मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रीमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिये गये हैं	श्री राजीव गांधी
2. विदेश मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
3. वित्त मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
4. गृह मंत्री	सरदार बूटा सिंह
5. मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
6. रक्षा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
7. ऊर्जा मंत्री	श्री वसंत साठे
8. कृषि मंत्री	श्री भजन लाल
9. उद्योग मंत्री	श्री जे० वेंगल राव
10. वाणिज्य मंत्री	श्री दिनेश सिंह
11. योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री माधव सिंह सोलंकी
12. संचार मंत्री	श्री बीर बहादुर सिंह
13. श्रम मंत्री	श्री बिन्देश्वरी दुबे
14. विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
15. संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
16. इस्पात और खान मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
17. शहरी विकास मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
18. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री मोती लाल वोरा
19. वस्त्र मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
20. पर्यावरण और वन मंत्री,	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री ब्रह्म दत्त
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
3.	रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री माधव राव सिन्धिया
4.	कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
5.	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
6.	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
7.	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम

राज्य मंत्री

1.	वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री	श्री ए० के० पांजा
2.	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बीरेन सिंह एंगती
3.	वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री	श्री बी० के० गढ़वी
4.	रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
5.	ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री	श्री सी० के० [redacted]
6.	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर [redacted]
7.	वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री	[redacted] फलीरो
8.	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
9.	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
10.	कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री हरि कृष्ण शास्त्री
11.	कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
12.	ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
13.	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो के० के० तिवारी
14.	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
15.	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
16.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री के० आर० नारायणन
17.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री	श्री एल० पी० शाही

18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य, खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री	श्रीमती मारग्रैट अल्वा
19. उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
20. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
21. कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
22. वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
23. वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रफीक आलम
24. कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० प्रभु
25. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
26. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
27. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	कुमारी सरोज खापर्डे
28. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री	श्रीमती शीला दीक्षित
29. कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री श्याम लाल यादव

उप मंत्री

1. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री	श्री डी० एल० बैठा
2. रेल मंत्रालय में उप मंत्री	श्री महाबीर प्रसाद
3. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पी० नामग्याल
4. श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राधा किशन मालवीय
5. कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्रीमती सुमति उरांव

लोक सभा

बुधवार, 2 नवम्बर, 1988/11 कार्तिक 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, चूंकि हम दो महीनों के अंतराल के बाद मिल रहे हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं सभा को अपने छः भूतपूर्व सहयोगियों की सूचना दूं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—श्री आर० डी० भंडारे, डॉ० कर्णी सिंह, सर्वश्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव, लखमु भवानी, पी० थानुलिंगम नाडार और अनंत प्रसाद शर्मा।

श्री आर० डी० भंडारे महाराष्ट्र के बम्बई मध्य निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 से वर्ष 1973 तक चौथी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे। पहले वह वर्ष 1957-60 में बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। वह एक योग्य प्रशासक थे तथा 1973 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त होने पर उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और जून 1976 तक राज्यपाल का पद संभाला। उसके पश्चात् उन्होंने जून 1976 से फरवरी 1977 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाला।

योग्य सांसद होने के नाते श्री भण्डारी सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे और वह कई संसदीय समितियों, जिनमें विशेषाधिकार समिति भी शामिल है, के सभापति रहे। वह 1960-62 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे।

श्री भंडारे एक वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षाविद् और कानून के प्रोफेसर थे, उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनथक प्रयास किया। श्री भंडारे रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे और 1964 से 1966 तक इसके अध्यक्ष रहे। वह कई शिक्षण संस्थाओं से भी संबद्ध थे और उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। वह भारत की नयी शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने वाली संसदीय समिति के भी सदस्य थे। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में बौद्ध काल की सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं में अनुसंधान कार्य किया और 'भारत में बौद्धों की समस्याओं' शीर्षक से एक किताब भी प्रकाशित की।

श्री भंडारे ने देश-विदेश की यात्रा की थी और वह 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 22वें सत्र में प्रतिनिधिमंडल के सलाहाकार रहे। वह 1969 में वियना में हुए आई० पी० यू० सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य थे।

श्री भंडारे का 73 वर्ष की आयु में 5 सितम्बर 1988 को निधन हुआ।

डॉ० कर्णी सिंह 1952-77 के दौरान राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से पहली से पांचवीं लोकसभा के सदस्य रहे।

डॉ० कर्णी सिंह एक योग्य सांसद थे और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की परामर्श-दात्री समितियों के सदस्य रहे। एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने राजनैतिक दल-बदल सम्बन्धी सर्वदलीय समिति के सदस्य के रूप में काम किया।

डॉ० कर्णी सिंह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे उन्होंने विदेशों में कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई मैडल जीते। वे उच्चकोटि के निशानेबाज थे और उन्होंने 1960 में रोम में, 1964 में तोक्यो में और 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक खेलों में निशाने-बाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ओस्लो, कैयरो, बोलोगना और सेन सेबिस्तयान में हुए विश्व निशानेबाजी चैम्पियनशिप में भी भाग लिया। उन्होंने 1962 में कैयरो में हुए क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग में भारत के लिए रजत पदक जीता। वह 1960 से 1977 तक क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग में अविजित राष्ट्रीय चैम्पियन रहे। खेलकूद में उनके योगदान की मान्यता-स्वरूप उन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डॉ० कर्णी सिंह ने देश-विदेश की यात्रा की थी, वह बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 'दि रिलेशन्स ऑफ हाऊस ऑफ बीकानेर विद दि सैन्ट्रल पावर्स 1465-1949' शीर्षक से एक किताब भी लिखी।

डॉ० कर्णी सिंह का नई दिल्ली में 6 सितम्बर 1988 को 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री एस० वी० पी० पट्टाभिरामा राव 1971 से 1984 के दौरान पांचवीं से लेकर सातवीं लोकसभा के सदस्य रहे, वह आंध्र प्रदेश के राजामुन्द्री निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले वह 1952-67 तक और 1968-70 तक आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे।

श्री राव एक योग्य सांसद और प्रशासक थे, वह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे तथा उद्योग मंत्रालय के भी राज्य मंत्री रहे। वह 1952-54 के दौरान तत्कालीन संयुक्त मद्रास राज्य के मंत्रीमण्डल में भी मन्त्री रहे और 1954-62 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में मन्त्री रहे। वह कई संसदीय समितियों, जिनमें लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति और प्राक्कलन समिति भी शामिल है, के सभापति रहे।

श्री राव एक कृषक, मशहूर वकील तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, उन्होंने मद्रास स्टेट प्रावीशियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में 1944-52 के दौरान कार्यकारी सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1946-52 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के दक्षिणी निदेशक मण्डल के सदस्य रहे। वह 1972-74 के दौरान राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सभापति रहे।

श्री राव ने देश-विदेश की यात्रा की थी, और एक शिक्षाविद् होने के नाते वह आंध्र विश्वविद्यालय के साथ 1938-52 तथा 1942-52 के दौरान क्रमशः उसकी सीनेट तथा सिंडीकेट के सदस्य के रूप में सम्बद्ध रहे। वह 1954-55 तथा 1956-62 के दौरान श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के

तथा 1957-63 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर भी रहे। उनको आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी० लिट तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया।

श्री राव का 77 वर्ष की आयु में 21 सितम्बर, 1988 को मद्रास में निधन हुआ।

श्री लखमु भवानी 1962-67 के दौरान मध्य प्रदेश के बस्तर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक होने के नाते श्री भवानी ने सहकारी आंदोलन में गहरी रुचि ली और वह को-आपरेटिव एण्ड लैंड मार्टगेज बैंक, जिला बस्तर के निदेशक बोर्ड के एक सदस्य भी रहे।

श्री भवानी का निधन 71 वर्ष की आयु में 26 सितम्बर 1988 को बस्तर में हुआ।

श्री पी० थानुलिंगम नाडार 1957-62 के दौरान तत्कालीन मद्रास राज्य के नगरकोयल निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोकसभा के सदस्य रहे। पहले वह 1948-49 के दौरान ट्रावनकोर विधान-सभा के सदस्य रहे और बाद में दो-बार, 1949-50 में तथा 1953-55 में ट्रावनकोर कोचीन विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए।

वह पेशे से वकील थे और एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने कृषि के विकास में गहरी रुचि दिखाई।

श्री नाडार का निधन 73 वर्ष की आयु में 3 अक्टूबर, 1988 को तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में हुआ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा बिहार के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से 1962-67 और 1971-72 के दौरान क्रमशः तीसरी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे वह 1968-71, 1978-83 और पुनः अगस्त 1984 से 2 अप्रैल, 1988 तक राज्य-सभा के सदस्य भी रहे।

वह वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और श्रमिक संघ नेता थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी कालेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। वह कई श्रमिक संघ संगठनों से विभिन्न क्षमताओं में सम्बद्ध रहे। उन्होंने 1956 में जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों में तथा 1969 में भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्वर्ण जयन्ती में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री शर्मा एक योग्य सांसद थे और वह तीसरी लोकसभा में रेलवे अभिसमय समिति के सदस्य रहे। 1971 में वह याचिका समिति के सभापति रहे। बाद में वह केन्द्रीय मंत्री परिषद में आ गए और 1974-77 तथा 1980-83 के दौरान कई पदों पर रहे।

उन्होंने देश-विदेश का भ्रमण किया था, उन्होंने थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। उन्होंने 1970 में बगदाद में हुई इराक-क्रांति के वार्षिकोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह इराक, सीरिया, लेबनान, और लीबिया के सद्भावना मिशन के सदस्य थे और 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती समारोह में भी भारत के प्रतिनिधि रहे।

उन्होंने राज्यपाल के पद की भी शोभा बढ़ायी और पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे ।

श्री शर्मा का निधन 69 वर्ष की आयु में 11 अक्तूबर, 1988 को नई दिल्ली में हुआ ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को हमारी हार्दिक संवेदन देने में मेरे साथ है ।

अब सभा इनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एलेप्पी में फाइलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

*3. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री केरल में हाथीपांव रोग के मामलों के बारे में 1 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 774 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए हाथीपांव रोग के मामलों में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस रोग के मामलों में हुई निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी की रोकथाम के लिए हाल ही में कोई नए उपाय किये हैं;

(ग) क्या एलेप्पी में, जो देश में उक्त बीमारी से अत्यधिक प्रभावित जिला है एक फाइलेरिया अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पता लगाए गए एनसेफलाइटिस के रोगियों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है—

(i) सामान्य तौर पर रोगियों का पता लगाने संबंधी सुविधाओं में वृद्धि होना;

(ii) एलेप्पी जिले में शेरतल्लै में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एकीकृत वेक्टर रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के कार्यकलापों के जरिये पता लगाये जाने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि होना;

(iii) क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा में वृद्धि होना जिससे क्लिनिकों में रोगी संबंधी सूचना में वृद्धि हुई।

सरकार ने जैव और पर्यावरणिक उपायों के माध्यम से मच्छर नियन्त्रण पर एक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मिशन पद्धति परियोजना शुरू की है। इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम अत्यधिक आशाप्रद रहे हैं और इनसे इन उपायों के जरिये संक्रमण के संचरण को कम करने की सम्भावना का पता चलता है।

एलेप्पी में एक फाइलेरिया अनुसंधान एकक स्थापित करने का प्रस्ताव भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में प्राप्त हुआ था। फाइलेरिया नियंत्रण की नीति में परिवर्तन आया है। अब परम्परागत उपायों के बजाय जैव और पर्यावरणिक नियन्त्रण पर अधिक बल दिया जाने लगा है। प्रायोगिक वेक्टर नियन्त्रण परियोजना के परिणाम आशाप्रद हैं और राज्य सरकार को अब यह नीति राज्य के स्थानिकमारी वाले सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित करनी चाहिए जिसमें एलेप्पी जिला शामिल है। वेक्टर नियंत्रण परियोजना के अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एलेप्सी मेडिकल कालेज में आइवरमेक्टिन के साथ एक नया केमोथिरेपी अध्ययन एकक स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का एलेप्पी जिले में शेरतल्लै में एक फाइलेरिया अनुसंधान एकक है जो जानपदिक रोग विज्ञान अध्ययन और नियंत्रण उपाय करता है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एलेप्पी कस्बे में लार्वा-रोधी उपाय करने के लिए एक नियंत्रण एकक खोला गया था जो एक फाइलेरिया क्लिनिक निदान और उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस प्रकार एलेप्पी जिले में फाइलेरिया के नियंत्रण तथा अनुसंधान कार्यकलापों के लिए पर्याप्त संस्थागत सुविधाएं हैं। इसलिए भारत सरकार का फाइलेरिया पर एक अन्य अनुसंधान एकक स्थापित करने का इरादा नहीं है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी कहते हैं कि सामान्य तौर पर रोगियों का पता लगाने संबंधी सुविधाओं में वृद्धि होने पर केरल में बहुत से हाथीपांव रोग के मामलों का पता चला है। यह बहुत हैरानी की बात है।

1 अगस्त 1988 के मेरे प्रश्न के एक अन्य उत्तर में मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि 1985 में केरल में 2639, और 1986 में 2878 मामलों का पता चला था लेकिन 1987 में 3832 मामले हुए अर्थात् एक वर्ष के दौरान 1,000 मामलों की वृद्धि हुई थी। ये मामले मुख्यत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात अलप्पी में पता चले हैं; और उस जिले और उस राज्य में स्थिति बहुत नाजुक है, मेरी जानकारी तथा राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार भी इस अवधि के दौरान इस रोग का पता लगाने के लिये सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अत:, अधिक से अधिक रोगियों का पता लगाया जा रहा है इसका अर्थ है कि इस बीमारी से अधिक से अधिक व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस हाथीपांव रोग के मामलों की वृद्धि पर इस नाजुक स्थिति का पता लगाने के बाद क्या कदम उठाये हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन अलप्पी में हमने ये सब उपाय किये हैं हमने चार संस्थान स्थापित किए हैं राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की

एक शाखा क्षेत्रीय फिलेरिया प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र कालीकट की एक इकाई शेरतल्लै में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पांडिचेरी की एकीकृत रोग नियन्त्रण वेक्टर यूनिट की शेरतल्लै में एक इकाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का टी. डी. मेडिकल कॉलेज, अलप्पी के साथ फिलेरिसिस केमोथिरेपी शुरू करने का विचार है। राष्ट्रीय फिलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम में अकेले अलप्पी में एक नियन्त्रण इकाई और एक फिलेरिया क्लीनिक है।

जैसाकि माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र केरल के बारे में पूछ रहे हैं, वहां 16 नियन्त्रण इकाइयां हैं, एक सर्वेक्षण इकाई है और केरल राज्य में पहले से ही 8 फिलेरिया क्लीनिक हैं। ये सब कार्य माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे हैं। अतः हम इस तरह से हाथीपांव की बीमारी पर नियन्त्रण या इसे दूर करना चाहते हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : इस बीमारी के बढ़े हुए रोगियों का पता लगने से पहले भी ये सब सुविधाएं केरल में उपलब्ध थीं। इन सब सुविधाओं के बावजूद भी 1987 में लगभग 1,000 रोगियों की वृद्धि हुई थी। लेकिन 1986 में सरकार ने स्वीकार किया है; और आई सी एम आर और मेडिकल कालेज अलप्पी ने भी स्थानीय सरकार को लिखा है कि उन्होंने टी. डी. मेडिकल कालेज अलप्पी में एक फिलेरिया अनुसंधान इकाई स्थापित करने का निश्चय किया है उसके बाद भी जब रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है; सरकार अब अपने वास्तविक निर्णय पर वापिस आई है सरकार अब कहती है कि वे इन्हें स्थापित नहीं करना चाहती है। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार का अपने वास्तविक निर्णय पर वापिस आने का क्या कारण है जबकि बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही है और वहां स्थिति नाजुक है।

श्री मोतीलाल बोरा : सरकार ने जो कुछ पहले कहा था वह उस बात को नहीं कह रही है। माननीय सदस्य इस बात को जानकर खुश होंगे। वेक्टर नियन्त्रण परियोजना के अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् अलेप्पी मेडिकल कालेज में आइवरमेक्टिन के साथ एक नया केमोथिरेपी अध्ययन एकक स्थापित कर रहा है। इसके साथ-साथ, फिलेरिया नियन्त्रण अध्ययन जारी रहेंगे। अतः जो कुछ हमने पहले कहा था; हम उसे पूरा करेंगे।

मुझे आशा है माननीय सदस्य इससे प्रसन्न होंगे।

श्री तम्पन थामस : ऐसी कई बीमारियां हैं जिन्हें पूरी तरह दूर कर दिया गया था। उनमें से एक यह भी है। सरकार द्वारा मलेरिया, फिलेरिया और चेचक को दूर करने की योजना थी। अब ये सब बीमारियां दोबारा आ रही हैं। विशेषतया उस स्थान शेरतल्लै में जिसका मेरे मित्र ने जिक्र किया है। वह स्थान है जहां हाथीपांव का रोग और फिलेरिया बहुत अधिक है।

ये बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है। अब मच्छरों में वृद्धि हो रही है आप कौन-सा तरीका अपना रहे हैं जो न केवल अलप्पी और केरल में बल्कि दिल्ली में भी अपनाया जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में काफी संख्या में मच्छर हैं और वे मलेरिया फैला रहे हैं। यह देखने के लिए कि इस पर सुचारू रूप से नियन्त्रण कर लिया गया है सरकार की क्या योजना है या सरकार का क्या प्रस्ताव है ? क्या सरकार की उसके लिए कोई योजना है ? क्या इस दिशा में कुछ किया गया है ?

श्री मोतीलाल वोरा : हम राज्य सरकारों को ये सब दवाइयों और लार्वा-रोधी उपाय भी भेज रहे हैं। अगर माननीय सदस्य इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि 1985-88 से, हमने सभी राज्यों को हाथीपाँव रोग पर नियन्त्रण या दूर करने के लिए जो कुछ आवश्यकता थी उन्हें भेज दिया था। अत: हमारी तरफ से, हम हाथीपाँव कालाजोर और अन्य रोगों पर भी नियन्त्रण करने तथा दूर करने के सभी संभव प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : वे सब बीमारियाँ दुबारा आ रही हैं।

श्री सोमनाथ रथ : यद्यपि प्रश्न केरल से सम्बन्धित है मैं बता सकता हूँ कि उड़ीसा में भी इतनी ही भयप्रद स्थिति है। आप उड़ीसा में इस बीमारी पर नियन्त्रण करने या इस बीमारी को दूर करने के क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री मोतीलाल वोरा : सरकार दूसरे राज्यों को दवाइयाँ और चिकित्सा सहायता दे रही है। इसी तरह उड़ीसा के लिए, हम राज्य सरकार को दवाइयाँ भेज रहे हैं; और जब भी राज्य सरकार को भारत सरकार से कुछ लेने की आवश्यकता पड़ती है तब हम उनकी निश्चय ही सहायता करेंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए विशेषज्ञों द्वारा उपचार की सुविधा

***5. श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को विशेषज्ञों से विशेष उपचार करने के लिए, जो केवल महानगरों और बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, बहुत खर्च उठाना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और अत्याधुनिक उपकरणों की संख्या बढ़ाकर अधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिए किन अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों का चयन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हाँ।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में चिकित्सा सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त टास्कफोर्स ने हाल ही मे अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेज दी गई है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि टास्क फोर्स की सिफारिशें तकनीकी दृष्टि से बहुत ठोस हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट और 8वीं पंचवर्षीय योजना करते समय समस्याओं की प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें ध्यान में रखा जाएगा। प्रथम उपाय के रूप में योजना आयोग असम में नैदानिक और उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्ष 1988-89 में 4.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) विनिर्धारित मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझाव सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1987 में नियुक्त टास्क फोर्स ने जुलाई, 1988 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उसने उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित वर्तमान मेडिकल कालेजों में विभिन्न विशेषज्ञ विभागों का विस्तार करने और अस्पतालों में और अधिक विशेषज्ञ उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। टास्क फोर्स द्वारा संस्थाएं विनिर्धारित की गई हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं—

असम

1. मेडिकल कालेज, गुवाहाटी।
2. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़।
3. मेडिकल कालेज, सिलचर।

मणिपुर

4. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल,।
5. जिला अस्पताल, इम्फाल।

मेघालय

6. सिविल अस्पताल, शिलांग।
7. रीड चेस्ट डिजीजिज हास्पिटल, शिलांग।
8. गणेशदास प्रसूति एवं बाल चिकित्सा अस्पताल, शिलांग
9. पाश्चूर संस्थान, शिलांग।

त्रिपुरा

10. जी० बी० अस्पताल, अगरतला।
11. बी० एम० अस्पताल, अगरतला।

मिजोरम

एक नए अस्पताल की सिफारिश की गई है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेषज्ञों से विशेष उपचार में रुचि लेने पर जो कुछ मंत्री जी ने किया है उसकी सराहना करना चाहूँगा और उनका आभार प्रकट करता हूँ।

मैं उनके द्वारा विस्तृत और व्यापक उत्तर देने पर भी प्रसन्न हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई छोटे-छोटे राज्य हैं और असम, निःसन्देह पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। अब पृष्ठ 2 पर उत्तर का भाग (ख) निम्न प्रकार कहा गया है।

> "प्रथम उपाय के रूप में योजना आयोग असम में नैदानिक और उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्ष 1988-89 में 4·25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने के लिए सहमत हो गया है।"

मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन उन्हें छोटे राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के सम्बन्ध में और अधिक चिन्ता होनी चाहिए। क्या आप इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का विचार करेंगे जैसा आपने असम के मामले में किया है क्योंकि असम सात राज्यों में से एक उन्नतिशील राज्य है।

श्री मोतीलाल वोरा : असम के मामले में हमने ऐसा किया था क्योंकि इस कार्य बल की नियुक्ति से पूर्व योजना आयोग के सचिव ने सिफारिश की थी। कार्यबल की रिपोर्ट मिलने के बाद समूची बात की जांच की गई और योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेज दी गई। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन सभी उपायों पर निश्चय ही विचार करेंगे और मेरे विचार से इस कार्य बल की नियुक्ति का कारण और विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाना था। अतः, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने जो कुछ कहा है उसे पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री एन० टोम्बी सिंह : अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की तरह समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष उपचार की दीर्घकालिक मांग की गई है। संचार कठिनाइयों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को विशेषज्ञों से विशेष उपचार कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है और बहुत अधिक खर्च उठाना पड़ता है इस कठिनाई को दूर करने के लिए, विशेष केन्द्र खोलने की दीर्घकालिक मांग की गई थी। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं इस संबन्ध में कोई निर्णय लिया गया है और क्या इस सम्बन्ध में कार्य बल ने कोई विशेष सिफारिश की है ? अगर हां तो क्या भारत सरकार इम्फाल में स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज द्वारा की गई मांग पर विचार कर रही है जो सभी छोटे राज्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है।

श्री मोतीलाल वोरा : क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय को मजबूत किया जाना है और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि योजना आयोग द्वारा जांची जा रही कार्य दल रिपोर्ट ने इसकी जांच की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी चिकित्सा जरूरतों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सेवाओं/विभागों के स्तर को ऊंचा किया जा रहा है—

चिकित्सा-शास्त्र, शल्य चिकित्सा, नेत्रविज्ञान, बालचिकित्सा, विकलांग विज्ञान और मनोविकृति विज्ञान इन बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त कर लेने के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट सेवाएं उत्पन्नकी जा सकती हैं :

हृदय विज्ञान, तन्त्रिका विज्ञान, वृक्क विज्ञान, कार्डियो थिरैप्योटिक शल्य चिकित्सा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन विशिष्ट सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए इन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य को जानते हैं तथा कार्य दल ने इसका अध्ययन किया है कि न सिर्फ भारत के अन्य भागों की तुलना में, बल्कि पूरे विश्व की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेषकर असम में कैंसर की घटनाएं सबसे अधिक हैं।

प्रो० एम० जी० रंगा : ऐसा क्यों है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : हो सकता है यह कच्ची सुपारी खाने के कारण है। एक पूर्ण कैंसर संस्थान की लगातार मांग रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कार्य दल ने इस ओर ध्यान दिया है और यदि हां तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या एक पूर्ण कैंसर संस्थान स्थापित करने पर सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री मोतीलाल वोरा : कैंसर के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं भी असम गया था और वहां मुझे यही सूचना दी गई थी। कार्य दल रिपोर्ट दे चुका है और योजना आयोग इसकी जांच कर रहा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या कार्य दल ने इस बारे में लिखा है ?

श्री मोतीलाल वोरा : मैं यह देखूंगा। मैंने रिपोर्ट स्वयं नहीं देखी है और यदि इस बारे में इसमें उल्लेख नहीं है और यदि इसमें कैंसर संस्थान का कोई प्रावधान नहीं है तो हम वहां कैंसर संस्थान अथवा कैंसर केन्द्र स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष जी, जिन बिंदुओं की ओर पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात, देश के ग्रामीण अंचल और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देने के बारे में ध्यान दिलाया गया है, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जिन समस्याओं की तरफ इशारा किया गया है, ये समस्याएं सारे देश में हैं। देखा यह गया है कि छोटी जगहों पर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है, एक्सपर्टाइज नियुक्त किए गए हैं, आधुनिक इक्वपमेंट्स भी भेज दिए गए हैं।

एक दो महीने के उपयोग के बाद उपकरण खराब हो जाते हैं और बरसों ठीक नहीं रहते और स्पेशलिस्ट बैठा रहता है जिससे उन लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पातीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां आपने माडर्न इक्वीपमेंट, सोफिस्टीकेटेड इक्वीपमेंट और स्पेशलाज्ड लोगों की नियुक्ति कर दी है तथा उपकरण भेज दिए हैं तो उपकरण खराब होने के बाद जल्दी से ठीक हो जाएं और लोगों को सुविधाएं मिलती रहें इस दिशा में मंत्रालय ने क्या कोई कार्यक्रम तैयार किया है।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, "सबके लिए स्वास्थ्य सन् दो हजार तक" देने का हमारा लक्ष्य है। जिन उपकरणों के बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, मैं

यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों के तहत ये सारी बातें आती हैं। यदि राज्य सरकारें उपकरणों को ठीक करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करती हैं तो निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। उन उपकरणों का प्रयोग चाहे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर या कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर में स्पेशलिटीज के लिए हो रहा है, हम निश्चित रूप से इस दिशा में ध्यान दे रहें हैं और हमारा सम्पर्क राज्य सरकारों से निरन्तर बना रहता है। जब कभी भी इस प्रकार चर्चा होती है तो हम उनसे पूछते भी हैं और उनकी राय भी लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, यह प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों से सम्बन्धित है। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य सभी क्षेत्रों में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, विशिष्ट इलाज के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को बम्बई, दिल्ली, मद्रास, वेल्लोर, पटना और अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। अभी तक सरकार मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट अस्पताल स्थापित करने में विफल रही है।

हमारा यह अनुभव है कि माननीय मन्त्री महोदय सभा को यह आश्वासन दिलाने में अत्यधिक कुशल हैं कि मामला विचाराधीन है। हमारे द्वारा सुने जा रहे ऐसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। 'मामला विचाराधीन है' यह एक बहुत ही खराब शब्दचयन है। उन्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए कि वह ऐसा कब कर रहे हैं।

महोदय, पिछली बार मैंने प्रतिरक्षण कार्डों की छपाई के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। माननीय मन्त्री महोदय ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में जांच की जाएगी और सम्पूर्ण कार्ड की असम में छपाई होगी। इस बार भी पुनः इसे राज्य से बाहर छापने के लिए निविदा आमन्त्रित की गई हैं। उनके आश्वासन का क्या हुआ। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे, जहां विशिष्ट इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं है, उसके लिए वह क्या करेंगे।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे याद दिलाया है। अतः मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रतिरक्षण कार्डों के सम्बन्ध में मैंने सभा को आश्वस्त किया था और मैंने माननीय सदस्य को कहा था कि आकर मुझसे चर्चा के लिए मिलें और यदि कोई समस्या होगी तो हम इसका समाधान कर लेंगे।··· **(व्यवधान)**

मुझे भी बोलने दें··· **(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : मामला सभा में उठाया गया था।··· **(व्यवधान)**

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सदस्य मेरे पास नहीं आए। हमने इस मामले पर कार्यवाही की थी। मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूं। यदि मैं झूठा आश्वासन देता हूं तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उस समय हमने गम्भीरता पूर्वक इस मामले पर विचार किया था और मैं पुनः माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यदि वह··· **(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं सहमत नहीं था··· (**व्यवधान**)

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, इसके अलावा यह प्रश्न प्रतिरक्षण से संबन्धित नहीं है··· (**व्यवधान**)

महोदय, कार्य दल ने सिफारिश की कि···(**व्यवधान**)

श्री भद्रेश्वर तांती : यह कार्य दल है या नहीं इससे हमारा संबन्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि आश्वासन के मुताबिक कार्यवाही हो और यह स्पष्ट हो। (**व्यवधान**)

श्री मोतीलाल वोरा : जैसा कि मैंने कहा है कार्य दल ने विभिन्न विशेष सुविधाओं/विभागों का स्तर उच्च करने की सिफारिश की है। इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सरकारी अस्पतालों को नकली और घटिया रोगाणुनाशी रसायनों की सप्लाई

*6. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध नियंत्रण अधिकारियों ने एक बड़े गिरोह का पता लगाया है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कम्पनी के वितरक ने तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों को नकली और घटिया रोगाणुनाशी रसायनों की सप्लाई करके लाखों रुपये अर्जित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस सूचना के मिलने पर कि मैसर्स ऐके फार्मास्यूटिकल्स, मद्रास "लाइसोल" का चोरी-छिपे निर्माण करने और उसकी मद्रास में स्थित सरकारी अस्पताल को बिक्री करने में लगा हुआ है। केन्द्रीय औषध निरीक्षक, दक्षिण जोन, मद्रास ने 5-9-1988 को उक्त फर्म के परिसर पर छापा मारा। प्रारम्भिक छानबीन से इस बात की पुष्टि हुई कि मैसर्स ऐके फार्मास्यूटिकल्स, जिसके पास केवल थोक बिक्रेता लाइसेंस है, विनिर्माण लाइसेंस के बिना "लाइसोल" का निर्माण कर रहा था। छानबीन से आगे पता चला कि इस फर्म ने मैसर्स बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता से केवल 15,000 लिटर "लाइसोल" आई० पी० खरीदी थी लेकिन उन्होंने मद्रास में विभिन्न अस्पतालों को 70,000 लिटर लाइसोल की सप्लाई की थी। औषध निरीक्षक ने तत्काल

परिसर में पाये गये कोरे लेबलों तथा परिसर में उपलब्ध "लाइसोल" के भंडार, जरीकेन्स, कैप्स तथा औषध निर्माण में चोरी-छिपे प्रयोग किए जाने वाले अन्य सामान को जब्त कर लिया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार "लाइसोल" के नमूने 15 सितम्बर, 1988 को जांच के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता को भेज दिए गए थे। उप औषध नियंत्रक मद्रास को जांच रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हुई थी जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि नमूने मानक विशिष्टियों के अनुसार नहीं हैं क्योंकि इनमें अलकलीनिटी है और क्रेसोल के घटक कम हैं।

उप औषध नियंत्रक, दक्षिण खण्ड, मद्रास जो नियन्त्रण अधिकारी हैं अब औषध और प्रसाधन अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन मैसर्स ऐके फार्मास्यूटिकल्स, मद्रास के खिलाफ मुकदमा दायर करने के उपाय कर रहे हैं।

राज्य औषध प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि मैसर्स ऐके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मद्रास का थोक लाइसेंस जांच पड़ताल पूरी होने तक और औपचारिक रूप से मुकदमा चलाने तक निलंबित कर दिया जाए।

केन्द्रीय औषध प्राधिकारियों द्वारा परिसर पर छापा मारने के फौरन बाद सहायक पुलिस आयुक्त (अपराधशाखा) को एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्हें इस फर्म की गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में सूचना दी गई थी और अनुरोध किया गया था कि इस मामले में आपराधिक कानून के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब तक पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। नकली दवाओ ने तो भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा पर घातक प्रभाव डाला है। माननीय मंत्री महोदय निस्सन्देह यह जानते हैं कि पिछले दशक के दौरान दवाओं के उपभोग में 500 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन जहां तक केन्द्र तथा राज्य स्तर पर नकली दवाओं का पता लगाने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का संबन्ध है, यह स्थिर ही रहा है। दवाओं के उपभोग के अनुपात में यह वृद्धि नहीं हुई है। इसका परिणाम यह है कि इस मामले की तरह इन दवाओं का धंधा करने वालों के लिए नकली दवाओं का वितरण बहुत आसान हो गया है। इस मामले में उसने 15,000 लीटर रोगाणुनाशी रसायन खरीदा था जबकि उसने इसकी 70,000 लीटर मात्रा मद्रास में सरकारी अस्पतालों को बेची। इसका यह मतलब है कि उस द्वारा खरीदी गई मात्रा से 55,000 लीटर अधिक मात्रा अथवा इससे तीन गुणा से भी अधिक मात्रा का उसने गैर-कानूनी रूप से निर्माण किया। यही उन्होंने बताया है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में हमें आश्वस्त करेंगे कि नकली दवाओं के निर्माण तथा इसके वितरण का पता लगाने के लिए वह एक विशेष कार्य दल का गठन करेंगे और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस बारे में निगरानी रखने के लिए बुनियादी तन्त्र में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री मोतीलाल वोरा : जहां तक इस प्रश्न का संबन्ध है, मद्रास की मैसर्स ऐके फार्मास्यूटिकल्स के पास दवाओं की थोक बिक्री का लाइसेंस था। और 1-3-88 की अवधि के दौरान उन्होंने मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से केवल 15,000 लीटर लाइसोल खरीदा था। उन्होंने बंगाल कैमिकल्स के अलावा 70,000 लीटर लाइसोल का निर्माण किया। इसे पकड़ लिया गया था। पकड़ में आने के बाद, केन्द्रीय औषध निरीक्षक ने इसकी जांच की। हमें कल ही एक जांच रिपोर्ट मिली है। हमने वहां केन्द्रीय औषध निरीक्षक को निर्देश दिया है कि लाइसेंस निलम्बन की

सिफारिश करे और आवश्यक कार्यवाही की जाए। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कार्य राज्य सरकार का है। हमने अपनी तरफ से राज्य औषध निरीक्षक को सलाह दी है कि लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए और इस फर्म के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : पिछले पांच वर्षों के दौरान औषधों के उपभोग में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि विभिन्न नकली औषधों का पता लगाने वाला बुनियादी तन्त्र वैसा ही है। मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार हमें यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि नकली औषधों का पता लगाने और इसकी जांच करने के उद्देश्य से वे एक विशेष कार्य दल का गठन करेंगे और क्या वे कार्य दल में वृद्धि कर रहे हैं और क्या वे यह समीक्षा करेंगे कि कितने मामलों का पता लगाया गया है और कितनों में मुकदमा चलाया गया है और अपराधियों को सजा दी गई है और दोषी पाया गया है ?

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सदस्य के कथन को मैंने नोट किया है। क्योंकि औषधों के गलत उपयोग में वृद्धि हो रही है और नकली औषधों की सप्लाई भी हो रही है इसलिए हम निश्चित रूप से कार्य दल में वृद्धि करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा देखेंगे कि राज्य में वास्तविक आवश्यकता कितनी है और हम इन नकली औषधों को किस प्रकार नियन्त्रित कर सकते हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, इस अधिनियम में दो अधिनियमन हुए हैं—एक तो 1940 में पारित हुआ था और दूसरा 1950 में पारित हुआ था। उत्तर बताता है कि अपराधी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने वहां पुलिस को सूचित कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कहा है। फिर, उनका लाइसेंस निलम्बित नहीं हुआ है क्योंकि क्षेत्रीय प्राधिकरण से लाइसेंस निलम्बित करने का अनुरोध किया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि कार्य दल अथवा केन्द्रीय जांच एजेन्सी शक्तिशाली नहीं है अथवा उन्हें गिरफ्तार करने, निलम्बित करने और चार्जशीट करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक को चार्जशीट करने का अधिकार है। क्या उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार उसके पास नहीं है ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने का उन्हें अधिकार नहीं है ? अतः क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेंगे कि अधिनियम की समीक्षा की जाए और समय के अनुसार मांगों के मुताबिक पुनः संशोधन किए जाएं ? उदाहरण के लिए केवल निरीक्षक ही इस अधिनियम के तहत अपराधी पर अभियोग चला सकता है, नुकसान उठाने वाली पार्टी अथवा इन औषधों के कारण पीड़ित व्यक्ति अपराधी व्यक्ति के विरोध अभियोग चलाने का अधिकारी नहीं है। अतः वह असहाय है। इन दलों में द्विभाजन अथवा त्रिविभाजन अर्थात क्षेत्रीय औषध अधिकारी, केन्द्रीय औषध प्राधिकरण और पुलिस को अभियोग चलाने के लिए स्वयं को एकजुट करना चाहिए अतः क्या मन्त्री महोदय अधिनियम की कारगरता की समीक्षा करेंगे और क्या वे अधिनियम के दोषों में सुधार करेंगे और निजी व्यक्तियों को इस योग्य बनायेंगे कि वे अभियुक्तों पर मुकदमा चला सकें ?

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, हम निश्चित रूप से सम्पूर्ण मामले की जांच करेंगे क्योंकि ये बातें बहुत गम्भीर भी हैं। इस मामले में, क्योंकि उन्हें केवल तीन दिन पहले अर्थात 31-10-1988 को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके बाद हमने केन्द्रीय औषध निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने की

सलाह दी है। अतः मैं माननीय सदस्य को पुनः यह आश्वासन देता हूं कि हम सम्पूर्ण मामले की पुनरीक्षा करेंगे और यदि अधिनियम में कोई संशोधन किया जाना है तो हम उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, आजकल दिल्ली की हर कॉलोनी और हर घर में डेंगू फीवर और वायरल फीवर फैला हुआ है। चाहे दवाइयाँ लें या न लें, कोई भी फीवर सात दिन से पहले नहीं उतरता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे रोकने के लिए जो दवाइयाँ बनी हैं, वे अधिकतर नकली दवाइयाँ हैं। अभी मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो कम्पनी नकली दवाइयाँ या घटिया स्तर की दवाइयाँ बनाती पकड़ी जाती हैं सरकार उसका लाइसेंस कैंसल कर देती है, सस्पैंड कर देती है, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कम्पनियाँ पहले तो आपकी पकड़ में आती नहीं, यदि आपने पकड़ भी लिया तो उनका लाइसेंस मात्र दो दिन, सैटरडे और सन्डे के लिए कैंसिल किया जाता है। दिल्ली में आपने 14 कम्पनियाँ नकली या घटिया स्तर की दवाइयाँ बनाते हुए पकड़ी हैं लेकिन उनमें से किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रेटस फार्मा नाम की कम्पनी जो दवाइयाँ बनाती है, वह भी नकली सिद्ध हुई हैं, घटिया किस्म की सिद्ध हुई हैं और सफदरजंग अस्पताल में उन दवाइयों के कारण एक पेशैंट की मृत्यु भी हो चुकी है परन्तु सरकार की ओर से उस कम्पनी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए मंत्री जी का यह कहना कि हम नकली दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, हास्यास्पद प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नकली और घटिया स्तर की दवाइयां बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या सरकार क्रिमिनल नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करेगी, उनके मालिकों को जेल भेजने की व्यवस्था करेगी ताकि नकली दवाइयों के कारण जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उनसे बचा जा सके और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न हो।

श्री मोती लाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, नकली दवाइयाँ बनाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गयी है और की जा रही है। माननीय सदस्य ने यहाँ जिस कम्पनियों का उल्लेख किया है, मेरी पहले ही माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है, उस कम्पनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। हमने कन्ट्रोलर ऑफ ड्रग्स से भी कहा है कि जिस किसी मामले में नकली दवाइयाँ बनाते कोई कम्पनी पकड़ी जाए, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ दिल्ली के बारे में ही चिन्तित नहीं हैं, राज्य सरकारों को भी इस दिशा में गम्भीरता से देखना होगा। यदि राज्यों में भी कोई कम्पनी नकली दवाइयाँ बनाते पकड़ी जाती हैं, घटिया किस्म की दवाई बनाती हैं उनके विरुद्ध भी वहाँ के कन्ट्रोलर ऑफ ड्रग्स कार्यवाही करते हैं। जैसी भी जानकारी हम लोगों को राज्यों से मिलती है, वे निश्चित रूप से हमें समय पर जानकारी देते रहते हैं और हम उसके आधार पर कदम उठाते हैं। माननीय सदस्य ने दिल्ली की कुछ फर्मों का उल्लेख किया। मैं उन्हें फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कम्पनी के बारे में भी नकली दवाइयां या घटिया किस्म की दवाइयां बनाने की शिकायतें हमें मिली हैं, उनके विरुद्ध जांच हुई है और जांच के उपरान्त उन्हें दण्डित किया गया है। जहां तक दण्ड देने का प्रश्न है,

माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि वह काम न्यायालय का है, हम तो केवल प्रौसीक्यूशन के लिए कैसेज तैयार करके न्यायालयों में पुट अप कर देते हैं। किसी को दण्डित करना हमारे हाथ में नहीं है, वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दिल्ली में फैली हैजे की महामारी से संबंधित रिपोर्ट

***7. डा० जी० विजय रामाराव :**

[अनुवाद]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में हाल ही में फैली हैजे की महामारी के संबंध में दिल्ली के एक स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत अनेक निष्कर्षों एवं टिप्पणियों के संबंध में कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य महोदय दिल्ली में हैजे की महामारी से संबंधित भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। इस रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन से 27 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त कर ली गई है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

डा० जी० विजय रामाराव : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हाल ही के महीनों में हैजे की महामारी तेजी से फैली है। विशेष रूप से यह महामारी शहरी और ग्रामीण गन्दी बस्तियों में अधिक तेजी से फैली है। अतः हाल ही के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण गन्दी बस्ती क्षेत्रों में हैजे की इस महामारी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और कौन-कौन से तरीके अपनाये गए हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : जहां तक रिपोर्ट का संबन्ध है हमें उस बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है कि गांवों में हैजे और आंत्र शोथ पर कैसे काबू पाना है। सामान्यतः मलेरिया उन्मूलन विभाग उन स्थानों पर सभी कीटनाशकों को ले जाता है और गांवों में फागिंग मशीन और छिड़काव करने वाली मशीनों को भी काम में लाया जाता है। इस कार्य में राज्य सरकारों की भी सहायता की जाती है। ये कार्यवाही उपचारात्मक हैं जिन्हें हम पहले करते हैं। दिल्ली के बारे में हमने हैजा और आंत्र शोथ के समय, जुलाई 1988 में ही टीके लगा दिए थे। हमने पेयजल और जल आपूर्ति के अन्य साधनों की भी सप्लाई की थी। यह सब कार्य राज्य-सरकारों द्वारा किया जा रहा है और यहाँ दिल्ली प्रशासन और नगर निगम ने इसका भली प्रकार प्रबन्धन किया हुआ है और इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछली बार दिल्ली में हुई हैजे की महामारी के समय, चिकित्सा विशेषज्ञों की सभा में यह निर्णय लिया गया था कि उस समय उपलब्ध हैजे के टीकों को प्रयोग में न लाया जाए क्योंकि उनसे उस समय दिल्ली में फैली महामारी का सामना करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। क्या यह सच है कि विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह के बावजूद दिल्ली में उन निष्प्रभावी दवाईयों का प्रयोग किया गया और टीके लगाये गये जिसके परिणामस्वरूप हैजे की महामारी को समय पर नियन्त्रित नहीं किया जा सका ?

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, जनवरी 1988 में आयोजित विशेषज्ञ समिति में टीके की प्रभावोत्पादकता पर चर्चा की गई थी और विशेषज्ञ समिति ने यह राय दी थी कि वे टीके 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक लाभकारी हैं। जिस विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 1988 में यह रिपोर्ट दी थी उसका अनुदेश यह था कि हमें उन टीकों को दो खुराको में देना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि टीके की प्रभोत्पादकता सिद्ध हो चुकी है और टीके लगाने के बाद महामारी के कम मामले सामने आये और बाद में महामारी दूर हो गई।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपर्ट लोगों की राय है कि जो पानी की आपूर्ति हो रही है साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में और दिल्ली के दूसरे हिस्सों में, वह हैजा फैलने का प्रधान कारण है, यदि ऐसी रिपोर्ट सरकार के पास है, तो जो दिल्ली की वाटर सप्लाई का सिस्टम है, उसमें यदि कोई त्रुटि है, तो उसको दूर कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोती लाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दिल्ली की पानी की सप्लाई का सवाल है म्युनिसिपल कार्पोरेशन के माध्यम से इसकी देख-रेख की गई है। जब कॉलेरा और आंत्रशोध का प्रकोप हुआ था, उस समय पूरी दिल्ली में जिन बस्तियों में इसका प्रकोप हुआ, तो दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने अच्छे और शुद्ध पानी को सप्लाई करने की व्यवस्था की थी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही गन्दे पानी से हुई थी। जो हैंडपम्प लगे थे, वह बहुत ही कम दूरी पर लगाए गए थे, नालों की गन्दगी और गारबेज का होना, जिसके कारण ये कई चीजें एक साथ सम्मिलित हो गई थीं, इसलिए आन्त्र शोध और हैजे की बीमारी यहां पर फैली थी। उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है, उस पर हम विचार करेंगे और देखेंगे और उसके बाद इस प्रकार के निर्देश जारी करेंगे और बैठक बुलाकर भी विचार करेंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री मदन पांडे : नार्थ एवन्यु की टंकियों की भी जांच कराएंगे, क्योंकि वहां का पानी स्टेड है, ऐसा लोग बताते हैं ? क्या आप इस पर भी प्रकाश डालेंगे ?

श्री मोतीलाल वोरा : नार्थ एवेन्यु की टंकियों के बारे में आपने कहा है, उसे मैंने ध्यान से सुना है, इस पर संबंधित लोगों को निर्देश दूंगा।

श्री वी० तुलसी राम : दिल्ली में जब हैजा फैला हुआ था तो उस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी इस इश्यू को उठाया था। मंत्री महोदय ने उस वक्त जवाब दिया था कि इसकी इन्क्वायरी

कराएंगे और उसके बाद जवाब देंगे । अब वह सैशन स्टार्ट हुआ है, अभी तक उसकी इनक्वायरी हुई या नहीं, उसकी रिपोर्ट मंत्री जी के पास आई या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है ? जब यह कालरा बहुत जोरों से फैला हुआ था तो दवाई के बजाए पानी का इंजेक्शन दिया गया था हैजे वालों को, तो उसका जवाब मुझे उस वक्त नहीं मिला था, मुझे आज उसका जवाब चाहिए।

श्री मोतीलाल बोरा : जो इंजेक्शन उस वक्त लगाए गए थे । वह पानी के नहीं थे, कालरा के लगाए गए थे । आपकी ऐसी शिकायत मिली थी कि जहां कालरा के इंजेक्शन लगाए जाने चाहिएं थे वहां कालरा के इंजेक्शन नहीं लगाए गए । मैंने आपसे यह भी कहा था कि हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सैंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली की, हम वहां से वैक्सीन मंगा रहे थे और अन्य जो हमारे यूनिट्स हैं, वहां से मंगा रहे थे । हम बराबर देख रहे हैं, कहीं से भी इस तरह की शिकायत नहीं मिली है । अपनी ओर से हमने पूरा प्रयत्न किया है । हमारे पास आपकी ही शिकायत आई थी, लेकिन शहर में जहां-जहां भी टीके लगाए गए थे, वहां से ऐसी कोई शिकायत प्रशासन के पास नहीं आई है । आपने आज फिर कहा है, मैं इसके बारे में और जानकारी लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैश्चन ।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : प्रश्न संख्या 8 ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो बोरा जी आपने ही मोनोपली बना रखी है, किसी और को दम मारने ही नहीं देते ।

[अनुवाद]

श्री मोतीलाल बोरा : मैं वास्तव में सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में ही सभी प्रश्न पूछे । अतः स्वभाविक रूप से···

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें ।

श्री मोतीलाल बोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं । मेरे स्वास्थ्य के बिगड़ने का सवाल नहीं है, जब आप सब बैठे हैं तो आपको देखकर ही स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है ।

तमिलनाडु में नए अस्पतालों का खोला जाना

*8. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :**

[अनुवाद]

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों में, विशेषकर ग्रामीण जनता के लिये, सरकार का क्या सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) : राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान तमिलनाडु में 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 80,000 से 1.20 लाख ग्रामीण आबादी के लिए एक रेफरल अस्पताल होगा। यह निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करेगा :

1. चार विशेषज्ञों अर्थात् कार्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं बाल चिकित्सा की सेवाएं।

2. 30 अन्तरंग पलंग।

3. एक्स-रे सुविधाएं।

4. प्रयोगशाला सुविधाएं।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : माननीय अध्यक्ष महोदय 80 हजार से 1·2 लाख जनता को शामिल किया जाना बहुत अधिक है। क्या प्रत्येक 50 हजार लोगों की जनसंख्या के लिए एक सामुदायिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, मान दण्ड पहले निर्धारित किये गए थे। 5 हजार जनसंख्या के लिए हमने उपकेन्द्र खोले हैं, 30 हजार जनसंख्या के लिए हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं और एक लाख से 1,20,000 जनसंख्या के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं और राज्य सरकारें उन केन्द्रों को खोल रही हैं। यदि राज्य-सरकारें किसी बात में कुछ परिवर्तन करना चाहती हैं तो वे हमें लिख सकती हैं और हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डाक्टर वहां कार्य करना नहीं चाहते। वे केवल शहरों और कस्बों को ही प्राथमिकता देते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डाक्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा दी जाने वाली है ?

श्री मोतीलाल वोरा : आठवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य के लिये लगभग 58·50 करोड़ रुपये की राशि दी थी। यह राशि अब तक 18 राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डाक्टरों को सुविधायें

देने के लिए दी गई थी। क्योंकि ये सुविधायें पहले ही दी जा चुकी हैं अतः आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर उस समय भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में सोचना, और यह देखना राज्य सरकार का दायित्व है कि उनका किस सीमा तक उपयोग किया गया है। निश्चित रूप से राज्य सरकारों को इन सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों और इन सभी बातों को रख रहे हैं। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, उसमें 382 इकाईयां हैं। परन्तु 370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत 2 लाख से अधिक जनसंख्या है। जब ऐसी स्थिति है तो क्या तमिलनाडु के बारे में सरकार की कोई योजना अथवा कार्यक्रम है, जहां इस समय कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। वहां केवल राष्ट्रपति शासन है। वे भारत सरकार को कोई योजना अथवा कार्यक्रम नहीं भेज रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाते समय आप तमिलनाडु राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना था। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया उस समय तमिलनाडु में लोकप्रिय सरकार थी। उनकी सिफारिशों और सलाह के अनुसार ही इन योजनाओं की रूपरेखा बनाई गई और तदानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये गये। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इस समय वहां राष्ट्रपति शासन है। सामान्यतः हम तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को इस बारे में लिखते हैं कि क्या उनका इस मानदण्ड में कुछ परिवर्तन करने का विचार है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि वे अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना चाहते हैं तो वे मानदण्ड में परिवर्तन कर सकते हैं और हमें सूचित कर सकते हैं। व्यय और लागत को वहन करना उनका कार्य है। यदि वे हमारी सलाह चाहते हैं तो तमिलनाडु के राज्यपाल से प्रस्ताव प्राप्त होते ही हम अवश्य ही उसकी जांच करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय यह कैसी बात है कि आज केवल मानव व्याधियां, स्वास्थ्य विभाग की रुग्णता और औद्योगिक रुग्णता के बारे में ही प्रश्न हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह नैतिक बीमारी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तभी तो मैं यह कह रहा था कि उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए।

नकली दवाइयों की भरमार

[अनुवाद]

*9. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से देश भर में नकली दवाइयों की भरमार हो गई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी दवाइयों के कारण होने वाले कुप्रभावों की जानकारी है, जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है, यदि हां, तो ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नकली दवाइयों के उपयोग से मृत्यु हो जाने के मामलों में तत्संबंधी कानून में मृत्यु दण्ड का प्रावधान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का कानून कब तक लाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, 1984-85 में जांचे गए औषधों के 18,504 नमूनों में से 48 नमूने, 1985-86 में जांचे गए 19,035 नमूनों में से 32 नमूने और 1986-87 में जांचे गए 28,382 नमूनों में से 72 नमूने नकली पाए गये थे।

(ख) सरकार को राज्य सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। 1982 में यथा संशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27 में उन नकली दवाइयों, जिनसे मृत्यु हो जाए या मृत्यु होने की सम्भावना हो, का निर्माण करने, संग्रह करने या बिक्री करने के सम्बन्ध में आजीवन कारावास के दण्ड की पहले ही व्यवस्था है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर लोग नकली दवाइयां का प्रयोग करने से न मरे हों। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं मिला है। यहां तक कि दिल्ली में भी आज तक किसी अपराधी को मृत्यु दण्ड नहीं दिया गया है। नारकोटिक्स बोर्ड के चेयरमैन श्री कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नारकोटिक्स एक्ट को बदला जायेगा ताकि पहले अपराध में 15 साल की सजा हो और दूसरे अपराध में मृत्यु दण्ड दिया जाय। सरकार से मेरा सवाल है कि नकली दवा बनाने वालों के लिए हम क्यों न ऐसा प्रावधान करें जिससे उनको कड़ा दण्ड मिले। क्या सरकार की कोई नया बिल लाने की मंशा है ? जहां तक विदेशों का सवाल है, विदेशों में मिलावट का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। क्या कारण है कि हमारे देश में यह अमानवीय कार्य चालू हैं ?

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं, हर राज्य के आंकड़े हमारे पास आये हैं कि इतने सैम्पल्स में से बहुत ही कम संख्या में स्पूरियम ड्रग्स साबित किये गये इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है जिसमें किसी और प्रकार का संशोधन किया जाय। हमने 1982 में जो संशोधन किया था उसके अन्तर्गत जो लोग ऐसी नकली दवाइयां बनाते हैं, जो उनका स्टाक करते हैं, जो उन्हें बेचते हैं उन्हें आजन्म कारावास

की सजा दी जा सकती है, इसमें इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है इसलिए नये सिरे से इनमें कोई प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बाद भी जहां स्पूरियस ड्रग्स की जानकारी हमको मिलती है, जैसा मैंने कहा है, माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे कि हमें राज्य सरकारों की ओर से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। हम उन्हें बराबर लिख रहे हैं क्योंकि यह मामला काफी गम्भीर है और सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। हम राज्य सरकारों को इसके बारे में लिखेंगे और आने वाले समय में इसके ऊपर एक बैठक बुलाकर गम्भीर चर्चा करेंगे।

श्री प्रकाश वी० पाटिल : एक्साइज और अन्य टैक्स बचाने के लिए बहुत से लोग दवाइयां डायरैक्ट ब्लैक मार्केट में बेचते हैं क्योंकि एक्साइज 300 परसेण्ट होने की वजह से वे लोग पैसे की बचत करने के लिए ऐसी दवा बाजार में बेचने की सोचते हैं तो इसको कन्ट्रोल करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेण्ट और हैल्थ डिपार्टमेण्ट कोई नया कानून लाने की कोशिश करेंगे या गरीब लोगों के लिए कम भाव पर दवा उपलब्ध हों इसलिए क्लियर पॉलिसी करना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए कम टैक्स हो और बड़े लोगों के लिए ज्यादा टैक्स हो, ऐसा कोई प्रावधान है ?

श्री मोतीलाल वोरा : हमारा जो राष्ट्रीस कार्यक्रम है उसमें दवाइयां कन्ट्रोल कीमत पर मिलें, इसके लिए हमने समुचित व्यवस्था की है और उसकी कैटेगरी वन में जितनी दवाइयां आती हैं वह कन्ट्रोल प्राइस पर मिलती हैं। इस पर हमने पिछली बार भी विचार किया और इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बैठाई है। इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसमें कौन-कौनसी आवश्यक दवाइयां हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लायी जा सकती हैं, जो गरीबों के उपयोग में आती हैं वे निर्धारित मूल्यों पर या कण्ट्रोल प्राइस पर बाजार में मिलें, इसके लिए हम उस पर कार्यवाही करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : गत सत्र के दौरान, मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीया कुमारी सरोज खापर्डे ने यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन बम्बई मेडिकल स्टोर ने वास्तव में बहुत सी घटिया किस्म की दवाइयां भेजी थीं। दवाइयां घटिया किस्म की थीं और उनमें से कुछ दवाइयां कुछ अस्पतालों में भी भेजी गई थीं यद्यपि इस बारे में कोई आशय पत्र नहीं था। राज्य मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की गम्भीर जांच की जायेगी और जांच के परिणामों को सभा पटल पर रखा जायेगा। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इस बारे में जांच की गई है और उस जांच के निष्कर्ष क्या हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : गत सत्र में, बम्बई मेडिकल स्टोर से की गई सप्लाई के बारे में सरकार उत्तर दे चुकी है। अतः जैसा कि माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और माननीय सदस्य को सूचित करेंगे।

———

प्रश्न के लिखित उत्तर

बाल श्रमिक

[अनुवाद]

*1. श्री वी० कृष्ण राव : क्या श्रम मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में बाल श्रमिकों की संख्या मे कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा बाल श्रम के नियोजन पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के अतिरिक्त अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) देश में बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में वर्ष-वार आंकड़े रखना संभव नहीं है ।

देश में बाल श्रमिकों की संख्या का पता केवल नियमित जनगणना या व्यापक तथा प्रतिनिधित्व नमूना सर्वेक्षण द्वारा लगाया जा सकता है । भारत में जनगणना दस वर्ष में एक बार की जाती है जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़े प्रत्येक 5 वर्षों में उपलब्ध होते हैं । जहां तक बाल श्रमिकों से सम्बन्धित सांख्यिकी का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर अधिक निर्भर किया जा सकता है क्योंकि इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त प्रश्नावली भारत की जनगणना के लिए प्रयोग की जा रही प्रश्नावली की तुलना में अधिक व्यापक है । पिछले दो वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में हुई वृद्धि या कमी के बारे में कहना संभव नहीं है क्योंकि पिछला राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (30 वां दौर) 1983 को ध्यान में रखते हुए किया गया था तथा पिछली जनगणना 1981 को ध्यान में रखते हुए की गई थी । तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32 वें और 38 वें दौर के आधार पर 1977-78 और 1986 में कामकाजी बालकों (5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के) की अनुमानित संख्या से संबंधित आंकड़ों की तुलना करना संभव है । 1986 में बाल श्रमिकों के आंकड़ों का जनसंख्या परियोजना विशेषज्ञ समिति द्वारा तथा अनुमानित संगत आयु वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 30 वें दौर द्वारा यथा निर्धारित कार्य सहभागिता दर का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया गया है । यह आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

बालकों की संख्या	1977-70	1986
(5 से 14 वर्ष आयु वर्ग)	1419.5 लाख	1832.0 लाख
कामकाजी बालकों की संख्या		
(5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग)	166 67 लाख	166.68 लाख

इस प्रकार यह मालूम हो जाएगा कि वर्ष 1977-78 और 1986 के मध्य 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या में 112.5 लाख की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान कामकाजी बालकों की संख्या वही रही। इसका अर्थ है कि 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कुल बालकों की जन संख्या में से कामकाजी बालकों का प्रतिशत 9.7% से कम होकर 9.1 प्रतिशत रह गया।

सरकार इस बात से पूर्ण रूप से अवगत है कि केवल विधानों के द्वारा बाल श्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 आरम्भ की गई है जिसमें बाल श्रम से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन, बाल श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखना और बाल श्रमिकों के लिए परियोजना आधारित कार्यवाई योजनाएं शामिल हैं।

नगरों का विकास

[हिन्दी]

*2. **श्री मोहन लाल शिकराम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्यम नगरों के समेकित विकास की सरकारी योजना के अन्तर्गत सहायता की पात्रता के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसे नगरों के लिए, जिनकी आबादी इतनी सघन नहीं है, इस मानदण्ड में ढील देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इस समय, 1981 की जनगणना के अनुसार एक लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को सामान्यता इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(ख) और (ग) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, इस योजना के अन्तर्गत नगरों की जनसंख्या की कोई न्यूनतर सीमा नहीं है, जब तक परियोजना किसी शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित हो।

दिल्ली के अस्पतालों की प्रयोगशालाओं के लिए घटिया उपकरणों की खरीद

[अनुवाद]

*4. **श्री विष्णु मोदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में रोग-विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाओं और अन्य विभागों में घटिया किस्म के उपकरणों और रसायनों की खरीद के कुछ मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलावती सरन अस्पताल की प्रयोगशाला में घटिया सामान की खरीद का भंडाफोड़ करने वाले एक प्रयोगशाला तकनीशियन को तंग किए जाने के कारण उसका गर्भपात हो गया; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल बोरा) : (क) और (ख) कलावती सरन बाल चिकित्सालय की प्रयोगशालाओं के लिए घटिया किस्म के उपकरणों और रासायनिक पदार्थों की खरीद से सम्बन्धित आरोप उप चिकित्सा अधीक्षक को प्राप्त हुए थे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के विकृति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के भंडार के इंचार्ज वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। आरोप असत्य पाए गए क्योंकि इन सभी मदों की टैस्ट रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई।

(ग) जी, हां।

(घ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के प्रसूति व स्त्री-रोग विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा इन आरोपों की जांच की गई थी और वे असत्य पाए गए थे।

बंधुआ मजदूर

*10. **श्री जी० एस० वासवराजू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराने और बन्धुआ मजदूरों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग गठित करने के बारे में कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) : जी, हां। इस समय बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। बंधुआ

श्रमिकों का पता लगाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है इसलिए इस उद्देश्य हेतु ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए उन्हें समय-समय पर परामर्श दिया जाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार भी बन्धुआ श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने पर विचार नहीं कर रही है।

रेशम उद्योग का आधुनिकीकरण

*11. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेशम उद्योग को आधुनिकीकरण संबंधी मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) रेशम उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी० एस० बी०) ने उत्पादकता तथा रेशम उत्पादन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए शहतूत की खेती बीज उत्पादन तथा रेशम कीट पालन की आधुनिक तथा उन्नत तकनीकों के प्रचार के लिए आर ऐन्ड डी एककों का नेट वर्क स्थापित किया है। इसी प्रकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित प्रदर्शनी-सह-प्रशिक्षण एककों के जरिए, रेशम रीलिंग तथा प्रोसैसिंग उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रेशम रीलिंग, प्रोसैसिंग तथा वीविंग उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा रेशम निर्यात क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने शुल्क रियायत के साथ नई आयात-निर्यात नीति 1988-91 में खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत 27 रेशम मशीनरियों के आयात की अनुमति दी है। इसके अलावा, हाल ही में खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत 2 और रेशम मशीनरियों के आयात की अनुमति दी गयी है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा वनरोपण सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति

*12. श्री राम प्यारे पनिका : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के दौरान राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने वनरोपण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री सियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) वनीकरण लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:—

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)

	लक्ष्य	उपलब्धि
1985-86	1.45	1.51
1986-87	1.71	1.76
1987-88	1.79	1.77

वर्ष 1988-89 के लिए 2.00 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य है। सितम्बर, 1988 तक की गई प्रगति 1.35 मिलियन हैक्टेयर बताई गई है।

रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत लाटरी निकालना

*13. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत, रिहायशी प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में अब और लाटरी निकालने के बजाय पंजीकरण की तारीख के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची के अनुसार प्लाट आवंटित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्लाटों के लिए अगली लाटरी कब तक निकाली जाएगी,

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस योजना के अन्तर्गत भविष्य में आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण में समसम्भावित आधार पर संगणक द्वारा तैयार की गई शेष पंजीकृत व्यक्तियों की एक वरिष्ठता सूची के अनुसार किया जाएगा। संगणक द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में अलग-अलग पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट नम्बर निर्धारित करने के लिए ही लाटरी निकाली जाएगी। आगामी लाटरी की तारीख उपलब्ध विकसित प्लाटों पर निर्भर करेगी।

"एनसेफलाइट्स" के रोगियों की संख्या में वृद्धि

*14. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "एनसेफ्लाइट्स" के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस रोग से हुई मौतों की वर्षवार संख्या सहित ऐसे रोगियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग की रोकथाम और उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मिली रिपोर्टों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में इस रोग से पीड़ित हुए व्यक्तियों तथा मौतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	रोगी	मौतें
1984	3370	1405
1985	2490	916
1986	7500	2627
1887	3515	1346
1988*	4661	1562

*(31.10.88 तक मिली रिपोर्टों के अनुसार)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीड़ित रोगियों तथा मौतों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार जापानी एंसेफलाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वे इस प्रकार हैं :

(1) कम से कम 4 सप्ताह के लिए मलाथियन काफानिंग/अल्ट्रा लो वाल्यूम का छिड़काव।

(2) प्रभावित क्षेत्रों में लार्वारोधी कार्य में तेजी लाना।

(3) जिन क्षेत्रों में अवशिष्ट छिड़काव सम्भव न हो वहां कम से कम चार सप्ताह के लिए पाइरेथ्रम स्पेस छिड़काव ।

(4) जहां जापानी एप्सेफलाइटिस का रोगी पाया जाता है उसके 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर बेन्ज़ीन हेक्साक्लोराइड से घरों के अन्दर अवशिष्ट छिड़काव ।

(5) विभिन्न प्रचार माध्यमों की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार तथा नियंत्रण और रोकथाम कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

(6) रोगियों का आरम्भावस्था में पता लगाना तथा अस्पतालों में रोगियों की उचित देख-भाल ।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त उपाय बरतें ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जापानी एप्सेफलाइटिस के बारे में हाल ही में किए गए एक मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के माध्यम से गोरखपुर में जापानी एप्सेफलाइटिस के लिए एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985		1986 (अनन्तिम)		1987 (अनन्तिम)		1988 अनन्तिम)		तारीख जिस तक सूचना
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	मिली है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	45	12	882	311	239	123	74	49	अक्तूबर 1
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—			
3.	आन्ध्र प्रदेश	187	116	2048	640	58	27	30	20	अगस्त 27
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—			
5.	बिहार	440	112	233	87	600	176	109	27	अगस्त, 27
6.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—			
7.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—			
8.	दादर व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—			
9.	गुजरात	—	—	—	—	—	—			
10.	गोवा	3	1	1	—	27	6	15	2	अक्तूबर, 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—			
12.	हिमाचल प्रदेश	—	—	...	—	—	—			
13.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—			
14.	कर्नाटक	138	57	635*	185*	132*	43*	42	14	सितम्बर, 3
15.	केरल	—	—	—	—	—	—			
16.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—			
17.	मध्य प्रदेश	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त			
18.	मेघालय	—	—	—	—	—	—			
19.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—			
20.	मणिपुर	5	2	30	9	36	—	1	—	अप्रैल
21.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—			
22.	नागालैंड	29	21	—	—	1+	—			
23.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	पांडिचेरी	—	—	2	2	—	—			
25.	पंजाब	—	—	—	—	—	—			
26.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—			
27.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—			
28.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—			
29.	तमिलनाडु	61	32	851	432	581	296	103	53	अक्तूबर, 11
30.	उत्तर प्रदेश	1187	409	1773	616	172	76	4044	1254	अक्तूबर, 24
31.	पश्चिम बंगाल	385	154	1045	345	1669	599	243	143	अगस्त
	कुल	2490	916	7500	2627	3515	1346	4661	1562	

नोट : (1)*इसमें कर्नाटक के अस्पतालों में दाखिल आन्ध्र प्रदेश के 1986 के 119 रोगी तथा 31 मौतें और 1987 के 12 रोगी और 2 मौतें शामिल हैं

(2) +एस० टी० एम० कलकत्ता द्वारा सूचित

(3) खाली स्थान—अब तक की स्थिति के अनुसार शून्य

कताई मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण

*15. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्रों में, जब कपास का उत्पादन होता है, सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विदर्भ और मराठवाड़ा कताई मिलों को दीर्घकालीन ऋण देने से इन्कार किए जाने के कारण ये मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्र में कताई मिलों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां, यदि माननीय सदस्य का आशय विदर्भ और मराठवाड़ा में स्थापित की जा रही नई कताई मिलों से है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुसार, देश में पहले स्थापित कताई एककों की क्षमता को तथा इस तथ्य को देखते हुए कि अधूरी परियोजनाएं परम्परागत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, फिलहाल इन परियोजनाओं का समर्थन करना उचित नहीं है।

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि मामला उन नई कताई मिलों से सम्बन्धित प्रतीत होता है जो अभी लागू की जा रही हैं, यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस मन्त्रालय ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सलाह दी है कि जो सहकारी कताई परियोजनाएं अभी क्रियान्वित नहीं हुई हैं उन्हें वित्त उपलब्ध कराने के मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करे।

ग्रामीण कृषि मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना

[हिन्दी]

*16. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में पिछले वर्षों की तुलना में ग्रामीण कृषि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिक संख्या में गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) श्रमिकों का इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) ग्रामीण कृषि कर्मकारों के प्रवास के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अतः यह निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि क्या पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1988 में ग्रामीण कृषि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिक संख्या में गए हैं।

(ग) कृषि मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलें

[अनुवाद]

* 17. श्री शांति लाल पटेल :

श्री एस०बी० सिबनाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बैंकों को मामूली तौर पर रुग्ण कपड़ा मिलों के वित्त-पोषण के लिए 10 करोड़ रुपए की गारंटी दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह गारंटी दिए जाने के पश्चात् अब तक गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इस योजना के अधीन सहायता प्राप्त कपड़ा मिलों का ब्योरा क्या है?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) इस प्रश्न की विषय वस्तु गुजरात सरकार से सम्बन्धित है। इस मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना है।

खाद्यान्नों का आयात

*18. श्री चिन्तामणि जेना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान और वर्ष 1988-89 में अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया;

(ख) क्या इस वर्ष खरीफ की बहुत अच्छी फसल के कारण सरकार का खाद्यान्नों के बारे में अपनी आयात नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) 1987-1988 के दौरान गेहूं अथवा चावल का कोई आयात नहीं किया गया था। तथापि, 1988-89 के दौरान जहाज तक निष्प्रभार अनुमानतः 2420 लाख यू०एस० डालर की लागत पर 20 लाख मीटरी टन

गेहूं और लगभग 2120 लाख यू०एस० डालर के मूल्य का 8.5 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का ठेका किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार देश में खाद्य स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है और यदि आवश्यक हुआ तो वह अधिक मात्रा का आयात करने का वैकल्प भी रखती है।

मयूर विहार, दिल्ली में नागरिक सुविधाएं

*19. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह निदेश दिया है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आवंटित किए जाने से पहले पानी, जल-मल निकासी व्यवस्था, सड़कों तथा बिजली जैसा मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध की जाएं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) मयूर विहार एक्सटेंशन फेज-दो में "समाचार कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी" को ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त सोसाइटी को मूलभूत सुविधएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामूहिक आवास सहकारी समितियों को विकसित भूमि उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) समाचार सामूहिक आवास समिति, मयूर विहार, चरण-II को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परिधीय मार्ग की पहले ही व्यवस्था करा दी है। सीवर उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली प्राप्त करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। जलपूर्ति तथा बरसाती पानी की नालियां उस समय तक उपलब्ध करा दिये जाने की आशा है, जब समिति निर्माण कार्य पूरा कर लेती है।

गन्दी बस्ती सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता

* 20. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की राज्यों को गन्दी बस्ती सुधार के लिए वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश को गन्दी बस्ती सुधार के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) शहरी विकास क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु भारत सरकार वार्ता करती है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "मलिन बस्ती सुधार" की कोई विशेष परियोजना नहीं है। तथापि चल रही सभी शहरी विकास परियोजनाओं में मलिन बस्ती उन्नयन/सुधार घटक शामिल हैं। शहरी विकास क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

शहरी विकास क्षेत्र में मूल परियोजनाओं के ब्यौरे

मद्रास नगर विकास परियोजना-II

1. परियोजना की कुल लागत	87.90 मिलीयन पौण्ड
2. आई०डी०ए० की ऋण सहायता	42.00 ,, ,,
3. परियोजना अवधि	1981-87
4. मलिन बस्ती घटक	50000 परिवारों का लाभान्वयन 22.7 मिलियन पौण्ड

कानपुर नगर विकास परियोजना

1. कुल परियोजना लागत	50.70 मिलियन पौण्ड
2. आई०डी०ए० ऋण सहायता	25.00 ,, ,,
3. परियोजना अवधि	1981-87
4. मलिन बस्ती घटक	2000 परिवारों का लाभान्वयन 8.7 मिलियन पौण्ड

कलकत्ता नगर विकास परियोजना

1. कुल परियोजना लागत	303.10 मिलियन पौण्ड
2 आई०डी०ए० ऋण सहायता	147.00 ,, ,,
3. परियोजना अवधि	1983-89

4. मलिन बस्ती घटक	18.23 करोड़ रुपये बस्ती सुधार
मध्य प्रदेश नगर विकास परियोजना	
1. कुल परियोजना लागत	50.10 मिलियन पौण्ड
2. परियोजना संख्या	2329 आई०एन०
3. आई०डी०ए० ऋण सहायता	24.10 मिलियन पौण्ड
4. परियोजना अवधि	1983-89
5. मलिन बस्ती घटक	37000 परिवारों का लाभान्वयन 7.7 मिलि० पौण्ड
बम्बई नगर विकास परियोजना	
1. कुल परियोजना लागत	256.70 मिलियन पौण्ड
2. आई०डी०ए० ऋण सहायता	139.00 मिलियन पौण्ड
3. परियोजना अवधि	1985-90
4. मलिन बस्ती घटक	34.00 मिलियन पौण्ड
गुजरात नगर विकास परियोजना	
1. कुल परियोजना लागत	130.51 मिलियन पौण्ड
2. आई०डी०ए० ऋण सहायता	62.00 मिलियन पौण्ड
3. परियोजना अवधि	1985-91
4. मलिन बस्ती घटक	10.51 मिलियन पौण्ड
उत्तर प्रदेश नगर विकास परियोजना	
1. कुल परियोजना लागत	237.80 मिलियन पौण्ड
2. आई०डी०ए० ऋण सहायता	130.00 ,, ,,
3. परियोजना अवधि	1987-94
4. मलिन बस्ती घटक	8.3 मिलियन पौण्ड
तमिलनाडु नगर विकास परियोजना	
1. कुल परियोजना लागत	632.60 करोड़ रुपये
2. आई०डी०ए० ऋण सहायता	216.5 मिलियन पौण्ड
3. मलिन बस्ती घटक	94000 परिवार 31.7 मिलि न पौण्ड

दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एककों की स्थापना करना

[अनुवाद]

1. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एकक स्थापित करने का विचार है, ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम लोगों तक स्वास्थ्य योजना का लाभ पहुचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए देश में छः स्वास्थ्य फील्ड सर्वेक्षण एकक पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं । किन्तु वे कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का उत्पादन

2. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 की तुलना में वर्ष 1987-88 के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन हुआ था; यदि हां, तो खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चीनी का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आगामी वर्षों में चीनी आयात को कम करने के लिए देश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी०एस० बेठा) : (क) और (ख) 1986-87 और 1987-88 के चीनी वर्षों के दौरान क्रमशः 85.02 लाख मीटरी टन और 91.03 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था । तथापि, 1986-87 में 87.75 लाख मीटरी टन की हुई खपत की तुलना में आन्तरिक खपत 1987-88 में अत्यधिक बढ़कर 93.01 लाख मीटरी टन हो जाने की वजह से तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां होने के कारण जुलाई, 1988 से खुले बाजार में चीनी के दामों में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) चीनी के उत्पादन मे हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब तक वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान मात्र 0.43 लाख मीटरी टन की मामूली मात्रा का आयात किया गया था। घरेलू उपलब्धता, मांग और अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद चीनी का और आयात करने, यदि कोई किया जाता है, के बारे में फैसला किया जाएगा।

(ङ) नयी चीनी फैक्ट्रियां लगाने और वर्तमान फैक्ट्रियो में विस्तार करने के लिए गन्ने की पिराई हेतु अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए जा रहे है। इसके अलावा, गन्ने का विकास करने तथा फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे चीनी का उत्पादन बढ़ा सकें। सरकार ने इस उद्योग की सक्षमता मे सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय भी किए हैं ताकि चीनी फैक्ट्रियां देश में गन्ने के उत्पादन को स्थिर करने के लिए किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य अदा कर सकें।

ऊना में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

4. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक गोदाम के निर्माण को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की संभावित तारीख क्या है, इसका निर्माण पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है और इस गोदाम की भण्डारण क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) ऊना में गोदाम का निर्माण करने की अनुमानित लागत 20.86 लाख रुपये है।

(ग) निर्माण कार्य चालू वर्ष के दौरान शुरू किया जाएगा और इसके मार्च, 1990 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। इस गोदाम की क्षमता 2500 मीटरी टन होगी।

होम्योपैथिक दवा साइनेरेरिया मारीटाइमा सकस का आयात

5. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेश निर्मित और आयातित होम्योपैथिक दवा साइनेरेरिया मारीटाइमा सकस की गुणवत्ता में क्या अन्तर है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जर्मन साइनेरेरियाई मारीटाइमा सकस

को बंद किये जाने के बाद से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में इस दवा की मांग में भारी गिरावट आई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्वदेश निर्मित साइनेरेरिया मारीटाइमा सकस की गुणवत्ता सुधारने का है; और यदि हां, तो उसकी गुणवत्ता किस प्रकार सुधारी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) स्वदेश निर्मित और आयातित होम्योपैथिक दवा सिनेरेरिया मेरिटाइमासकस की गुणवत्ता में कोई अन्तर नहीं है।

(ख) जी नहीं। जर्मन सिनेरेरिया मारीटाइमा सकस के बन्द किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में इस औषध की मांग में गिरावट नहीं आई है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले देश में तैयार किए गए सिनेरेरिया मैरिटाइमा सकस की गुणवत्ता की जांच इसे खरीदने और लाभार्थियों में इसकी सप्लाई करने से पूर्व होम्योपैथिक फार्माकोपिया भेषज संहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद में नियमित रूप से की जाती है।

दिल्ली में "वायरल ज्वर" पर काबू पाने के उपाय

[हिन्दी]

6. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में नये प्रकार का वायरल ज्वर व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस खतरनाक बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी भी वायरल संक्रमण के लिए कोई भी केमोथिरेपी नहीं है। तथापि, प्रभावित व्यक्तियों को लाक्षणिक उपचार और अन्य सहायक उपचार प्रदान किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग और लार्वा रोधी उपाय भी किए जा रहे हैं।

भारतीयों के वसा ऊतकों में डी०डी०टी० के अंश पाया जाना

[अनुवाद]

7. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों के वसा ऊतकों में डी.डी.टी. के तत्वों की मात्रा सर्वाधिक पाई गई और वे भारी मात्रा में कैन्सरजन का उपाय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या देश में लोगों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों, जल और वायु की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही योजना बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में पानी की सप्लाई

8. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली निवासियों को पहले जैसी जल सप्लाई नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पानी की सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1988 की गर्मियों में गंभीर सूखे के कारण यमुना नदी में पानी कम रहने से दिल्ली को पानी की कमी का सामना करना पड़ा । 4090 लाख गैलन प्रतिदिन की कुल उत्पादन क्षमता की तुलना में गर्मियों में पानी का उत्पादन केवल 3840 लाख गैलन प्रतिदिन था । जुलाई, 1988 में मानसून प्रारम्भ होने के पश्चात् कच्चे पानी की कोई कमी नहीं रही है तथा सामान्य जल आपूर्ति पुनः चालू कर दी गई है ।

"स्वागत" में सिगरेटों के विज्ञापन

9. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एयरलाइन्स के सौजन्य से प्रकाशित पत्रिका "स्वागत" में कुछ मंहगे ब्रांड की सिगरेटों के विज्ञापनों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार धूम्रपान को बढ़ावा न देने संबंधी अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रायोजित पत्रिकाओं में सिगरेटों के ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

10. **श्री एस०एम० गुरड्डी :**

श्री एस०बी० सिदनाल क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु अगस्त 1988 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रस्तुत प्रस्तावों की सख्या कितनी है;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकार/अस्वीकार किये गये तथा प्रस्तावों को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कपड़ा आधुनिकीकरण कोष योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिये जायेंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) ऐसे प्रस्तावों की संख्या 21 है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अब तक 6 एन. टी. सी. एककों के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण योजनाएं स्वीकृत की हैं जिन पर 14.33 करोड़ रु० का खर्च आएगा। उनके द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) यह एन.टी.सी. द्वारा प्रस्तुत किये गये मामलों की जांच करने के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों पर निर्भर है।

योग के लिए अनुसंधान केन्द्र

11. **डा० ए०के० पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम योग के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा अब तक कौन-कौन से सफल अनुसंधान कार्य किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान योग के क्षेत्र में

अनुसंधान कर रहे हैं। बहरहाल, विश्वायतन योगाश्रम मुख्यतः योग शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के कार्य में लगा हुआ है।

(ख) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद योग में अनुसंधान करने के लिए 13 संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रही है। ऐसी संस्थाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जठरान्त्रशोथ विकारों, श्वसनी दमा, श्वसन रोग, मधुमेह, उत्तेजनशील आन्त्र संलक्षण, पेप्टिक अल्सर और संधिशोथ से संबद्ध परियोजनाओं के परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान अध्ययन काफी सफल रहे हैं।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली स्थित अपने केन्द्र में अनुसंधान कर रहा है। इसका कोई अन्य अनुसंधान केन्द्र नहीं है। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान अध्ययनों से यह प्रमाणित हो गया है कि गैर-इन्सुलिन निर्भर मधुमेह (एडल्ट आन-सेट, टाइप II) के अधिकांश रोगी योग अभ्यास से ठीक हो सकते हैं। श्वसनी दमा के मामले में योग अभ्यास से फेफड़ों की क्रिया, अभ्यास सहन शक्ति तथा लक्षणों में सुधार होता है। उत्तेजनशील आन्त्र लक्षणों के आन्त्रशोथ विकारों, कब्ज और अति-अम्ल वाले रोगियों को योग अभ्यास से पूर्ण राहत मिलती है। इस संस्थान में योग पर किए गए मौलिक अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि योग अभ्यास स्वायत्त तन्त्रिका प्रणाली की क्रियाओं में संतुलन रखता है। कुछ प्राणायाम प्रधान (स्वरादय) परम्परागत यौगिक धारणाओं की जांच करने के लिए किए गए अध्ययन वैधीकृत पाए गए हैं। केन्द्रीय योग अनुसंधान में संस्थान किए गए अनुसंधान के आधार पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं/सम्मेलनों में 20 से अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत या प्रकाशित किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित योग योजनाओं की सूची तथा उनके आरम्भ तथा पूरा होने की तारीख

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	अनुसंधान योजना का नाम	आरंभ करने का तिथी	पूरा होने की तिथी
1	2	3	4	5
1.	गवर्नमेंट यौगिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, बापू नगर जयपुर (पुरानी योजना)	1. श्वसनी दमा में योग थिरेपी का मूल्यांकन 2. चिरकालिक जहरांत्र शोथ विकारों में योग थिरेपी का मूल्यांकन	1.12.71	31.12.84

1		3	4	5
2.	शिवानन्द मठ और योगाश्रम संघ, गुवाहटी (असम)	1. चिरकालिक पोष्टिक अल्सर	मार्च, 73	31.12.84
		2. उच्च रक्तचाप		
		3. श्वसन क्षेत्र संक्रमण (नान-स्पेसिफिक)		
3.	भारतीय योग संस्थान तथा सम्बद्ध विज्ञान, तिरुपति	1. मधुमेह, श्वसनी, दमा और उच्च रक्तचाप के उपचार में योग का रोगहारक लाभ	अप्रैल, 75	31.3.83
		2. योग के प्रशिक्षणार्थियों में सामान्य स्वास्थ्य पहलुओं के संवर्धन तथा अनुरक्षण में योग की प्रभावकारिता का अध्ययन।		
4.	प्रो० के० एन० उडुपा, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०)	योग के वैज्ञानिक आधारों का अध्ययन	जनवरी, 76	31.3.83
5.	जी०बी० पंत अस्पताल नई दिल्ली	उत्तेजनशील आन्त्रसंलक्षणों के उपचार में योग अभ्यास	21.4.80	30.6.84
6.	वेमनायोग अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	1. जीव रसायन में परिवर्तन लाने वाले तंत्र का अध्ययन	1.1.82	31.12.84
		2. प्राणायाम का दमा पर प्रभाव का अध्ययन	1.3.82	28.2.85
7.	गवर्नमेंट यौगिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र बापू नगर, जयपुर (नई योजना)	कुछेक मनश्चिकित्सीय और मनःकायिक विकारों में योग थिरेपी का मूल्यांकन	1.1.83	31.12.85

1	2	3	4	5
8.	स्वामी दयानन्द शिक्षा सदन, फतेहगढ़ (उ०प्र०)	उदर विकार एवं वातण रोग शोध परियोजना	5.6.83	4.6.86
9.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल,	जम्मू पेटिटक अल्सर तथा मुख्य तनाव से संबंधित अन्य जी० 11 विकारों में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और यौगिक क्रियाओं का प्रभाव ।	1.1.84	31.12.86
10.	योग अनुसंधान संस्थान, विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश)	चिरकालिक रोगों के उपचार में योगासन	1.2.84	31.1.87
11.	शिवानन्द मठ एवं योगाश्रम संघ, शिवानन्द यौगिक अस्पताल, कलकत्ता	संधिशोथ के लिए योग थिरेपी का मूल्यांकन	1.3.84	28.2.87
12.	एस०एम०एम० मेडिकल कालेज, जयपुर (राजस्थान)	चिरकालिक गुरदे की खराबी वाले रोगियों के उपचार में डायालिसिस तथा गुरदे के प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में शंख प्रक्षालन ।	1.3.84	28.2.87
13,	बनारस हिन्दू, विश्वविद्यालय वाराणसी (उ०प्र०)	यौगिक षटकर्मों के बारे में शरीर क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सीय अध्ययन ।	1.1.85	31.12.87

अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को निर्धारित स्तर से घटिया स्तर की औषधियों की सप्लाई

12. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन अस्पतालों के नाम क्या हैं; जिनमें वर्ष 1988 में आकस्मिक छापे के

दौरान औषधियां निर्धारित स्तर से घटिया स्तर की पाई गईं और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को औषधियां सप्लाई की हैं; और

(ख) सरकारी अस्पतालों में घटिया स्तर की औषधियों की सप्लाई को रोकने हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) वर्ष 1988 के दौरान (संलग्न विवरण-1 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार) दिल्ली प्रशासन के औषधि निरीक्षकों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/अस्पतालों से कुछ नमूने उठाए गये हैं। परीक्षण में 5 औषधें ठीक नहीं पाई गई और शेष औषधों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। ब्यौरे संलग्न विवरण-2 उपाबन्ध दिये में गये है।

(ख) मेडिकल स्टोर डिपों, जो सरकारी अस्पतालों को औषधें सप्लाई करता है, द्वारा औषधों की पूर्व जांच किया जाना घटिया औषधों की सप्लाई को रोकने में सहायक होगा।

विवरण-I

क्रम सं०	निकासी की तारीख	औषध के नमूने का नाम	बैच नं०	फर्म का नाम	परिणाम
1	2	3	4	5	6
1.	25.1.1988	सिरिप एम्पीसिलीन	878	इप्का लैब०	प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	29.1.1988	टैबलेट नाइफेडिपिन 10 मि० ग्रा०	653	शिवकेम	—तदैव—
3.	29.1.1988	सोड वेलपोरेट 200 मि० ग्रा०	102	एवरेस्ट केम	—तदैव—
4.	1.?.1988	टैबलेट इरिथ्रोइसिन	6218	एल्पाइन इन्डस	—तदैव—
	1.3.1988	टैबलेट पैरासिटामोल	एस० एस० 034	स्विस एण्ड फ्रेन्च	असफल
5.	1.3.1988	टैबलेट वरिपेनिल	बी० 7	एलाइड फर्मा	प्रतीक्षा की जा रही है
7.	1.3.1988	टैबलेट मेथिल डोपा	आर० सी०-16	—तदैव—	—तदैव—
8.	1 3.1988	टैबलेट मेथिल डोपा	आर० सी०-19	—तदैव—	—तदैव—
9.	1.3.1988	टैबलेट रैनिटि डाइन 150 मि० ग्रा०	यू० एल० टी० 07	डी फार्मा	प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
10.	1.3.1988	टैबलेट पेरीटोन	124	एवरेस्ट केमिकल	प्रतीक्षा की जा रही है।
11.	1.3.1988	सिरिप सुपरस्टाल	255	अर्मन रेमेडीज	—तदैव—
12.	11.5.1988	कैप्सूल बी॰ सी॰ फोर्ट	64 एम॰ एफ॰ जी॰ 1071	मेडोकेम	—तदैव—
13.	11.5.1988	टैबलेटाइरोथ्रा माइसिन	डी॰ जी॰ 15	एलाइड फार्मा	—तदैव—
14.	11.5.1988	टैबलेट सोड॰ बैलपोरेट 200 मि॰ ग्रा॰	102	एवरेस्ट फार्मा	—तदैव—
15.	11.5.1988	पस्व यूनिडल	पी 07	यूनिक्योर फार्मा	असफल
16.	29.7.1988	टैबलेट पैरासिटागोल	188	यूशिका फार्मा	—तदैव—
17.	29.7.1988	कैप्सूल यूशिविट (बी सी फोर्ट)	66	यशिका फार्मा	प्रतीक्षा की जा रही है।
18.	29.7.1988	कैप्सूल बी॰ सी॰ फोर्ट	बी॰ एफ॰ 08	पाम फमो	—तदैव—
19.	28.7.1988	टैबलेट पिरोक्सीकैन 10 मि॰ ग्रा॰	651	मेसर्स सिवेकम फार्मा	—तदैव—
20.	28.7.1988	सिरप फेन्कोजोन	ए एक्स एस॰ 342	मैसर्स एक्सस केमिकल फार्मा लि॰	—तदैव—
21.	14.9.1988	टैबलेट नेपडपिन	104 मैसर्स स्विस	ऐण्ड फ्रेन्च	—तदैव—
22.	14.9.1988	सिरिप न्यूफेम-ए	एं॰ वाई एस-342	मैसर्स एक्सिस कैमिकल	—तदैव—

विवरण-2

घटिया औषधों की सूची

क्रम सं०	औषध का नाम	बैच नं०	फर्म का नाम पते सहित
1.	सिरिप पैरासिटामोल	एस० एम० 34	मेसर्स स्विस ऐन्ड फ्रैन्च फार्मा, विश्वास नगर, दिल्ली-32
2.	पल्व यूलिटन	पी०-07	मैसर्स यूनिक्योर प्रा० लि० नोएडा
3.	टैबलेटपेरासिटा मोल	आई. पी. 188	मैसर्स यूशिका फार्मा (पी) लि०, शाहदरा, दिल्ली
4.	कैप० यूशिव्हिट	66	मैसर्स यूशिका फार्मा (पी) लि० शाहदरा, दिल्ली
5.	कैप० बी० सी० मोटं	बी प०-08	मैसर्स पाम फार्मा, नई दिल्ली

महामारियों के शिकार व्यक्ति

13. श्री हम्मान मोल्लाह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान हैजा, आंत्र शोथ और अन्य महामारियों के शिकार व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी थी;

(ख) इसमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु इस वर्ष के दौरान हुई; और

(ग) राजधानी में इन महामारियों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो में संकलित की गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में हैजा; आंत्रशोथ और अन्य रोगों से पीड़ित हुए रोगियों/मौतों की संख्या इस प्रकार हैं :

1988 (अनन्तिम)

रोगी	रोगी	मौतें
वायरल यकृतशोथ	3334	103 (7/88)
पोलियो माइलाइटिस	1420	रिपोर्ट नहीं मिली
हैजा	1688	8 (15.10.88)
आंत्रशोथ	84855	787 (9/88)
आंत्र ज्वर	4302	9 (7/88)
मैनिजाइटिस	2027	407 (24.9.88)

(ग) इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनमें शामिल हैं—सुरक्षित पेयजल की सप्लाई, मानव मल का सुरक्षित निपटान, पर्यावरणिक सफाई में सुधार, व्यक्तिगत और खाने की स्वच्छता, असुरक्षित पेयजल का क्लोरीनीकरण, प्रभावित क्षेत्रों में अधिक जोखिम वाले वर्गों के लोगों को हैजा और टाइफाइड-रोधी टीके लगाना, जन प्रचार जैसे टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर, पेम्फलेट आदि द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा आदि को सुदृढ़ करना है। वांनिकशोथ मस्तिष्कावरणशोथ रोगियों को पैंसलीन के टीके आदि से विशिष्ट उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है और सम्पर्क में आने वाले लोगों का सल्फा औषधों के साथ-साथ कोमों रोग-निरोधन उपचार किया जा रहा है।

"फिर कहर ढा सकता है ये बुखार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

14. श्री रामकुमार राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर को "जन सत्ता" में "फिक कहर ढा सकता है ये बुखार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बुखार के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या इस बुखार के इलाज के लिए अभी तक कोई दवाई तैयार नहीं की जा सकी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां । सरकार ने 8 अक्तूबर, 1988 के जनसत्ता में प्रकाशित समाचार देखा है ।

(ख) और (ग) यह बुखार मूल रूप से वायरल से हुआ समझा जाता है और क्लीनिकल दृष्टि में डेंगू बुखार से मिलता-जुलता है । डेंगू सहित वायरल संक्रमण के लिए कोई रसायन चिकित्सा नहीं है ।

(घ) रोगियों को लाक्षणिक उपचार और अन्य सहायक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है । बचाव के अन्य उपायों में अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव और लार्वा-रोधी उपाय भी शामिल हैं ।

पोषक आहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

15. श्री के० राममूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि पोषक आहार कार्यक्रम भली-भांति कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहें हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस समय देश में बहुत से पोषक आहार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । एकीकृत बाल विकास सेवा

योजना (आई.सी.डी.एस.) जो अति संवेदनशील आयु वर्ग के बच्चों तथा प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को एक मुश्त सेवाएं प्रदान कर रहा है, प्रमुख पोषक आहार कार्यक्रम है। स्वास्थ्य और मानवसंसाधन विकास/सामाजिक कल्याण क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एकीकृत बाल विकास योजना और स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने तथा एक कारगर मानीटरिंग पद्धति का विकास करने के लिए भी सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

हथकरघा क्षेत्र में संकट

16. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा क्षेत्र लगातार संकट का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सारे देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में हथकरघा एकक बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को सूत के मूल्य कम करने और इसकी नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये हैं;

(ग) बुनकरों को हथकरघा धागे के युक्तिसंगत वितरण के लिए क्या उपाय किये हैं;

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान हथकरघा क्षेत्र को अतिरिक्त बेवर पूंजी अथवा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ङ) हथकरघा क्षेत्र द्वारा सप्लाई किये गये जनता कपड़े के नवीनतम संशोधित मूल्य क्या हैं और यह संशोधन कब किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) रुई की अधिक कीमतों के कारण सूती यार्न की कीमत में वृद्धि होने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेषकर सूखे और बाढ़ की परिस्थितियों के कारण क्रय शक्ति के कम होने से कम उठान होने के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई कार्य-कलाप के स्तरों में कमी हुई है।

(ख) और (ग) सरकार ने सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए हैं।

(1) स्टेपल रुई का निर्यात स्थगित कर दिया गया है।

(2) अग्रिम लाइसेंस आधार पर सूती यार्न। सूती फैब्रिक्स और मेड अप्स के निर्यात के बदले रुई के आयात की अनुमति दी गई है।

(3) 60 काउंटों तक के हैंक यार्न का निर्यात रोक दिया गया है।

(4) हथकरघा क्षेत्र को सप्लाई करने के लिए हैंक यार्न के उत्पादन के लिए निशुल्क ! लाख रुई की गांठों के आयात की अनुमति दी गई है। निशुल्क रुई के आयात से प्राप्त होने वाले कीमत लाभ हथकरघा क्षेत्र को प्रदान किए जायेंगे।

हथकरघा उद्योग को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं जैसे हैंक यार्न दायित्व योजना, नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना तथा मौजूदा एककों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता, राष्ट्रीय हथकरघा निगम यार्न सप्लाई प्रचालन आदि।

उपरोक्त उपायों से सूती यार्न की कीमतों में हाल ही में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी है।

(घ) हथकरघा प्रमुख शीर्ष समितियों और निगमों के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों को 496.85 लाख रु० की राशि रिलीज की गई।

(ङ) केन्द्रीय सरकार, जनता कपड़े की उपभोक्ता कीमत निर्धारित करती है जिसका आधार विशेषकर अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमत, परिवहन लागत तथा किसी विशेष समय में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत ऊपरी खर्च होते हैं। समूचे देश में जनता कपड़े की कोई एक कीमत निर्धारित नहीं है। सभी राज्यों में उत्पादित जनता कपड़े की उपभोक्ता कीमत में वर्ष 1977 में 20 प्रतिशत तथा 1981 में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई। साथ ही इन दो सामान्य संशोधनों के अतिरिक्त निम्नलिखित राज्यों में उत्पादित जनता कपड़े की कुछ किस्मों की उपभोक्ता कीमतों में संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर संशोधन किया गया है।

राज्य	जिस तारीख से जनता कपड़े की उपभोक्ता कीमतों में संशोधन किया गया है।
1	2
1. बिहार	3.2.1988
2. महाराष्ट्र	9.2.1988
3. कर्नाटक	4.2.1988
4. हरियाणा	26.5.1988
5. गुजरात	31.5.1988
6. प० बंगाल	23.6.1988
7. असम	24.6.1988

1	2
8. आन्ध्र	1.7.1988
9. तमिलनाडु	13.7.1988
10. मध्यप्रदेश	13.7.1988
11. उड़ीसा	26.7.1988
12. उत्तर प्रदेश	16.8.1988
13. राजस्थान	1.9.1988

गैर सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कालेज

17. डा० डी० एम० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने गैर-सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं; और

(ख) उन मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किये बिना ही चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में कार्य कर रहे राज्य-वार प्राइवेट मेडिकल कालेजों की संख्या इस प्रकार है :

(1) अन्ध्र प्रदेश	—1
(2) गुजरात	—1
(3) तमिलनाडु	—4
(4) महाराष्ट्र	—4
(5) कर्नाटक	—14
(6) पंजाब	—2

(ख) निम्नलिखित मेडिकल कालेज, भारतीय चिकित्सा परिषद की मान्यता के बिना कार्य कर रहे हैं :

(1) डकन कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

(2) मेडिकल कालेज, करमसाद, गुजरात, ।

(3) श्री रामचन्द्र कालेज आफ हेल्थ साइन्सेज, पोरुर, मद्रास, तमिलनाडु

(4) पी० एस० जी० इन्सटिट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, पी०एस० गोविन्दस्वामीनायडू एंड सन्स चैरिटीज, पेलामेडु, कोयम्बटोर, तमिलनाडु,

(5) मेडिकल कालेज, अन्नामलाई, तमिलनाडु,

(6) सरल मेडिकल कालेज, लोनी, महाराष्ट्र,

(7) कृष्ण इंस्ट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कराड़, महाराष्ट्र,

(8) अमरावती मेडिकल कालेज, अमरावती, महाराष्ट्र,

(9) मे एस०एस० मेडिकल कालेज, मैसूर, कर्नाटक,

(10) श्री आदिचुन्चनेगिरि मेडिकल कालेज, जावरन्हाल्लि, वेल्लूर, मांड्य जिला, कर्नाटक,

(11) एम० एस० रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक,

(12) डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक,

(13) केम्पगौडा इन्सिट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बंगलौर, कर्नाटक,

(14) श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, तम्का, कोलार, कर्नाटक,

(15) अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर, कर्नाटक,

(16) के० बी० एल० डी० मेडिकल कालेज, बीजापुर, कर्नाटक,

(17) श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुम्कुर, आन्ध्र प्रदेश,

भारतीय चिकित्सा परिषद की कार्यकारी परिषद ने जून, 1988 में हुई अपनी बैठक में निरीक्षण रिपोर्टों पर विचार करने के बाद एम०एस० रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर, डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर तथा बंगलौर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केम्पागौडा इंस्ट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज को कुछ शर्तों के साथ 1988 से एक वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की है।

लक्षद्वीप में स्वास्थ्य केन्द्र

18. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लक्षद्वीप में कितने स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में किये गये प्रावधान के अनुसार सभी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं;

(ग) क्या विज्ञान केन्द्र प्रभावी है तथा उनके काम काज करने संबंधी प्राप्त रिपोर्ट संतोषजनक हैं; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 1-7-88 तक लक्षद्वीप में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 14 उप-केन्द्र काम कर रहे थे।

(ख) सातवीं योजना के दौरान लक्षद्वीप के लिए 10 (अतिरिक्त) उप केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक कोई केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार लक्षद्वीप में सभी उपकेन्द्र बिना सहायक नर्स मिडवाइफ के कार्य कर रहे हैं।

(घ) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 10 उपकेन्द्र खोलने हैं ताकि सातवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

19. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना के प्रश्न पर विचार करने के लिये गठित किये गये विशेषज्ञ दल ने छोटे समाचार पत्रों के पत्रकारों सहित समाचार पत्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से इस विषय में राय मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह विशेषज्ञ दल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ?

श्रम मन्त्री (श्री विश्वेश्वरी दुबे) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय यह संभावित तारीख बताना संभव नहीं है कि जिस तक उक्त दल अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

गर्भ निरोधक गोलियों के अत्यधिक इस्तेमाल से हृदय गति रुकना

20. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोधक गोलियों के अत्यधिक सेवन के कारण विशेष रूप से उन महिलाओं

को हृदय गति रुकने की शिकायत पैदा हो सकती है जो पहले से हृदय रोग से पीड़ित है और जिन्हें उच्च रक्तचाप, रक्त मधुमेह, खून में कोलेस्ट्राल की अत्यधिक मात्रा, मानसिक तनाव, वजन अधिक होना, धूम्रपान और अधिक मद्यपान की शिकायत है;

(ख) क्या देश में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है और यह रोग उन युवाओं, महिलाओं में अधिक फैल रहा है जो पहले इस रोग से मुक्त माने जाते थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) ऐथिरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी छूत रोग की महिलाओं को खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधों की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इन से उच्च रक्त-दाब का खतरा बढ़ सकता है और ये सेरिब्रवेस्कुलर दुर्घटना और हृदपेशी रोधगलन की घटना में वृद्धि करते हैं। यह खतरा अपेक्षाकृत अधिक उम्र की और धूम्रपान करने वाली महिलाओं में और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

वायरल ज्वर के कारणों का पता करने के लिए समिति

21. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विशेष रूप से राजधानी में वायरल ज्वार महामारी के फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में, विशेषतया राजधानी में, वायरल ज्वर के कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की किसी भी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय विषाणु-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने वायरल ज्वर के प्रकोप की जांच पड़ताल करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था।

दिल्ली में ऊंची इमारतों का निर्माण

22. **श्री उत्तम राठौड** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेष विकास ने हाल ही में नई दिल्ली में बहुमंजिली ऊंची इमारतों के निर्माण की यह अवधारणा उस अवसाधरणा से मेल खाती है जिसके अन्तर्गत शहर को मूल रूप से निर्मित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली में बहु-मंजिली इमारतों के निर्माण की यह अवधारणा उस अवधारणा से मेल खाती है जिसके अन्तर्गत शहर को मूल रूप से निर्मित किया गया था;

(ग) क्या और अधिक बहु-मंजिली इमारतों के निर्माण से इस महानगर में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या से भीड़-भाड़ नहीं बढ़ेगी; और

(घ) इन सभी बातों और बहु-मंजिली इमारतों को होनी वाले आग के खतरे को ध्यान में रखते हुये सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सरकार ने दिल्ली में गगन-चुम्बी भवन निर्माण को विनियमित करने के संबंध में मार्गनिर्देशनों को विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् हाल ही में जारी किया है। इन मार्गनिर्देशनों में शहर के ऐतिहासिक स्वरूप के साथ-साथ इसके परिवर्तन की आवश्यकताओं तथा भीड़भाड़ और प्रदूषण को नियन्त्रित करने और संबंधित मामलों की आवश्यकताओं के अनुकूल मूल्यवान शहरी भूमि के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखा गया है।

स्थानीय निकायों के उप-नियमों और विनियमनों में गगनचुम्बी भवनों में होने वाले आग के जोखिमों के संबंध में पहले ही से उपबन्ध विद्यमान हैं।

गर्भाधान रोकने का नया तरीका

23. श्री सोमनाथ रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में जीव-प्रजनन के आधुनिक अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधानकर्ताओं ने गर्भाधान रोकने का कोई नया तरीका खोज निकाला है जैसा कि 29 सितम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस नयी खोज की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) मानवेतर प्राइमेट में प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में मादा हार्मोन ईस्ट्रोजन आवश्यक हैं। इंडियन इंस्टि-यूट आफ साइंस, बंगलौर के प्रारम्भिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि टेमोक्सोफेन औषध अपनी ईस्ट्रोजेनोसिटी के कारण बानेट बन्दरों से प्रत्यारोपण को बाधित करती है। इस औषध की प्रभाव-कारिता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में अध्ययन शुरू किए गए हैं।

दिल्ली में मच्छर उन्मूलन

24. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में मच्छरों द्वारा उत्पन्न संकट में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या राजधानी में मच्छर उन्मूलन अभियान धीमा पड़ गया है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितनी बार मच्छर उन्मूलन कार्यवाहियां की गई हैं; और

(घ) मच्छर उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारी वर्षा के कारण राजधानी में मच्छरों के प्रकोप में वृद्धि हो गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से लार्वारोधी उपाय और वैदिक कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है ।

(घ) राजधानी में मच्छरों के प्रकोप पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

1. मच्छर पैदा होने वाले स्थानों पर एम.एल.ओ. टेमेफोस, फेनाथियान और पैरिसग्रीन जैसे कीटनाशकों के साथ नियमित कीटनाशक उपाय करना ।
2. मच्छरों के पैदा होने के स्थानों को कम करने और नालियों के रखरखाव के लिए छुटपुट इंजीनियरी उपाय ।
3. मलेरिया रोगियों के घरों में तथा उनके आस-पास पायरेथम स्पेस छिड़काव ।
4. मौसम परिवर्तन के समय मेलाथियाम फॉगिंग-कार्य
5. लार्वाभक्षी मछली के उपयोग से जैविक नियंत्रण ।
6. मलेरिया के रोगियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार ।
7. वैयक्तिक रोगनिरोधी उपायों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा ।

नसबंदी आपरेशनों के कारण मौतें

25. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबंदी आपरेशनों के बाद होने वाले कुप्रभावों और मौतों के सभी मामलों की पूरी तरह जांच करने के लिए सभी राज्य क्षेत्रों को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) नसबंदी के बाद होने वाली मौतों को कम करने में इससे किस सीमा तक सहायता मिल पाई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही विभिन्न दिशा-निर्देश और हिदायतें दी जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) यह मन्त्रालय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से नसबंदी आपरेशन के कारण होने वाली मौतों/जटिलताओं को न्यूनतम करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। मौत सम्बन्धी सभी मामलों की जांच करने के लिए पत्र अभी 13 अक्तूबर, 1988 को ही जारी किया गया है, अतः इन जटिलताओं के परिणाम का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

दिल्ली में कुत्तों द्वारा काटने की घटनायें

26. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की अधिकृत कालोनियों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के कारण लोगों को इन कुत्तों से काटने से रेबीज रोग होने का भय पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मन्त्रालय को दिल्ली की अधिकृत कालोनियों में लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, रेबीज रोग पागल कुत्तों के काटने से पैदा होता है।

(ख) नगरपालिका उपविधि के अन्तर्गत, दिल्ली नगरपालिका निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति कुत्तों को पकड़ने के अपने दस्तों की सहायता से नियमित अन्तराल पर लावारिस कुत्तों को पकड़ने और उन्हें दयापूर्वक मारकर स्वच्छता-पूर्वक भूमि में दफनाने की कार्रवाई कर रही है।

बिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि

27. श्री प्रताप राव बो० भोसले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 की जनगणना के समय से दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जनसंख्या प्रक्षेपण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली की जनसंख्या जो 1981 में (पहली मार्च) 62.2 लाख थी वह। 1988 में (पहली मार्च) बढ़कर 82.5 लाख हो जाएगी। यह सात वर्ष की अवधि में 20.3 लाख की बढ़ोत्तरी की द्योतक है।

(ख) शहरीकरण के अलावा दिल्ली में जनसंख्या बढोतरी का मुख्य कारण आप्रवासन है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में दिल्ली की प्राकृतिक वृद्धि दर (मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का अंतर) नमूना पंजीकरण पद्धति के अनुमान के अनुसार अखिल भारत स्तर से अधिक रही।

(ग) दिल्ली के लिए प्रारूप क्षेत्रीय योजना 2001 में अन्य बातों के साथ-साथ 2001 ईसवी तक दिल्ली की जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात कही गई है। दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :

(1) 2001 तक दिल्ली में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए,

(2) संतुलित वृद्धि प्राप्त करने के लिए दिल्ली की जगह दिल्ली शहरी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, और

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली शहरी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास करना।

इसके अलावा, दिल्ली में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रवासी व्यक्तियों की जमानत जमा राशि वापस करना

28. श्री अब्बन थामस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है वर्ष 1987 के दौरान जिन्हें विदेश में अपनी नोकरी की अवधि पूरी करने के बाद स्वदेश वापस आने पर उनकी बैंकों में जमानत जमा धनराशि वापस कर दी गई है ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : जमानत जमा राशि को वापस करने के बारे में राज्यवार

आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि 1987 के दौरान विभिन्न उत्प्रवासी संरक्षकों द्वारा वापस की गई जमानत जमा राशि तथा इनसे सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

उत्प्रवासी संरक्षक का नाम	व्यक्तियों की संख्या	वापस की गई जमानत जमा राशि
बम्बई	12,411	3,05,04,537
दिल्ली	22,112	52,02,000
मद्रास	1.132	39,51,914
त्रिवेन्द्रम	7,132	1,46,40,747
चंडीगढ़	676	17,13,193
कोचीन	5,297	1,58,04,303
कलकत्ता	56	1,70,500

"हिमाचल प्रदेश में वन कटाई योजनाएं"

29. प्रो० नारायणचन्द पराशर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के दौरान वन कटाई की स्वीकृति के लिए कोई योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को भेजी गई सड़क निर्माण, सिंचाई तथा जल आपूर्ति, विद्युतीकरण आदि की योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उन योजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है और वे केन्द्रीय सरकार के पास किन-किन तारीखों से लम्बित पड़ी हैं तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री शियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रस्ताव के मन्त्रालय में प्राप्त होने की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	कुल्लु जिले में फर्नीचर की दुकान	18.1.1988	रद्द की गई।

1	2	3	4
2.	वर्तमान देहर-शिमला लाइन को जोड़ने के लिए 132 के. वी. पारेषण लाइन	1.3.1988	मंजूर की गई।
3.	डलहौजी चम्बा यू.एच.एफ. (सूल्मतरंग) परियोजना	2.3.1988	मंजूर की गई।
4.	ऊना जिले में पेयजल स्कीम	2.3.1988	मंजूर की गई।
5.	शिमला जिले में प्रवाह सिंचाई स्कीम	16.3.88	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये।
6.	कुल्लु जिले में रोगी आवास और आंखों के अस्पताल का निर्माण	16.3.1988	मंजूर की गई
7.	चमेरा स्टेज 2 कैरेन (हि. प्र.) से महानपुर (ज. और क.) तक के लिए 400 के.वी./डी.सी. पारेषण लाइन	16.?.1988	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।
8.	घल्ली से संजौली तक शिमला जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन	28.4.1988	राज्य सरकार से अपेक्षित विवरण मांगे गये
9	शिमला जिले में आई.टी.बी.पी. के लिए शिविर	9.5-1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
10.	जुब्बल बाजार पेयजल स्कीम का पुनर्निर्माण	14.6.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
11.	पठानकोट-मंडी-कुल्लु मार्ग से इंडियन आयल पेट्रोल पम्प तक के लिए प्रवेश और निकास सुविधा करवाना	16.6.1988	मंजूर की गई
12.	कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	16.6.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गए।

1	2	3	4
13.	कुल्लु जिले में आसुदेउन मार्ग का निर्माण	7.7.1988	मंजूर की गई।
14.	एस.एस.बी. संगठन द्वारा फाइरिंग रेंज का निर्माण	28.7.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
15.	सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण भवन और शिकायत कार्यालय का का निर्माण	8.8.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
16.	कुल्लु जिले में थरास नामक स्थान पर स्कूल भवन और खेल के मैदान का निर्माण	23.8.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
17.	चमेरा स्टेज-2 से महानपुर तक 400 के.वी. पारेषण लाइन	23.8.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
18.	झाटिगिरी-टीयून-कमंद-कटौला-कांजरा मार्ग का निर्माण	22.9.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गये
19.	देहरा से चुरकरी तक 132 के.वी. पारेषण लाइन का निर्माण	29.9.1988	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगे गए
20.	मनाली में रेलवे कर्मचारियों के लिए हालीडे होम का निर्माण	5.10.1988	प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

30. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में 27 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 5 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम द्वारा 607 कालोनियों में से नियमित की गई 539 कालोनियों का नाम क्या है;

(ख) उन 56 कालोनियों के क्या नाम हैं जिन्हें नियमित नहीं किया गया है और उन 7 कालोनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अधिसूचित स्लम में अंतरित किया गया है;

(ग) क्या शेष 5 कालोनियों को नियमित करने के बारे में भी कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है तथा संबंधित कालोनियों के क्या नाम हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा पहले से नियमित 607 कालोनियों में से 539 कालोनियों के नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण-1 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 669/88]

(ख) 56 कालोनियां, जिन्हें अस्वीकृत किया गया है तथा 7 कालोनियां, जिन्हें अधिसूचित स्लम में अन्तरित किया गया है, के नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 659/88]

(ग) और (घ) पांच कालोनियों में से, दो कालोनियां अर्थात ओम विहार तथा सेवन पार्क एक्स्टेंशन-हरिजन कालोनी पहले ही नियमित की जा चुकी हैं तथा शेष तीन कालोनियों अर्थात (1) आर्य नगर (2) संधारा कलां चौकी संख्या 2 तथा (3) नई बस्ती हरिजन कालोनी के मामलों पर अभी निर्णय लेना शेष है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न खरीद केन्द्र खोलना

31. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों से खाद्यान्नों की खरीद कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसानों को कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जहां आस-पास खरीद केन्द्र नहीं हैं, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद केन्द्र खोलने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या मापदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) धान उत्पादक क्षेत्रों में और अधिक खरीद केन्द्र खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किसानों से गेहूं और धान की वसूली कर रहा है :

राज्य : आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

संघ शासित प्रदेश : दिल्ली पांडिचेरी ।

(ख) किसानों द्वारा मजबूरन गेहूं/धान की बिक्री करने के बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) क्षेत्र विशेष में वसूली करने के लिए वसूली केन्द्रों की संख्या और स्थान तथा एजेंसी के बारे में संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्णय किया जाता है । उन्हें आबंटित किए गए वसूली केन्द्रों के अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम की उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चालू खरीफ मौसम के दौरान अन्दरुनी इलाकों को कवर करने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर कुछ चलते-फिरते वसूली केन्द्रों को चलाने की योजना है।

चावल की खरीद, आयात और निर्यात

82. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1988 के खरीफ मौसम में धान की बहुत अच्छी फसल होने की आशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चावल उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और 1988 के दौरान प्रत्येक धान पैदा करने वाले राज्य के लिए उत्पादन और खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अच्छी किस्म के चावल का निर्यात किया जा रहा है; यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान कितना निर्यात करने की सम्भावना है और इससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी; और

(घ) क्या 1989-90 के लिए चावल के आयात और निर्यात संबंधी नीति निर्धारित कर ली गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां । तथापि, उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों और वर्ष 1988-89 के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन के लक्ष्यों का ब्यौरा दिया गया है। संलग्न विवरण में विभिन्न राज्यों में वसूली के अनुमान भी दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) वर्ष 1987-88 के दौरान क्रमशः 339.98 करोड़ रुपये और 12.37 करोड़ रुपये के मूल्य के 3,66,111 मी० टन बासमती चावल 22.808 मी० टन गैर-बासमती चावल की अनुमानित मात्रा का निर्यात किया गया था । चूंकि चावल का निर्यात निजी व्यापारियों द्वारा किया जाता है और वह घरेलू उत्पादन, बाजार-उपलब्धता, उसके मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण

जैसे विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, इसलिए 1988-89 और 1989-90 में निर्यात की जाने वाली चावल की मात्रा के बारे में कोई अनुमान बताए नहीं जा सकते ।

विवरण

1988-89 के दौरान चावल के लिए उत्पादन लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य	मात्रा (लाख मीटरी टन)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.60
2.	असम	30.00
3.	बिहार	61.60
4.	गुजरात	8.90
5.	हरियाणा	18.70
6.	कर्नाटक	23.00
7.	केरल	11.00
8.	मध्य प्रदेश	53.00
9.	महाराष्ट्र	25.50
10.	उड़ीसा	55.30
11.	पंजाब	56.10
12.	तमिलनाडु	54.10
13.	उत्तर प्रदेश	89.00
14.	पश्चिम बंगाल	87.00
15.	अन्य	22.70
	अखिल भारत	679.50
वसूली अनुमान :		
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	हरियाणा	8
3.	पंजाब	35

1	2	3
4.	उत्तर प्रदेश	12
5.	मध्य प्रदेश	5
6.	तमिलनाडु	8
7.	अन्य	6
	अखिल भारत	90

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य तेलों का आयात

33. श्री चिन्तामणि जेना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों में, वर्ष वार खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) क्या राज्यों के बीच खाद्य तेलो के वितरण के बारे में कोई शिकायत है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य को उसकी मांग को पूरा करने हेतु आयातित खाद्य तेलों का आवश्यक कोटा आवंटित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आयातित खाद्य तेलों की काफी मात्रा में प्रत्येक वर्ष क्षति होती है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षति को कम करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) भारतीये खाद्य निगम खाद्य तेलों का आयात नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से आयातित खाद्य तेलों के विलरण के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस विभाग से खाद्य तेलों की अधिक मात्रा आवंटित करने का अनुरोध करते रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आवंटन कई बातों, जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध तेल, खुले बाजार में देशीय तेलों की उपलब्धता तथा उनके मूल्य और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गत महीनों में खाद्य तेलों की उठाने की गति को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शहतूत की खेती के लिए भूमि क्षेत्र

34. श्री वी० कृष्ण राव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम के उत्पादन के लिए वर्ष 1987 के दौरान देश में शहतूत और अन्य तीन किस्म के पौधों की कुल कितनी भूमि में खेती हुई और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या रेशम के उत्पादन के लिए शहतूत की खेती वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में शहतूत और अन्य किस्म के पौधों की खेती करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए शहतूत, टसर, एरी तथा मूंगा होस्ट पौधों की खेती किये जाने वाले क्षेत्र के राज्य-वार ब्योरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) हाल ही में जिन नए राज्यों में शहतूत की खेती शुरू की गयी है वे हैं : केरल, उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश । गैर-शहतूती किस्मों को प्रमुख तौर पर परम्परागत क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाता है । फिर भी, हाल ही में, कर्नाटक तथा राजस्थान में टसर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं ।

विवरण

वर्ष 1987-88 की स्थिति के अनुसार उन क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति जहां रेशम कीट खाद्य पौधों की खेती की जा रही थी

(हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 1987-88 के दौरान शहतूत की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र	ट्रापिक टसर के अन्तर्गत	**ओक टसर अनुमानित वन क्षेत्र	मूंगा	एरी
1	2	3	4	5	6	7
						*7010 (कुल)
1.	आन्ध्र प्रदेश	43,289	13,02,000	—	—	
2.	असम	962	—	24000	5765	

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	37	—	1225000	—	
4.	बिहार	832	9,18,000	—	—	
5.	हिमाचल प्रदेश	160	—	1,39,000	—	
6.	जम्मू और काश्मीर	1,541	—	15,000	—	
7.	कर्नाटक	1,40,456	5,21,000	—	—	
8.	मध्य प्रदेश	783	50,44,000	—	—	
9.	महाराष्ट्र	509	10,04,000	—	—	
10.	मणिपुर	1,000	—	40,000	—	
11.	मिजोरम	600	—	15,000	—	
12.	मेघालय	874	—	15,000	—	
13.	नागालैंड	8	—	23,000	—	
14.	उड़ीसा	640	20,24,000	—	—	
15.	पंजाब	65	—	—	—	
16.	तमिलनाडु	31,772	—	—	—	
17.	त्रिपुरा	857	—	—	—	
18.	उत्तर प्रदेश	2,586	—	3,00,00	—	
19.	पश्चिम बंगाल	14,536	3,55,000	—	—	
20.	राजस्थान	95	—	—	—	
	कुल :	2,41,603	111,68,000	17,96,000	5765	*7010

* अलग-अलग ब्योरा उपलब्ध नहीं ।

** गैर-शहतूती रेशम कीटों अर्थात् ट्रापिकल टसर, ओक टसर, एरी तथा मूंगा की किस्मों का पोषण वन क्षेत्र में फैले हुए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद्य पौधों के प्रयोग द्वारा किया जाता है । इस प्रकार इन गैर-शहतूती रेशम कीट खाद्य पौधों का जिनका कीटपालन के लिए वास्तविक रूप में उपयोग हो रहा है, यथातथ्य आकलन उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में हैजा फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए की गई जांच सम्बन्धी रिपोर्ट

35. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

डा० ए० के० पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हैजा फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या है; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : हैजा/जठरान्त्र शोथ का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले उपायों में मुख्यत: शुद्ध पेय जल, सफाई सेवाओं की व्यवस्था करना तथा प्रवाहित होने वाले ठोस और तरल पदार्थों का निपटान करना शामिल है । चिकित्सा पक्ष में इनमें उपचारात्मक सुविधाएं रिहाइड्रेशन प्रक्रिया का प्रचार, टीका लगाना तथा स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है ।

इन सभी पहलुओं पर उचित कार्यवाही दिल्ली प्रशासन के मेडिकल विभाग द्वारा सावधानी-पूर्वक तैयार की गई योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की गई ।

मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन से कहा गया था कि विभिन्न एजेन्सियों जो कि सफाई, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था तथा निवारक एवं उपचारात्मक चिकित्सा उपायों से सम्बन्धित है की भूमिका तथा जिम्मेदारी की जांच पड़ताल करें । मुख्य सचिव ने कूड़ा-कचरा और बाढ़ के पानी का निपटान करने के लिए नालों को साफ करने और पम्पों के रख-रखाव के लिए चलाए गए मानसून पूर्व अभियान के बारे में तीखी आलोचना की है । उन्होंने इस प्रयोजन के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदान की गई कम आबटित राशि का उल्लेख किया । उन्होंने विशेषकर उस स्थिति का बुरा मनाया जहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास कालोनियों के पम्पों का कार्यभार दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया था । मुख्य सचिव ने सिफारिश की कि निदेशक, सतर्कता दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्री के अनुसार, सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए जो कि वर्षा-पूर्व अपेक्षित कार्यवाही करने में लापरवाह पाए गए थे ।

श्रमिकों के नियोजन हेतु भारत और जोर्डन के बीच सहयोग

36. **श्री जी० एस० वसवराजू :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के नियोजन सम्बन्धी मामलों में सहयोग हेतु भारत जोर्डन के बीच एक समझौता करने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने सितम्बर, 1988 के दौरान जोर्डन की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे : (क) जी, हां । भारत और जोर्डन के बीच श्रमिकों सम्बन्धी एक समझौता ज्ञापन पर 22 अक्तूबर, 1980 को दिल्ली में हस्ताक्षर हुए हैं । ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य जोर्डन में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा एककों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि

37. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की जा रही है कि सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दिये जाने के साथ-साथ अलाभकर कपड़ा एककों को बन्द करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) क्या यह भी मांग की जा रही है कि कपड़ा मिलों का किफायती कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी का स्वतन्त्र रूप से आयात करने की अनुमति दी जाए और उन्हें रियायती मूल्य पर कच्चा माल सप्लाई किया जाए;

(ग) क्या सरकार ने ये सुझाव स्वीकार कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) गैर-अर्थक्षम एककों का बन्द होना तथा मौजूदा एककों द्वारा क्षमता का विस्तार करना/नए एककों द्वारा क्षमता का सृजन करना, वर्ष 1985 की वस्त्र नीति विवरण में निहित सामान्य औद्योगिक नीतियों के अध्यधीन होता है । प्रौद्योगिकी के आयात तथा कच्चे माल की सप्लाई सम्बन्धी निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति की मांग के अनुसार लिए जाते हैं ।

ग्रामीण श्रमिकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

38. श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) 11 अगस्त, 1987 को गठित उक्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का है। आशा है कि उक्त आयोग अपनी अन्तिम रिपोर्ट अगस्त, 1990 तक पेश कर देगा।

कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की धीमी गति

39. **श्री जी० एस० अलवराजू :**
श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों में प्रति वर्ष औसत अनुमानित 200 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के बावजूद कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की गति काफी धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 483 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से केवल 182 करोड़ रुपये वितरित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कम धनराशि वितरित करने की धीमी गति के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) टेक्सटाइल आधुनिकीकरण निधि योजना और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि द्वारा इस उद्देश्य के लिए चलाई गई अन्य योजनाओं के प्रत्युत्तर को देखते हुए यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि टेक्सटाइल एककों द्वारा किये जा रहे समग्र आधुनिकीकरण प्रयासों की गति में कमी नहीं आयेगी।

(ग) 14 मामलों में स्वीकृत 620·53 करोड़ रुपये के बदले निधि योजना के अन्तर्गत 31-8-88 तक 95 मामलों में 245·28 करोड़ रुपयों का वितरण हुआ था।

(घ) ऋण सहायता का वितरण आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। चूंकि कार्यान्वयन की समग्र अवधि 15 महीने है इसलिए अनुमोदनों और वितरणों के बीच का समय अन्तराल आवश्यक ही है। इसके अतिरिक्त अन्य अभिकरणों से रिलीफ पैकेज आदि से संबंधित प्रस्तावों में अधिक लम्बा समय लगता है और वितरण में देरी के लिए विभिन्न अन्य अपरिहार्य कारण भी हो सकते हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण संबंधी आयोग की सिफारिशें

40. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
डा० गोरी शंकर राजहंस :
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :
श्री एम० पी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती माधुरी सिंह :
श्री उत्तम राठौड़ :
श्री पी० आर० कुमारमंगलम :
श्री एच० वी० पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण संबंधी आयोग ने सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की मुख्य सिफारिशें

शहरीकरण संबंधी आयाम

1. ऐसे शहरी केन्द्रों, जो आर्थिक संवेग उत्पन्न कर सकते हैं तथा जिन्हें विकास में प्राथमिकता की आवश्यकता है, का पता लगाया गया है । इनमें राष्ट्रीय प्राथमिकता शहर (एन.पी.सी.), राज्य प्राथमिकता शहर (एस.पी.सी.), स्थानिक प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्र (एस.पी.यू.आर.) तथा ग्रामीण पृष्ठभाग वाले छोटे नगर शामिल हैं ।

2. शहरीकरण की प्रक्रिया को कृषि निष्पादन में सुधार करने तथा स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा करना भी चाहिए ।

3. शहरी स्थिति को स्थिर रखने के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को वास्तविक रूप से प्रभावशाली बनाया जाय ।

भूमि

4. चूंकि भारतीय शहरीकरण का सबसे विनाशकारी लक्षण शहरीकृत भूमि की बढ़ती हुई मांग

का पूर्वानुमान करने में विफलता का होना है, इसलिए नगर आयोजना का मूल उपाय यह है कि ऐसी भूमि की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

5. राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय आवास सर्वेक्षण और प्रत्येक राज्य में एक शहरी भूमि निदेशालय की स्थापना की जाय। शहरी स्तर पर जिला समाहर्ता के नियंत्रण में एक शहरी भूमि प्रबंधक होना चाहिए।

6. काश्तकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शहरी भूमि काश्तकारी प्रथा को बदला जाय।

7. भविष्य में भूमि की आवश्यकताओं, विशेष रूप से गरीबों के लिए आवास की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जाय तथा उपलब्ध कराया जाय।

8. जहां पर संभव हो, सार्वजनिक भूमि पर रहने को वैध किया जाय किन्तु सार्वजनिक और सामाजिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि की रक्षा की जाय तथा परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि से निवासियों का चयनात्मक पुनर्स्थापन किया जाय।

9. भूमि का उचित आधिक्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य हस्तक्षेप करे।

10. बाजार में भूमि की बढ़ती हुई मात्रा को लाने के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में प्रबल रूप से संशोधन किया जाय तथा उसमें ऐसे कराधान उपायों को जोड़ा जाय, जिससे कि भूस्वामी अपनी भूमि खाली रखने के लिए हतोत्साहित हों तथा उसके उचित इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिले।

11. भूमि विनिमय योजनाओं, विन्यास अनुमोदन तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों के माध्यम से भूमि एकत्र करने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित किया जाय।

12. विलम्ब को दूर करने के लिए तथा प्रभावित नागरिकों को समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम का संशोधन किया जाय।

13. सभी कानूनों में, जो भूमि के पुनः इस्तेमाल को रोकते हैं अथवा सीमित करते हैं, संशोधन किया जाय।

जल तथा स्वच्छता

14. जल संसाधन प्रबन्ध के लिए अलग-अलग नीति की बजाय एक सुदृढ़ नीति अपनाई जाय।

15. मनुष्य के जीवन के लिए पानी एक पूर्ण रूप से अनिवार्य आवश्यकता होने के नाते योजना प्रक्रिया में उसे उचित रूप से उच्च प्राथमिकता दी जाय।

16. शहरी क्षेत्रों में घरेलू आवश्यकताओं के लिए कम से कम 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समान आधार पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य होना चाहिए।

17. मौजूदा पानी के प्रबन्धों के बेहतर रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों

को 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाय। गन्दे पानी के पुनः इस्तेमाल तथा गैर-घरेलू प्रयोजन के लिए उसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाय।

18. जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक उपभोग करने पर लिए जाने वाले मूल्य में एक तीव्र वृद्धि करते हुए पानी के इस्तेमाल पर अचकल शुल्क लागू किया जाय।

19. जल स्तर को बनाए रखने के लिए पानी की आपूर्ति, यहां तक कि निजी संसाधनों से भी आपूर्ति को नियमित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाय। इसमें सभी पानी के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण भी शामिल किया हो।

20. ठोस अपशिष्ट को जमा करना तथा वानस्पतिक खाद बनाने में उसका इस्तेमाल और ऊर्जा के साधन के रूप में उसके इस्तेमाल को अधिक प्रभावशाली बनाया जाय। जहां संभव हो, यह कार्य निजी संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिया जाय।

21. प्रदूषण के नियंत्रण से सम्बन्धित कानून को कठोरता से लागू किया जाय।

ऊर्जा

22. शहरी क्षेत्रों की ऊर्जा की मांग का पूर्वानुमान किया जाय तथा उसे पूरा करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाय और ऊर्जा के इस्तेमाल को सीमित किया जाय।

23. गतिविधि की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए ऊर्जा-आपूर्ति-योजना तथा मूल्य-निर्धारण का इस्तेमाल किया जाय।

24. परिवहन क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकताओं को कम करने के लिए भू-उपयोग योजना को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाय।

25. ऊर्जा-सक्षम भवनों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए विकास नियंत्रण नियम तथा भवन-निर्माण उपनियम संशोधित किए जायें।

26. सम्यता और दक्षता प्राप्त करने के लिए मूल्य-निर्धारण और आपूर्ति की एक एकीकृत नीति, जिसमें सभी प्रकार के ईंधन शामिल हों, तैयार की जाय।

27. शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग पर आंकड़े आधार (डाटा-बेस) बनाए जाएं।

परिवहन

28. शहरी क्षमता मे वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, भूमि उपयोग तथा परिवहन योजना को एकीकृत किया जाय।

29. परिवहन के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्वरूप के प्रति झुकाव को ठीक किया जाय तथा जन-परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय। विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय वाहनों, जिनमें लक्सरी

बसें भी शामिल हैं, को परिचालन की अनुमति देकर निजी कारों द्वारा सड़क के उपयोग को कम किया जाय।

30. पूंजीगत, दीर्घकालीन योजनाओं के स्थान पर अल्पकालिक वहनयोग्य समाधान अपनाये जायें। इसका अर्थ उपलब्ध परिवहन साधनों के उपयोग को बढ़ाना है।

31. साइकिल चलाने और पैदल चलने वालों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाय।

32. नगर स्तर पर परिवहन के प्रबन्ध को एक ही प्राधिकरण के अन्तर्गत एकीकृत किया जाय।

शहरी निर्धनता

33. शहरी निर्धनता के सुधार को भी वही प्राथमिकता दी जाय, जो कि ग्रामीण निर्धनता को दी जाती है।

34. गरीब शहरी परिवारों से हर वर्ष चार लाख शहरी युवक चुने जाएं तथा उन्हें उन कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाय जिनकी उस समय मांग हो।

35. समुचित ऋण-सहायता कार्यक्रम द्वारा शहरी निर्धनों के स्वयं रोजगार को प्रोत्साहित किया जाय।

36. स्वयं नियोजित शहरी निर्धनों को उत्पादन तथा बाजार सहायता दी जाय।

37. रोजगार-उत्पादक कार्यक्रमों के लिए आश्रय तथा स्थान उपलब्ध कराने के लिए नगर-आयोजना को अनुकूल बनाया जाय। स्थानीय निकायों को विशेष रोजगार सुविधाएं, जिसमें छोटे उत्पादकों के लिए कार्यशालाएं शामिल हों, जुटाने के लिए उनके प्रयासों में सहायता दी जाय।

38. शहरी निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आश्रय कार्यक्रम अपनाया जाय।

39. जल आपूर्ति, जल-निकास व्यवस्था, भूमि विकास, इत्यादि जैसी शहरी परिसम्पत्तियों के सृजन के कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी निर्धनों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

40. निर्धनों की उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जाय।

41. सामुदायिक विकास को निर्धनों के रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए योजना के रूप में अपनाया जाय तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक शहरी सामुदायिक अभिकरण की स्थापना की जाय।

आवास

42. आवास नीति का लक्ष्य विकसित भूमि तथा कम लागत के आश्रय की आपूर्ति में वृद्धि

करना, मलिन बस्तियों का सुधार और उत्थान तथा मौजूदा आवासीय स्टाफ का संरक्षण होना चाहिए।

43. राज्य आवास को सुसाध्य बनाए तथा आधारभूत निवेश की अधिकता को सुनिश्चित करें। इसे रिपल-एफ्टर प्रवर्तक नहीं बनना चाहिए।

44. स्थल तथा सेवा कार्यक्रम, समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए और आगे बढ़ायें। आवास उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का उपयोग रोजगार बढ़ाने के लिए किया जाए।

45. आधिक्य भूमि उपलब्ध करने के अतिरिक्त, आवास कार्यक्रम द्वारा वित्त, मूलभूत विकास तथा सामुदायिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

46. आंतरिक नगर उत्थान तथा आवासीय मरम्मत को प्रोत्साहित किया जाय।

47. आवासीय क्षेत्र में सार्वजनिक अभिकरणों को आवास उपलब्ध कराने वालों के स्थान पर आवास को सुसाध्य बनाने वालो के रूप में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए पुन संघठित किया जाए।

48. निर्धनों और मौजूदा किराएधारी के किराया प्रतिरक्षण को सीमित करने तथा आवास की लागत में वृद्धि को परावर्तित करने के लिए किरायों के वार्षिक संशोधन के लिए किराया अधिनियों को संशोधित किया जाए, यह वृद्धि रिहायशी और गैर-रिहायशी परिसरों तथा ४० वर्गमीटर से अधिक और कम के मकानों के बीच विभिन्न हो।

शहरी स्वरूप

49. शहरी भारतम में प्रमुख निर्मितस्वरूप कम ऊंचाई, उच्च-सघनता विकास होना चाहिए।

50. प्लाट के निम्नतम आकारों, निर्माण योग्य प्लाट के क्षेत्र इत्यादि से सबधित नगर विनियमनों को संशोधित किया जाय तथा भवन आवरणों की रूपरेखा और भवन-निर्माण संहिताओं को संशोधित किया जाए ताकि निर्मित-स्वरूप प्राप्त करें।

51. अनिवार्य भवन पंक्तियों तथा समुचित भवन आवरणों का विकास करके नियंत्रित स्ट्रीट-स्केप प्राप्त किए जाएं।

52. वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा नियंत्रित विकास को सुनिश्चित करके सार्वजनिक मैदानों, पार्कों, विहार स्थलों तथा शहरी केन्द्रों के अन्य पर्व स्थलों को पुनः स्थापित किया जाय। नागरिक सीमाचिन्हों को, जोकि नागरिक मेलजोल को एक पहचान देते हैं तथा नागरिक गरिमा बढ़ाते हैं, शहरी विषय के रूप में समझना चाहिए।

53. शहर की उचित प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल रूप से भूमि के आबंटन का प्रबोधन तथा पुन. समायोजन किया जाय।

संरक्षण

54. संरक्षण में स्मारकों की रक्षा के अतिरिक्त समस्त निमित बिरासत को सम्मिलित किया जाय ।

55. रहन-सहन के पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों तथा विनियमनों को संशोधित किया जाय ।

56. नगर आयोजना में न केवल नए क्षेत्रों के विकास को बल्कि पुराने नगर क्षेत्रों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए ।

57. जगहों और स्थलों के संरक्षण के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाए ।

स्थानिक आयोजना

58. स्थानिक आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से अंतक्षेत्रीय समन्वय द्वारा आर्थिक विकास योजना को पूरा करने की आवश्यकता है । एकीकृत विकास करने के विचार से राज्य तथा जिला स्तर पर स्थानिक योजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता शहरों, राज्य प्राथमिकता शहरों तथा स्थानिक प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जाय । इसलिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बहु-स्तरीय स्थानिक योजना की सिफारिश की गई है ।

59. नगर स्तर पर, योजना को और अधिक व्यापक बनाने के लिए स्थानीय सरकार को त्रिपक्षीय विकास योजना प्रक्रिया अपनानी चाहिए, अर्थात् समूचे नगर के बृहद निदेशात्मक योजना, कार्यक्रमों के रूप में कार्य-निष्पादन योजना तथा कार्य क्षेत्र योजना और विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे रोजगार, आवास, परिवहन तथा अनिवार्य शहरी मूलभूत सुविधाओं पर विचार करना । कार्य-निष्पादन योजना को वर्तमान क्षेत्रीय विकास योजना के स्थान पर रखा जाए और इसे समय-समय पर राष्ट्रीय तथा राज्य पंचवर्षीय योजनाओं के अनुकूल बनाया जाए तथा इस प्रकार इसे एक बजट संबंधी साधन के रूप में और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के समन्वय तथा कार्यान्वयन के एक साधन के रूप में भी एक पूंजी निवेश योजना बनायी जाय । कार्य क्षेत्र योजनाओं का उपयोग विस्तृत योजना के साधनों के रूप में किया जाय ।

वित्त

60. पंचवर्षीय योजना में शहरीकरण को दी जाने वाली प्राथमिकता का लगभग कुल 4 प्रतिशत के वर्तमान भाग को बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत तक कर दिया जाय । इसमें से आधा केन्द्रीय क्षेत्र से होना चाहिए ।

61. राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को अनुदानों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के

लिए पंचवार्षिक राज्य वित्त आयोगों की स्थापना के लिए एक सांविधानिक धारा होनी चाहिए ।

62. स्थानीय निकायों के कर आधार को सुदृढ़ बनाया जाय ।

63. चार प्रमुख बैंकिंग संस्थानों—एक महानगरीय शहर विकास बैंक, एक राष्ट्रीय आवास बैंक, एक शहरी मूलभूत सुविधा विकास बैंक तथा एक शहरी लघु व्यवसाय विकास बैंक की स्थापना करना ।

प्रबन्ध

64. योजना आयोग में पूरे समय के लिए शहरीकरण का एक प्रभारी सदस्य होना चाहिए ।

65. शहरी विकास मन्त्रालय एक नोडल मन्त्रालय हो तथा उसमें शहरीकरण और शहरी निर्धनता दूर करने से संबंधित मण्डल हों ।

66. राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय शहरीकरण परिषद हो और प्रत्येक राज्य में उसके पूरक के रूप में राज्य शहरीकरण परिषद हों । ये परिषदें शहरीकरण नीतियां बनायेंगी ।

67. नागरिकों के सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक भारतीय नागरिक आन्दोलन परिषद् हो तथा राज्य और शहरी स्तर पर उसके प्रतिपूरक परिषद् हों ।

68. नगर प्रशासन को पुनर्गठित किया जाए, जिससे कि 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में नगर निगम तथा स्थानीय परिषदों से मिलकर बना द्विपक्षीय प्रशासन हो ।

69. स्थानीय निकायों के निर्वाचित विचार-विमर्श वाला स्कन्ध तथा कार्यान्वयन स्कन्ध के मध्य कार्यों के विभाजन को स्पष्ट कर दिया जाय । प्रत्येक अधिकारी के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को अलग तौर से बताया जाए और शहरी सेवाओं के प्रबन्ध को व्यवसायिक बनाया जाय ।,

70. स्थानीय निकायों का प्रतिस्थापन नियम की अपेक्षा अपवाद स्वरूप हों और उसके स्थान पर एक दूसरे स्थानीय निकाय को निर्धारित अवधि में पुनर्गठित करने के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होना चाहिए तथा निगम की चुनाव प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के आधीन रखा जाय ।

सूचना प्रबन्ध

71. अलग-अलग स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आंकड़ों के स्रोतों को संशोधित किया जाय ।

72. प्रमाण के आधार पर ही आंकड़े प्राप्त करने की पद्धति को सरल बनाया जाय ।

73. भूमि और पर्यावरण से संबंधित आंकड़ों की दो नई प्रणालियां बनायी जायें ।

74. निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए सूचना प्रबन्ध की रूपरेखा बनाई जाय ।

75. स्थानीय स्तर पर सूचना प्रबन्ध के लिए सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न आंकड़े इस्तेमाल किए जाएं ।

76. शहरी योजना को सरल बनाने के लिए स्थान विशेष सूचना प्रबंध खोजे जायें ।

77. क्षेत्रीय भूमि-उपयोग तथा शहरी क्षेत्रों के विस्तार में परिवर्तनों के प्रबोधन के लिए रिपोर्ट सेन्सिंग का उपयोग किया जाय ।

78. प्रमुख चुने हुए शहरों में एकीकृत शहरी सूचना प्रबन्धों के विश्वास के लिए पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किए जाएं ।

नेशनल यूनियन आफ जरनेलिस्टस द्वारा बछावत वेतन बोर्ड द्वारा किये गये अस्थायी प्रस्तावों में संशोधन की मांग

41. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री सी० गंगा रेड्डी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल यूनियन आफ जरनेलिस्टस (इंडिया) ने श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार-पत्रों के गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए बछावत वेतन बोर्ड द्वारा किए गए अस्थायी प्रस्तावों में अत्यधिक संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्री (श्री विन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) मजदूरी बोर्डों द्वारा यथा घोषित प्रस्ताव केवल अस्थाई है और मजदूरी बोर्डों ने सभी संबंधितों से टिप्पणियां मांगी हैं । नेशनल यूनियन आफ जरनेलिस्टस (इंडिया) ने अपनी टिप्पणियां मजदूरी बोर्डों को भेज दी हैं । सरकार मजदूरी बोर्डों की अंतिम सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार करेगी ।

पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी के लिए लंबित विकास परियोजनायें

42. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी हेतु लम्बित विकास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि से मंजूरी के लिए लंबित विकास परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और 2 में दिए गए है ।

(ख) यदि प्रस्ताव हर दृष्टि से पूर्ण भेजा जाए तो उसके प्राप्त होने के छः सप्ताह के भीतर अब उसको वानिकी की दृष्टि से मंजूरी दी जानी है । पर्यावरणीय मंजूरी के मामलों में यदि सभी ब्यौरे, सूचना और कार्य योजनाएं उपलब्ध हों तो मंत्रालय प्रस्ताव के प्राप्त होने के तीन माह के भीतर निर्णय ले लेता है । क्योंकि निर्णय सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही लिए जा सकते हैं, अतः यह बताना संभव नहीं है कि सूचना के अभाव में लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किया जा सकता है ।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	उन प्रस्तावों की संख्या जिनके बारे में राज्य सरकार से 30.9.88 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है	विचाराधीन प्रस्तावों की सं०
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	41	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	23	1
3.	असम	4	4
4.	बिहार	34	—
5.	गोआ	4	—
6.	गुजरात	150	20
7.	हरियाणा	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	41	9
9.	जम्मू और कश्मीर	2	4
10.	कर्नाटक	88	—
11.	केरल	17	2
12.	मध्यप्रदेश	183	26

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	140	49
14.	मणिपुर	2	1
15.	मेघालय	2	—
16.	मिजोरम	3	—
17.	नागालैंड	1	—
18.	उड़ीसा	23	5
19.	पंजाब	3	1
20.	राजस्थान	24	4
21.	सिक्किम	8	2
22.	तमिलनाडु	30	4
23.	उत्तर प्रदेश	122	33
24.	त्रिपुरा	12	—
25.	पश्चिम बंगाल	7	2
26.	अंडमान व निकोबार	9	—
27.	दादरा और नगर हवेली	3	—
		988	177

विवरण-2

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	खनन	पन बिजली और सिंचाई	ताप बिजली	उद्योग	अन्य	योग
आन्ध्र प्रदेश	5	—	2	3	1	11
असम	1	—	—	2	—	3
बिहार	10	—	2	1	—	13
गोआ	—	—	—	—	2	2

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	—	—	—	7	—	7
हरियाणा	—	—	—	2	—	2
हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1	1	3
केरल	—	2	2	—	—	3
महाराष्ट्र	4	1	4	6	6	21
कर्नाटक	—	1	1	—	—	2
जम्मू व कश्मीर	—	2	—	—	1	3
मध्य प्रदेश	9	—	3	—	—	12
उड़ीसा	8	—	—	5	2	15
पंजाब	—	1	3	1	—	33
राजस्थान	1	—	1	1	—	5
तमिलनाडु	1	—	1	1	4	7
उत्तर प्रदेश	2	3	5	3	1	14
पश्चिम बंगाल	4	1	2	2	1	10
अण्डमान व निकोबार	—	—	3	—	—	3
कुल :	45	12	29	35	19	140

"चाइल्ड एक्सप्लाइटेशन अनबेट्इड" शीर्षक से समाचार

43. श्री राम प्यारे पनिका : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चाइल्ड एक्सप्लाइटेशन अनबेट्इड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में बाल श्रम रोकने के लिए कौन कौन से कानून प्रचलित हैं;

(घ) उद्योग के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम रोकने संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए क्या तन्त्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) इस तन्त्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को देश में बाल श्रमिकों की समस्याओं को पहले से ही जानकारी है और वह इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

(ग) से (ङ) बालकों का नियोजन बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा राज्य दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध है। उन अधिकांश क्षेत्रों में, जहां बालक काम करते हैं, इन अधिनियमों को लागू करने के लिए संबंधित सरकारें राज्य सरकारें हैं। सभी राज्य सरकारों से समय-समय पर कहा गया है कि बाल श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनी उपबन्धों का कड़ाई से पालन करे।

रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन

44. **श्री पियूष तिरकी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत श्रेणी-वार अभी कितने आवेदन-कर्ताओं को प्लाटों को आवंटन किया जाना शेष हैं;

(ख) क्योंकि इस बारे में सात वर्ष पहले ही बता चुके हैं अतः लाटरी द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से प्लाटों के आवंटन के लिए एक समय सारणी निर्धारित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदनकर्ताओं को प्लाट आवंटन के सम्भावित समय के संबंध में एक अन्तरिम सूचना भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 51,652.

श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है :

(1) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता श्रेणी	6,595
(2) निम्न आय वर्ग	21,465
(3) मध्य आय वर्ग	19,592
	51,652

(ख) चूंकि, जिन सेवाओं को दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आदि के समन्वय से उपलब्ध कराया जाना होता है, वे पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं हैं तथा प्लाटों का विकास सम्भव नहीं हो पाया है, इसलिए प्लाटों के आवंटनार्थ समय सूची नहीं बनाई गई है।

(ग) और (घ) शेष पंजीकृत व्यक्तियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर कक्ष द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। उसके तैयार हो जाने के पश्चात् ही, इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक आवेदकों को अलग-अलग कोई अन्तरित सूचना भेजने का विचार नहीं है।

"मास ट्रांसिट सिस्टम" के लिए सोवियत सहायता

45. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख नगरों में टर्न की "आधार पर मैट्रो" जैसे "मास ट्रांसिट सिस्टम" के निर्माण के लिए सोवियत संघ ने सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोवियत संघ की सहायता से कार्य आरम्भ करने का फैसला कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) एक रेलवे प्रतिनिधि मंडल की हाल ही की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान, सोवियत सरकार ने भारतीय शहरों में मेट्रो रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए टर्न की आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की सम्भावना का पता लगाने में रुचि दिखाई है। उन्होंने उपयुक्त वित्तीय पैकेज, जिसमें स्थानीय मूल्यों का वित्तपोषण भी शामिल है, पर विचार करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एड्स रोग पर अनुसंधान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

46. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स रोग पर अनुसंधान की बात को औचित्यपूर्ण ठहराया है, क्योंकि यह रोग संक्रामक है और इससे आम जनता प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का एड्स रोग पर अनुसंधान तेज करने का विचार है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स रोग के बारे में अनुसंधान कार्य हेतु भारत को किसी तरह की सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत सरकार ने एड्स पर विभिन्न अनुसंधान क्रियाकलापों की शुरूआत की है ।

(ग) और (घ) : जी, हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विदेशों में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एच०आई०वी० संक्रमण के विभिन्न पहलुओं और एड्स के रोग के उपचार और रोकथाम पर भारतीय वैज्ञानिकों कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता की है ।

एड्स के रोगियों की संख्या में वृद्धि

47. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री के०एस० राव :

प्रो० के०वी० थामस :

श्री सोमनाथ रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ महीनों से एड्स के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस देश में पिछले छः महीनों की अवधि में एड्स के कितने रोगियों का पता चला है;

(ग) एड्स के रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का एड्स रोगों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 15 अगस्त, 1988 तक एड्स के 23 रोगी सूचित किए गए हैं । एड्स रोगियों की संख्या इतनी कम है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान वृद्धि के रुख पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

(ख) पिछले 6 महीनों के दौरान एड्स के चार रोगी सूचित किए गए गए हैं ।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भारत में एड्स के रोगियों में वृद्धि हो रही है। जिन 23 रोगियों की सूचना मिली है उनमें से 7 रोगी विदेशी थे, 12 भारतीयों को विदेश में एड्स रोग संक्रमण हो गया लगता है; केवल चार रोगियों को भारत में संक्रमण हुआ प्रतीत होता है।

(घ) सरकार द्वारा देश में एड्स पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) देश में एड्स नियंत्रण कार्यों में तालमेल रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक सेल खोला गया है।

(2) अधिक जोखिम वाले वर्गों की जांच के लिए देश में 40 निगरानी केन्द्र खोले गए हैं।

(3) इन सभी केन्द्रों में नैदानिक अभिकर्मक उपलब्ध किए गये हैं और इनमें से अधिकांश केन्द्रों में उपकरण पैकेज भी उपलब्ध किए गए हैं।

(4) एड्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(5) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एस०टी०डी० क्लीनिकों को सजग रहने को कहा गया है।

(6) सभी रक्त बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि वे व्यावसायिक रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग करें।

(7) सभी स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों और क्लीनिकों में विसंक्रमण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें और जहां तक सम्भव हो पूर्व विसंक्रमित डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल करें।

(8) स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निदेश भेज दिए गए हैं।

(9) सड्स की प्रकृति, संचरण और रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रचार के सभी माध्यमों का उपयोग किया गया।

(10) विदेशी—

(क) किसी भी भारतीय संस्था में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्र को एड्स की जांच करानी होती है। किसी भी छात्र में एड्स पाया जाया है तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि उन विदेशियों की एड्स के लिए स्क्रीनिंग की जाए जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक भारत में रहना चाहते हैं। राजनयिक मिशन के सदस्यों और पत्र सूचना ब्यूरो से मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को इस समय एड्स टेस्ट से छूट दी जाती है जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित पाया जाता है उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है।

दालों के मूल्य में वृद्धि

48. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "प्राइसेज आफ आल पल्तेज वेराइटीज गो अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी दालों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों को समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार में करोल बाग, नई दिल्ली में चल रहे मूल्यों की तुलना में सुपर बाजार, दिल्ली में बेची जा रही अनेक आवश्यक वस्तुओं, जिनमें दालें भी शामिल हैं, के मूल्य दिये गये है। दालों के मूल्य आमतौर पर ऊंचे रहे हैं और उनमें से कुछ के मूल्यों में सितम्बर, 1988 के दौरान वृद्धि हुई, जो 1987 में पड़े सूखे के कारण उत्पादन में कमी होने, कमी के मौसम तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और भारी वर्षा के कारण आपूर्ति में आई रुकावट की वजह से हुई है।

सरकार ने दालों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकारी नीति में मुख्य जोर विशेषकर दालों जैसी विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा दालों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए नहीं किया जाता है, तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने दालों का वितरण अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया है। देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने दालों का खुले आम लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी है और इसके निर्यात पर भी रोक लगा दी है। मुख्य मन्त्रियों तथा उप-राज्यपालों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, भण्डारण (नियन्त्रण) आदेश, तथा अन्य इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें।

पश्चिम बंगाल में रोलर फ्लोर मिल्स

49. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल में गेहूं खरीदने के लिए, जिसकी भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले महीने नीलामी की जाने वाली थी, रोलर फ्लोर मिल्स द्वारा प्रस्तावित सभी बोलियों को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बंगाल फ्लोर मिलों को किसी भी कोटा प्रणाली के अंतर्गत गेहूं सप्लाई न करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) रोलर फ्लोर मिलों को पहली अगस्त, 1988 से आबंटन बन्द कर दिए गए हैं। केवल रोलर फ्लोर मिलों से मास प्रति मास के आधार पर टैंडर आमन्त्रित कर सीमित मात्रा में गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम बंगाल में स्थित मिलों को टैंडरों में उनके द्वारा दिए गए कम मूल्य होने की वजह से अगस्त, 1988 मास के लिए गेहूं की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। न्यायालय के आदेशों के कारण सितम्बर, 1988 मास के लिए प्राप्त हुए टैंडर खोले नहीं जा सके थे। अक्तूबर, 1988 मास के लिए आपूर्तियों के लिए भी टैंडरों की जांच न्यायालय के आदेशों पर निर्भर करेगी।

गैर-सरकारी रेशम कीड़ों की पैदावार को बढ़ावा

50. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेशम के कीड़ों की बेहतर नसल के विकास तथा रेशम के कीड़ों के औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं ताकि रेशम उत्पादकों को कोकूनों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) देश में रेशम कीट बीजाणु उत्पादन उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को तेज करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपनी राष्ट्रीय रेशम कीट बीजाणु परियोजना के अन्तर्गत 24 बीजाणु उत्पादन एकक का एक नेट वर्क स्थापित किया है। इसके साथ ही, बोर्ड ने कोए की क्वालिटी और उत्पादकता सुधारने के लिए किसानों को चौकी कीट सप्लाई के लिए 236 चौकी कीट-पालन केन्द्र भी स्थापित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति 100 डी. एफ. एल. एस. कोए की मात्रा 3-4 किग्रा० बढ़ी है। इस प्रकार किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित हुई है।

इसके साथ ही रेशम कीटपालन की उन्नत प्रौद्योगिकियों में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में 63 अनुसन्धान विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं। शहतूत बागान और रेशम कीट पालन की उन्नत तकनीकों पर 8 भाषाओं में पैम्पलेट छपवाए गए हैं और किसानों में वितरित किए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलम्ब-शुल्क का भुगतान

51. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे को विलम्ब-शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इसे कम करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे को निम्नानुसार विलम्ब-शुल्क अदा किए गए थे :—

वर्ष	लाख रुपये
1985-86	809·38
1986-87	823·82
1987-88	789·65 (अनन्तिम)

विलम्ब शुल्क पड़ने का मुख्य कारण श्रमिकों की कम क्षमता तथा निम्न इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं होना है।

(ख) विलम्ब शुल्क को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) रेल शीर्षों पर हैंडलिंग प्रबन्धों को सशक्त कर दिया गया है।

(2) विलम्ब के लिए जिस किसी हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार अथवा विभागीय श्रमिक को जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(3) रेलवे को ऐसे मामलों में विलम्ब प्रभारों को माफ करने के लिए कहा जाता है जहां उतरान करने में हुआ विलम्ब भारतीय खाद्य निगम के नियन्त्रण के बाहर होता है अथवा वह पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के अभाव के कारण होता है।

बाल श्रमिक

[हिन्दी]

52. श्री आर० एम० भोये : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से एक तिहाई बाल श्रमिक भारत में हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ खतरनाक उद्योगों में भी बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के क्या नाम हैं और उनमें कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

श्रम मन्त्री (श्री विश्वेशवरी दुबे) : (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) 14 वर्ष की आयु से कम के बालक कालीन बुनाई, माचिस तथा आतिशबाजी आदि बनाने जैसे कुछ व्यवसायों या धन्धों मे कार्य कर रहे हैं जिनमें उनका नियोजन कानून के अन्तर्गत प्रतिबद्ध है। तथापि, खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बालकों की संख्या के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मस्तिष्क ज्वर का उपचार

[अनुवाद]

53. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मस्तिष्क-ज्वर का कोई सफल उपचार अथवा निश्चित औषधि है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसके लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए कोई सफल इलाज/रसायन चिकित्सा नहीं है। तथापि, जापानी सहयोग से केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान कसौली में एक वैक्सीन तैयार की गई है। जिसका प्रयोग फिलहाल क्षेत्र परीक्षण अवस्थाओं में पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे भी देशी ढंग से जापानी मस्तिष्क ज्वर के विरुद्ध एक वैक्सीन तैयार करने के लिए, अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है।

अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए विकिरण चिकित्सा की सुविधा

[हिन्दी]

54. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में किसी भी बड़े अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए "विकिरण चिकित्सा" की स्वतन्त्र सुविधा नहीं है और उपलब्ध विकिरण चिकित्सा का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर के 60 प्रतिशत से अधिक मरीजों को कभी न कभी विकिरण चिकित्सा की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् भी सन् 1971 से इसकी सिफारिश कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के बड़े अस्पतालों में विकिरण चिकित्सा की स्वतन्त्र सुविधा उपलब्ध कराने तथा इस सुविधा का उपयोग करने हेतु उन पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित अस्पतालों में रेडियोथेरेपी की सुविधा है।

बिहार

1. टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर।
2. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना।

उत्तर प्रदेश

1. एस. एन. मेडिकल कालेज अस्पताल, आगरा।
2. जे. एन. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. कमला नेहरू मिमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद।
4. हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल, गोरखपुर।
5. जे. के. कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. के. जी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ।
7. आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. भारतीय रेलवे कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी।

नियमों के अनुसार सभी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/अन्य संस्थानों के पास रेडियोथेरेपी के स्वतन्त्र विभाग हैं और उनका पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है।

(ख) कैंसर रोगियों के रोग की दशा और अवस्था को देखते हुए रेडियोथेरेपी उपचार दिया जाता है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सम्बन्धित विभागों में पृथक डिग्रियों/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए रेडियो डायगोनेसिस और रेडियोथेरेपी को एक अलग विशेषज्ञता निर्धारित किया है।

(घ) ऐसे संस्थानों को रेडियोथेरेपी सुविधा स्थापित करना चाहते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई टेलिथेरेपी एककों सम्बन्धी स्थायी समिति को क्लिअरेंस करने के लिए आवेदन कब

करना होगा और यह समिति केवल तभी क्लिअरेंस देती है जब उस संस्थान के पास रेडियोथेरेपी विभाग को चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारी हों। कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार कोबाल्ट थेरेपी की सुविधाएं स्थापित करने के लिए संस्थाओं को 12·00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देती है। देश में सभी मान्यताप्राप्त सरकारी मेडिकल कालेजों में कोबाल्ट थेरेपी सुविधाओं को चरणवार ढंग से स्थापित करने का विचार है।

वृक्षों/पौधों के पनपने की दर

[अनुवाद]

55. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री वृक्षों/पौधों के पनपने की दर के बारे में 10 दिसम्बर, 1987 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विभिन्न वनरोपण योजनाओं के अन्तर्गत गत पांच वर्षों के दौरान लगाए गए वृक्षों के पनपने की दर के बारे में कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक जिले में अब तक जिन क्षेत्रों का नमूना सर्वेक्षण किया गया है उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी नमूना सर्वेक्षण किया जाएगा जो कि मुख्य व्यवसाय के रूप में वनों पर आश्रित हैं और जहां वन रोपण के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में भी उक्त सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। वर्ष 1983-84 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान किए गए सभी वनीकरण कार्यक्रमों के लिए गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से प्रत्येक राज्य के चार जिलों में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपीनियन द्वारा वृक्षों की जीवितता दर के लिए नमूना सर्वेक्षण किया गया। 80% नमूने फार्म वानिकी वृक्षारोपण के थे।

(ख) जीवितता दर प्रतिशत के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण के परिणाम निम्नप्रकार हैं

राज्य	फार्म वानिकी	गैर-फार्म* वानिकी	समग्र वृक्षारोपण**
गुजरात	43.67	70.38	63.64

1	2	3	4
कर्नाटक	61.60	82.95	79.40
तमिलनाडु	52.92	61.63	60.57
उत्तर प्रदेश	70.42	59.61	60.69
पश्चिम बंगाल	69.88	97.03	67.56

*फार्म वानिकी के अलावा वृक्षारोपण के सभी घटक शामिल हैं।
**भारित औसत

(ग, जी, हां।

(घ) 1989-90 के दौरान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हरित पट्टी क्षेत्र का ह्रास/विस्तार

56. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **पर्यावरण और** वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक हरित पट्टी क्षेत्र (वन क्षेत्र) में कोई ह्रास अथवा विस्तार की जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1985 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन क्षेत्र में वास्तविक रूप से कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है; और

(ग) वन क्षेत्र के अन्तर्गत, क्षेत्र को पर्याप्त रूप से शामिल करने/विस्तार करने को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1 अप्रैल, 1985 तथा 31 मार्च, 1988 के बीच हरित पट्टी क्षेत्र में विस्तार अथवा ह्रास का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी इस अवधि के दौरान वनेतर प्रयोजनों के लिए 100160·29 हेक्टेयर क्षेत्र को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है। वर्षवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1985 से 1988 के दौरान लगभग 5·04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण की गई। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार किए वनरोपण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जन भागीदारी से देश में व्यापाक वनरोपण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी । इसके द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

1. आपरेशन सायल वाच ।

2. ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण ।

3. विकेन्द्रित नर्सरियां ।

4. स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता अनुदान ।

5. रोजगार सृजन कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक वानिकी सातवीं योजना के लिए 10 मिलियन हेक्टेयर का कुल वनरोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

विवरण-1

1985 से 1988 तक वनेतर उपयोग के लिए वनभूमि का उपयोग :

वर्ष	उपयोग में लाई गई वन भूमि हेक्टेयर में
1985	10,608,07
1986	11,963,11
1987	72,780,05
1988 (30.6.1988 तक)	4,809,06
कुल :	1,00,160,29

विवरण-2

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985 से 1988) के प्रथम तीन वर्षों में वनरोपित क्षेत्र :

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	(क्षेत्र हेक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	454074.00

1	2	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	17756.00
3.	असम	75968.50
4.	बिहार	369300.00
5.	गोआ, दमन और दीव	9381.00
6.	गुजरात	345475.00
7.	हरियाणा	102929.00
8.	हिमाचल प्रदेश	97918.00
9.	जम्मू व कश्मीर	71879.00
10.	कर्नाटक	400747.00
11.	केरल	212034.00
12.	मध्य प्रदेश	573573.00
13.	महाराष्ट्र	381333.00
14.	मणिपुर	22702.50
15.	मेघालय	26328.50
16.	मिजोरम	72777.00
17.	नागालैंड	50625.00
18.	उड़ीसा	329838.50
19.	पंजाब	82590.50
20.	राजस्थान	173644.50
21.	सिक्किम	15944.50
22.	तमिलनाडु	255401.00
23.	त्रिपुरा	36506.00
24.	उत्तर प्रदेश	641685.00

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	196104.00
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15887.00
27.	चण्डीगढ़	447.00
28.	दादर व नगर हवेली	4871.00
29.	दिल्ली	5304.50
30.	लक्षद्वीप	39.00
31.	पांडिचेरी	1712.00
	कुल :	5046775.50

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को निम्न स्तर की दवाईयों की सप्लाई

57. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बड़ी संख्या में सप्लाई की गई दवाईयां निम्न स्तर की पाई गई हैं;

(ख) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में वर्ष 1988 के दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दवाइयों की सप्लाई करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निम्न स्तर की दवाईयां बनाने वाली कम्पनियां

58. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों की दवाईयां निम्न स्तर की पाई गई थी और उनमें से कौन-कौन सी कम्पनियां आजकल सरकार को दवाईयां सप्लाई कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : राज्य औषध नियंत्रक अपने-अपने राज्यों में औषध निरिक्षकों के निर्माता व बिक्री के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होते हैं। वे राज्य औषध निरीक्षकों द्वारा नमूने एकत्रित करवाकर तथा सरकारी विश्लेषकों द्वारा परीक्षण करवाकर औषधियों की गुणवत्ता की मानीटरिंग करते हैं। जिन निर्माताओं की औषधियां मानक स्तर की नहीं पाई जाती है, उनके नामों सहित इन बातों का विस्तृत रिकार्ड राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा रखा जाता है। फिर भी, सरकारी एजेन्सियां जो सरकार के लिए औषधियां खरीदती हैं उन्हें सप्लाई करने से पहले उनके नमूनों की जांच करवा लेती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपाती परिस्थितियों में कई बार इन औषधियों की सप्लाई वारन्टी/गारंटी आधार पर प्राप्त की जाती है और बाद में उनकी परीक्षा कीजाती है।

1985-86 और 1986-87 वर्षों में घटिया स्तर के सूचित किए गए नमूनों संबंधी सूचना इस प्रकार है :—

	परिक्षित किए गए कुल नमूने	मानक स्तर के न पाए गए नमूने
1985-86	19035	2705
1986-87	28382	4066

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

59. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के आरम्भ और अन्त में नियोजकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया थी जो उन्होंने वसूल की थी किन्तु उसे सरकार के पास जमा नहीं कराया था;

(ख) उन प्रमुख नियोजकों के नाम क्या हैं जिनकी ओर वर्ष 1987-88 के अन्त में कुल 10 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया थी;

(ग) क्या 1 अप्रैल, 1988 को सरकारी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र के किन्हीं उपक्रमों की ओर यह राशि बकाया थी; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम मन्त्री (श्री विन्देश्वरी दुबे) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अन्त में छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कुल बकाया राशि इस प्रकार है:—

निम्नलिखित तारीखों को	राशि (रुपए करोड़ो में)
1.4.1985	52.30
31.3.1986	58.30
31.3.1987	71.97
31.3.1988	78.74

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। बताया जाता है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर बकाया राशि है।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और अलग से सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम सं०	प्रतिष्ठानों के नाम
	आन्ध्र प्रदेश
1.	मैसर्स आन्ध्रा कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, गुन्टाकल।
2.	,, आन्ध्रा काटन मिल्स, कुड्डापाह।
3.	,, करीमनगर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, एल्धरगांव।
4.	,, आजमजाही मिल्स, वारंगल।
5.	,, नेल्लिमेरला जूट मिल्स कं० लि०, नेल्लिमेरला।
6.	,, चिराला कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, चिराला।
7.	,, बजरंग जूट मिल्स, गुन्टूर।
	बिहार
1.	,, नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कोरपोरेशन यूनिट आफ. आर. बी. एच. एम. कटिहार।
2.	,, कटिहार जूट मिल्स, कटिहार।
3.	,, गया काटन जूट मिल्स, गया।
4.	,, बिहार शूगर वर्क्स, पचरुखी।
5.	,, रिलायंस फायर ब्रिक्स एण्ड पोटरी कं० लि०, धनबाद।

7. मैसर्स कुमारधुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स, धनबाद ।

6. ,, बिहार स्टेट आगरो इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन, पटना ।

दिल्ली

1. ,, हिन्दुस्तान समाचार कोआपरेटिव सोसाइटी लि०

2. ,, सहारा डिपाजिट इन्वेस्टमेंट (प्रा) लि०,

गुजरात

1. ,, दी अयोध्या स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० अहमदाबाद ।

2 ,, राज प्रकाश स्पीनिंग मिल्स लि०, कोम्बे ।

3. ,, नवजीवन मिल्स, कालोल ।

4. ,, इन्डैक्यूप इजीनियरिंग लि०, अहमदाबाद ।

5. ,, कानकरिया पेपर मिल्स, कालोल ।

6. ,, सेन्ट्रल पल्प मिल्स, सोनगढ़ ।

7. ,, न्यू जहांगीर वकील मिल्स, भावनगर ।

हरियाणा

1. ,, आटो पिन्स (आई) (प्रा) लि०, फरीदाबाद ।

2. ,, जालानी टूल्स (आई) प्राइवेट लि०,

3. ,, ऊषा स्पीनिंग वीविंग मिल्स ।

4. ,, भारत कारपेट्स लि०,

5. ,, जालानी टूल्स (आई) (प्रा) लि० ।

कर्नाटक

1. मैसर्स शंकर टेक्सटाइल्स ।

2. ,, गनेशर टेक्सटाइल्स ।

3. ,, सिद्देश्वरी टेक्सटाईल ।

4. ,, बेलारी स्पीनिंग मैन्यूफैक्चरिंग ।

केरल

1. मैसर्स पोनमुडी टी एस्टेट, पोनमुड, त्रिवेन्द्रम ।
2. ,, पुनालुर पेपर मिल्स ।
3. ,, सीताराम टेक्सटाइल्स लि० त्रिचुर ।
4. ,, सुगन्धागिरी कारडामोन प्राजेक्ट, मिथिरी ।

मध्य प्रदेश

1. ,, इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर ।
2. ,, कल्यानल मिल्स, इन्दौर ।
3. ,, स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर ।
4. ,, मायर मिल्स, उज्जैन ।
5. ,, बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव ।
6. ,, न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल ।
7. ,, मिकानचन्द मिल्स लि०, इन्दौर ।
8. ,, विनोद मिल्स कं० लि०, उज्जैन ।
9. ,, बिमल मिल्स लि०, उज्जैन ।
10. ,, राजकुमार मिल्स लि०, इन्दौर ।
11. ,, होप टेक्सटाइल्स मिल्स लि०, इन्दौर ।
12. ,, इंदौर टेक्सटाइल्स मिल्स, उज्जैन ।
13. ,, श्री सज्जन मिल्स लि०, रतलाम ।
14. ,, बिलासपुर स्पीनिंग मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज बिलासपुर ।
15. ,, गाजरा गियर्स प्रा० लि० ।
16. ,, म. प्र. स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि०, भोपाल ।

महाराष्ट्र

1. ,, जयश्री टेक्सटाइल मिल्स ।

2. मैसर्स ब्राडबुरी मिल्स लि०, ।
3. ,, भण्डारी एण्ड पोरवाल इन्जीनियरिंग (मैसर्स ओगले ग्लास वर्क्स)
4. ,, न्यू इण्डिया रेयन मिल्स लि० ।
5. ;, फ्यूल इंजेक्शनस लि०
6. ,, सिम्प्लैक्स बूलेन मिल्स ।
7. ,, इलोरा सिल्क मिल्स ।
8. ,, पालघर रोलिंग मिल्स प्रा० लि०
9. ,, इण्डिया यूनाइटेड मिल्स ।
10. ,, भारत टेक्सटाइल मिल्स ।
11. ,, दिग्विजय टेक्सटाईल मिल्स ।
12. ,, सकसारिया काटन मिल्स ।
13. ,, न्यू केसर-ए-हिन्द मिल्स ।
14. ,, हिन्द साइकिल लि०
15. ,, श्री सीताराम मिल्स लि० ।
16. ,, जैन मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० ।
17. ,, शिवराज फाइन आर्ट लिथो वर्क्स
18. ,, फोनिक्स मिल्स लि०
19. ,, अमरावती ग्रोवर्स कोप० स्पीनिंग मिल्स ।
20. ,, साधना टेक्सटाइल्स ।
21. ,, माधवनगर काटन मिल्स लि०
22. ,, शोलापुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स ।
23. ,, एम. वी. तिवारी बीड़ी इंड, शोलापुर

उड़ीसा

1. ,, श्री दुर्गा ग्लास (प्रा) लि० ओ आर/64

2. मैसर्स उड़ीसा इन्डस्ट्रीज लि०, ओ आर/20

3. ,, बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि०

4. ,, पुरी इलेक्ट्रिकल डिवीजन (पी. पी. पुरी में)

5. ,, कटक इलेक्ट्रिकल डिवीजन, जोवरा कटक।

6. ,, कांडर कमेटी, अंगुल सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक।

पंजाब

——शून्य——

राजस्थान

1. मैसर्स मान इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लि० जयपुर।

2. ,, जयपुर स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि० जयपुर।

3. ,, फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, जयपुर।

4. ,, मेवाड़ टेक्सटाईल मिल्स लि०, भीलवाड़ा।

5. ,, श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स; कोटा।

6. ,, मंगलम सीमेंट, कोटा।

7. ,, जयपुर उद्योग लि० सवाईमाधोपुर।

तमिलनाडु

1. ,, भारती मिल्स, पांडिचेरी।

2. ,, एंगलो फ्रेंच टेक्सटाइल्स, पांडिचेरी।

3. ,, पाइलेट पेन क० (इण्डिया) लि० पोझाल, मद्रास।

4. ,, सुदर्शन फाइनेंस कारपोरेशन, मद्रास।

5. ,, सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लि०, मद्रास।

6. ,, महालक्ष्मी मिल्स, मदुरै।

7. ,, 5 न० बीड़ी ट्रस्ट, मेलापलायम।

8. ,, सुन्दरम स्पीनिंग मिल्स (प्रा) लि० कोमारापालयम; सेलम।

9. ,, तिरूप्पुर काटन स्पीनिंग एण्ड विविध मिल्स लि०, तिरूप्पुर।

10. मैसर्स श्री रामालिंगा चूडामीयगा मिल्स लि०, तिरूप्पु।
11. ,, श्री हरि मिल्स (प्रा) लि० ओंडिपुदार, कायम्बटूर।
12. ,, राधाकृष्णा मिल्स, कोयम्बटूर।
13. ,, मधु स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स, कोयम्बटूर।
14. ,, दी भवानी मिल्स लि० (सी. बी. ई.-2.)
15. ,, सोमासुन्दरम् मिल्स, कोयम्बटूर।
16. ,, कालीश्वर मिल्स लि०, कोयम्बटूर.9.
17. ,, बसन्ता मिल्स कोयम्बटूर।
18. ,, मेट्टूर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लि० मेट्टूरडम।

उत्तर प्रदेश

1. ,, न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर।
2. ,, स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।
3. ,, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर।
4. ,, आथेर्टन मिल्स, कानपुर।
5. ,, बिजली काटन मिल्स, हथरा।
6. ,, पेस्टल सील कारपोरेशन, अलीगढ़।
7. ,, एच. आर. शुगर फैक्टरी, बरेली।
8. ,, का-आपरेटिव क्रम्स एण्ड पिन्ट्स, अल्मोड़ा।
9. ,, टाइगर हार्डवेयर एण्ड टूल्स लि०, अलीगढ़।
10. ,, उ. प्र. सीड्स एण्ड तराई डवलपमेंट कारपोरेशन, नैनीताल।
11. ,, यू. पो. एस. एस. सी. लि०, गोरखपुर।
12. ,, यू. पो. एस. एस. सी. लि०, बाराबंकी।
13. ,, लक्ष्मी शुगर एंड आयल मिल्स, हरदोई।
14. ,, यू. पी. एस. एस. सी. लि०, बाराबंकी।
15. ,, यू. पी. एस. एस. सी. लि०, देवरिया।

16. मैसर्स यू.पी. एस. एस. सी. लि, बहराइच।

17. ,, नवाबगंज शुगर मिल्स कं० गोन्डा।

18. ,, यू. पी. एस. एस. सी. लि० चिटौनी, देवरिया।

19. ,, यू. पी. एस. एस. सी. लि० सिसवा बजार, गोरखपुर।

20. ,, एसोसिएटेड जर्नल्स, लखनऊ।

21. ,, यू. पी. इन्स्ट्रमेंट्स लि०, लखनऊ।

22. ,, मेरठ स्ट्राब बोर्ड मिल्स, मेरठ।

23. ,, यू. पी. एस. एस. सी. लि०, मेरठ।

24. ,, यू. पी. एस. एस. सी. लि० बुलन्दशहर।

25. ,, रतना शुगर मिल्स, जौनपुर।

26. ,, भादोही वूलेन मिल्स, भादोही, वाराणसी।

पश्चिम बंगाल

1. ,, बेत्रा स्काट, टीटागढ़।

2. ,, बंगाल फाइन एण्ड स्पीनिंग एण्ड टेक्सटाइल एण्ड विविंग मिल्स (नं० 1) हुगली।

3. ,, बंगाल लक्ष्मी काटन मिल हुगली।

4. ,, बंगाडेज काटन मिल्स, पानिहाटी।

5. ,, भारत जूट मिल्स, हावड़ा।

6. ,, कैंटीन कारपेन्टरी, बर्क्स।

7. ,, कारटर पूलर एंड कं०, कलकत्ता।

8. ,, सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा।

9. ,, चान्दमानी टी एस्टेट, सिलीगुड़ी।

10. ,, दमदोमा, जलपाइगुड़ी।

11. ,, कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कं०, कलकत्ता।

12. ,, मोमर बेगाहाउस मैन्यू; कं० प्रा० लि०,

13. ,, केरला बेली टी एस्टेट।

14. मैसर्स कृष्णा सिलिकेट ग्लास वर्क्स, कलकत्ता ।

15 ,, नेशनल आयरन एंड स्टील लि०, हावड़ा ।

16. ,, हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लि०, हावड़ा ।

17. ,, रामपुरिया काटन मिल्स, हुगली ।

18. ,, शालीमार वर्क्स ।

19. ,, श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स, फाल्टा, टीटागढ़ ।

20. ,, ईस्टर्न पेपर मिल्स ।

21. ,, दास कन्सलटेंट्स, 21 ए-शेक्सपीयर सरानी ।

22. ,, इंडिया हार्ड मेटल्स लि०,।

23. ,, साइंटिफिक इंडियन ग्लास कं० लि० ।

24. ,, श्री इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट लि० हुगली ।

25. ,, हिन्द गैलवनाइजिंग एंड आइंग० कं० लि० हावड़ा ।

26. , श्री बजरन इलैक्ट्रिकल स्टील कं० (प्रा) लि० हावड़ा

27. ,, बंगाल इनेमल वर्क्स लि०,

28. ,, एम्पायर जूट कं० लि०

29. ,, इंडो जापान स्टील लि०

30. ,, नासकर पारा जूट मिल्स कं० लि० ।

31. ,, प्रेम चन्द जूट मिल्स लि० ।

32. ,, टेकालमिट इण्डिया लि० ।

पौष्टिक आहार की कमी से होने वाले रोगों को समाप्त करने सम्बन्धी अनुसंधान

60. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौष्टिक आहार की कमी से होने वाले रोगों को समाप्त करने संबंधी अनुसंधान के परिणामों को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में प्रोटीन अर्जन कुपोषण में वृद्धि हो रही है;

(ख) विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी से कितने बच्चे प्रभावित हैं; और

(ग) समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) पौषणिक कमियों से संबंधित अनुसंधान निष्कर्षों को उपयुक्त क्षेत्रीय परीक्षण करने के पश्चात ही कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ख) विटामिन "ए" की कमी से संबंधित कमी के लक्षणों की प्रचलन प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने कई पोषण एक्शन कार्यक्रम विशेषतौर से कुपोषण की रोकथाम करने के लिए प्रारम्भ किए हैं। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

1. विशेष पोषण कार्यक्रम (खाद्य पूरक कार्यक्रम)। इस कार्यक्रम में स्कूल पूर्व बच्चा 300 से 3500 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की दर से पूरक आहार प्राप्त करता है और उन महिलाओं (गर्भवती और स्तन्यदा माताओं) को यह मात्रा एक वर्ष में 250 से 300 दिनों तक दुगुनी दी जाती है। इसका प्रचालन मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा किया जा रहा है।

2. विटामिन "ए" की भरपूर खुराक कार्यक्रम जहां स्कूल पूर्व आयु के सभी बच्चों को हर छह महीनों में एक बार 2,00,000 आई० यू० की भरपूर खुराक दी जा रही है यह कार्यक्रम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है।

3. **अरक्तता निरोधक कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम पौषणिक अरक्तता, जो गर्भवती महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों में व्याप्त है, की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए है। इस कार्यक्रम में गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक लौह और फालिक गोलियां वितरित की जाती हैं। 12 वर्ष तक के बच्चों को भी इसके अन्तर्गत लाया जाता है। यह कार्यक्रम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तन्त्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है।

4. एकीकृत शिशु विकास सेवाएं : यह एक वृहद कार्यक्रम है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त सभी पौषणिक सामग्रियों को अन्य स्वास्थ्य और व शिक्षा सामग्रियों को एक मुश्त प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस कार्यक्रम में पूरक आहार विटमिन "ए" वितरण की भरपूक खुराक, फोलिफर गोली वितरण, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

विटामिन "ए" की कमी से संबंधित कमी के लक्षण की प्रचलन प्रतिशतता

	कन्जै० एक्सरोसिस		बिटोट स्पाट		विटामिन "ए" की कुल कमी	
	स्कूल पूर्व बच्चे	5-12 वर्ष	स्कूल पूर्व बच्चे	5-12 वर्ष	स्कूल पूर्व बच्चे	5-12 वर्ष
केरल	—	0.4	—	0.4	—	1.1
तमिलनाडु	3.0	1.5	3.8	3.1	7.0	5.1
कर्नाटक	1.6	3.8	1.6	5.4	3.2	9.3
आन्ध्र प्रदेश	1	3.0	1.6	5.1	3.5	8.2
महाराष्ट्र	—	0.2	3.1	3.9	3.4	4.1
गुजरात	—	0.4	1.8	2.9	1.8	4.0
उड़ीसा	9.8	8.6	0.8	1.9	10.6	10.5
पश्चिम बंगाल	4.9	2.1	4.9	—	11.5	2.1

दिल के दौरे और उच्च रक्तचाप के बारे में 'हार्ट केयर फाउन्डेशन' द्वारा किया गया सर्वेक्षण

61. श्री पी० एम० सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हार्ट केयर फाउन्डेशन' द्वारा दिल्ली के नागरिकों के हाल में किए गए सर्वेक्षण के बारे में दिनांक 10 अक्टूबर, 1988 के 'दि हिन्दू' दिल्ली संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल के दौरों और उच्च रक्तचाप के मामलों की गंभीर स्थिति दर्शाई गयी है :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी के ऐसे मामलों की अखिल भारतीय आंकड़ों से तुलना की है और यदि हां, तो सत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में 'हार्ट केयर फाउन्डेशन' से कोई औपचारिक रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण और शहरी लोगों में कोरोनरी हृदय रोगों की व्यापकता और खतरे के कारणों का अध्ययन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जानपदिक रोग विज्ञान अध्ययन की एक योजना बनाई है।

(ग) कोरोनरी हृदय रोग संबंधी अखिल भारत घटना स्तर उपलब्ध नहीं है। भारत के घटना आंकड़े उपलब्ध करने के लिए दिल्ली अध्ययन पहला है।

(घ) इस संबंध में भारत सरकार को हार्ट केयर फाउन्डेशन से कोई भी औपचारिक रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास खाली करना

62. श्री सी० अंगा रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व मन्त्री अब भी सरकारी आवासों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, यदि हां, तो उनके नाम क्या है, उन्होंने कब से अनधिकृत कब्जा कर रखा है और उनमें से प्रत्येक की और कितनी धनराशि देय है;

(ख) उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने मन्त्रियों के लिए बने बंगलों को अब तक अपने कब्जे में रखा हुआ है;

(ग) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने दिल्ली में सरकारी आवासों को अब तक अपने कब्जे में रखा हुआ है और उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी धनराशि देय है; और

(घ) भूतपूर्व मन्त्रियों/भूतपूर्व सदस्यों से ऐसे परिसरों को खाली करवाने के लिए की गयी कार्यवाही और यदि उन्हें कोई छूट दी गयी हो, तो उनका ब्यौरा क्या है।

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

63. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) देश में बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्री (श्री विश्वेश्वरी दूबे) : (क) बीड़ी कर्मकारों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अधीन बीड़ी कर्मकारों तथा उनके परिवारों को निशुल्क चिकित्सा इलाज प्रदान करने के लिए 130 औषधालय तथा 10 पलंगों वाला एक अस्पताल स्थापित किए गए हैं। 24 नए औषधालयों के लिए मंजूरी दे दी गई है तथा इनके वर्ष 1988-89 में स्थापित किए जाने की संभावना है। शैक्षिक, आवासीय, मनोरंजन तथा परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी योजनायें भी तैयार की गई हैं।

बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठानों में कर्मकारों के कल्याण आदि की व्यवस्था करने के लिए बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 भी बनाया गया है।

विवरण

बीड़ी कर्मकारों (राज्यवार) की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण :

राज्य का नाम क्रम सं०	बीड़ी कर्मकारों की संख्या (लाखों में)
1. कर्नाटक	3·55
2. केरल	1·11
3. उत्तर प्रदेश	4·50

1	2	3
4.	राजस्थान	1·16
5.	गुजरात	0·75
6.	उड़ीसा	1·60
7.	पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय	4·50
8.	आन्ध्र प्रदेश	2·00
9.	तमिलनाडु	2·25
10.	मध्य प्रदेश	5·78
11.	महाराष्ट्र	2·05
12.	बिहार	3·50
		32·75

जनजातियों के लोगों के लिए चावल के कोटे में वृद्धि

64. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातियों के लोगों के लिए चावल के कोटे में वृद्धि करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय किन-किन राज्यों को रियायती दर पर खाद्यान्न सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा समेकित जनजाति विकास परियोजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए कोई मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैठा) : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों और आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर चावल और गेहूं का वितरण करने की स्कीम के अन्तर्गत खाद्यानों का निर्गम राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए जा रहे आवंटनों में से किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किए जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जहां समन्वित आदिवासी

विकास परियोजना इलाके हैं तथा आदिवासी बहुल राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां इस स्कीम के अन्तर्गत विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने इस स्कीम के दायरे को बढ़ाकर उन इलाकों को भी कवर करने के लिए अनुरोध किया है जहां अधिकाश जनसंख्या आदिवासियों की है लेकिन वे समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन नहीं आते हैं। तथापि, इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

विवरण

उन राज्य/संघ शासित प्रदेशों, जिनमें समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाके आते हैं, और आदिवासी बहुल राज्यों के नाम जहां विशेषरूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई किए जा रहे हैं

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	2
	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	महाराष्ट्र
10.	मणिपुर
11.	उड़ीसा
12.	राजस्थान
13.	सिक्किम
14.	तमिलनाडु
15.	त्रिपुरा
16.	उत्तर प्रदेश

1	2
17.	पश्चिम बंगाल
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
19.	दमन
	आदिवासी बहुल राज्य/संघ शासित प्रदेश
20.	अरुणाचल प्रदेश
21.	मेघालय
22.	मिजोरम
23.	नागालैण्ड
24.	दादर तथा नगर हवेली
25.	लक्षद्वीप

एड्स रोग की रोकथाम के लिए टीकों का आयात

6*. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका तथा कुछ अन्य विकसित देशों से एड्स के टीकों का आयात करने को अस्वीकार कर दिया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) भारत में इस रोग के टीके का आविष्कार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) अब तक एड्स के उपचार के लिए विश्व में किसी वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है। अतः वैक्सीन के आयात का प्रश्न नहीं उठता। समस्त विश्व में एड्स के लिए वैक्सीन खोजने के प्रयास जारी हैं। हालांकि अब तक ये प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं परन्तु वायरस सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि से संभावित रूप से उपयोगी वैक्सीन बनाना और प्रयोग करना मुमकिन हो सकेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि के मामलों को निपटाये जाने में विलम्ब

66. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1988 को कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रवार कितने मामले निपटाये जाने के लिए लम्बित पड़े थे;

(ख) गत तीन वर्षों, पांच वर्षों और पांच वर्षों से अधिक समय से क्षेत्रवार ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं तथा उनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवार कितने मामले अंशदाताओं की मृत्यु के उपरान्त निपटाये गये और इसके क्या कारण थे तथा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बन्धित मामले निपटाने का कार्य सुव्यवस्थित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दूबे) : (क) 31-3-88 के निपटाये जाने के लिए क्षेत्रवार लम्बित पड़े कर्मचारी भविष्य निधि मामलों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) बताया गया है कि 31-3-88 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र में केवल 6 मामले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े थे जिनके लिए मुख्य कारण अदायगी से सम्बन्धित कुछ ब्यौरों का प्राप्त न होना था ।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान, मृतक अंशदाताओं के 24,420 मामले अन्तिम रूप से निपटाए गए । निपटाए गए मामलों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है । अंशदाताओं की मृत्यु से पहले प्राप्त लेकिन उनकी मृत्यु के बाद निपटाए गए दावों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल में ही निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) चालू अवधि के लिए अंशदान के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए दावा प्रपत्रों को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है ।

(2) विहित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित दावे प्रपत्रों में हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है; और

(3) यह निर्णय किया गया है कि जहां दावों का आंशिक निपटान किया गया है वहां अन्तिम दावे का नवीन दावे पर जोर दिए बिना भुगतान किया जाए ।

विवरण-1

क्षेत्र	लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6387
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1035

1	2
बिहार	1813
दिल्ली	611
गुजरात	6618
हरियाणा	1357
कर्नाटक	4005
केरल	1957
मध्य प्रदेश	816
महाराष्ट्र	9865
उड़ीसा	1401
पंजाब	3097
राजस्थान	541
तमिलनाडु	6174
उत्तर प्रदेश	4414
पश्चिम बंगाल	8002
कुल	58,093

विवरण-2

क्षेत्र	निपटाए गए मृत्यु मामलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1047
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	315
बिहार	769
दिल्ली	473
गुजरात	1501
हरियाणा	378
कर्नाटक	1462
केरल	1446
मध्य प्रदेश	810
महाराष्ट्र	3441

उड़ीसा	655
पंजाब	624
राजस्थान	501
तमिलनाडु	3686
उत्तर प्रदेश	2683
पश्चिम बंगाल	4627
कुल	24 420

पटसन के बोरों के उत्पादन में वृद्धि

67. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंथेटिक के स्थान पर पटसन के बोरों और कंटेनरों की उपयोगिता निश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पटसन के बोरों और कंटेनरों की मांग को पूरा करने के लिये इनके उत्पादन हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन ने सरकार से पटसन के बोरों की उपयोगिता संबन्धी कार्य शुरू करने का अनुरोध किया है। मौजूदा और प्रत्याशित दोनों प्रकार की मांग की पूर्ति के लिए इस समय देश में पटसन के बोरों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। सरकार ने कार्य क्षमता में सुधार लाने तथा पटसन आधुनिकीकरण निधि, विशेष पटसन विकास निधि स्थापित करके तथा जूट पैकेजिंग मेटेरियल (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बनाकर मांग बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

गैर-कोटा देशों को वस्त्रों का निर्यात

68. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात में वृद्धि करने हेतु और अधिक गैर-कोटा देशों को वस्त्रों का निर्यात करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) चूंकि वस्त्र मदों के निर्यात में लगभग पूरे कोटे का उपयोग कर लिया गया है, इसलिये सरकार ने गैर कोटा देशों को वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हाल ही में गैर-कोटा बाजारों को निर्यात पर 5% की अतिरिक्त मुआवजा सहायता की घोषणा कर दी गई है। एक गहन प्रचार अभियान आरम्भ किया जा रहा है। गैर-कोटा देशों में बाजारों का पता लगाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजे जा रहे हैं। कोटा वितरण नीति के अन्तर्गत गैर-कोटा बाजारों के निर्यातकों को अतिरिक्त कोटा दिया जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि उपर्युक्त उपायों से गैर-कोटा देशों को निर्यात में भरपूर वृद्धि होगी।

होम्योपैथिक दवा साइनेरेरिया मारटाइमा सकस की खरीद

69. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथिक दवा साइनेरेरिया सकस की जांच के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इस दवा को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुरूप खरीद रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसने गत तीन वर्षों के दौरान इसकी कितनी मात्रा खरीदी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) होम्यौपैथी औषध सिनेरेरिया मेरीटाइमा सकस के परीक्षण के लिए मानक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की क्रय सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इस दवाई का नमूने की अवस्था में तथा उसकी वास्तविक सप्लाई के प्राप्त होने के समय पर होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद से परीक्षण कराया जाता है।

(ख) जी, नहीं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्रय सलाहकार समिति की सिफारिशों का पालन करती है।

(ग) सूचना इस प्रकार है :--

1.	1985-86	36,999 शीशियां
2.	1986-87	51,779 शीशियां
3.	1987-88	18,829 शीशियां
	कुल	1,07,607 शीशियां

अलाभप्रद कपड़ा मिलों के विलय की योजना

78. **श्री उत्तम राठौड** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने निगम के घाटे को कम करने के लिए अलाभप्रद कपड़ा एककों का लाभप्रद कपड़ा एककों के साथ विलय करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपडा निगम को अपनी आधुनिकीकरण योजनाओं को पूरा करने हेतु निगम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लाभप्रद बनाने हेतु निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) गैर-अर्थक्षम वस्त्र एकको के समामेलन/पुर्नसंरचना के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा बनाई गई योजनाओं का जांच कार्य और विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श प्रारम्भिक चरणों में है ।

(ङ) सीमित साधनों के कारण सरकार एन० टी० सी० को उसकी आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए पर्याप्त धन-राशि उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है ।

(च) एन० टी० सी० ने अपनी मिलों का कार्य-निष्पादन सुधारने के लिये मिल विशिष्ट कार्य योजनाएं बनाई हैं ।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना

71. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना विहार दिल्ली (घोंडा आवासीय योजना) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) से (ग) नियमों/निर्धारित पद्धति के अनुसार कालोनी में अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

हृदयविज्ञान और संकटकालीन परिचर्या के पाठ्यक्रम

72. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन पेसिफिक सोसाइटी आफ कार्डयोलोजी और कार्डयोलोजिकल सोसाइटी आफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से हृदयविज्ञान और संकट कालीन परिचर्या का एक पाठ्यक्रम प्रायोजित किया गया था जिसका आयोजन 1-2 अगस्त, 1988 को किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पाठ्यक्रम में दिल्ली के अस्पतालों के कुछ हृदयरोग विशेषज्ञों को भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो अस्पतालवार, इन हृदयरोग विशेषज्ञों के नाम और प्रत्येक पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) भारत सरकार को एशियन पेसिफिक सोसाइटी ऑफ कार्डियोलोजी और द कार्डियोलोजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित ऐसे किसी पाठ्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

एड्स के मामले और मौतें

73. **श्री थक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक एड्स के कारण हुई कितनी मौतों की सूचना मिली है; और

(ख) इस बीमारी के उपचार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अब तक 27 व्यक्तियों का पता लगाया है जिन्हें एड्स का रोग है। इनमें से 7 विदेशी और 16 भारतीय थे, 17 व्यक्ति मर चुके हैं, 5 विदेशी अपने देश में वापिस चले गए हैं और एक जिन्दा है।

(ख) एड्स के उपचार के लिए कोई विशिष्ट औषध नहीं है और न ही एड्स की रोकथाम के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन है। एक औषध ए० जैड० टी० जो उपयोग में लाई जाती है वह न्यूमोसाइटिस का भी संक्रमण से पीड़ित रोगियों में जीवन को बढ़ाने में उपयोगी बताई गई थी। एच० आई० वी० संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों को समय-समय पर बार-बार संक्रमणों के आक्रमण होते हैं। उनके संक्रमणों को समुचित माइक्रोबिकल रोधी अथवा फंगलरोधी अभिकारकों से उपचार किया जाता है। इम्यून प्रणाली को उत्तेजित करने वाली औषधों का एड्स के उपचार में भी उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इन रोगियों को सहायक और लक्षणात्मक उपचार की आवश्यकता होती है। निगरानी केन्द्र और राज्य एड्स कक्ष सभी सीरोपाजिटिव व्यक्तियों का उपचार करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ अस्पतालों में सीरो-पाजिटिव व्यक्तियों को स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श देने के लिए परामर्श एकक स्थापित किया गया है।

गर्वनमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कालीकट के लिए केन्द्रीय सहायता

74. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गर्वनमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कालीकट में होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी गई/निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोजखापर्डे) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 27 अप्रैल, 1988 के एक पत्र में इस मंत्रालय को यह सूचित किया कि उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गर्वनमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कालीकट में होम्योपैथी में एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के अनुसार उक्त कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करने के लिए विश्वविद्यालय ने एक निरीक्षण आयोग नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने इस मंत्रालय से भी उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता देने की सम्भावना के बारे में पूछताछ की थी।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसी कोई अनुमोदित केन्द्रीय योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती हो।

त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल संस्थान की स्थापना

75. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 में केरल सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल संस्थान की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज परिसर में उक्त संस्थान की स्थापना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गये थे और केरल सहित कुछ राज्यों ने प्रस्ताव भेजे थे।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में कंजक्टिवाइट्स रोग फैलना

76. **श्री एस० एम० गुरट्टी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष बाद राजधानी में वाइरस नेत्र-शोथ, कंजक्टिवाइट्स रोग पुनः फैलने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का समय पर क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) अगस्त, माह के बाद कुल कितने व्यक्ति नेत्र-शोथ के शिकार हुए और इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) दिल्ली में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के रोगियों के कुछ मामले सामने आए हैं। यह एक मौसमी बीमारी है जिसका उपचार सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों निजी परिचर्या गृहों और चिकित्सकों के पास उपलब्ध है। नेत्र संक्रमण से पीड़ित रोगियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि यह एक विज्ञाप्य रोग नहीं है।

पुनर्वास कालोनियों के निवासियों के लिए पेयजल की उपलब्धता और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल

77. **श्री एस० बी० सिद्नाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की 44 पुनर्वास कालोनियों, झुग्गी झोपड़ियों और गन्दी बस्ती क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी उचित देखभाल के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार दिल्ली में 615 झुग्गी समूह हैं जो 514 ग्रुपों में बांटे हैं। इन झुग्गी समूहों में लगभग 11 लाख से अधिक लोग रहते हैं। 210 झुग्गी समूहों (जिसकी जनसंख्या लगभग 5.10 लाख है) के लिए नगरीय नलकों के जरिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। यह निर्णय किया गया है कि यमुना पार क्षेत्र के 210 झुग्गी समूहों को पीने का पानी दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन संस्थान द्वारा सार्वजनिक नलकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा तथा शेष 340 झुग्गी समूहों को पीने का पानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग द्वारा या तो गहरे हैण्ड पम्प लगाकर अथवा सार्वजनिक नलों की व्यवस्था करने के लिए पानी की वितरण लाइनें बिछाकर प्रदान किया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने तक गन्दी बस्ती विभाग (स्लम विंग) पानी के टैंकरों/ट्रकों पर लगाए गए सिन्टेक्स टैंकों के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है और यह विभाग 4.3 लाख जनसंख्या के लिए प्रतिदिन लगभग 17 लाख लिटर पानी सप्लाई कर रहा है।

12·00 मध्याह्न

अध्यक्ष द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि दिनांक 27 जुलाई, 1988 को मैंने सदन को सूचित किया था कि दायर याचिका संख्या 6157/87 और 1299/88, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि "पारित विधेयक (केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ विधेयक, 1985) और गजट में प्रकाशित किये गये विधेयक में, अध्याय उप-शीर्षक संख्या 8426-00 के अन्तर्गत माल-क्रेन से सम्बद्ध उत्पादन शुल्क की दर के सम्बन्ध में विसंगति है, के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, अपीलीय विभाग बम्बई से दो नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनमें मुझे दिनांक 19 जुलाई 1988 को, दिनांक 28 जून, 1988 से तीन सप्ताह के भीतर बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष, मेरे द्वारा या लोकसभा के महासचिव द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

तद्नुसार ऐसी कार्रवाई करने के लिए संगत (सम्बन्धित) कागज विधि और न्याय मंत्री के पास भेज दिये गये हैं, जिससे कि मंत्री महोदय न्यायालय को यथोचित संवैधानिक स्थिति और सदन की सुस्थापित परम्पराओं से अवगत करा सके।

तत्पश्चात्, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, अपीलीय विभाग, बम्बई ने दिनांक 6 अगस्त, 1988 के अपने पत्र में उनके कार्यालय द्वारा मुझे भेजे गए दो नोटिस जिनमें पार्टियों के नाम भेजे गए आम नोटिस की भाषा को पुनः दोहराने के लिए गहरा दुःख व्यक्त किया है और यह अनुरोध किया है कि इन्हें रद्द समझा जाए।

दिनांक 23 सितम्बर 1988 को फिर दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें भारत संघ, अध्यक्ष, लोकसभा, और श्री हरद्वारी लाल संसद सदस्य के विरुद्ध श्री उदय सिंह दलाल द्वारा दायर याचिका संख्या 1991/88 और सिविल विविध याचिका संख्या 4374/88 के सम्बन्ध में मुझे कारण बताने के लिए कहा गया था।

लोकसभा की सुस्थापित परम्पराओं और प्रथाओं के अनुसार मैंने नोटिस का जवाब न देने का निर्णय लिया है। मैंने न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति और सदन की सुस्थापित परम्पराओं से अवगत कराने के लिए सम्बन्धित कागज विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्यमन्त्री को, इसके लिए उचित कार्रवाई करने हेतु, भेज दिए हैं।

———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके।

[हिन्दी]

आप शोर क्यों करते हैं? शोर मत करिये।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैंने दिल्ली में किसान आन्दोलन पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आपने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है क्योंकि किसानों ने घोषणा की है·· (**व्यवधान**)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, कृपया स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं बताता हूं।

[अनुवाद]

मैंने इसे पढ़ा है। मेरी समझ में यह···का प्रश्न है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कौन सा प्रश्न, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी द्वारा उठाया गया प्रश्न···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : किस बारे में ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के प्रश्न के बारे में मेरी राय में यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर इतनी ही चर्चा कर ली जाए बल्कि इस पर सदन में पूर्ण रूप से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है और मैंने नियम 193 के अधीन यदि समय हुआ तो आज ही या कल चर्चा किए जाने की अनुमति दी है···

(**व्यवधान**)

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय एयर इंडिया में हड़ताल होने के कारण खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय वहां नहीं जा पा रहे हैं। वे बेरोजगार हो गए हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी यह नीति का प्रश्न है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मांग हमेशा आती है और आती रहेगी। मैं पहले ही चर्चा की अनुमति दे चुका हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या आप, किसान आन्दोलन पर हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : क्या उन्होंने आपको यह सूचना दी है कि उनका किस दल से सम्बन्ध है ? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है ? हमें पता होना चाहिये कि वे किस दल के हैं ? (**व्यवधान**)

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : वे आपके दल के सदस्य नहीं हैं। **(व्यवधान)**

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : देखिये ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

[**अनुवाद**]

वे जिस दल की टिकट पर चुने गये हैं उसी दल के सदस्य हैं तथा यहां बैठे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शांताराम नायक : इस बीच कुछ परिवर्तन हो गये हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा आपसे एक निवेदन है। हमारा आपसे यह अनुरोध है कि किसान आन्दोलन पर स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता है। एक ऐसी अभूतपूर्व घटना हो गयी है कि शासक दल को अपनी रैली के लिये स्थान बदलना पड़ा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, नहीं। मैंने यह कर दिया है। यह मामला हमेशा चलता रहेगा। मैंने चर्चा की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे पानी की सप्लाई बन्द करना चाहते थे, और इसीलिये हम सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह स्थगन प्रस्ताव का उपयुक्त मामला है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : हमें सरकार की भर्त्सना करने का अधिकार है और स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति देनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री हरभाई मेहता (अहमदाबाद) : हमने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर चर्चा करने का अनुरोध किया है। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : त्रिवेन्द्रम में एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गयी हैं तथा यात्री रुके पड़े हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : हम सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह स्थगन प्रस्ताव के लिये बिल्कुल उपयुक्त मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि आन्दोलन हमेशा होते हैं। मांगे हमेशा की जाती हैं। यह नीति, चर्चा विचार विमर्श करने तथा प्रतिनिधित्व का मामला है। यह नीति का प्रश्न है और आपको इस पर सदन में चर्चा करने का पूरा अधिकार है। परन्तु स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

12·08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा और आदेश और राष्ट्रपति को भेजे गये मिजोरम के राज्यपाल के प्रतिवेदन

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 7 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 905 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिनांक 7 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 906 (अ) में प्रकाशित उपरोक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को किए गए आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रपति को भेजे गए मिजोरम के राज्यपाल के दिनांक 6 सितम्बर, 1988 तथा 7 सितम्बर, 1988 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 6571/88]

कम्पनी अधिनियम की धारा 620 के अन्तर्गत कतिपय सरकारी कम्पनियों को छूट देने के बाद में प्रारूप अधिसूचना

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं, श्री एम० अरुणाचलम की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षाओं से कतिपय सरकारी कम्पनियों को छूट देने के बारे में प्रारूप अधिसूचना संख्या 1/5/88-सी० एल० वी० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 6572/88]

12·09 म० प०

मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प के बारे में सदन में आज

चर्चा करने के लिये अधिघोषणा तथा उद्घोषणा के अनुसरण में जारी किये गये आदेश पर राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतियाँ प्रकाशन फलक पर उपलब्ध हैं। सदस्य इनकी प्रतियाँ प्रकाशन फलक से ले सकते हैं।

---

12 091/2 म० प०

राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1988.

(2) पंजाब अग्रक्रय (चण्डीगढ़ और दिल्ली निरसन) विधेयक, 1988.

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और खतौली में हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी जानें जा रही हैं।

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد) : مظفر نگر، علیگڑھ اور کھتولی میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہماری جانیں جارہی ہیں

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाऊ कर दिया है।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही अनुमति दे दी है। मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है। मैं निर्णय ले चुका हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कर चुका हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी-अभी घोषणा की है तथा हमें पूरक कार्यसूची भी प्राप्त हो गई है, जिसमें यह कहा गया है कि किसानों व खेतीहर मजदूरों की समस्याओं पर नियम 193 के अधीन चर्चा होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि किसानों के धरना के दौरान पानी की सप्लाई नहीं थी तथा इसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर मामला है और मैंने इस पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। जिस भी विषय पर आप चर्चा करना चाहेंगे आपको इसकी अनुमति दी जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम सरकार की निन्दा कैसे करेंगे ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों खड़े हैं। आप अपनी जगह जाइये, मैं बताता हूँ। यह अच्छा नहीं लगता है कि आप बीच में आकर खड़े हो जायें।

मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और खतौली में हमारे लोग मर रहे हैं।

شری سلطان صلاح الدین اویسی: علیگڑھ، مظفر نگر اور کھتولی میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा की अनुमति दे दी है। मैंने निर्णय ले लिया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप पानी की सप्लाई रोकने पर सरकार की निन्दा करने की अनुमति नहीं देते हैं तो हमारे पास सिवाय बहिर्गमन के और कोई रास्ता नहीं है।

[इस समय प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।]

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : किसान दिल्ली में अपनी मांगें लेकर और इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम कराने के लिए आये। और उनको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। मैं वाक आऊट करता हूं।

[अनुवाद]

[इस समय श्री सी० जंगा रेड्डी सभा भवन से बाहर चले गये।]

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : पश्चिम बंगाल में एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। यह गम्भीर मामला है। सरकार को आयोग नियुक्त करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, कृपया गृहमंत्री से वक्तव्य देने को कहें। लोगों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय ले लिया है। मैं स्वयं भी इसके बारे में चिन्तित हूँ। मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है। हम इस पर चर्चा करेंगे, आप चिन्ता न करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार से वक्तव्य देने को कहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूँगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। चर्चा कब होगी यह किसी को पता नहीं है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : महोदय, वह वक्तव्य कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : जब आप चर्चा करने की अनुमति देंगे तब मैं वक्तव्य दूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह आज ही हो जाना चाहिए। आप इसे स्थगित क्यों करते हैं ?

[हिन्दी]

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जायेंगे हम, तुमको खबर होने तक ॥

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن
خاک ہوجائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र गृह मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहेंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला यह ऐसा मामला है जिससे हर समझदार व्यक्ति को तकलीफ होती। मैं समझता हूं कि यह हमारे नाम पर कलंक है कि हम अभी भी धर्म के नाम पर लड़ते हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं इसे कतई पसन्द नहीं करता। केवल गृह मन्त्री ही नहीं बल्कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए.....

श्री जी० एम० बनातवाला : चर्चा जल्द से जल्द होनी चाहिए। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और इसीलिए हमें बहिर्गमन करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है।

12.16 म० प०

[इस समय श्री जी० एम० बनातवाला और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये]

12.16 म० प०

19 अक्तूबर, 1988 को अहमदाबाद में इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान और गुवाहाटी के निकट वायुदूत के एक विमान के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, जैसाकि सदन को विदित है, 19.10.88 को दो भारतीय सिविल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हम मृतकों के परिवारों के सदस्यों और मित्रों के प्रति समवेदना प्रकट करते हैं। संक्षेप में दुर्घटना के विवरण इस प्रकार हैं :—

इंडियन एयरलाइन्स का बी-737 विमान बी. टी.-ई.ए. एच. बम्बई से अहमदाबाद की अनुसूचित यात्री उड़ान आई. सी.-113 प्रचालित कर रहा था। इस विमान में 135 व्यक्ति (124 यात्री + 5 बच्चे + 6 क्रू सदस्य) सवार थे। इस विमान की कमान कैप्टिन ओ. एम. दलाया कर रहे थे और कैप्टिन डी. नागपाल उनके साथ सह-पायलट थे। इस विमान ने 0605 बजे बम्बई से उड़ान भरी और 0650 बजे अहमदाबाद के ऊपर होने की सूचना दी। विमान जब धावनपथ 23 के लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अपने अन्तिम उपगमन (फाईनल एप्रोच) पर था तब यह दुर्घटना हो गई। जमीन पर गिरने से पहले विमान तीन पेड़ों से टकराया। लगभग सारा-का-सारा विमान जल गया। विमान में सवार 130 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 5 गम्भीर रूप से घायल हो गए। मुझे आज

[श्री शिवराज वी० पटिल]

बताया गया है कि उनमें से एक घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। भूमि पर गिरने से 2 मिनट पहले विमान का अन्तिम सन्देश यह था कि वह उतरने के लिए मुड़ रहा है। विमान ने किसी भी आपात स्थिति की सूचना नहीं दी। हवाई अड्डे और शहर की अग्नि-शमन सेवायें मौके पर पहुंच गई और राहत कार्यों में लग गई। फ्लाइट डाटा रिकार्डर और काकपिट वाइस रिकार्डर मिल गये हैं।

सूचना मिलने के तुरन्त बाद इण्डियन ऐयरलाइन्स ने दुर्घटनाग्रस्त लोगों के रिश्तेदारों की सहायता के लिए बम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद में विशेष सेल बनाए। 121 शवों की पहचान कर ली गई थी और वे दिल्ली, बम्बई और अहमदाबाद में मृतकों के रिश्तेदारों को सौंप दिए गए थे। 23.10.88 को संयुक्त धार्मिक क्रिया से शेष शवों का दाह-संस्कार/दफन कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना की मदद से शवों को बम्बई और अन्य गन्तव्य स्थानों में भेजने की व्यवस्था की गई थी। इण्डियन एयरलाइन्स को आदेश दिये गये हैं कि मुआवजे का भुगतान यथासम्भव शीघ्र कर दिया जाए। इण्डियन एयरलाइन्स यह भी सुनिश्चित करने का हरेक प्रयास कर रहा है कि जीवित 5 यात्रियों को सभी प्रकार की चिकित्सा तथा अन्य सहायता मिले। जीवित यात्रियों के रिश्तेदारों को सूचित किया गया है कि यदि वे बम्बई/दिल्ली अथवा किसी भी अन्य स्थान पर प्राइवेट अस्पताल में उन्हें स्थानांतरित करना चाहें अथवा यदि उन्हें चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता हो तो इण्डियन एयरलाइन्स उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।

सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री अशोक माथुर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है। तीन "असेसर" न्यायालय की सहायता करेंगे जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके नाम हैं, सर्वश्री जे. के. मेहरा, के. बी. गणेशन और विंग कमांडर आर. पी. एस. गारचा।

जिस समय इस दुर्घटना के विस्तृत ब्यौरे प्राप्त हो रहे थे उसी दिन प्रातः 10 बजे एक रिपोर्ट मिली कि उड़ान संख्या पी० एफ—704 का प्रचालन करने के लिए सिलचर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए वायुदूत के एक एफ—27 विमान वी. टी. डी. एम. सी. का विमान यातायात नियन्त्रण गुवाहाटी से प्रातः लगभग 8.50 बजे के बाद संपर्क समाप्त हो गया था। इसके कमांडर कैप्टन वी० एस० भोगल और सह विमानचालक कैप्टन के० आर० रेड्डी थे। बाद में दोपहर बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टरों द्वारा की गई खोजबीन से इस बात की पुष्टि हो गई कि विमान असम नूनमती गांव के निकट पहाड़ियों में ध्वस्त हो गया है।

विमान पर 34 व्यक्ति सवार थे। वे सभी दुर्घटना में मारे गए।

चूंकि दुर्घटना पहाड़ी क्षेत्र में हुई थी अतः उस स्थान तक पहुंचना कठिन कार्य था। अंततः, पुलिस, सेना, वायुसेना और स्थानीय लोगों की सहायता से बचाव दल दुर्घटना स्थल तक पहुंच गया। संचार-व्यवस्था बनाए रखने और मृतकों को ले जाने के लिए दो हेलीकाप्टर लगाए गए। सभी 34 शव ढूंढ लिए गए। 30 शव उनके रिश्तेदारों को दे दिए गए तथा 4 का दाह संस्कार कर दिया

गया। वायुदूत ने दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी और सिलचर में 4 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। मृत यात्रियों के परिवारों को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन नियंत्रण कक्षों में वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए।

दुर्घटना की जांच के लिए सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय भी गठित किया है। तीन "असेसर" उनकी सहायता करेंगे जो इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ हैं। ये असेसर हैं : इंडियन एयरलाइन्स के भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक श्री जे0 डी0 जेजीना ; नागर विमानन विभाग में विमान सुरक्षा के भूतपूर्व निदेशक श्री वी० चेलप्पा; और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के निदेशक कैप्टिन एन० के० डावर।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, मंत्री महोदय को एअर इंडिया की अघोषित हड़ताल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। एअर इंडिया ने बिना सोचे समझे अपनी अनेक उड़ानें रद्द कर दी हैं तथा खाड़ी के देशों में काम कर रहे अनेक केरलवासियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वे समय पर नहीं पहुंच सके।

मंत्री महोदय को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ानें फिर से चालू हो जाएं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय मुझे खेद है कि कुछ यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एअर इंडिया में कुछ लोगों ने नियमानुसार कार्य करना शुरू कर दिया तथा उसी कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। मुझे आशा है कि हम इसका कुछ हल अवश्य ही खोज लेंगे। (व्यवधान) स्थिति यह है। मुझे आशा है माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे। (व्यवधान)

प्रो० जे० पी० कुरियन : आप सम्बन्धित इलाकों से सम्पर्क करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों की नौकरियां फिर से बहाल हो जाएं।

श्री हरु भाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं अहमदाबाद में हुई दर्दनाक स्थिति पर तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अहमदाबाद के लोगों की तरफ से प्रधान मंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि स्थिति के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं तथा उन पर चर्चा की जा सकती है।

———

12.22 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद स्थित ऐतिहासिक इमारतों की समुचित देखभाल की जाना

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी दिलचस्प भी है। दुनिया की सभ्यता के साथ हिन्दुस्तानी सभ्यता एवं संस्कृति का शुमार होता रहा है। यहां तक खोज से पुराने शहरों से मिलने वाली ऐतिहासिक चीजों से भी सभ्यता का रिश्ता जुड़ता है। इनके अलावा प्राचीन जमाने की इमारतें भी बड़ी तादाद में आज भी देश के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। इन इमारतों से सभ्यता, संस्कृति और टेक्नोलोजी का पता चलता है और इनसे यह भी मालूम होता है कि किस प्रकार से विदेशों से आकर लोग यहां आबाद हुए हैं और यहां की सभ्यता एवं संस्कृति का एक अंग बन गए हैं।

12.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ऐतिहासिक शेष इमारतों का एक मजमुआ आजमपुर, जिला मुरादाबाद (उ० प्र०) में है जहां से न सिर्फ अकबर बादशाह का सबसे पहले कुतबा खोज में मिला है, बल्कि पता लगता है कि उस जमाने की सबसे बड़ी शख्सियत अल्लामी अबुल फजल और मुलकुस सोर जैजी ने यहां शिक्षा प्राप्त की है। यहां की इमारतों में शेख अब्दुल गफूर का मकबरा व दीगर मकबरे व मसजिद वगैरह को केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने दस साल पूर्व अपने कब्जे में लिया था। खेद की बात है कि इन इमारतों को बराबर हानि पहुंच रही है और उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। इसके बारे में पुरातत्व विभाग का ध्यान बार-बार आकृष्ट कराया गया है, लेकिन आगरा सर्किल ने इस सिलसिले में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया है। पिछले साल इन इमारतों के लिए फण्ड आवंटित किया गया था, मगर बाद में उस फण्ड को कहीं अन्यत्र खर्च कर दिया गया।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इन ऐतिहासिक इमारतों का विशेष ध्यान रखा जाए और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी देखभाल का पूरा प्रबंध कराया जाए।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन में आन्दोलन कर रहे गोदी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाना

[अनुवाद]

श्री० जी० एस० बासवराजू (टुमकूर) : महोदय, न्यू मंगलौर बन्दरगाह पर पंजीकृत गोदी कर्म-

धारियों द्वारा धीमी गति से काम न करने और नियमानुसार काम करने तथा हड़ताल करने के कारण माल के लदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और निर्यात के लिए 250 टन काजू शैल लिक्विड के लदान को बीच ही में रोक दिए जाने से मामला बहुत गंभीर हो गया है। जहाज बिना माल के लदान के बन्दरगाह से चले गए हैं। जहाजों के मालिक, ऐजेन्ट तथा सी. एफ. ऐजेन्ट जो इस कार्य में लगे हैं अपने प्रयासों में विफल रहे हैं।

मुख्यतया श्रमिक समस्या के कारण न्यू मंगलौर बन्दरगाह पर वर्ष 1987-88 में आम माल के निर्यात में 30 प्रतिशत से भी अधिक कमी आई है तथा वर्ष 1987-88 के दौरान काजू की गिरी के निर्यात में भी गिरावट आई है।

नागर विभानन और पर्यटन मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे हस्तक्षेप करें तथा शीघ्र ही बिना विलम्ब किए श्रमिक समस्याओं को निपटाएं। अन्यथा देश पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों को भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को ऋण देने के लिए निर्देश दिये जाना

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ, मराठवाड़ा व बाम्बे में इस वर्ष अतिवृष्टि से जान-माल व फसल का बहुत नुकसान हुआ है। केन्द्र से आग्रह है कि महाराष्ट्र को सहायता देने के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों (नेशनेलाइज्ड बैंकों) व कोआपरेटिव बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण दिए जाने के नियमों में रिजर्व बैंक ढील दे तथा दूसरी आर्थिक सहायता करने वाली संस्थाओं को अपने नियमों में शिथिलिता लाने के लिए कहा जाए। इससे पूरे देश के किसानों को तथा आर्थिक कमजोर लोगों को हम सहायता दे सकेंगे।

(चार) बाड़मेर और आगरा फोर्ट के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन किये जाना

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर-आगरा फोर्ट 207 अप व 203 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन देश की एक महत्वपूर्ण ट्रेन है जो 850 किलोमीटर तक यात्रा करती है। उक्त ट्रेन बाड़मेर से जयपुर तक एक्सप्रेस ट्रेन के अनुसार निर्धारित रफ्तार से चलती है परन्तु जयपुर से आगरा फोर्ट तक एक्सप्रेस ट्रेन होने के बावजूद भी पैसेन्जर ट्रेन की तरह चलती है।

फुलेरा से आगरा फोर्ट तक पश्चिमी रेलवे उक्त रेलगाड़ी की देखभाल करती है। परन्तु उनका कार्य बहुत ही असंतोषजनक है। आगरा फोर्ट पर गाड़ी के अच्छे कोच बदल दिए जाते हैं तथा उन कोचों की अच्छी तरह देखरेख नहीं की जाती।

अत: रेलवे मंत्रालय से निवेदन है कि बाड़मेर-आगरा फोर्ट तथा जयपुर से आगरा फोर्ट तक चलने वाली "हवा महल" गाड़ियों को एक ट्रेन बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के नाम से परिणित

किया जाए जिसमें कम से कम 15 कोच हों तथा इसे शाम चार बजे के स्थान पर 4.30 बजे बाड़मेर से चलाया जाए तथा पहुंचने का समय 11.15 के स्थान पर प्रातः 11.00 बजे किया जाए ताकि बाड़मेर-आगरा फोर्ट गाड़ी की सार्थकता एवं उपयोगिता जनता के हित में हो। बचे हुए कोचों से जयपुर-आगरा के बीच एक पैसेन्जर ट्रेन पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जाए।

(पांच) छत्तीस गढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की मांग

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति है कि न्याय सुलभ एवं सस्ता हो और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक उसे पहुचाया जाए। इसी दृष्टिकोण से जन-अदालत भी लगाए जाते हैं।

इसी नीति के तहत म० प्र० सरकार ने निर्णय लिया है कि म० प्र० हाईकोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना वहां के छत्तीसगढ़ के इलाके में की जाए जहां की 1/3 प्रतिशत आबादी हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्गों की है। इस पर केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। परन्तु पिछले दो वर्षों से यह मामला अधर में लटका है। छत्तीसगढ़ के लोगों की यह मांग लगातार रही हैं और उसे पूर्ण न करने से वहां के लोग अपनी उपेक्षा मानते हैं।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार के विधि एवं न्याय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि म० प्र० हाईकोर्ट की ब्रान्च बिलासपुर जिले में अतिशीघ्र स्थापित की जावे जो कि सर्वथा उचित स्थान है। पिछले रिकार्डों से भी पता चलता है कि बिलासपुर ही सर्वथा उचित स्थान है। इस बहुप्रतीक्षित निर्णय को केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर जोर देकर शीघ्र पूर्ण करावे क्योंकि इसमें केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों की सहमति है।

(छः) केरल में कन्नानौर में राष्ट्रीय खेल संस्थान का एक राज्य परीक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय केरल के लोग विशेष रूप से खेल प्रेमी तथा कन्नानौर जिले के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी केरल में राष्ट्रीय खेल संस्थान का राज्य प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के लिए लालायित हैं।

खेल और युवा कार्य मन्त्रालय ने आश्वासन दिया था कि उपयुक्त स्थान मिल जाने पर केरल में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय खेल संस्थान केन्द्र स्थापित किया जायेगा। केरल सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कन्नानौर में और उसके आस-पास दो या तीन स्थान देने की पेशकश की है। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

केरल ने हमेशा अनेक खिलाड़ी तथा अच्छे एथलीट भी प्रदान किए हैं। बंगलौर में कार्यरत

राष्ट्रीय खेल संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को केरल में ऐसा केन्द्र स्थापित करने में बाधा नहीं डालने दी जाए।

खेल और युवा कार्य मन्त्रालय को केरल के कन्नानोर जिले में राष्ट्रीय खेल संस्थान का राज्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कदीरी स्थित क्षेत्रीय तिलहन अनुसन्धान केन्द्र में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : अनन्तपुर जिले में कादिरी में एक क्षेत्रीय तिलहन अनुसन्धान केन्द्र 1955 में स्थापित किया गया था और तीन अनुसन्धान सहायकों तथा एक प्लान्ट ब्रीडर के पद 1985 में मंजूर किए गए थे। आन्ध्र प्रदेश में शायद केवल यही एक ऐसा अनुसन्धान केन्द्र है जिसने कादिरी-1, कादिरी-2 तथा कादिरी-3 के नाम से मूंगफली की किस्में तैयार की हैं।

प्लान्ट ब्रीडर का पद 1957 में भरा गया था तथा यह केन्द्र केवल सहायकों के अधीन कार्य कर रहा था। तब से लेकर गत 10 वर्षों के दौरान कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इस समय इस वर्ष के दौरान करीब मूंगफली की 700 किस्मों पर परीक्षण किया जा रहा है। पिछले वर्ष कम समय में अच्छी फसलों के लिए तथा सूखे व बीमारियों से निपटने के लिए "क्रोसिंग प्रोग्रेस" संकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अनुसंधान कार्य भी जोर नहीं पकड़ सका चूंकि एग्रोनोमी के सहायक अनुसंधान अधिकारी का एक पद, ब्रीडिंग के दो तथा एक्सटेंसन का एक पद खाली पड़ा है। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाना चाहिए तथा अनुसंधान केन्द्र को अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती तथा भूमि के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 1987 से प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को इन रिक्त पदों को भरने के लिए तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जाए और भूमि के लिए शीघ्र मंजूरी देनी चाहिए क्योंकि ये प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के पास वर्ष 1987 से लम्बित पड़े हैं।

(आठ) बंगलौर से महालक्ष्मी एक्सप्रेस के चलने का समय पहले वाला बहाल किए जाने की मांग

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : बंगलौर से मीटरगेज महालक्ष्मी एक्सप्रेस तथा बड़ी लाइन पर चलने वाली कोल्हापुर - बम्बई महालक्ष्मी एक्सप्रेस का विद्यमान मेल मिराज स्टेशन पर 1 नवम्बर से समाप्त करने सम्बन्धी रेलवे अधिकारियों के निर्णय से चिकमंगलूर, हसन, शिमोगा, उत्तर कन्नड़, चिगदुर्गा, बेलारी, धारवा तथा कर्नाटक के बेलगांव जिले के अनेक लोगों को बहुत असुविधा होगी।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन के कारण कर्नाटक से बम्बई की यात्रा करने वाले लोगों को 5 घण्टे अधिक लगेंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस का समय पूर्ववत रहने दिया जाए जिससे कर्नाटक तथा गोआ के यात्रियों को बम्बई जाने के लिए शीघ्र गाड़ी मिल सके।

12.33 म० प०

मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद, सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेंगे।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मिजोरम के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को 6-9-88 को भेजी अपनी रिपोर्ट में बताया कि 23-8-88 को सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की विधानसभा के नौ सदस्यों ने पार्टी छोड़ कर मिजो नेशनल फ्रंट (डेमोक्रेट्स) नाम से एक नए दल का गठन किया। अलग हुए दल ने श्री लालडेंगा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देना बन्द कर दिया और तदनुसार राज्यपाल को जानकारी दी। राज्यपाल ने आगे बताया कि यद्यपि उन्हें जो पत्र भेजा गया वह 9 सदस्यों के नाम से था, जिनमें मिजोरम विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री के० थानफियांगा भी शामिल थे, तथापि इस पर केवल 8 ही विधायकों के हस्ताक्षर थे। इस पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे क्योंकि वह अमरीका गए हुए थे। अतः एक विधायक द्वारा यह घोषणा की गई थी कि श्री थानफियांगा ने अमरीका जाने से पहले इस संबंध में अपनी सहमति दे दी थी।

राज्यपाल ने आगे बताया कि 30 अगस्त, 1988 को विधायक श्री रोकामलोवा तथा मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के महासचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की तथा उन्हें एक संयुक्त विधानमंडल दल के गठन के बारे में जानकारी जिसमें कांग्रेस (आई) के 13 विधायक तथा विधायक श्री लाल थनहवला के नेतृत्व वाली संयुक्त विधानमंडल पार्टी के झंडे तले गठित किये गये नये एम० एन० एफ० (डी०) मिजो नेशनल फ्रंट (डेमोक्रेट्स) दल के सभी 9 विधायक शामिल थे।

राज्यपाल ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष को एक संयुक्त

शिकायत की जिसमें दल-बदल के आधार पर 8 विधायकों को दल के अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था। अध्यक्ष ने तदनुसार 8 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये कि क्यों न उन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार कर दिया जाये और उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार 7-9-88 को सुबह 10 बजे उनके समक्ष पेश होने को कहा।

अध्यक्ष ने उसी कारण बताओ नोटिस में कार्यवाही होने की अवधि तक उन्हें दल से निलम्बित कर दिया। राज्यपाल के अनुसार, न तो 10वीं अनुसूची में और न ही मिजोरम विधानसभा सदस्य (दल बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1987 में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके तहत विधानसभा के सदस्य को अयोग्य ठहराने के लिए कार्यवाही के स्थगित रहने के दौरान निलम्बित किया जा सके। राज्यपाल ने यह महसूस किया कि अयोग्य ठहराने की कार्यवाही बहुत जल्दबाजी में और गलत तरीके से बताई गई जिसमें उन्हें अन्य पत्रों के साथ-साथ कार्यवाही सारांश के कोई बुलेटिन या कोई प्रति भी नहीं दी गई। यहां तक कि उन्हें दी गई कारण बताओ नोटिस की प्रति में भी कुछ नहीं लिखा था।

राज्यपाल ने आगे बताया कि 31 अगस्त, 1988 को श्री लाल थनहवला उनसे मिलने आए। इस आधार पर अपना मन्त्रिमण्डल बनाने का दावा किया कि वह सर्वसम्मति से संयुक्त विधानमण्डल दल, के जिसमें मिजोरम विधानसभा के 22 सदस्य हैं; के नेता चुने गये थे और श्री लालडेंगा के नेतृत्व वाली एम॰ एन॰ एफ॰ सरकार अब अल्पसंख्यक हो गई है जिसे सदन के 40 सदस्यों में से 10 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) का समर्थन प्राप्त है।

राज्यपाल ने आगे कहा कि उन्हें उपलब्ध सारी जानकारी, जिसमें समाचार-पत्रों की रिपोर्ट भी शामिल है, से उनका यह दृढ़ विश्वास है कि अध्यक्ष का यह दृष्टिकोण था कि दल से अलग हुए सदस्यों की संख्या 8 थी न कि 9, ताकि 10वीं अनुसूची के पैरा 6 के उपबन्ध लागू न हो। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि अध्यक्ष महोदय को विश्वास में लेने का गम्भीरता से प्रयास किया गया कि उपाध्यक्ष, श्री के॰ थानफियांगा जो उस समय अमरीका में थे, ने वास्तव में सहायक सम्पर्क अधिकारी, मिजोरम भवन, नई दिल्ली, के माध्यम से एक सन्देश भेजा था जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि वे अपने उन 8 विधायकों के साथ हैं जो दल से अलग हो गये हैं। राज्यपाल ने यह महसूस किया कि अध्यक्ष ने इन 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में पूर्व-निश्चय और पूर्वाग्रह का रुख अपनाया यद्यपि संविधान या संबद्ध नियमों के अन्तर्गत ऐसा अनुज्ञेय नहीं था।

मिजोरम के राज्यपाल की इस रिपोर्ट के बाद 7 सितम्बर को एक अन्य रिपोर्ट दी गई जिसमें कहा गया था कि उपाध्यक्ष श्री के॰ थानफियांगा के बड़े पुत्र उनसे मिलने आये और यह शिकायत की कि अब वह अपने पिता द्वारा लिखे गये पत्र को लेकर अध्यक्ष से मिलने गये और उन्हें बनाये गये नये दल एम॰ एन॰ एफ॰ (डी॰) के समर्थन के बारे में बताया तो अध्यक्ष ने वह पत्र लेने से इन्कार कर दिया। इसलिए श्री थानफियांगा के पुत्र वहां से चले गये और उन्होंने वह पत्र राज्यपाल को दे दिया। इस पत्र में, जो अध्यक्ष को सम्बोधित किया गया था, श्री थानफियांगा ने अमरीका जाने से पहले

वास्तविक एम. एन. एफ. दल में फूट डालने की तारीख से श्री लालडेंगा को समर्थन न देने का अपना निर्णय बताया है।

राज्यपाल इस बात से आश्वस्त हो गये कि उपाध्यक्ष के उपरोक्त उद्धृत पत्र और सहायक सम्पर्क अधिकारी, मिजोरम भवन, नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त सन्देश सही और वास्तविक हैं।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, राज्यपाल पूरी तरह आश्वस्त और संतुष्ट थे कि मिजोरम में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य सरकार भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसरण में नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने तदनुसार यह सिफारिश की कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये और विधानसभा को निलम्बित रखा जाये।

राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य सम्बद्ध कारणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विधानसभा को निलम्बित रखने, जैसा कि राज्यपाल ने सिफारिश की है, से मिजोरम में स्थिति और भ्रामक हो जाएगी और इससे विभिन्न राजनीतिक दलों को अवांछनीय व्यवहार करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करके विधानसभा भंग की जाए।

राष्ट्रपति ने 7-9-88 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा करके विधानसभा भंग कर दी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 सितम्बर, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा को इस सम्माननीय सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करने में संवैधानिक औचित्य और केन्द्र सरकार की सद्भावना दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना इतिहास में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दो घृणित पूर्वोदाहरण माने जायेंगे।

गृह मंत्री का सम्मान करते हुऐ मैं कहूंगा कि मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करते वक्त सभी सांवैधानिक सिद्धान्तों और मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री, श्री लालडेंगा को सभा में 40 में से 25 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। उनका दल 24 निर्वाचित सदस्यों

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

का था जिसमें एक सदस्य पीपल्स कांफ्रेंस, जिसका विभाजन हो गया था, का था और उनके दल में आ गया था। उन्हें 25 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था।

29 अगस्त को यह रिपोर्ट दी गई थी कि आठ सदस्य चले गए और उन्होंने एक आवेदन किया जिसमें उन्होंने श्री लालडेंगा को अपना समर्थन देना बंद कर दिया था। यद्यपि उस आवेदन में 9 सदस्यों का नाम था। वास्तव में इस पर केवल 8 ही सदस्यों के हस्ताक्षर थे। यह प्रश्न कि क्या नवां सदस्य उस दल का सदस्य/अंग था, विवादास्पद है। श्री लालडेंगा का यह दावा है कि उपाध्यक्ष ने उनको अपना समर्थन देना बंद नहीं किया था। उनकी ओर से किसी और सदस्य ने ऐसा करके राज्यपाल को यह सूचना दी थी कि उन्होंने भी अपना समर्थन वापिस ले लिया है। मैं इन विवादस्पद प्रश्नों के बारे में नहीं कहूंगा किंतु मैं इस संबंध में मैं केवल सांवैधानिक मामले तक ही सीमित रहूंगा।

29 अगस्त को 8 या 9 सदस्यों द्वारा समर्थन वापिस लेने की सूचना अध्यक्ष को तथा संभवतः राज्यपाल को भी दी गई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि 14 सितम्बर अर्थात् कथित समर्थन वापिस लेने की तारीख से 1 दिन के भीतर ही विधान सभा विशेष सत्र बुलाया जाय। उन्होंने राज्यपाल से यह अनुरोध किया कि सभा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन सभा को मुख्यमंत्री के विरुद्ध बहुमत या अल्पमत की जांच के लिए बुलाने की बजाय, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की और 7 सितम्बर को जबकि वास्तव में मुख्यमंत्री विधान सभा को बुलाने के लिए उपस्थित थे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस तरह राष्ट्रपति शासन लागू करने के पीछे क्या औचित्य है? श्री लालडेंगा ने राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के तत्काल बाद प्रेस को दिए गए साक्षात्कार में बताया और मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं :

> "मैं नहीं जानता कि इस देश में किस प्रकार का लोकतंत्र विद्यमान है। उन्होंने मुझे अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति नहीं दी।"

उन्होंने सदन में अपना शक्ति परीक्षण सिद्ध करने के लिए 14 सितम्बर को विधान सभा का अधिवेशन बुलाने के लिए राज्यपाल, श्री हितेश्वर सैकिया से अनुरोध किया था। उनका कहना था कि केन्द्र को उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "यदि 14 सितम्बर को यह सिद्ध हो जाता कि मैं अल्पमत में हूं तो मैं खुशी से अपना पद छोड़ देता।" मुख्यमंत्री की इन बुनियादी मांगों का क्या उत्तर है, क्या स्पष्टीकरण है कि उनके बहुमत अथवा अल्पमत का परीक्षण सदन में किया जाना चाहिए? विधायी मंच पर अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए बिना मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की प्रणाली पूरी तरह संविधान के विरुद्ध है। यह तो उस न्यायाधीश की भांति है जो दोषी को स्वयं को निर्दोष साबित करने की अनुमति दिये बिना दोषी को बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह करने के अधिकार से वंचित कर उसे दोषी करार करने का निर्णय दे देता है। क्या हम ऐसी न्यायिक व्यवस्था को सहन करेंगे, क्या हम ऐसे न्यायाधीश को सहन करेंगे? यदि एक न्यायाधीश एक दोषी को अपना बचाव करने

और गवाहों से जिरह करने के अधिकार से वंचित करता है तो हम कहेंगे कि इसमें मुकदमे की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं हुई है। इससे सम्पूर्ण मुकदमे की कार्यवाही व्यर्थ हो जाती है, यह अमान्य हो जाती है और यदि न्यायाधीश दोषसिद्धि की कार्यवाही रिकार्ड करता है तो इसे न्यायिक अनौचित्य ही नहीं बल्कि न्याय की हत्या माना जायेगा।

इस विशेष मामले में, श्री लालडेंगा को सदन से अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर न दिये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सफाई में क्या कहना है? मैं इस संवैधानिक प्रश्न के बारे में जिसके बारे में काफी वाद-विवाद हो चुका है, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट उद्धृत करता हूं। मुझे इस पहलू अर्थात मुख्यमंत्री को बर्खास्त किये जाने के बारे में उस आयोग का मत उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। मैं उद्धृत करता हूं :

"सभी राज्य सरकारों का सुझाव है कि किसी मंत्री परिषद् ने विधान सभा में बहुमत का समर्थन खो दिया है या नहीं इस प्रश्न पर निर्णय विधान सभा सदन में ही किया जाए और यह कि मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस सिद्धांत का निरपवाद रूप में पालन होता रहे इसके लिए एक राज्य सरकार का सुझाव है कि अनुच्छेद 164 में यह अधिकथित किया जाए कि कोई मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक वह विधान सभा सदस्यों के बहुमत का नेता है। एक अन्य राज्य सरकार का सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में विशेष रूप से यह व्यवस्था हो कि यदि राज्यपाल को यह लगे कि मंत्रीमंडल ने विधान सभा का विश्वास खो दिया है तो उसे स्वयं कार्यवाही करते हुए विधान सभा की बैठक बुलानी चाहिए ताकि मंत्रीमंडल विश्वास का मत प्राप्त कर सके। इस संबंध में एक राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बरखास्त किया जाए।"

यह सरकारिया आयोग की सिफारिश है :

"जब विधान सभा का अधिवेशन चल रहा हो तो बहुमत के मामले का परीक्षण सदन में आसानी से किया जा सकता है। तथापि, विधान सभा के सत्रावसान की अवधि के दौरान, कोई राज्यपाल मंत्रीमंडल द्वारा बहुमत खोने संबंधी विश्वस्त साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ, सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित एक या एक से अधिक पत्र या बहुमत प्रस्तावित एक अविश्वास प्रस्ताव जिनमें सदस्यों के हस्ताक्षरों को विधान सभा सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो)। क्या ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी आत्मनिष्ठ संतुष्टि के आधार पर किसी मंत्रीमंडल को सदन में "बहुमत" सिद्ध करने का अवसर दिए बिना बरखास्त कर देना चाहिए?"

यह प्रश्न किया गया है; और सरकारिया द्वारा दिया गया उत्तर आयोग है :

"शुष्क वैधता तो एक तरफ, एक सांविधानिक औचित्य के रूप में भी, राज्यपाल को

किसी मंत्रीपरिषद को तब तक बरखास्त नहीं करना चाहिए जब तक सदन में राज्य विधान सभा ने उसमें अविश्वास व्यक्त न कर दिया हो। उसे मुख्यमंत्री को विधान सभा की बैठक शीघ्रातिशीघ्र बुलाने की सलाह देनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह नहीं मानता तो जैसा कि नीचे पेरे 4.11.19 एवं 4.11.20 में कहा गया है, राज्यपाल मंत्रीमंडल के बहुमत के परीक्षण के विशेष प्रयोजन हेतु विधान सभा की बैठक बुला सकता है।

बैठक बुलाने की तिथि के संबंध में निर्णय करते समय मुख्यमंत्री को इतना समय दिया जाना चाहिए जितना राज्यपाल अपने विवेकानुसार तर्कसंगत समझता है।"

यह सरकारिया आयोग की सिफारिश है। यह केवल विशेषज्ञ संस्था नहीं है जिसने इनके बारे में विचार किया हो और जिसने सभी राज्य सरकारों की सर्वसम्मत राय से सर्वसम्मत सिफारिश की हो। इसका अर्थ यह हुआ कि इसने उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया है जिन्हें अध्यक्षों के सम्मेलन में अपनाया गया था।

इसके बहुत ही प्रभावी सवैधानिक प्रभाव हैं। जैसाकि मैंने शुरू में कहा था राष्ट्रपति शासन को लागू किये जाने में केन्द्रीय सरकार का सवैधानिक औचित्य खेदजनक था। श्री लालडेंगा ने कहा था कि उसे सदन में अपना बहुमत अथवा अल्पमत का परीक्षण करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री को अपना बहुमत अथवा अल्पमत सिद्ध करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस मामले में, मुख्यमत्री ने केवल 14 दिन मांगे थे। 14 सितम्बर को उन्होंने यह अवसर देने के लिए कहा था और उनको वह अवसर नहीं दिया गया। आप उसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं? आप सरकारिया आयोग की सिफारिशों का अनादर करके आप उसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं? आपकी व्याख्यात्मक टिप्पणी में, हमने यह नहीं पाया कि इस पहलू पर कोई रोशनी डाली गई है। आपने उस पहलू को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष को एक सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। दुर्भाग्यवश संविधान के 52वें संशोधन द्वारा किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के संबंध में निर्णय करने के लिए अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार दिया गया है, चाहे यह एक विभाजन हो अथवा दल परिवर्तन का मामला हो वह पूरी तरह से अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। हमने, अपने विवेक के अनुसार, अध्यक्ष के निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण के प्रावधान का अधिकार देने के बारे में नहीं सोचा। हम अपने अध्यक्ष के विवेक तथा सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं और इसलिए, हमने अध्यक्ष को सभी अधिकार दे दिए। दल परिवर्तनरोधी विधेयक की धारा 6 में निम्न व्यवस्था है :

"दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय—

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मण्डल की कार्यवाहियां हैं ।

(3) न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।"

अतः निर्णय करने का एक मात्र अधिकार अध्यक्ष को है । तब अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को बर्खास्त करने के अधिकार को चुनौती देने वाला शासक कौन है? अब यह माना गया है कि किसी सदस्य को बर्खास्त करने का इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं है । यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायिक सिद्धान्त है कि जब किसी अधिकारी को पद से बर्खास्त करने का अधिकार है, तो उसे निलम्बित करने का भी अतिरिक्त अधिकार प्राप्त है; यह एक भिन्न पहलू है । मैं मिजोरम विधान सभा के अध्यक्ष के निर्णय की निष्पक्षता अथवा यथातथ्यता के प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं । शायद वह गलत हैं, शायद उन्होंने पूर्ण निष्पक्षता दिखाई है । लेकिन दुर्भाग्यवश संवैधानिक अधिकार जिस व्यक्ति को है, वह अध्यक्ष है । हमें न तो बाह्य अधिकारी के बारे में और न ही न्यायालय के बारे में बताया गया है । इन कार्यवाहियों को संसद की, सदन की कार्यवाहियां माना जाएगा । यह संवैधानिक स्थिति है । जब तक आप संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करते तब तक आपके पास अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने का कोई तरीका नहीं है । निश्चय ही ऐसे विभिन्न सदस्य, जिन्हें अयोग्य ठहराया जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत न्यायालय में जा रहे हैं । किंतु अधिनियम अपने अपने आप में स्पष्ट है कि अध्यक्ष निर्णायक अधिकारी है और उनके निर्णय पर संदेह नहीं किया जा सकता । उनके विनिर्णय पर संदेह नहीं किया जा सकता । यह उनके द्वारा विनिर्णय देने के बराबर है । अतः आप मूलभूत बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं । राज्यपाल श्री हितेश्वर साइकिया को अध्यक्ष के निर्णय के संबंध में कोई विनिर्णय देने का अधिकार नहीं है ।

फिर श्री लालडेंगा का यह वक्तव्य भी तो है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में किस प्रकार का लोकतन्त्र है उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे सदन में बहुमत दर्शाने का अवसर ही नहीं दिया । इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा ।" हम भले ही इस तथ्य को घटाना भी चाहें, किंतु निश्चय ही इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा ।

मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालडेंगा के कृत्य के सम्बन्ध में मेरी कोई अच्छी राय नहीं है । मैं

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकरण के गुणावगुणों पर नहीं जाना चाहता हू । संभवतः जो लोग उनके दल से अलग हो गए हैं, उनके पास अपना समर्थन वापस लेने के कुछ तर्कसंगत कारण अथवा आधार थे। किंतु इस समय वह प्रश्न नहीं है । प्रश्न है संवैधानिक औचित्य और संवैधानिक अधिकार का । श्री लालडेंगा मिजोरम के ऐसे व्यक्तियों में से थे, ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं में से थे जिन्होंने दो दशकों से अधिक विद्रोह तथा बगावत का नेतृत्व किया । फिर समझौता ज्ञापन भी निकला । इसका एक महान उपलब्धि के रूप में स्वागत किया गया । मैं भी निश्चय ही इसका एक महान उपलब्धि के रूप में स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को यह समझौता करने पर बधाई देता हूं । और यदि गृह मंत्री महोदय को वह चर्चा और वाद-विवाद याद है जो उस समय सदन में हुआ था, श्री माधव रेड्डी ने, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया एक उचित प्रश्न पूछा था : "क्या आपको श्री लालडेंगा पर पूरा विश्वास है ?" और उत्तर बूटासिंह जी ने दिया था । उनका उत्तर था, "लालडेंगा को केन्द्रीय सरकार पर पूरा विश्वास है ।" अब इसका उलटा हो गया । अब मैं प्रश्न पूछता हूं । "क्या लालडेंगा को अभी भी केन्द्रीय सरकार पर पूरा विश्वास है ? क्या वह अब भी यही समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार उचित तथा न्यायपूर्वक कार्य कर रही है ?" उनकी टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अब ऐसा भ्रम नहीं है । हम क्यों उन्हें यह अवसर दें ।

और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न विधान सभा को भंग करने का है । राज्यपाल ने विधान सभा भंग करने की सिफारिश नहीं की । वह केवल इसका तुरन्त निलम्बन करना चाहते थे । किन्तु केन्द्रीय सरकार ने विधान सभा भंग करने का निर्णय लिया । आपने किन उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा किया है ? संविधान के किस उपबन्ध के अन्तर्गत आपने ऐसा किया है ?

श्री लालडेंगा ने कहा है कि कानून और व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी । राज्यपाल ने भी नहीं कहा कि कानून और व्यवस्था खराब हो गई थी । उन्होंने केवल यह कहा है कि दोनों विरोधी गुटों द्वारा बैठकों का आयोजन किया गया था । क्या यह पाप है ? क्या यह लोकतान्त्रिक प्रथा नहीं है ? दूसरी बात यह है कि ऐजल में इश्तहार लगाए गए और दोनों गुट प्रचार कर रहे थे और तनाव बढ़ रहा है ।

आशंका यह थी कि किसी प्रकार का.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दल बदल कराना ।

श्री० ई० अय्यपू रेड्डी : दल बदल कराना नहीं किंतु हिंसा । यह आशंका थी । किंतु एक भी घटना नहीं हुई । किसी भी स्थान से किसी घटना के समाचार नहीं मिले हैं ।

1.00 म० प०

केवल आशंका किसके द्वारा ? राज्यपाल की आशंका कि मीजो राष्ट्रीय मोर्चा के दो खंडों के बीच

टकराव होगा। यदि केवल ऐसी आशंकाओं पर सरकारें बरखास्त की जा सकती हैं, तब तो संविधान के अन्तर्गत प्रतिपादित लोकतांत्रिक प्रणाली का अन्त हो जाएगा। आप एक गैर-लोकतांत्रिक सरकार को अपनायेंगे और लोकतान्त्रिक सरकार को नहीं जो संविधान की संघीय प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिपादित की गई हो।

महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू करने के राज्यपाल द्वारा दिए गए कारण किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं करते जिसको संवैधानिक आवश्यकताओं का निष्पक्ष दृष्टिकोण है।

अशान्ति उस समय फैली जब कांग्रेस दल के नेता श्री लल थनहुला ने कहा कि यदि अध्यक्ष ने अयोग्यता लागू नहीं की होती अथवा उन आठ व्यक्तियों पर अयोग्यता लागू करने का निश्चय नहीं किया होता तो विधान सभा भंग नहीं होती और उन्हें पूरा निश्चय था कि यदि अध्यक्ष ने अयोग्यता लागू नहीं की होती तो विधान सभा होती और वह मुख्यमंत्री बन जाते, जिससे वह राजनीतिक हित स्पष्ट होता जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और यह कहता हूं कि यह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह सबसे अधिक घिनौनी मिसाल है।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प--जारी

2.05 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टोम्बी सिंह।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री, श्री बूटा सिंह जी द्वारा मिजोरम में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[श्री नए० टोम्बी सिंह]

मिजोरम में अगस्त के अन्तिम सप्ताह और सितम्बर के प्रथम सप्ताह के दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुईं उनसे इस उत्तर-पूर्वी नाजुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इस सम्मानीय सदन के सदस्यों को याद होगा कि हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने बहुत प्रयास किये और हमारे दल—कांग्रेस दल—ने मिजोरम राज्य में शांति तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुत से प्रयास किये थे। समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। उस समय सत्ता में कांग्रेस दल को राज्य में शान्ति तथा कानून और व्यवस्था के हित में खेलकूद वाली भावना व्यक्त करनी थी। अभी तक कांग्रेस दल की स्थिति बहुत निष्पक्ष रही है।

मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों का वर्णन करना चाहता हूं। पहली बात माननीय सदस्य श्री अय्यपु रेड्डी की बात के उत्तर में है जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। प्रथम प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल ने मिजोरम में विधानसभा के निलम्बन की सिफारिश करने में अपनी संवैधानिक शक्ति का कोई दुरुपयोग किया है, और क्या भारत सरकार ने संवैधानिक जरूरतों से किसी प्रकार मुंह मोड़ा है, या किसी प्रकार की कोई संवैधानिक अवांछनीयता की है। मिजोरम में जो कुछ हुआ वह एक विशेष स्थिति है। नागालैंड के तुरन्त पश्चात् इस राज्य को भी राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लाना पड़ा। किन्तु दो स्थितियां एक दूसरे से अलग हैं। जबकि एक मामले में कांग्रेस दल केवल विभाजित हुआ है, दूसरे मामले में मिजो राष्ट्रीय मोर्चा जो मिजोरम का सत्तारूढ़ दल है का विभाजन हो गया था, और दोनों स्थितियों में विपक्ष ने आशा की थी कि राज्यपाल, और भारत सरकार व्यक्तिपरक कार्य करेंगे। मैं नागालैंड की समस्या पर चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि हमने उस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। दोनों ही स्थितियों में भारत सरकार और विशेषकर कांग्रेस नेता अत्यन्त विषयपरक रहे हैं। मिजोरम में मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चा विभाजित हो गया था। दूसरा पहलू यह है कि विभाजित गुट के आठ सदस्य मिजोरम में उपस्थित थे और एक अन्य सदस्य अमरीका में था—मिजोरम विधानसभा के उपाध्यक्ष इलाज के लिए अमेरिका में थे। सात दिन तक चले इस घटनाचक्र से नोट करने की बात यह है कि श्री लालडेंगा ने सदन के नेता के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था और अध्यक्ष को बहुत गलत ढंग से तथा व्यक्तिपरक और अत्यन्त आक्रामक ढंग से विभाजित गुट के आठ विधान सभा सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को कहा था। उन्होंने कार्यवाही करने से पूर्व भी प्रैस से निरन्तर बात की। देश में प्रकाशित सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र इसके साक्षी हैं। इसके साथ ही तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री लालडेंगा अपने नेतृत्व का आश्वासन नहीं दे सके चाहे बागी नेता, और आतंकवादी नेता के रूप में उनकी कुछ भी योग्यताएं रही हों। किन्तु जब वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही निर्वाचित विधानसभा में मुख्य मन्त्री के रूप में इस राजनीतिक नेतृत्व में आये तो हम यह कह सकते हैं कि वे असफल रहे और अपने सदन पर नियन्त्रण नहीं रख सके। अन्य बातों को भूल भी जाएं तो भी वे अपने सदन पर नियन्त्रण नहीं रख सके और स्वाभाविक रूप से 9 सदस्यों ने उनकी पार्टी छोड़ दी तथा उनके नेतृत्व, उनकी असफलता और उनकी गलतफहमी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक नई पार्टी बना ली। उन्होंने एक ग्रुप, एक विभाजित पार्टी की मान्यता की मांग की। उन्होंने मिजो नेशनल फ्रन्ट (डेमोक्रेट) नाम की पार्टी बनाई। अन्य दल, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर न्यायसंगत ढंग से मांग की कि उन्हें वैकल्पिक मंत्रालय

बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाये। इसी दौरान, राज्यपाल द्वारा इस बात पर जोर दिये जाने के बावजूद कि कारण बताओ नोटिस के द्वारा सदस्यों के निलम्बन हेतु संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने 8 सदस्यों को न केवल कारण बताओ नोटिस ही भेज दिया बल्कि कारण बताओ नोटिस वाले पत्र में ही उन्होंने उन विधायकों के निलम्बन आदेश भी दे दिये ताकि श्री लालडेंगा, जिन्होंने विधानसभा में अपने बहुमत को साबित करने के लिए अवसर दिये जाने का दावा किया था के हाथ मजबूत हो सकें।

श्री अय्यपू रेड्डी ने कहा कि राज्यपाल ने सदन में उन्हें अपना बहुमत दर्शाने के लिए 14 दिन का समय देने से इन्कार करके निष्पक्ष रूप से, संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं किया। यह बहुत ही अजीब स्थिति है। एक ओर तो श्री लालडेंगा ने अध्यक्ष को इन सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए कहा और उन्हें इसके लिए राजी भी कर लिया। 31 अगस्त को इन 8 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की सलाह दी गई और इसके बाद मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को सूचित किया कि उन्होंने प्राप्त सलाह पर अमल किया है और तदनुसार 8 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वास्तव में इन 8 सदस्यों को निलम्बित करने का कोई कारण ही नहीं था। यह पूर्णतः संवैधानिक संकट उत्पन्न करने के लिए राजनीतिक सांठ-गांठ थी। इसलिए, विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुसार कार्य करने, अपनी निष्पक्षता दर्शाने, अध्यक्ष के रूप में अपना औचित्य दर्शाने में असफल रहे। किन्तु श्री अय्यपू ने अध्यक्ष के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उनकी कार्यवाही गलत भी हो सकती है। किन्तु उन्हें उन पर कार्यवाही करनी चाहिए थी क्योंकि अध्यक्ष द्वारा गलत ढंग से कार्य करने का स्वाभाविक परिणाम संवैधानिक संकट उत्पन्न करना है और उन्होंने राज्यपाल के इस अधिकार को भी चुनौती दी थी कि राज्यपाल को निलम्बन या कोई निर्णय देने या अध्यक्ष के निर्णय को मानने का अधिकार है या नहीं। महोदय, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य के कार्य को देखने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इसलिए, मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद भारत के राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश की थी। मैंने भी रिपोर्टों, अध्यक्ष के वक्तव्यों, श्री लालडेंगा के वक्तव्यों और इस अत्यन्त व्यस्त चुनाव अभियान के दौरान इधर-उधर से, अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन किया है और मैंने माननीय सदस्य श्री अय्यपू रेड्डी द्वारा उठाये गये बहुत से मुद्दों को भी ध्यानपूर्वक सुना है। महोदय, मैं यह दोहराना चाहूंगा कि राज्यपाल ने बहुत निष्पक्ष तरीके से कार्य किया है और उन्होंने उस राज्य की संवैधानिक मर्यादा की वैधता को स्थापित करने के लिए ठीक कार्य किया है। वर्तमान स्थिति के अधीन इसका कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनकी यह जिम्मेदारी है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों को कार्यान्वित किया जाये। यह एक अत्यधिक संवेदनशील राज्य है। राज्यपाल अपनी जानकारी में ऐसी घटनाओं को कैसे सहन कर सकता है जिससे अन्य अनपेक्षित स्थितियां पैदा हों। यह इसका एक पहलू है।

अन्य पहलू, जिस पर मैं बल देना चाहूंगा, यह है कि मैं मिजोरम राज्य में गया था जो मेरे राज्य का निकटवर्ती राज्य है, यह मेरा पड़ोसी राज्य है। मैंने इसका निष्पक्ष अध्ययन किया है क्योंकि जैसा कि दोनों ओर के मेरे मित्र जानते हैं, मैं उत्तर-पूर्व के लोगों का हित पार्टी को दृष्टि में रखकर

नहीं देखता हूं क्योंकि इन उत्तर-पूर्वी राज्यों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद, राष्ट्रपति शासन लागू करने के तुरन्त बाद, मैंने केवल अपनी पार्टी के लोगों से सम्पर्क करने के लिए ही दौरा नहीं किया, मैं अपनी पार्टी के बहुत कम लोगों से मिला, बल्कि मैं आम लोगों के विभिन्न वर्गों से मिला क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर इन छोटे-छोटे सीमावर्ती राज्यों, के कार्य ठीक ढंग से चलें और वहां सही विचारों तथा लोक तांत्रिक भावना का विकास हो और कोई अप्रिय तथा असंवैधानिक घटना न घटे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मिजोरम में लोग बहुत खुश हैं, इसलिए नहीं कि लालडेंगा अब सत्ता में नहीं हैं, न ही इसलिए कि किसी अन्य वैकल्पिक पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, बल्कि वे इसलिए खुश हैं कि मिजो नेशनल फ्रन्ट के लोगों में, श्री लालडेंगा के विरुद्ध विद्रोह करने वाले मिजो नेशनल फ्रन्ट के नौ सदस्यों में, कम से कम महसूस करने की क्षमता तो है। इस बात का उल्लेख करने में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। इसके बारे में कुछ राजनीतिक भी नहीं है क्योंकि विधान सभा का निर्वाचित सदस्य बनने के बाद श्री लालडेंगा अपेक्षित कार्य करने में असफल रहे और इसके बाद इस संवेदनशील राज्य का मुख्य मन्त्री बन जाने के बाद भी लालडेंगा एक ओर तो वे अपनी सरकार और जनता के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करने में असफल रहे और दूसरी ओर भारत सरकार के बीच सम्पर्क सूत्र बनने में असफल रहे क्योंकि आखिरकार भारत में राज्यों को भारत सरकार को मद्देनजर रखते हुए कार्य करना होता है। विशेषत: जब उत्तर-पूर्वी राज्यों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजकोष से पूर्ण रूप से वित्त प्रदान किया जाता है।

इसलिए, हमें उचित समझ और उचित सम्पर्क की आवश्यकता है। अत: अपनी सरकार के लिए संपर्क सूत्र स्थागित करने के क्षेत्र में, यहां तक कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, मुख्य विकास योजनाओं की तो बात ही क्या कहें, वह भारत सरकार के साथ आवश्यक दैनिक सम्पर्क स्थापित करने में भी असफल रहे। इसे कोई नहीं जानता था कि उनके दिमाग में क्या है। हम नहीं जानते थे कि उनके दिमाग में क्या था, इस राष्ट्रीय सरकार की अपेक्षा शायद वह विदेशी शक्तियों, विदेशी सम्बन्धों के बारे में ही अधिक बात करते थे। इसका अर्थ यह है कि वे बहकावे में आ गये और उनके मन में कुछ निश्चित भ्रान्तियां थी। इससे यह बात प्रकट होती है कि मुख्य मन्त्री के रूप में मिजोरम राज्य को चलाने के लिए उन्होंने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं किया तो सदस्यों का सबसे अधिक शिक्षित, प्रबुद्ध वर्ग, ऐसे नौ सदस्य जो उनकी पार्टी से अलग हो गए, वास्तव में उनके विरुद्ध था। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है क्योंकि हम इस बात से सहमत है कि श्री लालडेंगा अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे थे और इसके अतिरिक्त उनके नेतृत्वकाल का और अधिक बढ़ना, उस राज्य में उनकी सरकार, मिजोरम राज्य के लिए खतरा होगी। यही बात उन्हें अत्यधिक युक्तियुक्त लगी थी। स्वाभाविक रूप से वे अलग हो गए। अब पूरी स्थिति और हमारे विचार में, जिस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विपक्षी मित्रों को स्थिति की सराहना करनी चाहिए उन्हें राज्यपाल की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए जो स्वत: पूर्ण और स्वत: स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ कुछ कहने को अधिक है ही नहीं। इसका विकल्प क्या था? व्यावहारिक रूप से इसका कोई विकल्प नहीं था। जब आप इस बात की मांग करते हैं कि

राज्यपाल द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था तो मुझे एक बहुत ही रोचक कहानी याद आ गई जिसे सब जानते हैं। किसी चर्चा में किसी से यह पूछा गया कि "क्या आपका कोई शत्रु है ?" उसने उत्तर दिया कि "नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है।" इस पर यह कहा गया कि "तब तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पाई है।" उसने कहा, "मेरा मामला बहुत आसान है। मैं अपने शत्रुओं को मार देता हूं। इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है।" यह बहुत सीधी बात है।

इसी प्रकार, श्री लालडेंगा ने 8 विधायकों को निकालने के लिए अध्यक्ष को सहमत किया। 8 विधायकों के निलम्बन काल के दौरान वह अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते थे। निसन्देह उनके पास 16 विधायक थे। दूसरी ओर इनकी संख्या का कम होना स्वाभाविक था क्योंकि 8 विधायकों को निकाल दिया गया था। इस प्रकार वे आश्वस्त थे। सामान्यतः एक माह की मांग की जाती है। वास्तव में श्री लालडेंगा इस बात के लिए बहुत ही विनम्र थे कि उन्हें 14 दिन का ही समय दिया जाना चाहिए। एक या दो दिन में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। वे अध्यक्ष से मिले और 8 विधायकों को अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित करवा दिया। उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। इस प्रकार की स्थिति में राज्यपाल, जो किसी ऐसे संवेदनशील राज्य के, संवैधानिक रूप से कार्य करते रहने का प्रभारी होता है; वह चुप कैसे बैठ सकता है ? मैं समझता हूं कि रिपोर्ट बहुत ही निष्पक्ष, सुलिखित, स्वतः पूर्ण और स्वतः स्पष्ट है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नही करना चाहता। मैं तो इस बात की प्रशंसा करता हूं कि राज्यपाल ने सभी कार्य कर दिये। जैसाकि मैंने कहा, इसके बाद लोग इसलिए बहुत खुश हैं कि राज्य को अनुदान मिल रहा है। खाद्य सामग्री की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है। विकास कार्य, संचार कार्य और सरकार के सभी कार्यकलाप पूरे जोरों पर हैं क्योंकि मुख्य मन्त्री श्री लालडेंगा के प्रशासन के नेतृत्व में उस समय ये कार्य नहीं हो सके थे। यह स्थिति है। जब मैं सड़कों में अधिकारियों, चपरासियों, व्यापारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि "जी हां, अब स्थिति अच्छी हुई है क्योंकि श्री लालडेंगा का प्रशासन ठीक नहीं था।" इसलिए ऐसी स्थिति में हम उनके साथ खुश कैसे रह सकते थे। किसी प्रकार ईश्वर ने हमारी सुन ली क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसके लिए प्रयास नहीं किया था। उनकी अपनी परिधि की सीमाओं में अपने प्रशासन की असफलता से ही स्थिति में परिवर्तन सम्भव हो सका।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यद्यपि राज्यपाल ने विधान सभा की "निलम्बित सजीवता" को बहाल करने का ही प्रस्ताव किया था तथापि भारत सरकार ने पूरी जिम्मेवारी लेकर बहुत अच्छा काम किया है। भारत सरकार ने सोचा कि इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में विधान सभा को भंग किए बिना बात नहीं बनेगी। जी हां, मेरी समझ में यह बहुत ही उचित और सही निर्णय है। अब इस निर्णय पर इस सन्दर्भ से विचार किया जाना चाहिए। श्री लालडेंगा कहते है कि अच्छे विचार वाले, सुविचारित, ठीक दिशा में सोचने वाले, शिक्षित, अशिक्षित व्यापारियों आदि मिजो व्यक्तियों से वे मिले हैं। वह कुछ नारे भी देते हैं। उदाहरण के लिए, जब उसकी अन्य बातों का असर नहीं होता है तो वे कहते हैं कि, "हां, मैं नेपोलियन बनूंगा। मै एक महान मिजोरम का निर्माण करूंगा। मैं असम

और बर्मा के क्षेत्र इसमें मिला दूंगा। मैं मणिपुर से और फिर त्रिपुरा इन सब स्थानों से क्षेत्र लूंगा। मैं बंगलादेश से भी कुछ क्षेत्र लूंगा।" वे यह दावा करते हैं और फिर वे इस दिशा पर अपने अनुयायियों को प्रोत्साहन देते हैं। वर्तमान स्थिति में ऐसा नारा भारत के हित में कैसे हो सकता है, विशेषतया पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां त्रिपुरा कहता है "मैं अपना विस्तार करूंगा, अपने क्षेत्र को फैलाऊंगा।" मणिपुर कहेगा, कि मुझे बड़ा मणिपुर होना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक रूप से असम के बहुत से क्षेत्रों पर हमारा दावा होने के अच्छे ऐतिहासिक कारण हैं। लेकिन हम यह क्यों करें ? जहां तक अन्तर्राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां यथावत् स्थिति होनी चाहिए। लेकिन फिर, श्री लालडेंगा कहेंगे, "हां, मैं असम से, मणिपुर से तथा जुड़े हुए क्षेत्रों से क्षेत्र लूंगा।" उनके जैसे योग्य, प्रतिष्ठित, ख्यातिप्राप्त नेता को यह बात जाननी चाहिए कि उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ कैसे सहयोग रखना है और अपने पड़ोसी राज्यों और अपनी पार्टी की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को कैसे ढालना है। शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वे एक अच्छे प्रशासक की तरह कैसे कार्य कर सकते हैं ? हम अपने राज्य के अच्छे नेताओं और अच्छे प्रशासकों तथा अच्छे पड़ौसियों की तरह कार्य करते हैं। लेकिन दोनों प्रकार से वे असफल रहे और फिर हम कांग्रेस के लोगों और राज्यपाल पर ही यह आरोप क्यों लगे ? यह असफलता श्री लालडेंगा और उनकी राजनीति की असफलता है। स्वाभाविक है कि इसी बीच यह रिपोर्ट आई और किसी को भी यह सन्देह नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी को विभाजित करने का प्रयास किया था। बहुत से दावे किये गये थे। जहां तक विपक्ष की जानकारी का सम्बन्ध है, ये सब राजनीतिक दावे हैं। अपनी जानकारी के अनुसार मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मिजोरम और पड़ौसी राज्यों में जो कुछ हो रहा है वह वहां की स्थिति का बहुत बड़ा सूचक है। हमें दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने आप को भली प्रकार नियन्त्रित करना चाहिए और जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, अन्तिम उपाय जो भारत सरकार ने किया है उससे पता चलता है कि हम अपने विरोधियों का विभाजन करना नहीं चाहते हैं।

अन्य मुद्दा जिसका मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले जिक्र करना चाहूंगा, यह है कि मिजोरम पूर्णतया एक ईसाई राज्य है। हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहां सम्प्रदायिक सद्भाव नहीं है लेकिन मिजोरम में प्रत्येक पर्यटक या राजनीतिक प्रेक्षक की धारणा है कि मिजोरम एक पूर्णतया ईसाई राज्य है। वहां गैर-ईसाई लोग भी रहते हैं। वहां सामान्य वातावरण है। वहां कुछ विधायक ऐसे हैं जो गैर-ईसाई हैं। मैं माननीय सदन को खासतौर से बताना चाहता हूं कि मिजोरम का वातावरण बहुत ही अनूठा है। नागालैंड और मेघालय ईसाई राज्य हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों राज्यों में स्थिति अलग है। निसन्देह मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं वहां हिन्दू, मुसलिम व ईसाई लोग रहते हैं। यह एक लघु भारत है जहां हिन्दू अल्प संख्या में हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वहां अन्तर्जन जातियां भी हैं।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मिजोरम एक जनजातीय राज्य है। वहां जनजातीय और गैर-जनजातियों का कोई विवाद नहीं है। यह एक अच्छी बात है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : वे कहते हैं वहां अन्तर्जन जातियां हैं।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं गृह मंत्री को बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। कुछ अल्पसंख्यक वहां हैं चाहे उनकी संख्या नगण्य हो। वे गैर-ईसाई हैं। कुल मिलाकर स्थिति, राजनीतिक विचारधारा ऐसी है कि अगर आप हिन्दू के रूप में जाते हैं। या अगर आप धोती पहनकर जाते हैं तो शायद आपको संदेह की दृष्टि से देखा जायेगा। क्यों? यह विचार-धारा कुछ ज्यादा जोर पकड़ गई है। ईसाई मिशन की और राजनीतिक व्यवहार में यह बात कुछ ज्यादा जोर पकड़ गई है। हम अपने राज्य में धर्म और राजनीति को पृथक रखने में समर्थ हो गये हैं। हमारी भेदभाव की इतनी प्रवृत्ति नहीं है। हमें वहां पर कुछ अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना होगा अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यह एक आदर्श राज्य बन जाएगा क्योंकि मिजो लोग, जो ईसाई है, अनु-शासित तथा चरित्रवान हैं और उसकी झलक राजनीति में भी मिलती है। जब हमने अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों से पूछा : 'यदि आपका नामांकन न होता तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कैसे लड़ते?" उन्होंने कहा "नहीं, नहीं यह हमारे चरित्र के विरुद्ध है।" उनका ऐसा चरित्र है जिसकी झलक उनके राजनीतिक व्यवहार में भी मिलती है। अब हमें मिजोरम में एक अच्छे नेता की आव-श्यकता है जो सही काम कर सके, जो केन्द्र और राज्य तथा जनता और सरकार के बीच अच्छा संपर्क स्थापित कर सके। आज हमें इसकी आवश्यकता है शायद अगला चुनाव, जो जल्दी ही होने वाला है, इस समस्या को सुलझा सकेगा और लोग अपने अनुभव से सीखेंगे क्योंकि उनको पिछले कुछ वर्षों का काफी अनुभव है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किये है। उन्होंने बहुत सी नाजुक परिस्थितियां देखी हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अपने अभी तक के अनुभव के आधार पर हम सोचते हैं कि लोगों को स्वयं अपनी सरकार, अपना नेता ऐसा चुनना होगा जो उनके अच्छे प्रशासन के मामलो को और उनके संरक्षण को लोक-साहित्य की सुरक्षा को, परम्पराओं, जनजातीय भाषाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें जिनमें वे बहुत समृद्ध हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं मिजोरम के लोगों के लिए समृद्धि और शान्ति की कामना करता हूं। मैं भारत सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे लोगों के प्रति भी शुभ कामना व्यक्त करता हूं। उन्हें उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिए क्योंकि वह अभी भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में 7 सितम्बर, 1988 को जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए श्री बूटासिंह के संकल्प का समर्थन करता हूं। माननीय विपक्षी सदस्य, श्री अय्यपू रेड्डी जो पहले बोले थे, की आलोचना का मुख्य मुद्दा यह था कि यह कार्यवाही संवैधानिक उपयुक्तता तथा संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध थी। इस

[श्री शरद दिघे]

आलोचना के लिए हमें तथ्यों और घटनाओं को समझना चाहिए जिनके कारण राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करनी पड़ी । 29 अगस्त को श्री लालडेंगा ने अपनी पार्टी के दो सदस्यों को पार्टी से निष्कासित करने पर श्री चवोगजुला सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट के उपाध्यक्ष और 8 अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री लालडेंगा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक समकक्ष मिजोरम नेशनल फ्रंट (डेमोक्रेटिक) के संगठन की घोषणा कर दी । 2 सीटों में से उन्होने 9 सदस्यों के समर्थन का दावा किया और श्री के० थांगफियांगों, भूतपूर्व अध्यक्ष के बारे में विवाद उठाए गए । श्री लालडेंगा द्वारा यह आरोप लगाया गया कि श्री थांगफियांगो उन असन्तुष्ट विधायकों में नहीं थे जबकि असन्तुष्ट विधायकों ने उन्हें अपने पक्ष में होने का दावा किया था । दुर्भाग्य से वे उपाध्यक्ष उस समय चिकित्सा उपचार के लिए बोस्टन गए हुए थे और इसलिए उन्हें अध्यक्ष या किसी अन्य उच्च अधिकारी के सामने शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना संभव नहीं था । इसका फायदा उठाते हुए श्री लालडेंगा कह रहे थे कि वे उपाध्यक्ष उनके साथ थे, न कि ग्रुप के साथ, जो अलग हो गया था और केवल उसी एक सदस्य के कारण यह जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुई । संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यदि नौ असन्तुष्ट विधायक होते हैं तो यह विभाजन माना जायेगा और वह अपना ग्रुप बनाने के हकदार होंगे और उन पर दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे और अगर उनकी संख्या आठ होगी तो उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू होगा और उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जायेगा । इसलिए यही मुख्य बात थी ।

अब उस उद्देश्य के लिए वक्तव्य दिये गए, शपथ-पत्र दायर किये गए । न केवल यही बल्कि रिपोर्ट में कहा गया है, जैसे मैंने सुना था कि उपाध्यक्ष के पुत्र भी अध्यक्ष के पास एक पत्र लेकर आए थे कि वह (उसके पिता) असन्तुष्ट विधायकों के साथ हैं । लेकिन अध्यक्ष द्वारा यह पत्र स्वीकार नहीं किया गया । इसलिए मुझे कहना है कि स्वयं अध्यक्ष के व्यवहार से ही संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई । उन्होंने यह माना कि उपाध्यक्ष सदस्य नहीं हैं, वे असन्तुष्ट विधायकों का समर्थन नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जिन पर उनके अनुसार दल-बदल विरोधी कानून लागू होता था । इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी बताया "मैं सन्तुष्ट हूं कि श्री लालडेंगा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट में कोई विभाजन नहीं है ।" यही बात उन्होंने कही थी ।

अतः इस बात तक हम समझ सकते हैं । लेकिन उन्होंने इन असन्तुष्ट विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें अयोग्य करार क्यों न कर दिया जाये और उनकी बात सुनने के बाद यदि उन्हें अयोग्य करार किया गया होता तो यह कारंवाई संवैधानिक रूप से ठीक होती । लेकिन अध्यक्ष ने बहुत ही अजीब तरीका अपनाया तथा उन्होंने थोड़े ही समय में उन्हें निलम्बित भी कर दिया । चूंकि हमने यह दल-बदल विरोधी कानून पारित किया है और दसवीं अनुसूची में संशोधन किया है, जिसके अन्तर्गत किसी भी सदस्य को अयोग्य करार देने से पहले उसे निलम्बित करने का कोई प्रावधान नहीं है । उसके अन्तर्गत बनाए संवैधानिक उपबन्ध नियमों के अन्तर्गत यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि कारण बताओ नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और तब अध्यक्ष या प्रभारी अधिकारी बाद में यह निर्णय ले सकता है कि वह अयोग्य हैं या नहीं और तब उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है । इसके बाद संसद सदस्य या

विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है किन्तु सम्भवत: तत्कालीन मुख्यमन्त्री को समर्थन देने के लिए अध्यक्ष ने जल्दबाजी में यह असंवैधानिक कदम उठाया। उनका व्यवहार, आचरण और कार्य असंवैधानिक थे, संविधान या नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें निलम्बित किया जा सके। किन्तु उन्हें निलम्बित करके वे यह दिखाना चाहते थे कि जब कभी सभा की बैठक बुलाई जायेगी, श्री लालडेंगा का बहुमत सिद्ध हो जायेगा और उनकी सरकार नहीं गिरेगी। ऐसा करने का मुख्य कारण यही था। इसलिए राज्यपाल ने इन सब घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें इस पर ध्यान देने का अधिकार है। यह सच है कि हमारे कानून के अधीन इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होता है। ऐसे किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है जो कि दल-बदल विरोधी कानून के सम्बन्ध में अध्यक्ष के विनिर्णय के विरुद्ध अपील को नकार सके। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य का अध्यक्ष, जो कि विधानमंडल का भी अध्यक्ष होता है और सरकार के तीनों पक्ष इस पर ध्यान नहीं दे सकते कि जो कुछ असंवैधानिक कार्य हो रहा है उसे बढ़ावा न दिया जाए।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि राज्यपाल को अध्यक्ष के विनिर्णय को नकारने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु वह संवैधानिक उपबन्धों पर ध्यान दे सकता है और यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें सरकार संविधान के उपबन्धों के अधीन नहीं चल सकती है अथवा नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए यह रिपोर्ट दी गयी थी कि सरकार संविधान के अधीन नहीं चलाई जा सकती इसलिए आगे कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अय्यपू रेड्डी ने एक और मुद्दा उठाया है कि राज्यपाल ने विधान सभा को निलम्बित करने की सिफारिश की थी। यह मुझे मालूम नहीं है क्योंकि जब मन्त्री महोदय ने रिपोर्ट पढ़ी थी तो मैंने वह भाग नहीं सुना था। रिपोर्ट में यदि ऐसा है तो राष्ट्रपति को विधान सभा भंग करने का अधिकार है। वह राज्यपाल की सलाह को पूर्णत: मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 356 के अधीन व्यवस्था है कि राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा वह राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर सकते हैं परन्तु यदि वैसे ही उन्हें इस बात का सन्तोष है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन सरकार को नहीं चलाया जा सकता तो यह पर्याप्त है। बहुत से मामलों में उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसा किया है। इसके बावजूद कि राज्यपाल ने उन्हें विधान सभा भंग करने की सलाह नहीं दी थी या सिफारिश नहीं की थी, राष्ट्रपति विधान सभा भंग करने में सही थे। इसलिए उस दृष्टि से भी संवैधानिक औचित्य या संवैधानिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के कुछ अंशों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया था कि मुख्यमन्त्री को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। जबकि वह अवसर चाहते थे उन्हें अवसर क्यों नहीं दिया और जब वह उस मास की 14 तारीख को विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए तैयार थे तब इतनी जल्दी उद्घोषणा क्यों की गयी? परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यपाल इस बात से संतुष्ट थे कि दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत विशेष परि-

स्थितियों में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि विधानसभा की बैठक बुलाने से अथवा मुख्यमन्त्री द्वारा विधानसभा की बैठक बुलाने से इस कानून की समूची भावना नष्ट होगी। इन सदस्यों को निलम्बित करना एक असंवैधानिक कार्य था। उन्हें विधानसभा की बैठक में आने की अनुमति नहीं दी जाती तो श्री लालडेंगा को पता चल जाता कि उन्हें विधानसभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के लिए यह उचित था कि उन्हें विधानसभा की बैठक बुलाने और सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये अवसर नहीं दिया गया। यह स्पष्ट था कि वह बहुमत तथा विश्वास खो चुके थे इसलिए यह कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी।

ऐसी परिस्थितियों में मैं इस उद्घोषणा तथा उद्घोषणा के कारणों का पूरा समर्थन करता हूं।

***श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरा-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति ने मिजोरम में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है और इस कार्यवाही के अनुमोदन के लिए हमारे सामने एक प्रस्ताव लाया गया है। महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां राष्ट्रपति का शासन केवल कांग्रेस दल के हितों की रक्षा करने के लिए लागू किया गया है। हमारे यहां दल-बदल विरोधी कानून है। परन्तु भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उस कानून का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। जब परिस्थिति कांग्रेस दल के पक्ष में होती है तो इसका उपयोग एक अलग प्रकार से किया जाता है और जब परिस्थिति कांग्रेस दल के हितों के विरुद्ध होती है तो इसका उपयोग एक पूर्णतः भिन्न तरीके से किया जाता है। हाल ही में नागालैंड में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। वहां कांग्रेस दल सत्तारूढ़ था। परन्तु वहां कांग्रेस के समर्थकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और विरोधी पक्ष की सरकार बनाने का एक प्रश्न उठाया। वे दल-बदल विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत एक वैकल्पिक सरकार बना सकते थे। यह कार्य दसवीं अनुसूची के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं था। परन्तु वहां राज्यपाल की सिफारिश अपने पक्ष में लेकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उसके तुरन्त बाद ही मिजोरम की बारी आई। मिजोरम में यदि 25 सदस्यों में से केवल 9 सदस्य भी उपस्थित होकर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते तो कांग्रेस वहां अपनी सरकार बना सकती थी। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ताकि वे वहां अपनी सरकार बनाने के उद्देश्य को पूरा कर सकें। परन्तु हमारे संविधान के अन्तर्गत किसी भी राज्य में मतदान के बाद जो भी दल सरकार बनाता है उसे कम से कम पांच साल तक सरकार चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा नियम है। विशेष रूप से मिजोरम जैसे स्थान पर जहां श्री लालडेंगा केन्द्रीय सरकार से समझौता करने से पहले कई वर्षों तक भूमिगत रहे और अपने छुपने के स्थानों से ही आतंकवादी गतिविधियों को निर्देश देते रहे। उन्होंने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को अपना लिया और चुनाव के बाद मिजोरम में अपनी सरकार बना ली।

आरम्भ में कांग्रेस के समर्थन से मिली-जुली सरकार बनाई गई थी। बाद में उन्होंने अपने दल की सरकार बना ली। अब कांग्रेस का रवैया यह है कि जब तक श्री लालडेंगा कांग्रेस के साथ

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहते हैं वे बहुत अच्छे हैं परन्तु कांग्रेस के विरुद्ध जाते ही वे बहुत खराब बन जाते हैं। मैं इस बात का विरोध करता हूं। अब लालडेंगा सरकार को पद-च्युत कर दिया गया। मैं इस बात की जांच नहीं कर रहा हूं कि लालडेंगा सरकार ने सराहनीय कार्य किया अथवा नहीं, वह सरकार अच्छी थी अथवा नहीं। परन्तु केन्द्रीय सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। उनका यह रवैया है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की सरकार को चलने नहीं देंगे, नया नहीं है। वर्ष 1957 में विधानसभा चुनावों के बाद हमारे साम्यवादी दल ने केरल में अपनी सरकार बनाई। उस सरकार को वर्ष 1959 में गैरकानूनी ढंग से हटा दिया गया। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार को भी हटा दिया गया। इस प्रकार यदि हम जांच करते हैं तो हमें यह पता लगेगा कि केन्द्र में कांग्रेस दल के शासनकाल के दौरान कई राज्यों में एक के बाद एक कई सरकारों को हटा दिया गया।

महोदय, मिजोरम की बात पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार से नौ विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उपाध्यक्ष महोदय, इलाज के लिए अमरीका में गये थे। वे समर्थन वापस लेने वालों में से एक थे। तथाकथित नौ सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज यह कहते हुए राज्यपाल महोदय को भेजे गये थे कि वे लालडेंगा सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब उपाध्यक्ष महोदय अमरीका में थे तो उनके हस्ताक्षर किसने किए? क्या उन्होंने दो अथवा तीन महीने पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे? बहुत से लोगों ने यह आशंका व्यक्त की है कि उपाध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं थे। यह सिद्ध कौन करेगा कि वे हस्ताक्षर जाली थे? इस शक का आधार है। वे अमरीका में थे परन्तु राज्यपाल को नौ सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज दिए गए थे। इस दल-बदल में उनका समर्थन हो सकता है, यह एक अलग बात है। क्या आप यह देख सकते हैं कि यदि विधानसभा का अध्यक्ष एक सदस्य के हस्ताक्षर के बारे में साहसिक कदम नहीं उठाता तो क्या परिणाम होता और उसके परिणामस्वरूप सभी सदस्य अपना समर्थन वापस ले लेते। परन्तु कांग्रेस सरकार और सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के इस साहसिक कदम की भिन्न-भिन्न प्रकार से आलोचना की जा रही है। वे यह कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने एक अन्याय किया है। उनकी कार्यवाही गलत थी। यदि अध्यक्ष महोदय की कार्यवाही कांग्रेस दल के पक्ष में होती तो उनकी इस कार्यवाही के लिए बहुत प्रशंसा की गई होती क्योंकि उनकी कार्यवाही ने उन्हें कुण्ठित कर दिया है इसलिए उनकी आलोचना की जा रही है।

महोदय, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे देश के किसी भी राज्य में गैर-कांग्रेसी सरकार को चलने नहीं देंगे। केवल कांग्रेस ही सब जगह सत्ता में होनी चाहिए। कम से कम मिजोरम जैसे संवेदनशील राज्य में उन्हें लालडेंगा सरकार को पांच वर्ष तक चलने देना चाहिए था क्योंकि वे लम्बे संघर्ष के बाद सत्ता में आये थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विषमताओं के कारण उग्रवादी अपना सिर उठा रहे हैं। यदि इन लोगों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता और यदि ये लोग उचित चुनावों के बाद सत्ता में आते हैं और इन्हें कम से कम पांच वर्ष तक सरकार में बने रहने दिया जाता तो लोग इनके कार्य-निष्पादन की स्वयं समीक्षा कर सकते थे। वे स्वयं यह जांच कर सकते थे कि उनकी कुछ उपलब्धि रही है अथवा नहीं। लोग स्वयं इस बात की जांच कर लेते कि तथाकथित

[श्री बाबूबन रियान]

आतंकवादियों ने सत्ता में आने के बाद भी लोगों की कोई भलाई नहीं की है। तत्पश्चात उनको 5 साल बाद चुनाव द्वारा हटा दिया जाता। इस प्रकार उग्रवादी आन्दोलन को गहरा धक्का लगता और उसे जनता का समर्थन न मिलता। कांग्रेस सरकार मिजोरम में इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रही है। उन्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए था। सम्भवत: हमारे लोगों का एक वर्ग अब भी यह विश्वास करता है कि आतंकवादी सत्ता में आने के बाद उनके लिए अच्छा कार्य करेंगे और इसलिए वे उनके हित का समर्थन करते हैं। त्रिपुरा में टी० एन० वी० द्वारा विघटनकारी गतिविधियां की जा रही थीं। श्री बिजय हरगंखवाल उनके नेता थे। अब हम श्री बिजय हरगंखवाल और श्री लालथनवाला जो मिजोरम के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री थे जिन्होंने लालडेंगा सरकार को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निवाही, के मध्य निकट सम्बन्धों के बारे में जानते हैं। इन दोनों के मध्य सांठ-गांठ थी। जब त्रिपुरा में वामपंथी सरकार सत्ता में थी तो विधानसभा चुनावों के लिए, कांग्रेस चुनाव अभियान के लिए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने नवम्बर में उस राज्य का दौरा किया था। वहां उन्होंने यह कहा था कि सी० पी० आई० (एम) के नेताओं विशेष रूप से कामरेड दशरथ देव और कामरेड नृपेन चक्रवर्ती के टी०एन० वी० नेता श्री बिजय हरगंखवाल के साथ सम्बन्ध हैं और उन लोगों ने ही टी० एन० वी० को बनाया है। इस प्रकार का आरोपण किया गया था।

हमें पता लगा है कि उसी समय श्री बिजय हरंग खवाल, टी० एन० वी० नेता ने श्री लालथन वाला के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जिनमें उन्होंने एक समझौते के माध्यम से टी० एन० वी० आतंकवादी गतिविधियों को वापस लेने की पेशकश की थी। ऐसे पांच पत्रों का सार "जोइंग" नामक पाक्षिक पत्रिका, में शब्दश: प्रकाशित किया गया था, जोकि अजंवाल से प्रकाशित होती है। मैं ठीक प्रकार से उस पत्रिका के नाम का उच्चारण नहीं कर सकता परन्तु उसकी वर्तनी इसी प्रकार है। अन्य अखिल भारतीय समाचार-पत्रों में भी उन पत्रों को प्रकाशित किया गया था। मेरे पास "पैट्रियट" समाचार-पत्र की दिनांक 22 सितम्बर, 1988 की एक प्रतिलिपि है। जिसमें उक्त पत्रों की विषय-वस्तु को प्रकाशित किया गया था। इसमें उपरोक्त पांच पत्रों के साथ श्री हरंगखवाल और श्री लालथन वाला का साथ-साथ फोटो है। पहले दो पत्र 'लुसाई' भाषा में थे। उनका अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है। अन्य तीन पत्र अंग्रेजी में हैं। एक और पत्र श्री राजीव गांधी को भेजा गया था। महोदय, क्या आपकी अनुमति से मैं उन पत्रों को पढ़ सकता हूं अथवा उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूं ? इस बात को जाने दीजिए मैं उन पत्रों के सार का उल्लेख करूंगा। पहले पत्र में श्री हरंगखवाल श्री लालथन वाला से कहते हैं "आपके राजीव गांधी के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। यदि राजीव गांधी, जो कुछ हम चाहें वह करने के लिए सहमत हैं तो हम आपके माध्यम से अपने आन्दोलन को समाप्त कर सकते हैं। यह पहला पत्र है। 15 अक्टूबर, 1987 को श्री लालथनवाला द्वारा इस पत्र को प्राप्त किये जाने के बाद 17 अक्टूबर, 1987 को इसका उत्तर दिया गया। अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि "हां, श्री राजीव गान्धी आतंकवादी समस्यायों के समाधान के लिए काफी उत्सुक हैं। यदि आप संविधान के ढांचे के अन्तर्गत एक समाधान चाहते हैं और यदि आप हत्या आदि बन्द करने और हथियारों का समर्पण करने के लिए तैयार हैं तो बातचीत संभव है। उस प्रश्न के उत्तर में श्री बिजय हरगंखवाल ने

27 अक्टूबर को श्री लालथनवाला को एक पत्र लिखा। उन्होंने वास्तव में दो पत्र भेजे। एक प्रधान मंत्री महोदय को और दूसरा श्री लालथनवाला को। उन्होंने श्री लालथनवाला से प्रधानमत्री को सम्बोधित पत्र उन्हें भेजने का प्रबन्ध करने के लिए अनुरोध किया था। श्री लालथन वाला ने वह पत्र प्रधानमंत्री महोदय को भेज दिया। 6 दिसम्बर 1987 को उन्होंने श्री हरंगखवाल को उस वार्ता के ब्यौरे सहित एक उत्तर भेजा जो इस सन्दर्भ में प्रधानमंत्री महोदय के साथ हुई। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था "हां, श्री राजीव गांधी समस्या के समाधान के लिए आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री महोदय को लिखे गए पहले पत्र मे श्री विजय हरंगखवाल ने बातचीत करने के लिए दो शर्तें निर्धारित की थीं। वे शर्तें इस प्रकार थीं :—

(1) त्रिपुरा में सी. पी. एम. के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत भंग करना, और

(2) दोनों ओर से युद्ध विराम की घापणा।

वार्ता करने के लिए केवल ये दो शर्तें निर्धारित की गई थीं।

हमें उस समय इन पत्रों की जानकारी नहीं थी जब बड़े जोर शोर से विद्रोहियों द्वारा हथियारों का समर्पण करने का समारोह जारी था। 'जोइंग' पत्र के उपरोक्त पत्रों के प्रकाशन के बाद ही देश के लोगों को यह पता लगा कि उग्रवादी और आतंकवादी तत्वों को प्रोत्साहन देने वाले लोग कौन हैं। यह निश्चित रूप से कांग्रेस दल और केन्द्रीय सरकार है। वे अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों से उग्रवादी आन्दोलनों को प्रोत्साहन दे रहे है। विशेषकर त्रिपुरा में त्रिपुरा नैशनल वोलंटियर्स हैं और त्रिपुरा नैशनल वोलंटियर्स के पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे त्रिपुरा उपजाति युवा समिति है। ये सभी उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अच्छे या गन्दे किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना है। वे उचित तरीके से चुनाव इत्यादि के माध्यम से सत्ता में आने की संविधान सम्मत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की परवाह कभी नहीं करते हैं। वे सत्ता की भूख में इनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे कोई भी अनुचित तरीका, चोरी, ठगी आदि सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जैसाकि मैंने कहा है उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता से चिपके रहना है। जब अन्य तरीके विफल हो जाते है तो सरकार बनाने के लिए वे पैसे के बल पर निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। यह कांग्रेस सरकार इस स्तर तक गिर चुकी है। यही वजह है कि आज हम, विभिन्न विपक्षी दल चुप नहीं रह सकते और मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। विपक्ष के नेतृत्व के अन्तर्गत हम इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने के लिए बाध्य हैं। यह सरकार अवश्य ही हटा दी जानी चाहिए। उनके अपराधों, गलत नीतियों और आर्थिक कार्यक्रमों के कारण लोगों में अत्यधिक क्षोभ, असंतोष और असहिष्णुता है इस क्षोभ के परिणामस्वरूप समुदायिक झगड़े, जातीय झगड़े और विभिन्न प्रकार के हिंसक आन्दोलन हुए हैं। इसके कारण बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। यह सरकार सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के सभी झगड़ों के लिए जिम्मेवार है। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है। सत्ता में बने रहने के इसी उद्देश्य के कारण

[श्री वाजू वन रियान]

कांग्रेस सरकार जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार हैं उन राज्यों में एक-एक करके राष्ट्रपति शासन लागू कर रही है। वे किसी भी राज्य में किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को सहन नहीं कर सकते हैं। जब एक गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आती है तो कांग्रेस इसे पूरे 5 वर्ष की अवधि तक कार्य नहीं करने देती। वे उन्हें गिराने का प्रयास करते है। इस उद्देश्य से मिजोरम में राष्ट्रपति शासन की अनुमति लेने के लेने के लिए यह प्रस्ताव इस सभा में लाया गया है। अतः मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

भविष्य में भी किसी भी राज्य में लगातार एक ही पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी के इरादों को इस तरह से नहीं स्वीकारना चाहिए और उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। मैं इस सभा से आग्रह करता हूं कि वह इस प्रकार के कार्यों पर निगरानी रखे। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स में बहुत घूमा हूं। उनकी समस्याओं को जानता हूं। मैं कह सकता हूं कि आज उन राज्यों में जो हो रहा है, वह चिन्ता की बात है। आप घटनाक्रम को देखें, सिकवैंस आफ इवैंट्स को देखें। इन परिस्थितियों में श्री हितेश्वर सैकिया ने जो किया, उसको छोड़ कर कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। कोई और आल्टरनेट रास्ता निकालने का अर्थ होता कि वहां क्योस, होर्स-ट्रेडिंग और वायोलैंस। आप हैं, जो निष्पक्ष अखबार इस देश के, उनकी रिपोर्ट को देखें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : नाम बताइए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप सारे अखबार देखिए···(**व्यवधान**)···सारी क्लीविंग्स हैं। स्टेट्समैन है, ट्रिब्यून है, हिन्दुस्तान टाइम्स है—सारे अखबार हैं···(**व्यवधान**)···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सही बात है कि सारे अखबार निष्पक्ष हैं···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस : कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूं और आप मुझे नहीं रोक सकते। ऊंचा बोलकर आप मुझे नहीं रोक सकते।

[हिन्दी]

मैं सारी कहानी खोलकर बताता हूं। लालडेंगा, उसका छोटा भाई और इलैक्ट्रिसिटी मिनिस्टर—तीनों करप्ट हैं। सारे अखबारों में लिखा हुआ है। मेरे अखबार में नहीं लिखा हुआ है, सारे अखबारों में लिखा हुआ है।···(**व्यवधान**)···मैं श्री हितेश्वर सैकिया के बारे में कहता हूं। इन तीनों ने मिजोरम को अपनी मुट्ठी में गुलाम बना लिया था। इन तीनों ने

एक्सप्लायटेशन करना शुरू कर दिया था। सारे मिजोराम के लोग तबाह हो गए थे। लालडेंगा दो महीने रहा अंडर-ग्राउण्ड या बाहर। उसने सारी जिन्दगी इंग्लैण्ड में बिताई। जो मलेरिया इन्वैस्टेड प्लेसेज में, वर्मा में, बंगला देश में अंडर-ग्राउण्ड लोग थे, जो उसके सहयोगी थे, क्यों उन लोगों ने लालडेंगा को छोड़ दिया? क्योंकि श्री लालडेंगा दूसरे रास्ते पर चले गए थे। उनके अंदर बेईमानी घुस गई थी। सच बात मैं नहीं कहना चाहता था, आपने मुझे कहने पर मजबूर किया। वहां के लोग तबाह हो गए थे···(**व्यवधान**)·· नौ आदमियों ने एम० एन० एफ० से अलग होकर एम० एन० एफ० डैमोक्रेटिक पार्टी बनाई। क्या बुरा किया। एक आदमी इलाज के लिए अमरीका गया हुआ है। आप कहते हैं कि यह उसके सिग्नेचर नहीं हैं। आपके दिल्ली आफिस के द्वारा अमरीका से खबर भेजता है है कि मैं रिबैल्स के साथ हूं, नौ आदमी जो अलग हुए हैं और आपको क्या चाहिए। अपने लड़के के थ्रू खबर भेजता है कि मैं इनके साथ हूं और स्पीकर मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल दूंगा। श्री लालडेंगा सारे मिजोराम के बूथ कैप्चर करके कहता है कि मुझे जीतने दो। क्योंकि मैंने बाकी लोगों और स्पीकर को मिला लिया है। बाकी लोगों को वोट करने ही नहीं दूंगा और इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर हो गया। सिमली सुनने में तो बुरी लगेगी, उसने स्पीकर को मिला लिया और स्पीकर ने आठ लोगों को सस्पैंडकर दिया। कान्स्टीयूशन में या एन्टी-डिफैक्शन बिल में ससपैंशन का कोई प्रोवीजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें तो 14 सितम्बर को टाइम दो कि हम अपनी मैंजोरिटी साबित करें। क्या मैंजोरिटी साबित करेंगे। बूथ-कैप्चर कर लिए और बाकी लोगों को वोट नहीं देने देंगे। जितने लोग हमारे यहां है उनको वोट देने देंगे और कहेंगे कि हम जीत गए।

श्री संफुद्दीन चौधरी : समझौता किया था।···(**व्यवधान**)···

डा० गौरी शंकर राजहंस : आदमी अपनी गलतियों से सीखता है···(**व्यवधान**)···अपनी गल्तियों से आदमी सीखता है। हमने लालडेंगा को सरकार बनाने का मौका दिया था और यह श्री हितेश्वर से किया की ईमानदारी की बात है कि उसने कांग्रेस को भी गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं दिया और लाल डेंगा को नहीं दिया, तो इसमें बुराई की क्या बात है। इन सारी बातों पर शान्तिपूर्वक सोचने की बात है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने बहुत सोच समझकर एन्टी-डिफेक्शन एक्ट बनाया था लेकिन उसके इम्पलीमेन्टेशन में लूपहोल्स होंगे, यह किसी को अन्दाजा नहीं था। आप इस बात को जरा ध्यान देकर देखिये कि जो बातें तामिलनाडु में हुई, वही बात मिजोरम में दौहराई गई। श्रीमति जानकी रामचन्द्रन के साथ मिलकर वहां के स्पीकर ने तबाही मचा दी और सभी को सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया और बाकी लोगों से कहा कि सरकार बनाओ। तमिलनाडु में यही हुआ और उसी का दूसरा रूप मिजोरम में था। कल को तीसरे राज्य में यही होगी। इसलिए क्या वक्त नहीं आ गया है कि एन्टी-डिफेक्शन एक्ट के बारे में हम फिर से सोचें।

307 म० पु०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

स्पीकर को क्या यह पावर होगी कि वह पीपुल की विल को एक धक्के में खत्म कर दे और निर्वाचित

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

सदस्यों को सस्पेंड कर दे या डिसमिस कर दे। इलेक्टोरेट की मर्जी के खिलाफ क्या किसी स्टेट का स्पीकर ऐसा कर सकता है। दो घटनाएँ इस देश में ऐसी हो चुकी हैं। इसलिए इस बात पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। एन्टी-डिफेक्शन एक्ट में आप सुधार कीजिए और कोई डिस्क्वाली-फाई करेगा या नहीं करेगा, इसका अधिकार आप चार आदमियों की कमेटी को दीजिए। गवर्नर, स्पीकर, लीडर आफ दि रूलिंग पार्टी और लीडर आफ अपोजीशन, ये चार आदमी मिलकर तय करें कि कोई आदमी डिस्क्वालीफाई करता है या नहीं करता है। स्पीकर चीफ मिनिस्टर के साथ मिल कर एम० एल० ए० को डिस्कवालीफाई कर दे, यह कोई बात हुई। इसलिए गवर्नर या प्रेसीडेंट के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है सिवाय एसेम्बली को डिजोल्व करने का और एसेम्बली को डिजोल्व करने का मतलब होता है राज्य की जनता पर टैक्स बढ़ाना, देश पर टैक्स का बोझ बढ़ाना। बार-बार इलेक्शन कराना कोई उचित बात नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इन सारे मुद्दों पर फिर से सोचने की जरूरत है।

अभी हमारे साथी ने कहा कि कोई भी सरकार जो चुनी जाए, उसको इतना समय दिया जाए, पांच वर्ष का समय दिया जाए कि वह अच्छी तरह से काम कर सके। पांच वर्ष में यदि लुटकर स्टेट को खोखला कर दिया जाए, तो फिर लोग कहाँ जाएगें। पाँच वर्ष तक अगर सरकार को चलने देते हैं या दूसरी सरकार जब तक आती है, उस वक्त तक चलने देते हैं, तो वह स्टेट तो बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए जनता जागरूक रहे और एम०एल०एज को यह अधिकार हो कि यदि उनका लीडर, उनका चीफ मिनिस्टर डिस्ओनेस्ट है, तो एन्टी-डिफेक्शन एक्ट के अनुसार रिवायर्ड नम्बर दूसरी तरफ जाकर सरकार बनाए। लाल डेंगा के विषय में मैं यह कहूंगा कि वे फर्स्ट क्लास ओरेटर हैं और बहुत अच्छा भाषण देते हैं कि मैं सारे भारत को मिजोरम में बदल दूंगा, आप मेरा साथ दो। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें मिजोरम देगें। वहाँ के लोग उसके भाषण और ओरेटरी में आ जाते हैं। उन्होंने बातें बड़ी-बड़ी कीं लेकिन काम अपने स्वार्थ के किये। आप पूरी स्टेट को लूट लीजिये और कहिये कि हमें पांच वर्ष तक शासन करने दीजिये और हमें लूटने का मौका दीजिये। ये बातें नहीं चल सकती हैं।

हमारा नार्थ-ईस्टर्न बहुत ही सेंसेटिव स्टेट है और उसकी स्टेब्लिटी में हमारा बहुत बड़ा स्टेक है। वह एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है।

इसलिए लोग मिलकर के वहाँ के इकोनोमिक डवलपमेंट के बारे में सोचें। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजीडेंट रूल मिजोरम में जल्दी से जल्दी समाप्त होगा और वहाँ पर पापुलर गवर्नमेंट कायम होगी, लोगों की चुनी हुई सरकार आयेगी। वहाँ के लोग वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स से डर गये हैं। अब वहां के लोग उनसे अलग होकर, स्वतंत्र मन से वोट दे सकेंगे। मैं नहीं कहता कि वहाँ कांग्रेस का ही शासन हो। अगर वहाँ के लोग चाहते हैं तो कांग्रेस के शासन में ही क्या बुराई है। वहाँ की जनता इस बात का फैसला करेगी।

अब वक्त आ गया है कि हम मिजोरम की स्टेब्लिसटी' के बारे में सोचें और वहां की जनता को स्वच्छ शासन दें। हम हितेश्वर सेकिया के कामों का पूर्ण समर्थन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे और वहां की जनता को अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, हमारे देश की पूर्वी सीमाओं के पहाड़ी बीहड़ों की हरी-भरी शृंखला के मध्य मिजोरम स्थित है यह हमारे संघ में विशाल राज्यों की तुलना में वास्तव में अत्यन्त छोटा राज्य है जिसकी आबादी पाँच लाख है और यह 21,000 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन यह वास्तव में हमारे राष्ट्रीय मुद्दों के समक्ष महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसकी सामरिक स्थिति है। यह राज्य सुर्खियों में ज्यादा नहीं आता है और यह ऐसा राज्य है जहां लगभग 20 वर्ष तक विद्रोह होता रहा है। उस समय भारत के लोगों ने राहत की सांस ली जब 30 जून 1986 को भारत सरकार ने एक समझौते पर दस्तखत किये जिसके फलस्वरूप मिजोरम में दो दशक तक गड़बड़ी रहने के बाद शांति आई। लालडेंगा फिर सुर्खियों में वापस आ गये। आज यहां मेरे कुछ मित्र उन्हें एक बुरे व्यक्ति के रूप में दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने क्यों ऐसे बुरे व्यक्ति को आमंत्रित किया और उनके साथ समझौता किया।

फिर यह स्वर्णिम अवसर आया जब इस संसद ने मिजोरम को संघ के एक राज्य का दर्जा दिया गया और इसके बाद वहां चुनाव हुए। लोगों में खुशी थी। राजधानी की सड़कों पर देर रात तक नाच होता रहा। शांति और समृद्धि के एक नये युग को बनाने के प्रति मिजोरम के लोगों में भाग लेने की भावना थी। यह हमारे इतिहास में एक महान क्षण था क्योंकि यद्यपि यह एक छोटा, सीमावर्ती राज्य है फिर भी यह संघ राज्य यानि भारत का एक बराबर का सदस्य है। लेकिन जो कुछ अब हुआ है उससे इसी तथ्य का संकेत मिला है कि कभी-कभी लोगों को भी तोड़ा-मोड़ा जा सकता है। कभी-कभी लोगों को लोकतन्त्र के सभी लाभों से वंचित करने के लिये तथा उन्हें उनके अपने नेतृत्व को विकसित करने के अधिकार से वंचित करने के लिये संवैधानिक उपबन्धों का दुरुपयोग हो सकता है। हमारे संविधान का अन्तिम चरण लिखते समय डा० अम्बेडकर ने यह पूर्णतया ठीक कहा था कि एक संविधान जितना आप बनाएं उतना ही विस्तृत हो सकता है लेकिन संविधान को चलाने के लिए सज्जनों की जरुरत होती है।

मिजोरम के चुनावों ने आतंकवादी, विद्रोही लालडेंगा को एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जैसाकि मैंने कहा, यह परिवर्तन एक स्वागत योग्य परिवर्तन था। लेकिन यह डेढ़ वर्ष तक ही रहा। उस समय कुप्रबन्ध अथवा खराब सरकार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। मुझे केन्द्र सरकार के किसी भी मंत्री का कोई वक्तव्य याद नहीं है जिसमें मिजोरम में लालडेंगा सरकार के कार्य करने के तरीकों की आलोचना की गई हो। और आज हमारे मित्र इस सभा में कहते हैं कि लालडेंगा के अन्तर्गत मिजोरम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

सरदार बूटा सिंह : देश आपकी अनभिज्ञता की कीमत नहीं चुका सकता है··· (**व्यवधान**) जो कुछ मिजोरम में हो रहा है उन तथ्यों के प्रति आपकी अनभिज्ञता के बारे में मैं आपको निश्चित रूप से जानकारी दूंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आप तथ्यों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। अब यह कहा गया है कि सरकार तीन मंत्रियों के हाथों में थी। मैं तथ्य नही जानता। मैं विस्तार में नहीं गया हूं लेकिन यह तथ्य अब लाए जा रहे हैं। क्यों ? मेरा यह प्रश्न है।

अब मैं समझता हूं कि गलत बात यह हुआ कि लालडेंगा से यह अपेक्षा थी कि वह सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी बनकर चलेंगे। उनमें अपने आप चुनाव लड़ने, सहयोगी न बनने, एक कनिष्ठ सहयोगी न बनने की साहसिकता थी और यह मेरे मित्र बूटा सिंह को अपमान जनक था। इसीलिए पहले ही दिन संभवतः यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस सरकार को किस प्रकार अस्थिर किया जा सकता है, यहां सत्ताधारी क्षेत्र इसका विघटन किस प्रकार कर सकती है। मैं कहता हूं कि इस षडयन्त्र के कारण मिजो नैशनल फ्रन्ट का विघटन हुआ।

दो परिस्थितियों ने हस्तक्षेप किया। जादुई संख्या 1 उनके रास्ते में आ गई अन्यथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि नौ पूर्व सदस्य दलबदल करते तो राज्यपाल तत्काल लालडेंगा सरकार को बर्खास्त कर देते और सरकार बनाने के लिए नए गठजोड़ के नेता को बुलाते: और निःसंदेह इसके विरुद्ध पूरे देश में कोई नहीं बोलता। यह पूर्णतया एक संवैधानिक कानूनी, लोकतन्त्रीय तरीके से सरकार का बदलाव होता। दुर्भाग्य से यह एक तिहाई का सिद्धान्त था; और एक का अन्तर उनके आड़े आ गया और इसलिये राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। मैं इसे न सिर्फ राजनीति से प्रेरित निर्णय मानता हूं बल्कि मैं इसे लोकतन्त्रके स्वप्न का अन्त कहता हूं ऐसा स्वप्न जो राख में परिवर्तित हो गया। संख्या के इस खेल में राज्यपाल ने निर्धारित भूमिका अदा की; लेकिन अध्यक्ष का क्या हुआ ? यदि कानून अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार देता है तो आप इस बारे में बाद में कैसे प्रश्न कर सकते हैं ? और आज दलबदल विरोधी अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिये मेरे मित्र कुछ और ही बोल रहे हैं। मुझे आशा है वे इसका उपयोग मिजोरम में पीछे से नहीं करेंगे।

यदि अध्यक्ष के पास संवैधानिक अधिकार है और एक निर्णय देने का कानूनी अधिकार है और उन्होंने एक निर्णय दिया तो इस निर्णय का सम्मान होना चाहिए। आखिरकार वह महोदय हमेशा के लिये अमेरिका में नहीं थे। वह वापस आ जाते। उनके वापस आने तक विधानसभा सदस्यों की बैठक स्थगित हो सकती थी। और फिर यदि श्री लालडेंगा झांसा देते तो इसे ललकारा जा सकता था। कार्यवाही बड़ी तेजी से हुई, सभी लोकतंत्रिय परम्पराओं को ताक पर रख दिया गया।

मैं तथ्यों को पुनः नहीं दोहराऊंगा। सभा तथ्यों को अच्छी तरह से जानती है। सत्ता में विद्यमान मुख्यमन्त्री के अनुरोध के बावजूद विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई।

यह स्पष्टतः सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के प्रतिकूल है और सरकार द्वारा

शासन करने की क्षमता के प्रति तैयार राष्ट्रीय एकमत के भी प्रतिकूल है, बहुमत इसके साथ है या नहीं इसकी परीक्षा सभा में ही होनी चाहिए; यह राज्यपाल की मन मरजी अथवा उनके व्यक्तिगत निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता और यह आज राष्ट्रीय एकमत है और जो कुछ मिजोरम में हुआ है वह इसके विरुद्ध है।

राज्यपाल और अध्यक्ष की भूमिका के प्रति जो भी ऐतिहासिक निर्णय हों और हम मिजोरम में इस अनुभव से जो कुछ भी सीखें लेकिन तथ्य तो यह है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राज्यपाल की सिफारिशों पर की गई थी लेकिन श्री बूटा सिंह ने उनकी सराहना ही की है। उन्हें इस बारे में स्थिति की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए; और एक बार उपाध्यक्ष वापस आ जाते तो स्थिति में स्थिरता आ सकती थी अथवा एक बार इन लोगों में कुछ एक सहमति पर पहुंच जाते तो भी स्थिरता आ सकती थी। राज्यपाल ने विधानसभा को निलंबित रखने का सुझाव दिया था। लेकिन नहीं, विधानसभा को भी भंग कर दिया गया, मिजोरम को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसी मानसिक स्थिति में पहुंचा दिया गया जहां वह लोकतन्त्र के आने से पहले था।

अतएव मैं ऐसा समझता हूं कि मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करना लोकतन्त्र को झुठलाना है तथा मिजोरम का निरादर है। इससे अध्यक्ष पद की गरिमा भी धूमिल हुई है; ऐसा करना राज्यपाल के पद पर भी कीचड़ उछालना है क्योंकि उसके निर्णय का आदर नहीं किया गया। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे राष्ट्र की एकता को खतरा है क्योंकि इससे वे लोग हमसे विमुख हो जायेंगे जो लोग शूरवीर तथा साहसी हैं जिन्हें अपनी परम्पराओं पर गर्व है; जिन लोगों को हमने अपने राजनैतिक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया था।

आज, मैंने यह प्रश्न किया है : हम शीघ्र चुनाव क्यों नहीं करा सकते ? हम चुनावों की तारीख की घोषणा क्यों नहीं कर सकते हैं ? मुझे इसकी अच्छी तरह से जानकारी है मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूं। कुछ ऐसे संकेत हैं कि शायद चुनाव कराये जा सकते हैं लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन आज यदि मंत्री महोदय इस सभा में यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि चुनाव जल्द ही कराये जायेंगे तथा मिजोरम में लोकतन्त्र को बहाल किया जायेगा तो मैं उनका आभारी हूंगा। इसके साथ ही, मैं मिजोरम के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की इस प्रकार की उकसाने वाली कार्यवाही के बावजूद उन्होंने शान्ति बनाये रखी तथा अपनी विकास की गति को बरकरार रखा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं तथा एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहां शीघ्र चुनाव कराये जायें तथा उस समय तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि वे लालडेंगा को प्रभाव विहीन बनाने में सफल न हों।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदय, सरकार द्वारा मिजोरम संबन्धी जो सांविधिक संकल्प उपस्थित किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी हमारे शाहबुद्दीन साहब ने शब्दों की सजावट से लालडेंगा जी को मुकुट पहनाने की कोशिश की है, इस संदर्भ में मैं तुलसीदास जी का एक दोहा दोहराना चाहता हूं :

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

"कहा भयो अरगज को-लेपन, मरकट भूषण अंग,
पाहन पतित बाण नहीं भेदत, रीतो करत निषंग।"

शब्दों का मुकुट उनको पहना दीजिए, जैसे अगर बंदर को ठीक से गहने पहना देंगे तो भी उसमें सौन्दर्यता नहीं आ जायेगी। मिजोरम के लोगों को कांग्रेस की सरकार ने तश्तरी में सजाकर वहां का शासन समर्पित किया था और यह उम्मीद की गई थी कि लालडेंगा जी इस छोटे से राज्य के लोगों के विकास की ओर अधिक से अधिक ध्यान देंगे। बहुत दिनों तक अण्डरग्राउन्ड रहे हैं और उन्होंने काफी लम्बे-चौड़े आश्वासन भी दिये हैं, संघर्ष किया है, खतरा उठाया है इसलिए जरूर उनके दिल में वहां के लोगों के विकास के लिये हमदर्दी होगी। इसलिये कांग्रेस द्वारा इनसे अच्छी उम्मीद की गई थी। इसके बावजूद कि वह सरकार में नहीं बैठ सकते थे, उनको बिठाया गया। कांग्रेस की इस उदारता से बढ़कर और दूसरी बात क्या हो सकती है। आखिर लालडेंगा जी इतने उदार दिल व्यक्ति थे तो उनसे विद्रोह कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि उनकी पार्टी के लोगों ने, बड़ी संख्या में विद्रोह किया है और वह बाहर आये। जब उनको सत्ता सौंपी गई तो वहां के लोगों ने इसका काफी स्वागत किया और राज्य में उत्सव मनाया गया, हम लोगों को भी खुशी थी कि मिजोरम ने जो संघर्ष किया है और वहां पर कांग्रेस की सरकार लोकतन्त्र लाने के लिये वचनबद्ध है इसलिये हमने वहां की जनता का साथ दिया और यही हमारा स्वार्थ था कि वहां की जनता खुद फैसला करे। लेकिन हमें बड़ी निराशा हुई, देश को निराशा हुई उनकी पार्टी के लोगों को भी निराशा हुई। यह क्यों हुई ? अगर इसकी गहराई में आप जायेंगे तो आपको स्वत: ही इसका उत्तर मिल जायेगा। लालडेंगा जी ने लोकतन्त्र की परम्परा में बहने की कोशिश नहीं की, यह विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर यहां की सरकार को उलटने की कोशिश करते रहे, फौजी रूप में रहे और फौज के सरगना बन गये। इसलिये वह तानाशाह हो गये। अभी तक का इतिहास है कि जो निरंकुश बनेगा वह कभी लोकतन्त्र को कायम नहीं रख सकता और न ही उसे सहारा दे सकता है। इसलिये उनकी ही पार्टी के लोग विद्रोह करके बाहर आ गये और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस की नीति रही है कि उसी की सरकार बने। हितेश्वर सैकियाजी कांग्रेस के सच्चे सिपाही और उसके आदर्शों की पालना करने वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन जब कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी उच्च पद पर बैठता है तो वह उस पद के साथ और जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकता। हमारी सरकार बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस यह कभी पसन्द नहीं करती कि गलत तरीके से शासन की बागडोर हाथ में लेकर चलाये। विरोध वाले हमेशा यही रोना रोते हैं कि हमारी पिटाई कर रहे हैं, सरकार लोकतंत्र के नाम पर काला कारनामा कर रही है। त्रिपुरा में भी ये लोग यही कर रहे हैं, केरल और बंगाल की सी० पी० एम० की सरकार भी यही रोना रोती है। लेकिन वहां क्या हो रहा है, किस तरह का लोकतन्त्र चल रहा है इसको आप गहराई में सोचेंगे तो पता चल जायेगा कि कांग्रेस जिस आदर्श के रास्ते पर देश को लेकर चलना चाहती है उसमें यह लोग अड़चन हैं। लेकिन कांग्रेस सबको संरक्षण देते हुए अपनी राष्ट्रीय विचारधारा को आगे ले जा रही है। लालडेंगा जी का यह कहना कि वह

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठायेंगे, यह कोई नई बात नहीं है। हिन्दुस्थान की प्रतिष्ठा को नीचे गिराकर अगर अपना स्वार्थ सधता है तो ऐसे लोग साधने में बाज नहीं आते। शहाबुद्दीन जी तो जहां कोई गड़बड़ी हो वहीं इनका आदर्श बन जाता है।

जहां आग लगती है वहां ये छिड़कने के लिए तेल लेकर पहुंच जाते हैं। इन्हें कांग्रेस को गाली देने का बहाना मिल जाता है। हम इससे परिचित हैं, सदन भी इनको जानता है और सारा देश इनको पहचानता है। जब लालडेंगा की सरकार अल्पमत में आ गई और निलम्बित कर दी गई और कुछ सस्दयों को वोट देने का अधिकार नहीं रहा तो फिर यह कैसे कहते थे कि हमें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाये। कांग्रेस संविधान के तरीके से चल रही है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है यह सदियों तक नहीं चलेगा, इसके बाद चुनाव होगा···चुनावों के बाद जो पार्टी बहुमत में आयेगी, उसकी वहां सरकार बनेगी और वही सत्ता पक्ष में बैठेगी। अभी यहां हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि त्रिपुरा में आतंकवादियों ने जो शस्त्र समर्पित किए हैं, हथियार डाले हैं, उसके पीछे कांग्रेस की साजिश है। कौवे से, सभापति जी, सभी परिचित होंगे। उसका स्वभाव बडा कपटी होता है। कहते हैं कि उसके एक आँख होती है। वह जिस जगह बैठता है हमेशा संदेह के घेरे में घिरा रहता है कि पता नहीं किस ओर से शत्रु आक्रमण कर दे इसलिए वह हमेशा इधर-उधर अपनी गर्दन घुमाता रहता है।

वैसा ही व्यवहार आज हमारे विरोधी दल के साथियों का हो गया है। उन्हें डर है कि कांग्रेस की सफल नीतियों से कहीं प्रदेश की जनता हमारे खिलाफ न हो जाए, इसीलिए वे कांग्रेस पार्टी पर मनगढंत आरोप लगाने से पीछे नहीं रहते। आरोप लगाने में सिद्धहस्त हो गए हैं और कपटी स्वभाव इनका गुण बन गया है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। सैयद शाहबुददीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 लाख आबादी वाले इस छोटे से प्रदेश के चातुर्दिक विकास की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्र है, और उसमें रहने वाले गरीब लोग हैं। कांग्रेस के साथ-साथ देश के अन्य लोग भी चाहते हैं कि इस राज्य का चातुर्दिक विकास होना चाहिए, लोगों की यह वास्तविक आकांक्षा है, परन्तु हमारे विरोधी दलों के रवैये के कारण वह अधूरी रह गयी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस राज्य का विकास डैमोक्रेटिक सिस्टम या प्रजातांत्रिक पद्धति से ही सम्भव है, लोकतंत्र की परम्पराओं से ही विकास हो सकता है लेकिन अपोजीशन के लोग सारी मलाई अकेले ही खा लेना चाहते हैं, धमकी देते हैं कि यदि हमें खाने को नहीं दी गयी तो हम हंडिया फोड़ देंगे, इस तरीके से देश का विकास कदापि सम्भव नहीं। सही परम्पराओं के प्रतिपादन में इस सदन को पूरा सहयोग देना चाहिए और हमारे विरोधी भाईयों को भी उसमें सहयोग देना चाहिए तभी देश और प्रदेशों का विकास हो सकता है। पश्चिमी बंगाल में पिछले दिनों जिस गति से आतंकवाद फैलता जा रहा था, उसे रोकने के लिये हमारे गृह मंत्री जी ने जिस सूझबूझ और क्षमता का परिचय दिया वह अद्वितीय है। पश्चिमी बंगाल सरकार कभी नहीं चाहती थी कि उसका अंत हो जाये बल्कि वह अपनी अकड़ में थी परन्तु सरदार बूटा सिंह जी के प्रयासों से गोरखालैंड की समस्या भी पलक झपकते ही हल कर ली गयी अन्यथा हमारे देश का पूर्वोत्तर हिस्सा आज भी अशांत होता, उसका घाव हमेशा रिसता रहता और मवाद निकलता रहता। यही कारण है कि कांग्रेस की उदारतावादी नीतियों के कारण ही पंजाब में आतंक-

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

वाद घुटने टेक रहा है, पराजित हो रहा है। पंजाब में आतंकवादियों को बाहर से अब उतनी शह और सहायता नहीं मिल रही है, अब वे ज्यादा पल्लवित नहीं हो पा रहे हैं, अब वहां फिजा बदल चुकी है। देश के लोग उनकी नकली हरकतों से, कपटी व्यवहार से ऊब चुके हैं। उनके कारनामे अब ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। इसलिये पंजाब का आतंक अब ठण्डा पड़ता जा रहा है। पहले अमेरिका पाकिस्तान के जरिए घुस कर जिस तरह से उन आतंकवादियों को सहायता दे रहा था, अब वह पाकिस्तान भी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। इसलिये पंजाब का आतंकवाद अन्तिम सांसें ले रहा है। वैसे ही हमारे नेता राजीव गांधी के स्वच्छ चरित्र की छाप जिस तरह देश की जनता पर अमिट होती जा रही है, समस्त देश पर उसकी छाप पड़ रही है, अपोजीशन उससे घबरा उठा है। शेक्सपियर ने एक स्थान पर कहा--

[अनुवाद]

'उसके दैनिक कृत्य मुझे बदनाम करते हैं।'

[हिन्दी]

अपने कामों से जो स्वयं पराजित हो जाता है फिर वह अपने आपको बदसूरत और बदशक्ल समझने लगता है। वैसी ही हालत आज हमारे विरोधी दलों की हो गयी है। आज वे अपने आपको राजीव गांधी जैसे व्यक्तित्व का मुकाबला करने में असमर्थ पाते हैं तो उन पर उलटे सीधे आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, आप बुरी तरह से पराजित होंगे। भारत की भूमि पर आपको फिर मार खानी पड़ेगी क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की परम्पराएं और जड़ें इतनी मजबूत और बुनियाद इतनी गहरी उतर चुकी है कि उसे अब कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में रहेगी, कांग्रेस की परम्पराएं जीवित रहेंगी तब तक लोकतंत्र को कोई यहां मुर्दा नहीं बना सकता चाहे जितनी साजिश कर ले, कम्यूनल रायटस, आतंकवाद या रीजनलिज्म, भाषा के नाम पर, आप चाहे यहां कितनी भी संकीर्णता बढ़ाने की कोशिश कर लें, आपको हर क्षेत्र में कुण्ठा ही मिलेगी, पराजय का सामना करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मैं मिजोरम में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले इस संकल्प का विरोध करता हूं। इस उद्घोषणा से अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, एक साथ चार राज्यों में अब जबकि संसद का अधिवेशन चल रहा है हमारे चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। मैं यह निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं कि श्री लालडेंगा एक अच्छे प्रशासक थे अथवा उनका प्रशासन खराब था। बहुत से लोग हर प्रकार के निर्णय दे रहे है। मैं नहीं जानता कि उससे राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई औचित्य है। कुछ लोगों ने यह दलील दी है कि कुछ लोगों के छोटे-छोटे दल अथवा गुट सरकार के पास आ रहे थे।

यदि यह सही भी है तो भी मैं नहीं समझता कि विधान सभा को भंग करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए यह उचित है। फिर तो सभी राज्यों की सरकारों की, चाहे वह कांग्रेसी हो अथवा गैर कांग्रेसी यह देखने के लिये जांच की जानी चाहिये कि वे लोग वहां किस प्रकार का प्रशासन चला रहे हैं तथा वे किन सिद्धातों अथवा मानदण्डों का अनुसरण कर रहे हैं। मेरा विचार है। इस समय इस प्रकार के तर्क देना असंगत है।

मेरा मुद्दा यह है कि मिजोरम के सारे पिछले इतिहास की पृष्ठ भूमि में सरकार तथा गृह मन्त्री महोदय यह अच्छी तरह से जानते थे कि यह जो कदम उठाया गया जल्द बाजी में उठाया गया है, तथा गलत है। न केवल मिजोरम अपितु सारे देश को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि वर्षों पहले से ही यह लोग अपने आपको देश का एक अनिवार्य हिस्से के रूप में महसूस करते हैं वे सब अलग-थलग थे चाहे इसके लिये उत्तरदायी कोई भी हो। वे अलग-थलग थे। कुछ समय के लिये नहीं अपितु 20 वर्ष की लम्बी अवधि तक यह संशस्त्र विद्रोहियों का अड्डा रहा था। मिजोरम समझौता करना सरकार तथा श्री लालडेंगा दोनों की ओर से एक सराहनीय प्रयास था जिसके लिये किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता। किसी भी सफल समझौते तक पहुंचने के लिये दोनों पक्षों के सहयोग की आवश्यकता होती है। मिजोरम समझौते का स्वागत देश में सबने किया था। हमने इस सभा में इसका स्वागत किया था क्योंकि इसका अर्थ था विद्रोह का अन्तः इसका अर्थ था कि बागी अपने हथियार डाल देने के लिये जंगलों से बाहर आना चाहते थे तथा हमारे देश की लोकतन्त्रीय जीवन प्रणाली का एक हिस्सा बनना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि अब जो कदम उठाया गया है वह जल्द बाजी में तथा गलत तरीके से उठाया गया है। इस प्रकार की जल्द बाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। तथा अब कुछ प्रश्न उभरे हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिये कि क्या किसी राज्यपाल को अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती देने का अधिकार है अथवा नहीं। ये प्रश्न मिजोरम के मामले से अलग है। दूसरे, इसके पीछे क्या नैतिकता है अथवा कोई नैतिकता है भी या नहीं ? सम्भवतः इसके लिये नैतिकता शब्द का प्रयोग उचित न हो। सामान्य तौर से जब कोई राज्यपाल को कोई रिपोर्ट भेजता है तो भारत सरकार उसकी सिफारिशों के अनुसार कार्य करती है इस मामले विशेष में हम यह देखते हैं कि यद्यपि राज्यपाल ने मिजोरम की विधान सभा भंग करने की सिफारिश नहीं की थी किन्तु सरकार ने उनकी सिफारिश के इस भाग को नजरन्दाज करते हुए वहां की विधान सभा भंग कर दी। मैं आपको याद करा सकता हूं कि पंजाब के मामले में भी जो कि हमारे देश का सबसे अधिक उत्पीड़ित राज्य है जब पहली निर्वाचित सरकार निरस्त की गई थी तो उसके बाद तुरन्त पंजाब विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। पंजाब विधान सभा को लम्बी अवधि तक निलम्बित रखा गया था—मुझे याद नहीं है कि कितने मास तक इसे निलंबित रखा गया था—तथा अच्छी तरह से सोच-समझकर आवश्यक होने पर ही इसे भंग किया गया था। लेकिन यहां इस तथ्य के बावजूद कि राज्यपाल ने इस बात की सिफारिश की है कि विधानसभा को निलंबित रखा जाये तथा भंग न किया जाये केन्द्र सरकार ने इसे अन्यथा समझा।

अतः मुझे राज्यपाल की सिफारिश के प्रति केन्द्र की प्रतिक्रिया तथा इसके रवैये में विरोधा-

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मास दिखाई देता है। जब यह दलबदल हुआ उस समय विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा था विधानसभा का सत्र बुलाने से पहले, काफी अन्तराल था जिस समय शायद इन मामलों को निपटाया जा सकता था। अध्यक्ष ने क्या किया ? उन्होंने जो कुछ किया मैं समझता हूं उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसे यह अधिकार है कि वह उन सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है जिनके बारे उसका यह विचार है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे दलबदल विरोधी अधिनियम का उल्लघन होता है। चाहे उसका निर्णय गलत है अथवा सही है लेकिन यह प्रश्न आंकड़ों तथा संख्या का है। यहां सब इसके बारे में कह रहे हैं। यदि वहां नौ लोग थे वहां स्थिति अलग प्रकार की होती यदि आठ लोग होते तो स्थिति दूसरी प्रकार की होती। इन सदस्यों में से एक के कारण यह विरोध उत्पन्न हुआ है। उपाध्यक्ष उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। सभा का सत्र नहीं चल रहा था। सांविधिक औचित्य की मांग यह है कि अध्यक्ष विनिर्णय दे। यद्यपि यहां संकेत दिया जा रहा है कि यह उनका अपना विनिर्णय नहीं था लालडेंगा ने उन पर दबाव डाला था, लालडेंगा ने उन्हें इस प्रकार के कदम उठाने के लिए बाध्य किया था तथा वगैरह-वगैरह।

ठीक है हम इस प्रकार की बातों को इस प्रकार से नहीं ले सकते क्योंकि इस देश में बहुत सी बातें हो रही हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि किसके दबाव में अथवा किसकी बाध्यता के अधीन यह कार्य किये जा रहे हैं। अध्यक्ष अध्यक्ष है। यदि कोई यह कहना शुरू करता है कि लोक सभा अध्यक्ष किसी के दबाव में आकर कुछ करता है तो मैं नहीं समझता कि यह सभा इसे स्वीकार कर लेगी। कोई भी इसे मानेगा नहीं। अतः यह कहना कि मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष ने यह कदम इसलिये उठाया है क्योंकि किसी हद तक लालडेंगा के द्वारा उन पर दबाव डाला गया था। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ऐसा कहना अध्यक्ष के पद पर कीचड़ उछालना है। उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इन सदस्यों को कारण बताओ नोटिस इसलिये जारी किये कि क्यों न उनको दलबदलू अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाये। उनके इस प्रकार दल बदलने का अर्थ पार्टी में दरार पड़ना नहीं था।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उन्हें यह अधिकार था कि वह उनको नोटिस जारी करने के साथ-साथ निलंबित भी कर दे। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई सुस्पष्ट उपबन्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि वह इन सदस्यों को निलंबित कर सकता है। लेकिन ऐसा भी कोई सुस्पष्ट उपबंध नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि वह इन सदस्यों को निलंबित नहीं कर सकता। यह भी सत्य है। यदि कानून में कोई ढील है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। यदि अध्यक्ष यह समझते हैं कि कुछ सदस्यों ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि दलबदल अधिनियम का उल्लंघन होता है तथा उसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना जरूरी है, तो जब तक मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता पूरी तरह से निपटाया नहीं जाता, क्या वह उन्हें निलम्बित रख सकता है अथवा नहीं। मेरे विचार में यह एक खुला प्रश्न है। कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि उसे उन्हें निलम्बित करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि यह सारा प्रश्न सत्ता की आकांक्षा का है। कोई भी इसे समझ सकता है। अनेक समाचार पत्रों ने लिखा है। मेरे पास तो कोई सबूत

नहीं है, परन्तु समाचार पत्रों में सत्ताधारी दल मिजो नेशनल फ्रन्ट में फूट की खबर छपी थी तथा इस फूट के परिणाम स्वरूप आठ या नौ सदस्यों ने विद्रोह कर दिया और दल से बाहर हो गये। बहुत से समाचार पत्रों में यह लिखा है कि लालडेंगा का विरोध करने के लिये विधायकों को धन दिया गया। यह सही भी हो सकता है और गलत भी, परन्तु सही या गलत ऐसा कहा जा रहा है कि मिजोरम विधान सभा के अध्यक्ष ने लालडेंगा के दबाव में आकर ही कार्यवाही की। भले ही आपके पास इसका भी सबूत नहीं है। तमाम समाचार पत्रों ने यह लिखा है कि दल छोड़ने के लिये विधायकों को प्रलोभन देने हेतु धन का प्रयोग किया गया था। जो भी हो कांग्रेस (आई) नेता तथा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री व तत्कालीन विपक्ष के नेता व मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के अध्यक्ष लालथन-हवला क्या कहते हैं! उन्होंने कहा है कि "मिजो नेशनल फ्रन्ट (डेमोक्रेट) के 8 विधायकों को निलंबित करने की विधानसभा अध्यक्ष की गलत कार्यवाही के कारण वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।" उन्होंने कहा कि यदि उन्हे यह पता होता कि विधान सभाध्यक्ष के गलत निर्णय को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा तो उन्हें सरकार बनाने का दावा करना चाहिये था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उस निलंबन आदेश को पहले ही निरस्त कर दिया है। अतः कांग्रेस (आई) नेता ने कहा है कि यदि उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में पता होता तो वे सरकार बनाने का दावा करते। श्री लालथनहवला जो आज सुबह ही नई दिल्ली से लौटे हैं ने कहा है कि उन्होंने रात भर पार्टी हाई कमान से बातचीत की थी परन्तु उन्हें केन्द्र सरकार के राष्ट्रपति शासन लागू करने की योजना के बारे में नहीं बताया गया।

अतः महोदय, राज्यपाल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निराधार है। उन्होंने अपनी प्रेस कांन्फ्रेंस में बताया है कि न तो बहुत कम बहुमत वाली मिली जुली सरकार और न ही श्री लालडेंगा की अल्पमत की सरकार शासन कार्य चलाने के लिये उपयुक्त है। ये दोनों ही बातें राज्यपाल के निर्णय से उचित सिद्ध नहीं होती हैं। उनका शक्ति परीक्षण होना चाहिये था, तथा सभी प्रकार के शक्ति परीक्षण परम्परानुसार विधानसभा में ही होने चाहिये थे। बहुमत कम है या अधिक, श्री लालडेंगा लगातार सरकार चला सकते हैं या नहीं यह किसको निर्णय करना है? राज्यपाल पहले से ही अनुमान लगाकर कैसे निर्णय ले सकता है। यदि आप संविधान के लोकतान्त्रिक स्वरूप को बनाये रखना चाहते हैं, जिसके लिये हम लोग कार्य कर रहे हैं तो राज्यपाल इस प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकते उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की आलोचना करते हुये कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष दलगत राजनीति के हितों में कार्य कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि राज्यपाल इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष उन आठ विधायकों को निलंबित करना चाहते थे कुछ सभाओं के आयोजन के परिणामस्वरूप हिंसा भड़क उठी थी तथा पोस्टर वगैरह लगाये गये थे, अतः राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

अतः महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गयी दलीलें निराधार हैं। मेरा तात्पर्य है कि राज्यपाल के ऐसे निर्णय किसी भी स्थिति से निबटने के लिये उचित नहीं हैं। सब कुछ सदन में होना चाहिये तथा मुख्यमन्त्री को भी अपने शक्ति परीक्षण के लिये विधानसभा की बैठक बुलाने का अधिकार है। यह मिजोरम में ही पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी हो चुका है

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

तथा आगे भी होता रहेगा। परन्तु इसकी अनुमति नहीं दी गयी थी तथा जल्दबाजी में राज्यपाल की सिफारिशों का एक भाग स्वीकार किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और सिफारिशों का दूसरा भाग कि विधानसभा को भंग न करके निलंबित रखा जाये को अस्वीकार कर दिया गया। अतः मुझे इस बात से बहुत खेद है कि गृह मंत्री ने अनुमोदन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में इस आशय का एक शब्द भी नहीं कहा है कि वहां चुनाव शीघ्र करायें जायेंगे या नहीं। सब लोग इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रपति शासन को अत्यावश्यक स्थिति के अलावा एक दिन अधिक जारी नहीं रखना चाहिये। परन्तु मेरी राय में मिजोरम के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत नहीं किया है। मैं श्री एन० टोम्बी सिंह की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मिजोरम के वे लोग राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से खुशियां मना रहे हैं जिन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद लालडेंगा द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद सत्ता में आने की खुशियां मनायीं थीं और अब हमसे अचानक यह विश्वास करने के लिये कहा जाए कि वही लोग श्री लालडेंगा के विरुद्ध हो गए हैं और राष्ट्रपति शासन का स्वागत कर रहे हैं पचने वाली बात नहीं है। मैं कहूंगा कि यदि आप चाहें कि मिजोरम के लोग फिर से कोई प्रतिकूल तरीका न अपनायें तो आपको कुछ अंकुश लगाना होगा, और यह अंकुश राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के बारे में है। कुछ अंकुश लगाना चाहिए तथा राजनीतिक दावपेच के स्थान पर मिजोरम में जल्दी ही चुनाव करवाकर फिर से राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भिक करवाना ही उचित है। मैं, जैसाकि समाचार पत्रों में कहा गया है, कि श्री लालडेंगा ने कहा है, से सहमत नहीं हूं। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि वे फिर से शस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं साक्षातकार में उनके ये शब्द हैं :

> "मैंने केन्द्र से विश्वास खो दिया है। मुझे नहीं पता देश में किस प्रकार का लोकतन्त्र है। उन्होंने मुझे अपना बहुमत साबित करने की अनुमति नहीं दी। मैंने उनसे व राज्यपाल श्री एच० सेकिया से निवेदन किया था कि 14 सितम्बर को विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाए ताकि मैं अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकूं। केन्द्र को तब तक इन्तजार करना चाहिए था। मैंने खुशी से त्यागपत्र दे दिया होता यदि विधानसभा में मेरा बहुमत साबित न हुआ होता।"

वह फिर कहते हैं :

> "वैधानिक तरीके नहीं अपनाए गए···अतः एक बार फिर मुझे अपने सिर की कीमत पर गैर कानूनी कार्यवाही करनी होगी। यदि केन्द्र जल्दी ही चुनाव नहीं करवाती है तो मुझे फिर से हथियार उठाने होंगे।"

फिर उन्होंने जो कहा यदि सही है तो वह खतरनाक है मैं समझता हूं यह अनुचित भी है।

> "इसी कारण मैंने अखिल असम छात्र संघ आई० पी० एफ० तथा कुछ खालिस्तान गुटों को पत्र भेजे हैं ताकि उन लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित हो सकें जो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते हैं।"

मैं समझता हूं कि श्री लालडेंगा बहुत अधिक उत्तेजित हो गये हैं, दुनिया की कोई ताकत तथा केन्द्र सरकार तक मिजोरम में चुनाव नहीं रोक सकती। सवाल केवल यह है कि चुनाव जल्दी होते हैं या उनको बेवजह टाला जाता है। और मुझे विश्वास है कि श्री लालडेंगा काफी लोकप्रिय हैं तथा उनका बहुत प्रभाव है। वह मिजोरम के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अत: उन्हें चुनावों से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिये। चुनाव जल्दी होने चाहियें वर्ना वह जो भी अब कह रहे हैं कि—"मिजो युवक हथियार नहीं उठाना चाहते परन्तु यदि केन्द्र ने उन्हें ऐसा करने के लिये उकसाया तो वे ऐसा कर सकते हैं। पहले ही ऐजाल में पोस्टर लगा दिए गए हैं।" यह बात जो कही गयी है, यह लालडेंगा ने कही है :

"ऐजाल के इस आशय के पोस्टर पहले ही लगाए जा चुके हैं कि श्री राजीव गांधी हमें पुन: विद्रोही बनने पर मजबूर न करो ! इसीलिये इतनी जल्दी पत्र भेजे हैं, आदि आदि।"

अत: महोदय, मेरा यह कहना है कि यह राजनीतिक प्रश्न भी है। यह केवल संविधान या कानून की बारीकी का ही सवाल नहीं है। निश्चय ही आप संविधान या कानून को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। परन्तु आखिरकार केन्द्र में जो सरकार है वह इतने विशाल देश की सरकार है जिसमें अनेक जातियों के, अनेक भाषाएं बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और जहां आदिवासी तथा दूसरे लोग रहते हैं। यह राजनीतिक सवाल है, यह केन्द्र सरकार की राजनीतिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा का है कि क्या उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे देश की पूर्वोत्तर सीमा पर बसे लोग हमसे अलगाव के मार्ग आएं या फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन लोगों को तुरन्त फिर से राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वह केवल गलत ही नहीं बल्कि बहुत गलत कार्य किया और बहुत ही खतरनाक कदम उठाया है।

मैं निवेदन करता हूं कि मिजोरम में जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने की घोषणा करके स्थिति को ठीक करें।

[हिन्दी]

श्री वीर सेन (खुर्जा) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान प्रजातंत्र के कुछ मौलिक सिद्धांतों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कोई भी सरकार अपने पद पर तभी तक रह सकती है, जब तक कि उसे सदन का विश्वास प्राप्त हो। मैं कहता हूं कि मिजोराम के मामले में कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिमण्डल है, उसका सदन में कोई विश्वास नहीं रह गया था। मैं तो यह मानने वाला हूं कि जो कन्वैंशन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी का है कि जब कभी भी किसी मंत्रिमण्डल या मुख्यमंत्री को अपने मन मे यह विश्वास हो जाए या एहसास हो कि उसका उसके ऊपर विश्वास नहीं रह गया है या सदन को विश्वास नहीं रह गया है, तो उसे एक क्षण भी अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए, तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मामले में जबकि इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि लालडेंगा को यह विश्वास हो गया था कि सदन में उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूं कि उस हालत में भी फिर कुर्सी को पकड़कर जमे रहना प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के सौलहों आने खिलाफ है। इस मामले में जहां एक तरफ उनको उनकी दृष्टि से और प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की दृष्टि से तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए था।

3.58 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

लेकिन उन्होंने इस बात की कोशिश की कि तिकड़म से या किसी और तरीके से सदन में विश्वास साबित करें और विश्वास साबित करने के लिए उन्होंने गिनती का हिसाब लगाया कि सदन में कितने मेम्बर रह सकते हैं और बाकी को सदस्यता से निकाल कर मैजोरिटी दिखा सकते है। इस तिकड़म का उन्होने इस्तेमाल किया। इन्द्रजीत साहब ने जिक्र किया, पता नहीं प्रेशर किसका पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि स्पीकर ने खुद-ब-खुद उन कदमों को उठाया, जो प्रोसीजर और प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, उनको न अपनाकर और फिर एन्टी-डिफैक्शन लॉ में कहीं किसी को ससपेंड करने की गुंजाइश नहीं है। यदि किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो हमारा जो लोकसभा का नियम है, जो स्पीकर को अपनाना चाहिए, उसमें जो स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पैटीशन जमा करनी पड़ेगी और उस पैटीशन के ऊपर जांच करनी पड़ेगी और अगर स्पीकर उपयुक्त समझे तो जिस तरीके से प्रिवलैज के ऊपर विचार किया जाता है, उस तरीके से कमेटी को सौंपा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रक्रिया मिजोराम के स्पीकर ने अख्तियार की।

4.00 म० प०

तो स्पीकर ने भी खुद-ब-खुद उन सिद्धान्तों की अवहेलना की है। उनको उन सिद्धान्तों को मानना चाहिए। स्पीकर का सबसे पहला फर्ज यह है कि वह सदन के अन्दर या उन प्रश्नों पर जिन पर स्पीकर की हैसियत से उसको निर्णय लेना है, किसी पक्षपात के मातहत वह कोई काम न करे। 16 आने उसको इम्पार्शल होने की जरूरत है और हमारे देश में ऐसी बहुत सी मिसालें भी हैं। उत्तर प्रदेश की एसेम्बली में जब यह प्रश्न उठा, पुरुषोत्तम दास टन्डन साहब के मौके पर यह प्रश्न उठा कि कोई मेम्बर जो स्पीकर हो जाए, वह पार्टी का मेम्बर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने घोषणा की कि सदन के अन्दर तो वे पूरे तरीके से निष्पक्ष रहेंगे और क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करना है, इसलिए सदन के बाहर मैं पार्टी में हूं। सदन के अन्दर मैं पार्टी में नहीं हूं। इस तरह की हमारी परम्परा रही है सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी, जहां पर स्पीकर को सदन के प्रश्नों के बारे में निर्णय करना हो, तो वहां पर वह पार्टीबन्दी में नहीं रहता। यह हमारे देश की परम्परा है और मैं समझता हूं कि इस परम्परा का उल्लंघन जघन्य तरीके से वहां के स्पीकर ने किया है।···(**व्यवधान**)·· मैं नाराजगी में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को कहता हूं कि सस्पेंड करने का अधिकार उनको नहीं था। सस्पेंड करने के पीछे नीयत यह थी कि जिस वक्त एसेम्बली बुलाई जाए, उस वक्त उन 8 व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार न रहे और उनको निकालने के बाद जो बाकी बच जाएं, वे उनको वोट दें और वह सत्ता में रहें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था।

[हिन्दी]

श्री बीर सेन : बुलाने की बात थी। मैं यह कहता हूं कि जब सस्पेंड करने का कोई विधान नहीं है, तो फिर कैसे सस्पेंड कर दिया। जाहिर है कि पक्षपात की दृष्टि से उन्होंने यह किया। मैं इस

बात का जिक्र करना बीच में भूल गया कि जब इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरे में या मेरे मंत्रिमण्डल में विश्वास नहीं है, तो फिर चाहे सदन बैठा हो या न बैठा हो, उस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की फिर मिसाल देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 14 सदस्यों को ले कर चौधरी चरण सिंह ने सन् 1967 में फ्लोर क्रोस किया। उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री श्री सी० बी० गुप्त थे। उन्होंने एक सैकेन्ड की देर नहीं लगाई और खड़े होकर हाऊस में यह कहा कि मेरा सदन में बहुमत नहीं रह गया है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद अहमद चौधरी (फरीदाबाद) : जैसा कि उन्होंने यह बात सदन में कही थी।

[हिन्दी]

श्री वीर सेन : उन्होंने सदन में यह कहा था। वे तिकड़म कर सकते थे और सदन को स्थगित करके अगले दिन अपनी मेजोरिटी दिखा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर सदन का विश्वास नहीं रह गया है और मेरा बहुमत नहीं रह गया है, इसलिए उसी क्षण उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें समझने-बूझने और किसी के साबित करने की जरूरत नहीं है। जब मन में यह हो जाए कि सदन का विश्वास नहीं रहा, तो उसी वक्त इस्तीफा देने की बात होनी चाहिए। चुपके से कोशिश करके, तिकड़म करके और स्पीकर के ऊपर दबाव डाल कर यह निर्णय कराया गया।

जहां तक इस बात का सवाल है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग है ऐसे मामले में, तो मैं समझता हूं कि जहां पर गवर्नर को या राष्ट्रपति को अपने स्व-विवेक से निर्णय करना है, तो वहां पर यह प्रश्न लागू नहीं होता है कि चीफ मिनिस्टर क्या एडवाइस करता है। वह हाऊस के डिस्सूलूशन की बात करता है या यह कहता है कि इतने वक्त तक सदन को चलाया जाए, उसको इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। वहां पर तो गवर्नर को अपने विवेक से काम लेना है और जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या कांस्टीट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, नाकामयाब हो गई चलने में, तो इस मामले में गवर्नर को कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उसको अन्य व्यक्ति या किसी और शक्ति से या आथेरिटी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि जैसा मुख्यमंत्री कहते उसके मुताबिक चलना था।

श्री शाहबुद्दीन साहब ने कह दिया कि बहुत जल्दी में फैसला हुआ। उन्होंने यह दलील दी कि जल्दबाजी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर वापस आ जाते तब तक इन्तजार करना था। डिप्टी स्पीकर तो अभी तक नहीं आये हैं। दो महीने तो उनको हो गये थे। वे अमेरिका में बीमार पड़े हैं। उनको वहां और समय लग सकता है। अगर उनके आने तक इस फैसले को स्थगित रखा जाता तो क्या यह ठीक होता। हो सकता है कि उनके वापस आने में और दो महीने का समय लग जाए। क्या अगर डिप्टी स्पीकर साल भर वापस लौट कर न आएं तो साल भर तक लाल डेंगा की सरकार को चलने दिया जाता ? मैं समझता हूं कि यह दलील जो शाहबुद्दीन साहब ने दी है बड़ी लचर दलील दी है। मैं समझता हूं कि वे खुद भी इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन चूंकि आरगुमेंट देना है, नुक्ताचीनी करनी है तो इस तरह की दलील भी दे दी गई।

[श्री वीर सैन]

जैसा कि कहा गया कि आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दे दी जाती। अगर आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दी जाती तो भी मुझे कोई शुबहा नहीं है कि उसकी भी यहां पर नुक्ताचीनी होती, उसके बारे में भी यहां शोर मचता। कह दिया जाता कि अपनी सरकार बना ली और उनकी सरकार तुड़वा दी। ऐसा किया तो मुसीबत, वैसा करते तो मुसीबत। आखिर में नुक्ताचीनी तो होनी ही थी। कुछ लोगों का तो यह हिसाब है जैसा कि कविता का एक अंश है—

पय ना पिये लगी पयोधर जोंक

जहां से दूध निकलता है, थन से, वहां लगा दिया तो वहां भी दूध पीने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चाहे अच्छा कीजिये, चाहे बुरा कीजिये, नुक्ताचीनी तो होनी ही है। फिर क्यों न सही रास्ता अपनाया जाए।

इसलिए जो यह प्रस्ताव आया है इसका उस पक्ष की ओर से तो विरोध होना ही था सो उन्होंने किया। सवाल यही है कि जो परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई उसमें कौन-सा सही कदम उठाया जा सकता था। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में व ं अधिक इन्तजार नहीं किया जा सकता था। असेम्बली को बुलाये जाने की परिस्थिति स्पीकर ने रहने ही नहीं दी जिससे कि असेम्बली में कोई सही निर्णय हो सकता। जो वहां हालात बन गये थे उनमें और कोई रास्ता नहीं रह गया था। वहां कांस्टीच्युशन के मुताबिक गवर्नर को मुख्यमंत्री द्वारा सलाह देने का कोई रास्ता रह ही नहीं गया था। यही रास्ता था जो कि वहां उठाया गया।

मिजोरम के लोगों की भी यह शिकायत थी कि उनकी मान-मर्यादा और एसपीरेशंज की हत्या हुई है। यह उनकी शिकायत सही थी। मैं तो कहता हूं कि लाल डेंगा ने वहां डिक्सटेरियल तरीके से, सामंतवादी तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से उन्हीं के लोगों ने विद्रोह किया। (**व्यवधान**, उन लोगों ने विद्रोह क्यों किया? उन्होंने डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों पर चलना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने यह महसूस किया कि साधारण जनता की एसपीरेशंज पूरी नहीं हो रही हैं तो उन्होंने विद्रोह किया। एक तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों का पालन किया। वे यह चाहते है कि वह सरकार हटा कर फिर से वहां एक सच्ची डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित हो जाए।

मुझे इस बात में कोई शुबहा नहीं है कि वहां जल्दी से जल्दी इलेक्शन होंगे और नई सरकार स्थापित होगी। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं कि वहां जल्दी इलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत मिजोरम में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी सांविधिक प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

प्रजातंत्र खतरे में है। हम देशवासी अपने अधिकारों के बारे में चिन्तित हैं। परन्तु हमें अपने कर्त्तव्यों से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि हमारा देश बिछड़ता जा रहा है। आप दूसरे विकासशील देशों के साथ तुलना कीजिए। स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद हमने कितनी सफलता पाई है? प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है और हमने काफी कुछ प्राप्त किया है। हमने कितना और क्या प्राप्त किया है, हमने कितनी प्रगति की है और हमने कोरिया, जो

एक छोटा सा देश है, जैसे देशों की तुलना में कितनी प्रगति की है ? हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। (व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए कि सभा में क्या चल रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं इस बात से बहुत चिन्तित हूं कि प्रजातंत्र खतरे में है। क्यों ? एक साथ चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। अब प्रजातंत्र है कहां ? पंजाब में राष्ट्रपति शासन है; तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन है; नागालैंड में राष्ट्रपति शासन है और मिजोरम में भी राष्ट्रपति शासन है। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : राष्ट्रपति शासन का मतलब है कांग्रेस का शासन।

श्री भद्रेश्वर तांती : यह सरकार पूर्णतया असफल रही है। अब प्रजातंत्र के नाम पर बहुत से समझौते किये गये हैं—पंजाब समझौता, श्रीलंका समझौता, मिजोरम समझौता जी० एन० एल० एफ० समझौता··· (व्यवधान)

गृह मंत्री : श्रीलंका में तो राष्ट्रपति शासन नहीं है। (व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं जानता हूं। जब आप अपने लोगों को ही काबू में नहीं रख सकते, जब आप अपने लोगों की ही देखभाल नहीं कर सकते तो आप दूसरे देशों के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया उन्हें बता दीजिए कि श्री लंका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। (व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के साथ त्रिपुरा समझौता किया गया है। उन्होंने प्रजातंत्र का खून कर दिया है। कोई प्रजातंत्र नहीं है।

श्री टी० बशीर : मेहरबानी करके हमें यह भी बता दीजिए कि ए०जी०पी० में क्या हो रहा है।

श्री भद्रेश्वर तांती : यह बात भी आपको मालूम है। यदि कोई बात है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। बोफोर्स के बारे में क्या हुआ ? पनडुब्बी सौदे के बारे में क्या हुआ ? इस देश के लोग बहुत चिन्तित हैं। (व्यवधान) देशवासियों को उनका जवाब क्या है ? 7% के सिवाय सब कुछ सच है। आप श्री हितेश्वर सैकिया का गुणगान कर रहे हैं। असम में प्रजातंत्र 1983 में बहाल किया गया था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सोनारी चुनाव क्षेत्र में सी० आर० पी० के जवानों ने एक अध्यापक को वोट डालने के लिए जबरदस्ती पकड़ लिया था। केवल एक वोट डाला गया था और उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। यह आपका प्रजातंत्र है। 1983 में हितेश्वर सैकिया के शासनकाल में असम में 600 निर्दोष लोग मारे गये थे और केन्द्र सरकार द्वारा उसे फिर भी 'राष्ट्रपुरुष' का सम्मान दिया गया। अन्ततः उसे राज्यपाल का पद दे दिया गया। अब वह मिजोरम के राज्यपाल है। देश के लोगों के प्रति, मामलों को निपटाने तथा देश की समस्याओं को निपटाने की आपकी यही कार्य प्रणाली है।

[श्री भद्रेश्वर तांती]

उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस वर्ष असम में 5 बार भीषण बाढ़ आई और बाद में पंजाब में भी बाढ़ आई और बिहार में भूकम्प आया। 80 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो गये हैं। सरकार दूसरे राज्यों के लिए जो कुछ करती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : यह पंजाब के दसवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि पंजाब में कितनी भीषण बाढ़ आई थी।

श्री भद्रेश्वर तांती : पंजाब के लोगों को 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। परन्तु असम के साथ सौतेला व्यवहार करके वहां के लोगों के विरुद्ध आपने ऐसा भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोण क्यों अपनाया है ? असम में लगभग 30 लोग मारे गये हैं 80 लाख लोग बेघर हो गये हैं और खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, पशु बह गये हैं, घर भी बह गये है। अब असम में आपको मानव जीवन की भयानक तस्वीर देखने को मिलेगी। आप असम के लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। केन्द्र सरकार के केवल 20 करोड़ रुपये दिये हैं और वह राशि भी अभी तक नहीं पहुची है। असम के लोगों के प्रति यह रवैया है। (व्यवधान) आपने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आपने पंजाब में विधान सभा को भंग कर दिया है। उसके बाद भी क्या आप वहां आतंकवादियों को काबू में कर सके ? वहां अभी तक निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं।

अब मैं मिजोरम राज्य के बारे में कहूंगा। स्वाधीनता के 40 वर्ष बाद भी आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां एक भी उद्योग नहीं लगाया गया है; किसी तरह का भी नहीं, वहां किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं। इन चालीस वर्षों में सत्ता में कौन थे ? जवाब होगा कि कांग्रेस सत्ता में थी। यद्यपि हमेशा आप ही सत्ता में थे, फिर भी आपने मिजोरम के लोगों को क्या दिया ?

अन्ततः आपने लालडेंगा के साथ समझौता कर के प्रजातंत्र को बहाल कर दिया। अब प्रजातंत्र को बहाल करने के बाद आपने वहां प्रजातंत्र का खून कर दिया है। आप दो दिन में मिजोरम नहीं पहुंच सकते। मिजोरम के लोगों को और देश के लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं प्रजातंत्र का यह मजा मिला है।

अब अध्यक्ष ने एक ऐसी कार्यवाही की है जो दल बदल विरोधी कानून में नहीं है। ठीक है। परन्तु श्री राजीव गांधी ने श्री ललथनमला को 24 घंटे के अन्दर वहां पहुंच कर सरकार बनाने का निर्देश दिया था। श्री ललथनमला वहां नहीं पहुंच सके जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई। सच यही है।

आप पागल घोड़े पर सवार हैं। अब समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए मामले की जड़ तक पहुंचने का समय आ गया है परन्तु महसूस कौन करेगा। अब शासन में कौन है ? यहां बैठे लोग मिजोरम को कैसे समझेंगे ? क्या एक पायलट महसूस कर सकता है ? एक कालाबाजारी करने वाला जिसको शासन का कोई अनुभव नहीं है, वह महसूस नहीं करेगा। एक कमीशन एजेन्ट महसूस नहीं करेगा। इस प्रकार कांग्रेस कैसे अस्तित्व में रह सकती है। वह बदनाम हो जायेगी। हम जो बात कहते हैं वह आप लोगों की समझ में नहीं आती है और जो बात आप कहते है उसे देशवासी नहीं चाहते।

अस्तित्व में बने रहने का आपके पास यह अन्तिम अवसर है। केन्द्र सरकार से लोग बहुत

असन्तुष्ट हैं। हाल ही में, भूकम्प आने के बाद प्रधानमंत्री ने सरसरी नजर से देखने के लिए हैलीकाप्टर से बिहार का दौरा किया। अत: वह कैसे महसूस कर सकते हैं कि कितने लोग बेघर हुए और भूकम्प से प्रभावित हुए। अत: यदि आप प्रजातन्त्र को बहाल करना चाहते हैं तो आपको इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आपको प्रजातन्त्र का सम्मान करना चाहिए। आप वहां जबरदस्ती सरकार नहीं चला सकते। आप नियमों तथा संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपने संविधान के तहत शपथ ली है। इस समय 65 मंत्रियों में से केवल 3 मंत्री सभा में उपस्थित हैं। देश की ज्वलंत समस्याओं को वे कैसे महसूस करेंगे? प्रतिदिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कि कई निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं परन्तु इसका श्री बूटासिंह के पास कोई जवाब नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) सभापति महोदय, मिजोरम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई राष्ट्रपति की घोषणा का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध क्यों करता हूं? आजकल यह महान देश आतंकवादी उग्रवादी तथा रुढ़िवादी विचारधारा के समर्थकों के हाथों गम्भीर खतरे का सामना कर रहा है। मेरे मन में यह आशंका है कि मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सरदार साहब के कदम ने आतंकवादी, उग्रवादी, रुढ़िवादी तथा मिजो नेशनल फ्रन्ट में गर्मदलीय ताकतों को और मजबूत बना दिया है। यही कारण है कि मैं अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं क्योंकि यह कदम इन ताकतों को और मजबूत बना सकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार को मिजोरम समझौते के लिए बधाई देता हूं। हालांकि यह समझौता काफी समय बाद हुआ। किन्तु समझौता पूरा करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा निर्वाचित लोगों को शासन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मिजोरम में स्थिति यह है कि वहां कोई मुख्य उद्योग नहीं है। हथकरघा और हस्तशिल्प तो कुटीर उद्योग हैं। चावल मिल, तेल और आटा मिल, मशीनीकृत बांस कर्मशाला (वर्कशाप), आरा मिल, ईंट निर्माण और फर्नीचर वर्कशाप लघु-उद्योग हैं। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के उद्योग गरीब लोगों को अधिक रोजगार प्रदान नहीं कर सकते। मैं मिजोरम गया था। मिजोरम में देश में उत्पादित अदरक के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसलिए हम मिजोरम के लोगों को एक निर्वाचित सरकार का अवसर दे सकते थे और उस सरकार को शासन करने का अवसर दे सकते थे ताकि वे भी अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें।

संघ-सरकार को भेजी गई राज्यपाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री सेकिया ने केन्द्र सरकार के शासन को न्यायोचित बताया। उन्होंने कहा कि स्थायी सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए न तो बहुत ही कम बहुमत वाली मिली-जुली सरकार ही सहायक होगी और न श्री लालडेंगा की सरकार को "जो अब अल्पसंख्यक हो गई है" जारी रखना ही उचित होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि "मुख्य मन्त्री को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया?" उसे यह अवसर दिया जाना चाहिए था। आपके माध्यम से मैं अपने विद्वान मित्र, गृह मंत्री जी, से अनुरोध करता हूं कि देश में कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे यह लगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा आपके लिए पार्टी हित अधिक प्रिय है। दुर्भाग्य से पंजाब, तमिलनाडु, नागालैण्ड और मिजोरम में राष्ट्रपति शासन के संबंध ऐसा किया जा रहा है।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 सीटों में से 24 सीट ली है। 40 सीटों में से 24 सीट लेने वाली सत्ता में आई ऐसी पार्टी को सदन में अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। बहुत बम्बे-अर्से के बाद लोग मुख्य-धारा से जुड़े थे। किन्तु वहां एक बार फिर अलग-थलग पड़ने की भावना ने जन्म ले लिया है। मैं गृह-मंत्री जी से वहां यथासंभव शीघ्र चुनाव कराने का अनुरोध करूंगा। उस राज्य में चुनावों में विलम्ब होने से केवल अव्यवस्था पैदा होगी, राज्य में गड़बड़ी फैलेगी और सम्पूर्ण मिजोरम में साधारण (नरमदल) व्यक्ति को कमजोर करेगी।

इन शब्दों और सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को मिजोरम में राष्ट्रपति शासन के विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। दुर्भाग्य से वाद-विवाद (चर्चा) आरंभ करने वाले नेताओं सहित अधिकतर विपक्षी नेताओं ने शासन करने वाली पार्टी को दोषी ठहराने का प्रयास किया है। विपक्ष की अब यह नीति बन गयी है कि यदि देश में कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए शासन करने वाली पार्टी को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, मैं वास्तव में इस प्रकार का व्यवधान पसन्द करता हूं। मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य अपने दिमाग पर जोर डालें और अपनी याद ताजा करने का प्रयास करें। श्री लालडेंगा को सत्ता में कौन लाया था? चुनावों के छह माह पूर्व ही तो कांग्रेस पार्टी ने श्री लालडेंगा के पक्ष में सत्ता का त्याग किया था। क्या उन्हें उस समय गद्दी पर नहीं बैठाया गया था जब वह न तो विधान सभा के सदस्य थे और न ही कुछ और थे? हम किसका हित देख रहे थे? क्या यह कांग्रेस पार्टी के हित में था या राष्ट्रीय हित में था? मैं विपक्ष के माननीय नेताओं से यह जानना चाहता हूं।

जब हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए तब हमें इस बात की पूरी जानकारी थी कि हम राष्ट्रीय एकता के लिए अति आवश्यक कार्य कर रहे हैं। हमने अपने राजनीतिक हितों को ताक पर रखा और हमने कहा: "यह वह नेता है जो पिछले दो दशकों से राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा है; हम उसे राष्ट्र की मुख्य-धारा में शामिल करना चाहते हैं।" हमने उसे अवसर दिया। राज्य में सभा में बहुमत के बल पर शासन करने वाले व्यक्ति ने अपना पद श्री लालडेंगा को सौंप दिया और स्वयं उसका सहायक बन गया। क्या यह राष्ट्रीय हित में नहीं था? ऐसा करना राष्ट्रीय हित में था। हमने छह महीने की लम्बी अवधि तक शासन किया और यदि हम अपना हित देखते तो हम उन दिनों भी शासन में बने रह सकते थे जब श्री लालडेंगा हमारे साथ अपने समझौते पर बातचीत कर रहा था किन्तु हमने उसे ही अवसर दिया। इस माननीय सदन को मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि श्री लालडेंगा ने हमें अभी तक इस प्रकार के राजनीतिक हितों के लिए दोषी नहीं ठहराया है। राज्यपाल के शासन के बारे में श्री लालडेंगा ने मिजोरम में यह कहा है कि यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। टिप्पणी करने का अधिकार हर नागरिक को है। किन्तु घटनाओं से पता चलता है कि केवल इस स्थिति का कारण बनने वाले तथ्यों को सूचीबद्ध करने वाली माननीय राज्यपाल की रिपोर्ट से ही नहीं, उसके लिए (राज्यपाल के लिए) मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करना क्यों आवश्यक हो गया था। श्री लालडेंगा लगभग दो वर्ष तक सत्ता में

बने रहे। छह माह सभा का सदस्य बनने से पूर्व और डेढ़-वर्ष उसके बाद। इन दो वर्षों के दौरान श्री लालडेंगा ने समझौते के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जो कि पूर्ण और शत-प्रतिशत ठीक था, केन्द्र सरकार को एक बार भी उसके साथ किसी भी प्रकार के पक्षपात की शिकायत नहीं की। मिजोरम समझौते के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार की ओर किसी प्रकार की चूक नहीं की गई। मैं सदन में इस बात का दावा करता हूं कि हमने राष्ट्रीय हित में मिजोरम में किए गए समझौते का निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन किया। इसलिए यह कहना कि समझौता किसी खास मकसद से प्रेरित था भी अत्यधिक अनुचित और गलत है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैं नहीं समझता कि समझौते को किसी भी व्यक्ति ने किसी खास मकसद से प्रेरित बताया हो। सभी ने समझौते का स्वागत किया था।

सरदार बूटा सिंह : हमारी कोई राजनीतिक प्रेरणा नहीं थी और जब मैंने यह सुना कि श्री लालडेंगा की सरकार डगमगा रही है तो मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ। मैंने श्री लालडेंगा से सम्पर्क किया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारी इच्छा आपको सत्ता में बनाए रखने की है क्योंकि उसे राष्ट्रीय हित में मिजोरम की जनता की आकांक्षाओं को आत्म सात करने के लिए नए मिजोरम के निर्माण में अभी कुछ और कार्य करने है। यदि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ती तो हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार थे। किन्तु दुर्भाग्य वश, श्री लालडेंगा ने किसी राजनीतिज्ञ की भांति अध्यक्ष को अलोकतांत्रिक ढंग से प्रभावित करना शुरू कर दिया। श्री लालडेंगा ने 30 अगस्त को प्रेस को उन आठ विधायकों के बारे में जानकारी दी। सर्वप्रथम, मैं उन आठ या नौं विधायकों की कल्पित कथा को स्पष्ट करता हूं। इलाज के लिए अमरीका गए उपाध्यक्ष ने अमरीका से वापिस आने के बाद प्रेस सम्मेलन बुलाया। उसने मिजोरम विधान सभा के उपाध्यक्ष के नाम पर उठाए गए लगभग सभी प्रश्नों को स्पष्ट किया। उसने साफ तौर पर यह कहा कि जाने से पूर्व उसने अपने परिवार को यह लिखकर दिया था कि "यदि ऐसा मौका आया, यदि आठ विधायकों ने श्री लालडेंडा की पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, तो मैं भी उनका साथ दूंगा" "आप उचित समय पर यह कागज प्रस्तुत कर सकते हैं।" जब इन लोगों ने उसकी पार्टी छोड़ दी उस समय उसने एक लम्बा टेलेक्स सन्देश कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि मिजोरम सरकार के सरकारी माध्यम से दिल्ली में भेजा और उसने स्वयं सम्पर्क अधिकारी से बात की। उसने सम्पर्क अधिकारी से यह अनुरोध किया कि यह टेलेक्स समुचित रूप से राज्यपाल, अध्यक्ष और मुख्य मंत्री के नाम भेजा जाना चाहिए। यह सारी सूचना रिकार्ड कर ली गई। इसे उचित माध्यम द्वारा भेजा था। बाद में जब वह भारत आए तो उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, "मैंने ही यह सब कदम उठाए हैं।" और उसने अपने कारण बताए हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्ता यहां उपस्थिति नहीं है। वह इसके बारे में जानना चाहते थे। मेरे मित्र श्री शाहबुद्दीन भी यहां उपस्थित नहीं हैं। वह सभा में स्थिति के तथ्यों और जानकारी के बिना अपनी वाकपटुता के बारे में जाने जाते हैं। दुर्भाग्य से इस मामले में उन्होंने तथ्यों की अपनी गहरी जानकारी के साथ धोखा किया है। उन्होंने इसकी उस पृष्ठ-भूमि में जाना उचित नहीं समझा जिसमे यह सारी स्थिति विकसित हुई। श्री लालडेंगा के अनुयायियों को तोड़ने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया यहां तक कि आज तक श्री लालडेंगा ने भी यह आरोप नहीं लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने इन 8 विधायकों को बहकाया है। अभी तक श्री लालडेंगा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हो सकता है मेरे मित्र की बुरी संगति में आकर मेरा कोई साथी श्री लालडेंगा ऐसा को वक्तव्य देने के लिए प्रभावित कर ले। कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्तु आज की तारीख तक श्री लालडेंगा सहित

[सरदार बूटा सिंह]

किसी भी व्यक्ति ने यह आरोप नहीं लगाया है कि 8 विधायकों को उससे तोड़ने का कार्य किसी राजनीतिक पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने किया है।

श्री लालडेंगा ने अपने डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक अपने शासनकाल के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जो उसके दुर्भाग्य का कारण बनी। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि श्री लालडेंगा ने कार्यालय में आने से पूर्व ही यह निर्णय ले लिया था कि वे शराब के बिक्री लाइसेंसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस एक निर्णय के कारण वह अपने कुछ साथियों सहित शेष पार्टी या शेष मिजोरम समाज से अलग हो गया जब उसने मिजोरम में शराब के बिक्री लाइसेंस की पद्धति को लागू किया तो लोगों ने उसके इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वस्तुतः मेरे पास उसके कुछ निर्णयों पर लोगों के मतों (दृष्टिकोण) की लम्बी सूची है जो इतने अलोकप्रिय हो गए कि उसके कट्टर अनुयायी व निकट के साथी भी उसे छोड़कर चले गए। उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनसे उसकी अपनी पार्टी के उस निर्णय के विपरीत गंध आने लगी जिन्हें मिजोरम में अपने घोषणा-पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित किया था। इसके बाद कुछ अधिनियम ऐसे थे। मैं वहां हो रही कुछ ऐसी घटनाओं का बखान नहीं करना चाहता क्योंकि हम श्री लालडेंगा की छवि नहीं बिगाड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि उस प्रवृति के लोग हमारे राष्ट्र की नैसर्गिक प्रतिभा में अपने उच्च विचारों का योगदान दे। इसलिए मैं अब भी उन तथ्यों को प्रकाश में नहीं लाना चाहता जो इस प्रवृति को बढ़ावा दें किन्तु वास्तविकता यह है कि बहुत बड़ा वर्ग, उसकी पार्टी का लगभग एक तिहाई भाग उसे इसलिए छोड़कर चला गया क्योंकि उन लोगों के नीति, कुछ निश्चित कार्यों, शासन करने के ढंग और इसी प्रकार कुछ अन्य बातों पर मूलभूत मतभेद थे। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद 19 स्थानीय दैनिक पत्रों में से 17 स्थानीय पत्रों ने राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया। 17 समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति शासन के पक्ष में लिखा। श्री शाहबुद्दीन जी इससे यह ध्वनित होता है कि जनता राष्ट्रपति शासन में खुश है क्योंकि अपने डेढ़ वर्ष के शासन काल में श्री लालडेंगा जनता के स्वपनों को पूरा नहीं कर सका या अपनी घोषित नीतियों से विचलित हो गया।

मिजोराम के सबसे बड़े संगठन जो कि वहां के बुजर्गों का संगठन है उसने श्री लालडेंगा के विरुद्ध अपना मत दिया है और उन्होंने उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसलिए जो वस्तुस्थिति बनी हैं उसमें कांग्रेस पार्टी या इस सम्बन्ध में किसी और राजनैतिक पार्टी ने लालडेंगा को सत्ता से हटाने में कोई भूमिका अदा नहीं की है।

अब कहा जाता है कि श्री लालडेंगा ने कुछ वक्तव्य दिये हैं जिसका कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री रामूवालिया ने उल्लेख किया है। जब श्री लालडेंगा ने दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री से मिलने के बाद प्रेस को जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने मिजोराम से उनके नाम पर कही गई सभी बातों का खंडन किया है। उस समय मैं यहां नहीं था। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त की है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह समझौते के मुद्दों के प्रति वचनबद्ध हैं और भारत के वफादार नागरिक के रूप में वह अपनी भूमिका भारत के संविधान को ध्यान में रखकर अदा करेंगे। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। यही वह मुद्दा था जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता था।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने दो-तीन मुद्दों के प्रति आपत्ति व्यक्त की है। एक आपत्ति

यह है कि मुख्य मंत्री को विधानसभा की बैठक बुलाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। सच्चाई यह है कि 31 अगस्त को अध्यक्ष ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि जिन 8 सदस्यों ने श्री लालडेंगा के प्रति समर्थन वापिस ले लिया है उन्हें अयोग्य ठहराया जायेगा और पहला कदम यह होगा कि उन्हें निलम्बित किया जायेगा। अब किसी ने यह प्रश्न उठाया है कि राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्णय की ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न क्यों लगाया है और राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्णय के विपरीत कार्यवाही क्यों की जबकि इन मामलों में राज्यपाल को कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं इस पुनीत सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वह उसके प्रति वचनबद्ध हैं। राज्यपाल शपथ लेते समय यह कहते हैं कि यदि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तोड़ा-मरोड़ा जाता है तो मैं अपनी पूरी योग्यता से भारत के संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा।

अध्यक्ष को यह अधिकार किसने दिया ? सिर्फ दल-बदल का कानून उन्हें यह अधिकार देता है इसके आगे उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष का सदस्यों पर नियंत्रण सिर्फ इसी कानून के जरिए है। इसके आगे यह राज्यपाल का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह संविधान का संरक्षण और रक्षा करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं। मैं संवैधानिक मामलों का पंडित नहीं हूं और श्री चटर्जी यहां मौजूद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं आपका पदोकाशा करने का ही इंतजार कर रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : मैं आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानने का इंतजार कर रहा हूं कि राज्यपाल को अध्यक्ष के ऊपर अधिकार कैसे है। मुझे यह तरीका मालूम होने दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : इसके दो तरीके है एक तमिलनाडु विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने दर्शाया था। हालांकि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला था तब भी उन्होंने कहा कि उन्होंने टेलिफोन पर सुना कि अमुक व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सोमनाथ जी क्या यह संवैधानिक है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सवाल यह नहीं है। एक बहुत ही रोचक प्रश्न उठाया गया है। मैं यहां किसी अध्यक्ष के कार्य का समर्थन करने के लिए नहीं आया हूं। मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल को अध्यक्ष के कार्य या उसकी वैधता पर निर्णय करने का अधिकार है ? यही बात है।

सरदार बूटा सिंह : मैं वकील नहीं हूं। मैं साधारण व्यक्ति हूं। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार आपके कानून में एक चीज है जिसे "सच्चाई" कहते हैं। और सच्चाई यह है कि यदि अध्यक्ष अपने दिमाग में कुछ ऐसा करने की सोच लेता है जैसा की तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने किया उस स्थिति में आप क्या करेंगे ? तमिलनाडु में सभी राजनैतिक दल जिसमें द्रविड मुन्नेत्र कड़गम भी शामिल है राज्यपाल के पास गए···(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : हमने एक संवैधानिक संशोधन किया था जिसके द्वारा हमने अध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार दिया था और एक विशिष्ट प्रावधान बनाया था कि अध्यक्ष के अधिकार को किसी के द्वारा, जिनमें राज्यपाल भी शामिल है, चुनौती नहीं दी जा सकती।···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जी हां यह अधिकार देते समय हमने कुछ मानदण्ड भी रखे थे। क्या यह सही नहीं है ? अध्यक्ष नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसे कानून के प्रावधानों के अनुसार चलना होगा। वह कानून के प्रावधानों को ताक पर नहीं रख सकता यह अधिनियम में दिया गया है। नियमों को लागू करते समय अध्यक्ष को नियमों का पालन करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप परेशानियों को बढ़ाते हैं। आप राज्यपालों का उपयोग इस प्रकार कर रहें हैं जिससे हमारी संस्थाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। यही समस्या है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यहां तक की दल-बदल के कानून के अन्तर्गत भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : यदि अध्यक्ष नियमों का पालन नहीं करें तो संवैधानिक तरीका क्या है ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष ने पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है। मुख्य मन्त्री ने प्रेस को यह बता दिया कि यह आठ विधायक निलम्बित हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री बसदेव आचार्य : क्या यह राज्यपाल का कार्य है ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मुझे अभी यह जानना बाकी है कि मिजोरम में अध्यक्ष ने क्या किया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इससे राज्यपाल किस तरह संबंधित है ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जब यह समस्या राज्यपाल के सामने रखी गई तो यह राज्यपाल (व्यवधान) सदन के क्षेत्र में यह अध्यक्ष का।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

सरदार बूटा सिंह : इस मामले में अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि वह विधायक निलम्बित किए जाए। राजनैतिक रूप से इसका मतलब यह होता है कि सदन की कुल संख्या 40 से घटकर 32 हो जाती है। यही खेल है। 32 में श्री लालडेंगा द्वारा बहुमत साबित कर दिया जाता। (व्यवधान) मुझे अफसोस है कि दल-बदल कानून में इस गणित का कोई स्थान नहीं है। आप पहले विधानसभा को छोटा करके और फिर इसकी घोषणा नहीं करते कि अमुक लोग बहुमत में हैं। इसे कौन रोकेगा ? क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसे रोकेगी ? क्या असम गण परिषद इसे रोकेगी ? इसलिए यह लोकतन्त्र की हत्या है जिससे की संवैधानिक अध्यक्ष जो कि राज्यपाल है, ही बचा सकता है।

जब विधायक अध्यक्ष के पास गए और यह कहा "महोदय यह सब हो रहा है और हमने दूसरे दल के साथ समझौता कर लिया है। हम बहुमत में है। हमारी संख्या इस समय 22 है। इसलिए हम बहुमत में है।" राज्यपाल ने उनकी बात सुनी। राज्यपाल ने अध्यक्ष से पूछा और अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि वह इन लोगों को निलम्बित करने जा रहे हैं। मुख्य मन्त्री किस तरह इस तरीके के

षड्यन्त्रकारी खेल में शामिल हो सकते हैं जिसमें संविधान तथा लोकतांत्रिक रूप से स्थापित राज्य की विधानसभा किसी काम की नहीं रह जाती। उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती। इसलिए मुख्यमन्त्री के लिए यह सही नहीं था कि सदन की बैठक बुलायें जहां वह बहुमत साबित कर सकते थे जैसाकि तमिलनाडु में हुआ। विधानसभा के अन्दर अध्यक्ष एक-एक करके सदस्यों को बाहर निकालने लगे जिससे कि एक व्यक्ति के लिए बहुमत साबित हो सकें। क्या यह अध्यक्ष के अधिकारों का सही उपयोग है ? यदि सही उपयोग है तो मैं यह विपक्ष पर छोड़ता हूं।...

श्री दिनेश गोस्वामी : दल-बदल विरोधी कानून अब मात्र कानून नहीं है यह एक संवैधानिक कानून है क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन के जरिए लाया गया है। यह संविधान का एक अंग है और संविधान कहता है कि अध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार कि वह इस बात का निर्णय करे कि क्या किसी सदस्य ने दल बदल की हरकत की है और उसका शक्ति अन्तिम है और उसे किसी और के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। दरअसल मैंने इस सदन से यह अनुरोध किया था कि यह अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अब संविधान कहता है कि अध्यक्ष को यह अधिकार है और यह अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई सदस्य दल-बदल का दोषी है या नहीं। जब यह अधिकार अध्यक्ष के पास है तो क्या राज्यपाल यह कह सकते हैं कि अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है और उस वक्त यह भी कहें कि वह संविधान की रक्षा कर रहें हैं क्योंकि जिस क्षण वह अध्यक्ष के कार्यकलाप की जांच करते हैं तो वह संविधान के प्रति ली गई शपथ का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वह संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : उनके अधिकार नियमों के अन्तर्गत हैं। ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह नियम क्या हैं। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : मिजोराम का अपना दल-बदल विरोधी कानून है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ये इस देश के गृह मन्त्री हैं। उन्हें संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कैसी व्यवस्था है ? यह देश की अव्यवस्था है। (व्यवधान)

मैं इसे नहीं समझ सका। परन्तु श्री बूटा सिंह को इस प्रकार का उत्तर देने की बजाय इस मुद्दे से बचना चाहिए था। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मुझे वास्तव में बहुत खेद है। आज माननीय सदस्य राजनैतिक व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं...

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, अधिनियम स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करता है कि दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय की कार्यवाही, सदन में उनकी कार्यवाही के समान ही है और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हमने विशेष रूप से अनुच्छेद का भी उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय को अन्तिम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इस बारे में कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। यदि

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उस पर महाअभियोग लगाने के लिए एक उपबन्ध है परन्तु अध्यक्ष महोदय पर महा अभियोग लगाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। केवल यह उपबन्ध है कि सदन को उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अतः जहां तक दल-बदल विरोधी अनिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का सम्बन्ध है; संविधान ने उसे पूर्ण अधिकार दिए हुए हैं। अतः एक राज्यपाल अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष महोदय की कार्यवाही पर निर्णय देने का अधिकार कहां है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि यदि लोकसभा अध्यक्ष दल-बदल के बारे में कोई निर्णय लेता है तो क्या भारत का राष्ट्रपति उसे रद्द कर सकता है अथवा उसके बारे में निर्णय ले सकता है। इस बारे में मैं माननीय गृहमन्त्री से जानना चाहूंगा···(व्यवधान) क्या भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने के तर्क पर, अध्यक्ष महोदय के निर्णय को रद्द कर सकता हैं और दल-बदल सम्बन्धी मामलों के बारे में अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर टिप्पणी कर सकता है ? हमें यह जानना चाहिए। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं आरम्भ में ही इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि कानून में ही एक प्रक्रिया, एक ऐसा उपबन्ध है, जिसका अध्यक्ष महोदय अथवा जो कोई भी व्यक्ति उस कानून को लागू करता है, उसे उस प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस बारे में कौन निर्णय करेगा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात का निर्णय कौन करेगा कि उस उपबन्ध का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं यह मुद्दा है।

सरदार बूटा सिंह : यहां संकट यह था कि नौ विधायक अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप में यह अनुरोध देने के बाद कि वे सत्तारूढ़ दल से बाहर निकल चुके हैं और सत्तारूढ़ दल अल्पमत में रह गया है, राज्यपाल महोदय के पास पहुंचे। क्या स्थिति का पता लगाना राज्यपाल का कर्त्तव्य नहीं है ? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कैसे ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह पता लगाना राज्यपाल का कर्तव्य है। विधायक राज्यपाल के पास गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। (व्यवधान) मैं यहां कानून के मुद्दे पर बहस में शामिल नहीं होना चाहता परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि दल के एक-तिहाई सदस्यों के दल छोड़ने के बाद राज्यपाल के पास जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और राज्यपाल ने अपने निर्णय में इस वास्तविकता के आधार पर कि अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वे उन्हें अयोग्य घोषित करने जा रहे थे··· राज्यपाल महोदय ने यह अनुभव किया कि कानून प्रक्रिया का राजनीतिकरण होने जा रहा था। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया। (व्यवधान) इसलिए जब दल के एक-तिहाई सदस्य उसके पास पहुंचे तो यह उसका अधिकार है कि वह कुछ निर्णय ले। इस मामले में उन्होंने भारत के संविधान के अनुसार निर्णय लिया और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी यह प्रश्न उठाया था कि क्या राज्यपाल ने विधानसभा को तुरन्त निलम्बित करने की सिफारिश की थी ? क्या सरकार ने इस विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है। यह बात राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में आती है कि वह राज्यपाल की सिफारिशों को स्वीकार करता है अथवा सम्पूर्ण राष्ट्रीय हित में विधान सभा को निलम्बित अथवा भंग करता है—भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने में सक्षम हैं। इस बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा को तुरन्त निलम्बित करने से निश्चित रूप से ···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि··· (व्यवधान) राष्ट्रपति के निर्णय को भी चुनौती दी जा सकती है यदि वह निर्णय सदाशयता पूर्ण नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जब राज्यपाल की सिफारिशों में परिवर्तन किया गया और राष्ट्रपति ने स्वयं यह निर्णय लिया कि किसी विशेष राज्य की विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए अथवा निलम्बित किया जाना चाहिए। (व्यवधान) अतः यह निर्णय लेना कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति का एक सवैधानिक अधिकार है। (व्यवधान) और उन्होंने उस सवैधानिक अधिकार का उपयोग किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त चुनावों के बारे में भी जानना चाहते थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा ··· (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : क्या राज्यपाल, अध्यक्ष की स्थिति को अनधिकृत रूप से ग्रहण कर सकता है ? हम उनसे एक स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

सरदार बूटा सिंह : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

चुनावों के बारे में, हम राष्ट्रपति शासन को आवश्यकता से एक दिन भी अधिक जारी रखने में रुचि नहीं रखते हैं। इस बारे में राज्यपाल महोदय निर्णय लेंगे। मार्च 1989 में समाप्त होने वाले राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की इस समय हमें कोई इच्छा नहीं है। हमें आशा है कि वहां एक ऐसी स्थिति विकसित होगी जिसमें चुनाव कराये जा सकें। श्री लालडेंगा स्वतन्त्र होंगे। आपके दल स्वतन्त्र होंगे। आप वहां जाइए और चुनाव लड़िये। हम किसी व्यक्ति को रोकने नहीं जा रहे हैं। मिजोरम के लोग यह निर्णय लेंगे कि मिजोरम में मतदान करके सत्ता किसे सौंपनी है। इसलिए हम यहां मिजोरम के लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए हैं जो काफी संघर्ष के बाद बाहर आये हैं और वे राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। भारत सरकार मिजोरम में राष्ट्रीय एकता को शक्ति शाली बनाने के सभी प्रयास करेगी। हम सभी दलों को समान अवसर देंगे, जिनमें सदन के विरोधी पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के दल भी शामिल हैं।

जब श्री लालडेंगा सत्ता में थे तो बहुत से विरोधी दल उन्हें अपना मित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। वे उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। (व्यवधान) हम इन लोगों की गतिविधियों के बारे में गम्भीर रूप से चिन्तित हैं। क्योंकि उनका समर्थन प्राप्त नहीं हो सका इसलिए वे अब उनके प्रति सहानुभूति जताने का प्रयास कर रहे हैं वे श्री लालडेंगा को एक हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है कि इसी सदन में जब समझौते पर चर्चा की गई थी तो कितने विरोधी नेताओं का रवैया

इस बारे में हमारे प्रति कटु था कि हमने ऐसा क्यों किया था। अब मुझे पता लगा है कि वे श्री लालडेंगा के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं उनकी भलाई की कामना करता हूं। जब मिजोरम के लोग अपनी सरकार का चुनाव करके राष्ट्रीय एकता का समर्थन करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस सम्माननीय सदन से यह सिफारिश करता हूं कि इस प्रस्ताव को बहुमत द्वारा पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मिजोरम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

4.57 म० प०

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उदघोषणा को और आगे लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उदघोषणा को 11 नवम्बर, 1988 से छह माह की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसी कि सदन को जानकारी है पंजाब में तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल की सिफारिश पर 11 मई, 1987 को उदघोषणा की गई थी। राज्य की विधान सभा जिसे आरम्भ में निलम्बित रखा गया था, को राज्यपाल की सिफारिश पर 6 मार्च 1988 को भंग कर दिया गया है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उदघोषणा के मसले पर लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति 12-5-1987 को ले ली गई थी।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बराबर खराब थी इसलिए 11-11-1987 और पुन: 11-5-1988 को राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह की और अवधि के लिए जारी रखने के लिए संसद की अनुमति ली गई थी। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10-11-1988 को समाप्त होने को है।

पंजाब के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित अपनी 24 अक्तूबर 1988 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि राज्य में आतंकवाद की स्थिति को काबू में रखा गया है यद्यपि इन दिनों न खालिस्तान के नारे सुनाई देते हैं और न ही खालिस्तान के पोस्टर दिखाई देते हैं और पंजाब के लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया है जैसा कि 21 सितम्बर और 13 अक्तूबर 1988 को प्रधानमंत्री महोदय के पंजाब के दो दौरों के समय लोगों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है, फिर भी आतंकवादी

हत्याओं के कारण गम्भीर चिन्ता और उत्सुकता जारी है और अन्य बातों के अलावा हमारी सीमाओं के पार रहने वाले कुछ लोगों द्वारा इन हत्याओं को प्रेरणा और सहायता देना जारी है।

राज्यपाल ने आगे रिपोर्ट दी है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान आसूचना विभाग को भारी पैमाने पर कड़ा किया गया है और उसने प्रभावशाली तथा सन्तोषजनक परिणाम देने आरम्भ कर दिए हैं। अब विशेष कार्यवाही की जा रही है और विशेष रूप से अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर के सीमावर्ती जिलों में बाकी बचे हुए खतरनाक आतंकवादियों, कट्टरपंथियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ दृढ़ता और पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ने के लिए नये दमनकारी प्रयास आरम्भ किए गए हैं।

5.00 म० प०

राज्यपाल ने आगे कहा है कि दिसम्बर 1987 के अन्त में यह सोचा गया था कि आतंकवादियों द्वारा हत्याओं में कमी हो गई है इसलिए राजनैतिक वातावरण सामान्य बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और इसलिए कुछ नेताओं को इस उम्मीद पर रिहा किया गया था कि वे न सिर्फ राष्ट्र विरोध तथा आतंकवाद और खालिस्तान की धारणा के विरुद्ध आवाज उठाएंगे बल्कि विखंडन, गड़बड़ी करने तथा एकता समाप्त करने वाली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। दुर्भाग्य से इस संबंध में उम्मीदें मिथ्या साबित हुई, जैसा कि विभिन्न जिलों में उनके द्वारा दिए गए भाषणों से प्रदर्शित होता है और इससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। राष्ट्र विरोधी आतंकवादियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जनता में निन्दा तथा थाना स्तर पर पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप के उनके प्रयासों से भी हमारे सुरक्षा बलों का उत्साह कम हुआ। इसका असर यह हुआ कि आतंकवादियों की गतिविधियों तथा हत्याओं में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। फिर भी आपरेशन 'ब्लैक थंडर' और कड़े प्रशासनिक उपायों के सफल कार्यान्वयन के कारण जून 1988 के बाद हत्याओं में कमी होती गई।

राज्यपाल ने आगे बताया है कि पंजाब में वर्तमान स्थिति किसी विधानसभा चुनाव के लिए न तो अनुकूल है और न ही सहायक है। राज्यपाल यह महसूस करते हैं कि इस समय पंजाब की राजनैतिक स्थिति ऐसी है कि यदि अब चुनाव करवाए भी जाएं तो वहां एक स्थिर सरकार बनाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का मुद्दा भी काफी चिन्ता का विषय है और राज्य में आतंकवाद और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए सीमा पार से खतरा अभी भी है।

राज्यपाल ने कहा है कि जैसी स्थिति इस समय है एक मजबूत और प्रतिबद्ध प्रशासन की जरूरत है जो कि वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र तथा राज्य सरकार की निष्ठा तथा संयुक्त नियंत्रण के द्वारा पूर्ण सहयोग तथा तालमेल के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रपति शासन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल ने सिफारिश की है कि 11 मई, 1987 की उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1988 से छः महिने के लिए और बढ़ा दिया जाए।

राज्य में व्यापत स्थिति को देखते हुए तथा सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि पंजाब में राष्ट्रपति का शासन 11-11-1988 से और छः महीने के लिए जारी रखा जाए। संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत ऐसी अनुमति दी जा सकती है। यदि इसे स्वीकृति दे दी जाती है तो यदि पहले ही समाप्त न कर दिया जाए तो राष्ट्रपति शासन 10-5-1989 तक जारी रहेगा।

मेरे द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति की दृष्टि से मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह प्रारम्भ में मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था उसे स्वीकृत करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1988 से छह मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरु) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने छः महीने और पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का हमसे अनुरोध किया है, हालांकि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने इस आशा से लागू किया था कि पंजाब में स्थिति सुधरेगी और बरनाला सरकार के समय से बेहतर होगी। दुर्भाग्य से अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। इसके विपरीत स्थिति और खराब होती जा रही है।

देश की हर अवस्था में सहायता करने के लिए हमें अवश्य ही पंजाब के लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। चाहे यह रक्षा हो या कृषि हो अथवा उद्योग हो उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें उनके साथ और अधिक कारगर और निष्कपट व्यवहार कर उनमें ऐसा विश्वास पैदा करना चाहिए जिससे वह यह समझें कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो पंजाब के सिखों के विरुद्ध हो, क्योंकि हिन्दू और सिखों दोनों को साथ-साथ मिलकर रहना चाहिए। संभवतः हम यह भावना उत्पन्न करने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि कमी कहां पर है। पाकिस्तानी सीमा से हुई गड़बड़ी के कारण स्थिति से वास्तव में हमें कठिनाई हो रही है। वे लोगों को, जो इस देश में तस्करी करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे भी पता लगता है कि हमारी सीमाओं पर कैसी स्थिति है और हम उनकी सुरक्षा में कितने सफल हैं। सिर्फ विभिन्न प्रकार के उपकरणों की ही तस्करी नहीं हो रही है बल्कि राकेट भी आ रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसको रोकना चाहिए। जिस तरह से राकेट तस्करी के माध्यम से सीमा के अन्दर आ रहे हैं और उपकरण आदि हमारे देश में आ रहे हैं उससे न सिर्फ पंजाब ही प्रभावित होगा बल्कि बाकी देश भी प्रभावित होगा। देस के अन्य भागों में भी आतंकवादी सक्रिय होने लगे हैं। संभवतः यही उनकी प्रेरणा का मुख्य प्रेरणा स्रोत है तथा यही उनकी शक्ति का मुख्य आधार है।

यदि सरकार महसूस करती है कि वास्तव में उसके पास पंजाब समस्या सुलझाने के लिए साहस तथा शक्ति है तो उसे यह कर देना चाहिए। पिछले 18 महीनों में क्या हुआ है ? मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 1986 में 79 आतंकवादी मरे, 1987 में 330 से अधिक आतंकवादी मरे तथा 198 में 178 से अधिक आतंकवादी मरे हैं। अब दूसरे पहलू को देखें। आतंकवादियों ने 1986 में 400 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या की; 1987 में 1000 से अधिक तथा 1988 में जून महीने तक उन्होंने 1700 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या की है।

पंजाब समस्या सुलझाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां सरकार को अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। हर व्यक्ति की पंजाब में रुचि है। सभी विपक्षी पार्टियां पंजाब में शान्ति स्थापित करने के पक्ष में हैं। यह सौहार्दपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वास्तव में समस्या कहां है। विपक्षी दलों द्वारा पूर्ण समर्थन तथा सहयोग के बावजूद सरकार अभी तक इस समस्या को नहीं सुलझा सकी

है। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है; पंजाब समझौता अथवा अन्य पहलुओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ है अथवा लोगों में विश्वास नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है।

स्थिति और अधिक खराब होने से आपके लिए चुनाव कराना कठिन हो जाएगा। हम सभा यह जानते हैं और ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। यहीं पर हमें यह देखना है कि क्या हमारे पास लोगों से निपटने के लिए शक्ति और साहस है और क्या हम उनमें विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें इस निष्कर्ष पर ला सकते हैं कि हम इस समस्या को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। हमें कुछ समर्थन चाहिए तथा हम आपसे एक वादा चाहते हैं। बार-बार हर छः महीने बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए कहना उचित नहीं है। आपको कुछ सुधार का सबूत देना चाहिए। हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सकें कि हम इस प्रकार प्रगति कर रहे है। बरनाला सरकार और उसके बाद की स्थिति में क्या अन्तर है? सभी कठिनाइयों के बावजूद पंजाब के लोग खाद्यान्न और औद्योगिक वस्तुओं का शांतिपूर्वक उत्पादन कर रहे हैं। पंजाब के लोगों में अत्यधिक शक्ति है और वे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार पंजाब समस्या से प्रभावी रूप में निपटने में असमर्थ है।

5.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यही हमारे पड़ौसी देश में भी हुआ है। श्रीलंका की समस्या भी उचित तरीके से हल नहीं हो सकी है। इससे यही प्रतीत होता है कि हल ढूंढ़ने के तरीके में, लोगों से निपटने में कुछ कमी है। यह एक मुख्य समस्या है जिसका कोई भी हल पाने में हम असमर्थ हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के तरीके की जरुरत है। मैं नहीं समझता कि पंजाब के राज्यपाल मामले को सुलझाने और स्थिति में सुधार लाने में सफल होंगे, यदि नहीं तो क्या कोई और व्यक्ति स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए और लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए वहां जा सकता है। यह तो सरकार को देखना है कि वह इसे किस प्रकार कर सकती है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बताएं कि हम इसमें किस प्रकार सुधार ला सकते हैं और पिछले अठारह महीनों में क्या प्रगति हुई है। आपने यह कहा है कि आपने कुछ सीमा सील की है। यह कार्य यथासंभव प्रभावी रूप से तथा शीघ्रता से करने की जरूरत है ताकि हथियारों की तस्करी कम हो सके, जो कि खतरनाक बात है। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वे बाहर से इस देश में आने वाले हथियारों को पकड़ने में सफल रहे हैं। आतंकवादी इसका लाभ उठाएंगे तथा और अधिक समस्याएं उत्पन्न करेंगे।

मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस समस्या से यथा शीघ्र निपटेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्या का शान्तिपूर्ण तरीके से समाधान हो जाए। मुझे आशा है कि आप इस संबंध में कुछ करेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

के लिए माननीय गृह मन्त्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इससे पहले कि मैं मुख्य मुद्दे पर आऊं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री रमैय्या ने अपने भाषण में कहा है कि वे यह नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या गलती। गड़बड़ी है तथा उन्होंने गृह मन्त्री महोदय से मामले की छानबीन करने के लिए तथा यह देखने के लिए अनुरोध किया है कि पाकिस्तान से शस्त्र तथा आतंकवादी न आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। यही करण है कि हम यह उद्घोषणा करने जा रहे हैं।

जहां तक पंजाब के लोगों के विश्वास का संबंध है मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि पंजाब के लोग पहले से कहीं अधिक उत्पादन कर रहे हैं। वे लोग वहां की स्थिति से प्रभावित नहीं हैं। वे लोग देशभक्त हैं। उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पूरी तरह से ज्ञान है तथा वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि निर्दोष लोगों को आतंकवादियों के हाथों से बचाने के लिए ही हम यह उद्घोषणा करने जा रहे हैं।

आज भी स्थिति वही हैं जैसी पिछली बार उद्घोषणा किए जाने के समय थी। स्थिति बदली नहीं है। जैसा कि श्री रमैय्या ने आंकड़े दिए हैं यह अभी भी एक विक्षुब्ध राज्य है। आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर आक्रमण करना अभी भी जारी है। अब उन्होंने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। अब वे सघन आबादी वाले क्षेत्रों पर बम गिरा रहे हैं। अमृतसर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्ण मन्दिर के पास मुख्य शहर में जहां घनी आबादी है बम फेंका गया तथा करीब 50 से 60 तक लोग मारे गए। आज सुबह भी अपने अवश्य ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि उन्होंने पठानकोट में बम रख दिए जिससे निर्दोष लोग मारे गए।

अत: इस स्थिति में जबकि आतंकवादियों द्वारा हमले जारी हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। सरकार के सामने और क्या विकल्प है? निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की उद्घोषणा करनी पड़ेगी, इस प्रकार की स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, क्योंकि कानून व व्यवस्था सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। तथा यदि वह अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती है तो उसे इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। दूसरे, क्या आतंकवादियों ने अपना रवैया बदला है? क्या उन्होंने अपना उद्देश्य छोड़ दिया है? क्या वे लोग उस बात के लिए नहीं लड़ रहे हैं जिससे हम सब आपके तथा मेरे सहित हम सब लोग सहमत नहीं हैं? वे पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। क्या इस मुद्दे पर हम सब एक साथ नहीं हैं? यदि ऐसा है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना आवश्यक है क्योंकि आतंकवादी अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वे निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं वे ऐसा वातावरण बना रहे है, जिसमें लोग कोई हिस्सा नहीं ले सकते। यदि वे देश तथा जनता के साथ मिलकर रहना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। श्री लालडेंगा जैसे व्यक्ति भी मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। लेकिन वे लोग मुख्यधारा में नहीं मिलना चाहते। विपक्ष के लोग इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी ऐसा करने का प्रयास करता है उसे सरकारिया या सरकार का ऐजेन्ट कहा जाता है। यही कारण है कोई भी विपक्षी नेता उनसे बात करने का प्रयास नहीं कर रहा है कि कहीं उसे सरकारिया न घोषित कर दिया जाए। लेकिन वे अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस देश में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह दूसरा कारण

है जिसकी बजह से हम राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं।

तीसरे जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें कोई विदेशी हाथ है ; शुरूआत में हमारे कुछ मित्र इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और हमारी हंसी उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि हम साबित करें कि इसमें कोई विदेशी हाथ है। लेकिन मेरा विचार है कि अब हम सब इस मसले पर एक है कि पाकिस्तान कोई चाल चल रहा है। 'ब्लैक थंडर" के अन्तर्गत जो लोग स्वर्ण मन्दिर से गिरफ्तार किए गए उन्होंने अब ब्यान दिए हैं, आंकड़े बताए हैं तथा उन्होंने वास्तविकता बताई है। उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान में अमुक-अमुक स्थानों पर ऐसे कैम्प है जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था तथा उनके नेता अमुक-अमुक है। उन्होंने उन लोगों के नाम तक बताए हैं। जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया। हमें ऐसी बहुत सी जानकारी मिली है जिससे यह साबित होता है कि पंजाब की वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ अपने पथभ्रष्ट युवक इस कार्य में लगे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान सक्रिय रहता है। हमें एक ऐसी मजबूत सरकार की आवश्यकता है जो स्थिति के साथ दृढ़ता से निपट सके।

जनरल जिया की मृत्यु के बाद हमने सोचा था कि शायद पाकिस्तान की नीति में परिवर्तन होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह बताया गया था कि वे सब आतंकवादी जो पाकिस्तान में प्रशिक्षण पा रहे है। वापिस भारत भेज दिए गए हैं। लेकिन यह खबर झूठी थी। उनका वहां जाना ; वहां पशिक्षण पाना; वहां से हथियार प्राप्त करना जारी है। केवल यही नहीं पाकिस्तान ने अपनी यह कार्यवाही जम्मू व काश्मीर में भी शुरू कर दी है। यह जानकारी हम सबको है। पिछले महीने समाचार पत्रों में यह खबर थी कि कुछ घुसपैठिए जम्मू व काश्मीर में आए हैं तथा अब आपने देखा होगा कि हैं वहां वे आतंक फैला रहे हैं। अतः पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियां न केवल पंजाब अपितु जम्मू व काश्मीर तक बढ़ा दी है। अतः हमें इन लोगों से निपटने के लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है।

कई बार हमारे विपक्षी मित्र यह कहते हैं कि हम जो कुछ भी कहते हैं उसका गलत अर्थ लगाया जाता है अथवा गलत प्रचार किया जाता है। मैं आपको श्री रोडे का उदाहरण देता हूं। जब श्री रोड़े स्वर्ण मन्दिर जा रहे थे हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका तथा उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने उनसे कहा कि वे स्वर्ण मन्दिर में जा सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं; तथा वापिस आ सकते है, पर वे वहां ठहर नहीं सकते हैं। उन्होंने उनसे कहा था कि वे उन्हें वहां पर ठहरने की इजाजत नहीं दे सकते अथवा उन्हें कुछ भी करने या अपनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकते। इसका बहुत ही गलत अर्थ लगाया गया तथा कहा गया था कि सरकार श्री रोड़े को प्रोत्साहन द रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम जिस किसी के साथ भी बात करते हैं जिस किसी से भी विचार विमर्श करते हैं वे उसे **सरकारिया** या सरकार का एजेन्ट कहते हैं। अतः परिणाम यह हुआ है कि ऐसा कोई नहीं है जो वहां जाए तथा वर्तमान स्थिति पर बात करे। जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है तथा हमने सूचना भी दी थी कि श्री रोड़े बहुत से लोगों तथा हथियारों के साथ स्वर्ण मन्दिर जा रहे थे। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि वे स्वर्ण मन्दिर को मुक्त कराने जा रहे थे। उन्होंने घोषणा की तथा स्वर्ण मन्दिर की ओर चल पड़े। अतः उन्हें रोका गया। हमने पाया कि उनके साथ सिर्फ 80 लोग थे, हजारों नहीं जैसी कि उन्होंने घोषणा की थी। इससे क्या पता चलता है कि लोगों ने उन्हें

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

स्वीकार नहीं किया है। जिस यात्रा में उन्होंने घोषणा की थी कि हजारों लोग उनके साथ हैं उन्हें केवल 80 लोगों का साथ मिल सका था। फिर वे अचानक वापिस आए, हथियार घोड़े तथा उन्हें वापिस जाने के लिए कहा गया। अब वे चाहते क्या हैं? क्या हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें, जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों को गोलीमार दी जाए? वे चाहते थे कि हमारे सुरक्षा बल उनसे मुकाबला करें। क्या यह गृह मन्त्री महोदय की एक सफल नीति नहीं थी कि झगड़ने लड़ने की बजाय हमने उनके हथियार ले लिए उनसे प्रार्थना कर वापिस जाने के लिए कहा? अन्यथा "ब्लैक थंडर" के बाद हमने जो वातावरण तैयार किया था वह समाप्त हो जाता। अत: यह आलोचना सही नहीं है गलत है। हम यह साबित करने में सफल हो गए हैं कि उनको कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। वे जो काम करना चाहते थे हमने उन्हें वह काम करने की अनुमति नहीं दी·····(**व्यवधान**)।

[**हिन्दी**]

श्री तेजा सिंह बर्दी (भटिंडा) : सौ फीसदी मिले हुए हैं गवर्नमैंट नाल···

[**अनुवाद**]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : नहीं नहीं, आपको उत्तर मिलना चाहिए। चूंकि मामला आपने उठाया है, आपको उत्तर मिलना चाहिए। उन्हें अकाल तख्त का प्रमुख कब बनाया गया? कौन उन्हें सरोपा देने गया? अकाल तख्त के नेता सरोपा देने वहां गये। तीन वर्षों से श्री बादल एवं अन्य अकाली नेता स्वर्ण मन्दिर नहीं गये थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। वहां उग्रवादी रह रहे थे तथा जब श्री रोड़े को अकाल तख्त का प्रमुख बनाया गया, ये सभी नेतागण स्वर्ण मन्दिर उन्हें सरोपा देने गए तथा वहां उन्होंने भाषण दिये। (**व्यवधान**)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, मुझे उकसाया जा रहा है। वह बहुत ठीक-ठीक बोल रहे थे। श्री भाटिया, आप इस ओर क्यों जा रहे हैं? मुझे यह कहना है, कि आप सभी अकालियों का नाम न लें, बल्कि यह बताये कि कौन से अकाली थे?

[**हिन्दी**]

श्री तेजा सिंह बर्दी : यह ड्रामा बहुत हो गया, हुण इसको बन्द करा दो।

[**अनुवाद**]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने यह समस्या है कि यदि मैं एक वर्ग का नाम लूं तो वे कहेंगे कि कांग्रेस अकाली दल का विभाजन कर रही है। इसलिए मैं अकाली नेता कह रहा हूं। केवल यह ही नहीं। अब हम स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश करने वाले हैं।

आपरेशन थंडर से पहले अकालियों ने फिर कहा था कि वे स्वर्ण मंदिर में जायेंगे। किसको बचाने? उन उग्रवादियों को बचाने के लिये "जोकि पंजाब में गड़बड़ी तथा आतंक फैला रहे हैं? आपने वहां जाने का फैसला किया था तथा श्री बादल ने कहा था, कि मैं वहां 5000 लोगों को ले जा रहा हूं।"

जब श्री बादल को गिरफ्तार किया गया तथा वहां जाने से रोका गया तब श्री तलबंडी ने अपने को भी गिरफ्तार करवाया तथा उनके साथ गये। क्यों ?

अत: मैं कहना चाहता हूं कि हम पर यह आरोप न लगायें कि कुछ लोग हमारे एजेंट हैं। यह आपकी दिमागी उपज है क्योंकि पंजाब में अकाली असमंजस में हैं। उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है। उनका समर्थन करना है कि नहीं, यह सब आपकी अपनी उपज है। जब भी कोई उग्रवादी मारा जाता था, तो भोग की रस्म होती थी तथा यह नेता वहां जाते थे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं कहता हूं कि वे सभी लोग न कहें। वह बातों को अपने ढंग से बदल रहे हैं। हम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम इसका विरोध करते हैं तथा इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा कहना अन्यायपूर्ण है। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मैं अकाली दल का प्रभावशाली वर्ग कहूं।...(व्यवधान) मैं उस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं प्रधानमन्त्री का आभारी हूं कि उन्होंने आपरेशन ब्लैक थण्डर जैसे कदम उठाकर स्वर्ण मन्दिर में स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया है। स्वर्ण मन्दिर में एक भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ। हथियार बरामद किए गए तथा लोगों की आत्म समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया गया। जब वे मन्दिर में थे, तब उन्हें वीर पुरुष कहा जाता था और जब उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया तब उनको सरकार का एजेंट बताया गया। श्री बादल उन लोगों को छुड़ाने के लिए 500 लोगों का जत्था लेकर अमृतसर जाने वाले थे परन्तु जब उन्होंने देखा कि वह लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि यह लोग सरकार के आदमी हैं। महोदय, सदन को तथा लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी क्या राजनीति है तथा वह लोग पंजाब में क्या कर रहे हैं। मैं अपने अकाली मित्रों से विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि जिस दिन वे अपने आप में स्पष्ट हो जाएंगे। आप भी वही करेंगे जो पंजाब में कांग्रेस तथा अन्य दल कर रहे हैं। तब पंजाब की स्थिति से निपट लिया जायेगा। आप उग्रवादियों की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। अत: पंजाब के लोगों के मन में यह धारणा बन गयी है कि उन्होंने स्थिति को समझ लिया है। हिन्दू तथा सिक्ख में कोई अन्तर नहीं है। बहुत से स्थानों पर सिक्खों ने हिन्दुओं को बचाया है। उदाहरणार्थ जैसे होशियारपुर में जब उग्रवादी गये तथा हिन्दुओं पर हमला किया, तब सिक्खों ने उन्हें बचाने की कोशिश की उग्रवादियों ने हिन्दुओं तथा सिक्खों को अलग होने को कहा तो सिक्खों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "हम पहले मरेंगे तब तुम उन्हें मार सकते हो।"

दूसरे, महोदय, लुधियाना में जब उग्रवादी हमारे महामन्त्री श्री आर्य को मारने आये तब उनके मित्र अर्जुन सिंह उनके साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, "पहले तुम मुझे मारो, तब श्री आर्य को मारना।" अत: परिणाम यह हैं कि पंजाब के लोगों में कोई फूट नहीं है। पंजाब के लोग धर्म निरपेक्ष हैं और वह इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उग्रवादी क्या कर रहे हैं। वह अपने काम में लगे हुए हैं, तथा वह अच्छे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष अच्छा अनाज होगा। तथा पिछले सालों से अच्छा होगा, क्योंकि पंजाबियों ने उग्रवादियों को पूरी तरह अलग-अलग कर दिया है, उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। जहां तक लोगों का सवाल है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : क्रॉप अच्छी किसान की मेहनत से होती है, आपके भाषण से नहीं होती है। किसान हमेशा मेहनत करता है।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : नहीं, हिन्दुओं व सिक्खों में कोई भेदभाव नहीं है, यह मैं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : देखिए, हम देश को पंजाब से अलग करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे लोग भी मारे गए हैं। बल्कि हमारे लोग ज्यादा मारे गए हैं। हमारे बड़े-बड़े नेता भी मारे गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब में कभी आओ, देखो, पंजाब में क्या हो रहा है। यहां बैठकर भाषण देना तो और बात है।

[अनुवाद]

और आप पंजाब की बात कर रहे हैं ? पंजाबी लोग धर्म निरपेक्ष हैं। पंजाबियों ने पहले बहुत त्याग किये हैं। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध सीमा की रक्षा की है तथा आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं। 400 कांग्रेस जन, मेरे दल के नेता उग्रवादियों द्वारा मारे गए हैं। परन्तु हम उग्रवादियों से पंजाब की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। और मैं यह कह दूं कि कोई भी पंजाबियों को तथा हिन्दुओं व सिक्खों को नहीं बांट सकता है। हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम एक हैं। हम पंजाब की रक्षा करेंगे तथा भारत की रक्षा करेंगे और हम यह उद्घोषणा इसलिए करना चाहते हैं कि हम सब उग्रवादियों से लड़े तथा उनका मुकाबला करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में हमारे लोग भी बहुत संख्या में मारे गए हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी अपना भाषण दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लगातार बातें क्यों कर रहे हैं ?

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : जंगा रेड्डी जी, बी० जे० पी० को चाहिए कि यह जो हिन्दू और सिख की यूनिटी है, यह बनी रहे। आपके भाषणों से यह हिन्दू-सिख एकता टूटती है। इसलिए आप अपने भाषण बन्द करो। पंजाब में हिन्दू और सिख एक होकर लड़ रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने भाषण बन्द करें।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : भारतीय जनता पार्टी केवल प्रस्ताव पारित कर रही है तथा केवल विरोध पत्र भेज रही है, परन्तु वह अन्य राजनीतिक दलों के साथ उग्रवादियों से लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अब फिर हमारे समक्ष पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव है। अतः यह तीसरी बार हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने से अब तक पंजाब की स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है। मैं तो कहूंगा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना सरकार की बहुत बड़ी भूल थी। फिर जब आपने यह किया तब आपके वे सभी दावे कि पंजाब समस्या को दलीय हितों से ऊपर उठकर देखना चाहिए, बेकार हो गए। आपने विपक्षी दलों तथा उन लोगों से सलाह लिए बिना जो उग्रवादियों से लड़ रहे हैं बरनाला सरकार को भंग करने का महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिया। अतः यह एक और अदूरदर्शित पूर्ण निर्णय था। आपके पास चुनी हुयी सरकार के साथ मिलकर उग्रवादियों से लड़ने का मौका था। परन्तु उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। राजनीतिक निर्णय भी लिए जा सकते थे, परन्तु आपने उसपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हर बार आप प्रशासनिक कदमों पर निर्भर रहते हैं। हर समय आप पंजाब समस्या को कानून एवं व्यवस्था की ससस्या समझते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो आपके सामने यही एक मात्र समस्या थी, क्योंकि एक महीने में 79 लोगों को मार दिया गया था। देश में बहुत से लोगों की इन आंकड़ों से गुमराह किया गया था। उन्होंने सोचा कि इतनी अधिक हत्यायें हो रही हैं। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पंजाब में प्रशासन सख्त हो जायेगा। उसके बाद कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी आंकड़े क्या कहते हैं ? मेरे पास आंकड़े हैं। अकाली दल सरकार के 19 महीने 12 दिन के कार्यकाल में 789 लोग मारे गये थे तथा 15 महीने व 15 दिन के राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में 2164 लोग मारे गये हैं। सामान्यतः कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से क्या यह सुधार है ? अकसर पंजाब के राज्यपाल व प्रधानमन्त्री द्वारा यह कहा जाता है कि पंजाब में स्थिति में सुधार हो रहा है। यह आप किस आधार पर यह कह सकते हैं ? इसके लिए सबूत क्या है ? मंत्री महोदय द्वारा दिये गए वक्तव्य में यह दावा किया गया है कि कुछ बातों में रोकथाम हुई है। परन्तु उन्होंने यह भी माना है कि वहां स्थिति बहुत गम्भीर है।

पंजाब समस्या के समाधान के लिए वास्तविक रुख अथवा हल क्या है ? मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों को पंजाब की स्थिति को गम्भीरता से लेना चाहिए। हमें पंजाब के हितों को भुला कर अपने तुच्छ राजनीतिक हितों के लिए झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित है। हमें उग्रवादियों से लड़ने में बफादार रहना चाहिए तथा उग्रवादियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए जैसाकि श्री भाटिया ने कहा था। उन्होंने कहा था, "कि जो भी उग्रवादियों से बातचीत करता है, वह "सरकारी" कहलाता है।" ऐसे उग्रवादियों से क्या बात करनी है, जोकि इतने लोगों की हत्या कर चुके हैं; तथा जिनको सीमा पार से भड़काया जा रहा है। क्या आप इस भ्रम में हैं कि उग्रवादियों से बातचीत करके पंजाब समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें लोगों को क्रियाशील बनाना होगा। यदि आपको यह भ्रम है कि उग्रवादियों से बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है तो यह सही नहीं है। लोगों से बातचीत करने की बात मेरी समझ में आती है। परन्तु सरकार जिस ढंग से सोच रही है, मुझे विश्वास है कि यह पंजाब समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी-कभी प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि पंजाब के बारे में बातचीत करने के लिए कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है ? किससे बात करनी है ? अनेक राजनीतिक दल इस समस्या से जूझ रहे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। एक निर्णय लिया गया था कि लोगों के पास संयुक्त रूप से जाया जाए। परन्तु उसको बेकार कर दिया गया। इसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस सब के लिए हमें लोगों का विश्वास चाहिए तथा लोगों से सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कार्य हम महीनों से छोड़े हुए हैं।

हमारा जरूरत से ज्यादा प्रशासनिक समाधान पर निर्भर रहना, बेकार साबित हुआ है। इस बीच कुछ बातें हो गयी हैं। इस राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल के दौरान हमने देखा है कि पुलिस बल उग्रवादियों के पीछे पड़ी है। यह अच्छा है। हम इसके बारे में बहुत खुश हैं। किसी दिन 19 आतंकवादी मारे गये। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें मालूम हुआ कि कल ही उन्होंने पठानकोट में 34 लोगों की हत्यायें कीं। यह नहीं मालूम पड़ता कि क्या हो रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद मुझे हैरानी हो रही है कि पंजाब में कोई सरकार है भी या नहीं। क्या केन्द्र में हमारी कोई सरकार है ? पंजाब में तीन वर्ष के लिए आपके पास राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उपबन्ध है। क्या आपको विश्वास है कि तीन वर्षों में आप समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं ? क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? नहीं आप पुनः संविधान में संशोधन करेंगे तथा उन कानूनों का सहारा लेंगे जिन्हें हम काला कानून कहते हैं। यह विचार बड़ा नुकसानदायक है।

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने पंजाब का दौरा किया और कुछ घोषणायें कीं। कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी तथा कुछ धन दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि राजनैतिक समर्थन के बिना ये सब चीजें निरर्थक होंगी। मैं पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं। इस वर्ष वे अधिक पैदावार करेंगे। इस बात के लिए उनकी वास्तव में प्रशंसा की जानी चाहिए कि उत्तेजनाओं के बावजूद भी वे एकजुट रहे। श्री आर. एल. भाटिया ने होशियारपुर और लुधियाना जैसे क्या उदाहरण दिये हैं।

पंजाब के लोगों द्वारा यह कहना वे अलग नहीं होंगे। चाहे उन्हें मार दिया जाए तथा चाहे उन्हें अन्य समुदायों से अलग करने के प्रयास किए जायें फिर भी यह पजाब की जनता का वास्तव में एक साहसिक कार्य है। एकता की इस भावना के बावजूद सरकार पंजाब मे आतंकवाद समाप्त करने में असफल क्यों रही है ? जोकि बहुत आवश्यक है। मुझे यह नहीं मालूम कि इस सच्चाई का कौन खंडन कर सकता है कि उन्हें सीमा से लगे देशों से सहायता मिल रही है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारे देश को कौन अस्थिर कर रहा हैं। वे कौन है ? वे साम्राज्यवादी हैं। हम सब यह जानते है। हमें पश्चिमी शक्तियों की भूमिका का पता है। जब पंजाब में अस्थिरता पैदा करने तथा पजाब के लोगों में फूट डालने के प्रयास किये जा रहे हैं तो सरकार ऐसे नाजुक क्षेत्र में आर्थिक विकास के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनी को पेप्सीकोला परियोजना शुरू करने की अनुमति क्यों दे रही है ? यह नासमझी है कि यदि सरकार अमेरिका सरकार के दबाव में पेप्सीकोल. परियोजना शुरू करने को अनुमति दे दे तो यह उससे आतंकवादियों को सहायता न देने के लिए कह सकती है। पिछला अनुभव क्या है ? पेप्सीकोला एक कुख्यात कम्पनी है। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। 1973 में चिली में इसकी क्या भूमिका थी ? इसका कार्य आलंदे को देश से बाहर निकालना और मारना था। सरकार को यह मालूम है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री सन्तोष मोहन देव मुस्करा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें मुस्कराना नहीं चाहिए।

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : उनकी रूस में कम्पनियां है उनकी कौन परवाह करता है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : रूस में हमारी तरह अस्थिरता की समस्या नही है। मैं रूस में उनके द्वारा की जाने वाली सौदेवाजी और ठेकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हू। यदि सरकार क्षेत्र की नाजुकता और साम्राज्यवाद की चाल समझती है तो वह उस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी को अनुमति कैसे दे रही है? मैं गृहमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि पेप्सीकोला के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड केंडल ने यह स्वीकार किया है कि चील में उन्होंने रिचर्ड निक्सन और पेप्सीकोला को बोतल बंद करने वाले व्यक्ति के बीच बैठक की तथा इस बैठक के अन्त से आलंदे को गिराने का अभियान शुरू हो गया। मरक्यूरिओ समाचार-पत्र का मालिक भी पेप्सीकोला की बोतल भरने वाला अगस्टू एडवार्ड था जिसने आलंदे के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण कार्य किया।

उसके कार्य को बहुत से लोगों तथा खाद्य एवं कृषि संगठन जैसे बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संगठनों को पता है जिन्होंने पेप्सीकोला जैसी परियोजना शुरू करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी। लोकतत्र तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए हमने भी चेतावनी दी थी कि सरकार को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त इससे स्वदेशी निर्माताओं को भी समस्यायें होंगी परन्तु मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजनैतिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताइये यदि सरकार का ऐसा रवैया है तो लोग इसे क्या समझेंगे ? हमारे देश को विभाजित करने के

[श्री संफुद्दीन चौधरी]

लिए सीमा पार से साम्राज्यवादी एजेंसियां आतंकवादियों की सहायता कर रही हैं और सरकार इस परियोजना को शुरू करने की अनुमति दे रही है। यह एक दूसरे के विपरीत है। आपको सभा में स्पष्ट करना पड़ेगा। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पंजाब में पश्चिमी शक्तियां तथा साम्राज्यवादी शामिल हैं। सरकार ने इस मामले पर विदेशी सरकार के साथ किस ढंग से विचार-विमर्श किया? हमें मालूम है कि बहुत से देशों के साथ कई समझौते हुए हैं। हमारे मंत्री उन देशों में जाते हैं जिनमें आतंकवादी शरण लेते हैं तथा बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। कौनसी ठोस कार्यवाही की गई है? उसे भी इस सभा में स्पष्ट किया जाना चाहिए। उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। सरकार का कहना है कि उसने खुफिया एजेंसियों को सख्त कर दिया है। आतंकवादी कार्यवाही पूरी होने से पूर्व खुफिया एजेंसियां कितने मामलों में सूचनायें एकत्रित करने में सफल रही हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है।

स्वर्ण मंदिर में श्री रोडे के प्रवेश के बारे में श्री भाटिया ने कहा कि लोगों ने उसे गलत समझा था। उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मैं भी गलत समझ सकता हूं। परन्तु पुलिस महानिरीक्षक श्री चमन लाल ने इसे गलत कैसे समझा? आप कूटनीति की बातें कर रहे हैं। परन्तु उच्च अधिकारियों की एकता बनाए रखने के लिए आपको कूटनीतिज्ञ होना चाहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: नीति कौन बनाता है? सरकार या पुलिस अधिकारी? **(व्यवधान)**

श्री संफुद्दीन चौधरी: मुझे नहीं मालूम। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: यदि कोई मतभेद था तो उन्हें उच्च अधिकारियों को बताना चाहिए था। **(व्यवधान)**

श्री संफुद्दीन चौधरी: प्रत्येक व्यक्ति इसका विरोध करता है। स्वर्ण मन्दिर में श्री रोडे के प्रवेश का मैं भी विरोध करता हूं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा महसूस करता है। हम समझते हैं कि स्वर्ण मन्दिर में श्री रोडे का प्रवेश करने का मतलब ब्लैक थंडर आपरेशन की उपलब्धियों को बिगाड़ना है। इस पर प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्रिया करेगा। किस को मालूम होगा कि आप के साथ यह समझौता हुआ था कि वह 80 लोगों के साथ जायेंगे **(व्यवधान)** सुरक्षा कर्मचारी उनके हथियार ले लेंगे। कोई नहीं जानता है। महानिरीक्षक को यह मालूम होना चाहिए था। आप कैसा प्रशासन चला रहे थे।

मुझे यह नहीं मालूम कि श्री राय क्या कर रहे हैं? उनके बारे में आपकी बहुत सी अच्छी राये हैं। हो सकता है इस बीच कुछ हुआ हो। इन सब बातों पर मुझे आपत्ति नहीं है। परन्तु श्री गुह

मन्त्री जी क्या आपको एक बात मालूम है कि एक, दो या पाँच या छः महीने पहले पंजाब की समस्या के समाधान के लिए वह जी-जान से लगे हुए थे। परन्तु आपको मालूम है कि कुछ अन्य मामलों में उन्होंने कितनी रुचि ली है। वह पश्चिमी बंगाल के नेताओं को दिल्ली बुलाते हैं और पश्चिमी बंगाल के राजनैतिक मामलों के बारे में बैठक करते हैं? **(व्यवधान)**। क्या यह पंजाब के साथ विश्वासघात नहीं है? **(व्यवधान)** श्री गनी खां चौधरी ने उनसे कहा था कि वे पंजाब में अपने काम पर ध्यान दें। **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : मुझे मालूम है कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अफवाहों में कभी विश्वास नहीं करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार की बातों से आपने वहां जो प्रशासनिक चुस्ती कायम की है उसमें पुनः शिथिलता आयेगी **(व्यवधान)** उस पर मुझे कड़ी आपत्ति होगी। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। वे ऐसा विशेषतः पंजाब जैसे नाजुक राज्य में नहीं कर सकते।

सरदार बूटा सिंह : मैं श्री राय के सम्बन्ध में इस तरह की बातों का खण्डन कर सकता हूं। यह राज्यपाल के विरुद्ध एक निन्दनीय कार्यवाही है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने खण्डन नहीं किया है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे खुशी है कि वह समझते हैं कि राज्यपाल को इस प्रकार का काम करना बहुत बुरी बात है। इससे उस पद पर लांछन लगता है। **(व्यवधान)**

फिर भी मैं सभा का अधिक समय नहीं ले रहा हूं। हमने अनेक बार कहा है कि यह मुख्यतः राजनैतिक प्रश्न है इसलिए इसे राजनैतिक रूप से हल किया जाये तथा सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप यह कैसे करेंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि आपने श्री रोडे को रिहा कर दिया है। मुझे यह नहीं मालूम पड़ता कि आप श्री रोडे से निपट रहे हैं या आतंकवादियों से या उनके कुछ वर्गों से निपट रहे हैं। मुझे उस पहलू के बारे में मालूम नहीं है। परन्तु यह आत्म-घात होगा। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। आप श्री रोडे को रिहा कर सकते हैं परन्तु उचित जांच के बाद भी जोधपुर जेल के निर्दोष बन्दियों को रिहा नहीं कर सकते हैं···**(व्यवधान)** आपने उनमें से कुछ को रिहा कर दिया परन्तु अन्य बहुत से जेल में हैं। आप 1984 के दंगों के उन दोषी व्यक्तियों को दण्ड क्यों नहीं देते जिनके नाम मिश्र आयोग की रिपोर्ट में हैं? मुझे यह नहीं मालूम कि यह कैसा शासन है? समझौते के बारे में क्या हो रहा है? समझौते के बारे में आपने कितनी बार दोहराया है? क्या आपको याद है कि श्री राजीव गांधी और श्री लोंगवाल के बीच एक समझौता हुआ था? क्या आपको वह याद है?

आपने कहा था कि चण्डीगढ़ पंजाब को देंगे। आप इसे कैसे देंगे? क्या आप एक राज्य के लिए दूसरी राजधानी बना रहे हैं? कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। प्रत्येक काम पहले की तरह हो रहा है। इस प्रकार की निष्क्रियता···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह: क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप श्री देवीलाल को समझायें जोकि आपके करीब हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी: मुझे श्री देवीलाल की चिन्ता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप समझौता लागू करें इसके लिए हमने आपको समर्थन दिया है। श्री देवीलाल ने आपको अपना समर्थन नहीं दिया है। हमने आपको अपना समर्थन दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंसकुरा): इतने समय में श्री बंसीलालजी को समझाया जा सकता था। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी: एक बात की बहुत जरूरत है। यह देखते हुए कि अभी आप एक साल तक रहेंगे और आप अनेक काले कानून बना सकते हैं परन्तु इससे पंजाब की समस्या हल नहीं होगी। मेरे विचार से यह सम्भव नहीं कि आप सही राजनैतिक तरीका अपनायें और जनता का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करें। मैं श्री भाटिया से सहमत हूं कि पंजाब के लोग धर्म निरपेक्ष तथा देशभक्त हैं यह उन्होंने सैकड़ों उत्तेजनाओं के बावजूद सिद्ध कर दिया है। वहां सभी लड़ रहे हैं और अपना खून बहा रहे हैं। पर्याप्त संख्या में लोग अपना खून बहा रहे हैं और देश की एकता बनाए हुए हैं। ढिलाई पंजाब तथा देश की एकता सौहार्दता एकता और देश भक्ति की भावना को नष्ट मत करिये। सही राजनैतिक कदम उठाइये। अभी अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। मैं यह कह सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसका समर्थन इसलिए भी जरूरी है कि पंजाब की समस्या चुनाव को करा देने के बाद भी, और अकाली सरकार की स्थापना हो जाने के बाद भी, सुधरने की जगह पर बिगड़ी ही थी। यह कहना गलत है कि बरनाला सरकार को जब बर्खास्त किया गया था तो विरोधी दलों से पूछा नहीं गया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि विरोधी दलों ने उस समय पंजाब की समस्या को हल करने के लिए कौन से सुझाव, कौन से कार्यक्रम, कौन सी नीति और कौन से दृष्टिकोण उपस्थित किये थे? हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बार-बार इस बात को सामने रखा कि विरोधी दल अगर कोई दृष्टिकोण रखें, अगर कोई रचनात्मक सुझाव दें तो वे उसको मानने के लिए तैयार हैं। प्रधान मन्त्री जी ने सद्भावना की जो राजनीति शुरू की है अपने नेतृत्व में, उसके बाद बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही कारगर समाधान प्रस्तुत किए हैं और पंजाब में भी उन्होंने इस नीति को छोड़ा नहीं है। लगातार विभिन्न मित्रों के सहयोग, सुझाव और सद्भावना

के साथ जब-जब यह कहा गया कि अमुक को छोड़ दिया जाए, अमुक नेता को छोड़ दिया जाए या अमुक काम कर दिया जाए तो वे काम प्रधान मन्त्री जी ने किये। गृह मन्त्री जी ने उन सारी नीतियों को लागू किया जोकि पंजाब की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक थीं। परन्तु क्या यह बात पूछने की है कि जब बरनाला सरकार थी तो बरनाला सरकार के दो-तीन मिनिस्टरों के नाम बराबर इसके लिए छपा करते थे कि आतंकवादियों को उनके यहां संरक्षण मिलता है, उनके यहां बहुत से लोग वारदातें करके छिप जाते हैं। यह बात सही भी सिद्ध हुई, जब बरनाला सरकार हटी तो वे लोग गिरफ्तार भी हुए और यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि बहुत से लोग बाहरी मुखौटे में कुछ भी करते हों, लेकिन भीतर उनका रोल ठीक नहीं रहा।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या को केवल बहुत ही हलके-फुलके ढंग से उठाया जाता है, उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश है, इस देश की सुरक्षा के लिए पंजाब की एकता, पंजाब की सुदृढ़ता और पंजाब में सद्भावना बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार यह खतरा मोल नहीं ले सकती कि जो पड़ोसी प्रान्त हैं, जो उसके आस-पास की विदेशी शक्तियां हैं वे वहां पर अपना नंगा नृत्य करती रहें और भारत सरकार उसको रोके नहीं। यह काम आज कोई भी सरकार करने की स्थिति में पंजाब में नहीं है। मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं इस बात का घोर विरोधी हूं कि साम्प्रदायिक तत्वों के नाम पर, धार्मिक तत्वों के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भी आदमी राजनीति को करे और उस राजनीति को कोई भी आदमी प्रश्रय दे और हिन्दुस्तान को अगर एक जुट रखना है तो यह मुमकिन नहीं है कि कोई भी आदमी, कोई नेता, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, मन्दिर के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर देश को बांटने का वक्त पाता रहे, यह कतई बर्दाश्त करने की बात नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है कि इस तरह से कोई भी तत्व देश में बढ़ न पाए। कांग्रेस सरकार ने, जिसका नेतृत्व राजीव गांधी जी कर रहे हैं, एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि अगर कोई भी पार्टी रचनात्मक सुझाव देगी तो उस पर विचार किया जाएगा। हमारे भाई सैफुद्दीन चौधरी ने कहा कि पंजाब का मसला राजनीतिक मसला है।

हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक मसला है। लेकिन राजनीतिक मसले को कौन हल करेगा ? राजनीतिज्ञ हल करेंगे, राजनीतिक पार्टियां हल करेंगी और राजनीतिक पार्टी के वे नेता हल करेंगे, जिन्हें भारतीय संविधान, भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय जन-जीवन और भारतीय राष्ट्रवाद प्यारा होगा। जिनको ये बातें प्यारी नहीं, वे समाधान क्या निकालेंगे। मैं उन सिक्ख नेताओं की तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने हिन्दू और सिक्ख एकता को, जिन्होंने पंजाब की भारतीयता को, जिन्होंने पंजाब की असमिता को और पंजाब की महान संस्कृति को सुरक्षित रखा है और आज लगातार इतनी गड़बड़ियों के बावजूद भी उस पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी है। चन्द व्यक्ति सिरफिरे अगर कोई काम करने लगे तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं, जैसा भाई सैफुद्दीन चौधरी ने कहा, कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई है। हुआ है

[श्री नरेश चन्द चतुर्वेदी]

ऐसा, लेकिन यह तो होता है अगर राष्ट्र को एक जुट रखना है। अगर राष्ट्र को हमको सद्भावना के साथ रखना है, तो इस प्रकार के बलिदान तो देश यह करता रहा है। सिक्ख गुरुओं ने हमें बलिदान ही सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने भी बलिदान ही सिखाया है। हमको इंदिरा जी ने भी बलिदान ही सिखाया है। बिना बलिदान के कभी कोई भी देश कभी कोई समाज उन्नति नहीं करता है। श्री बालकिशन शर्मा नवीन जो कांग्रेस के नेता ही नहीं, देश के स्वाधीनता संग्राम के बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने कहा था—"गट्टे में जिसके ताकत है, है उसकी ही यह वसुन्धरा। देकर शीश आशीष मिले हैं, यही जगत की परम्परा।" जो शीष दिया करता है, उसे आशीष मिला करता है।

हमारे जो सिक्ख भाई हैं, अगर उनको राष्ट्रीयता प्यारी न होती, तो वे लोग जो आतंकवाद के नाम पर अंधेर मचाए हुए हैं, आज अनेक सिक्ख भाइयों और उनके परिवारों की हत्यायें क्यों करते हैं। आज धर्म के नाम पर यह बात नहीं मानी जा सकती है। अगर केवल हिन्दू मारे जाते तो यह मैं मान लेता, लेकिन वहां तो सिख परिवार भी मारे गये हैं आतंकवादियों की ओर से। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि हत्यारों का धर्म नहीं होता है और उन हत्या करने वाले लोगों के साथ जिसकी भी सहानुभूति है, उन सहानुभूति रखने वालों को भी दण्डित किया जाना चाहिए। पंजाब की समस्या तभी हल होगी। जो लोग गलत काम करते हैं, जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, जो अराष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते हैं, उनको शक्ति से दबाया जाए और जो लोग प्रकारान्तर से भी सपोर्ट करते हों, जरा भी समर्थन करते हैं, उनके साथ भी शक्ति से व्यवहार किया जाना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब से मेरा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और आज भी है। मैं कहना चाहता हूं कि अनेक लोगों ने यह शिकायत की है कि निर्दोष जनता के बहुत से तरुण, निर्दोष जनता के बहुत से ऐसे लोग जिनके साथ पुलिस ने कभी-कभी बहुत ही गड़बड़ी की है, अगर यह अनजानेपन में भी होता है, तो उसको रोका जाना चाहिए। इससे माहौल खराब होता है, तो इसको भी रोका जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंजाब की जनता पुलिस से, रिजर्व पुलिस से, सेना से मैत्री का संबंध महसूस करे, कोई दुश्मनी का संबंध महसूस न करे। वे हमारे रक्षक हैं और उनसे हमारे निर्दोष लोगों को रक्षा मिलनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति हैं, उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अगर हम यह काम नहीं करेंगे, तो हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे।

हमारे पंजाब के गवर्नर के बारे में जो बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि वह न्यायपूर्ण बात नहीं है। पंजाब के गवर्नर ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। पंजाब के गवर्नर और पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, जिसमें देश को कोई खतरा हो। अगर खतरा कहीं होता

है तो उसको रोकने की वे चेष्टा करते हैं और उसको रोकने का उनका फर्ज भी है। अगर भारतीय राष्ट्र को हमको एकजुट रखना है, अगर हमको भारतीय स्वतन्त्रता, भारतीय अस्मिता और भारतीय जनता की जो सद्भावना है, उसको सम्पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है, तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि पंजाब की समस्या का अभी निश्चित रूप से वही हल है, जो हमारे गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह ने सुझाया है। इस समय किसी भी हालत में यह मुमकिन नहीं है, पंजाब की जनता इस स्थिति में नहीं है, पंजाब का वातावरण ऐसा नहीं है कि वहां पर चुनाव कराए जाए और जनता की सरकार बना दी जाए क्योंकि आतंकवादियों के सामने न्याय की मांग करने वालों में इतना साहस नहीं है कि वे उनके साथ जूझ सकें और पंजाब की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो राष्ट्रवादी शक्ति आनी चाहिए उसका पंजाब में अभी प्रादुर्भाव कमजोर है, वह अभी बहुत ताकतवर नहीं है और जो जाति और साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक मांगें करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको कतई नहीं मानना चाहिए।

हमें एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिए कि धर्म का काम व्यक्तिगत आचरण के साथ तो है, अर्चना के साथ तो है और सब कामों के साथ तो है लेकिन देश की राजनीति चलाने में, देश का शासन चलाने में, देश का काम सम्पन्न करने में उस धार्मिकता और साम्प्रदायिकता को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। जब हम यह करेंगे, तो निश्चित रूप से हम पंजाब की समस्या को हल कर सकेंगे। पंजाब की जनता निश्चित रूप से राष्ट्रवादी है, पंजाब के सिख भाई-बहन, पंजाब के हिन्दू भाई-बहन परिश्रम करके, अपनी योग्यता से और अपना खून-पसीना बहा कर देश को समृद्ध करने की आकांक्षा रखते हैं और देश की सुरक्षा के लिए उनके बलिदान को कौन भूल सकता है। भारतीय संस्कृति के किसी भी पन्ने को अगर उठाया जाए, तो उस पर गुरु नानक नहीं होंगे, गुरु गोविन्द सिंह नहीं होंगे या दसों गुरु नहीं होंगे, तो उस भारतीय संस्कृति को कौन पूछेगा और कौन जानेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी राजनीतिक दाव-पेंच के, पंजाब की जो नीति भारत सरकार ने निर्धारित की है और जिस वातावरण को देखते हुए गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, उसको पारित करें।

एक बहुत अच्छा सुझाव हमारे मित्रों ने दिया है कि अगर हिन्दू और सिख भाई दोनों ही मिल कर चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, वे पंजाब की जनता में निकलें और सद्भावना स्थापित करें और फिर पंजाब में ऐसा वातावरण बने कि वहां पर चुनी हुई सरकार बने और वह पंजाब की जनता को राहत दे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन जरूरी है। इसलिए पुनः इसका समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की समस्या के लिए राजनैतिक हल निकाला जाना चाहिए। मेरी शिकायत यह है कि इस सरकार ने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया

[श्री तम्पन थामस]

है। यद्यपि यह कहा गया था कि विपक्ष को विश्वास में लिया जायेगा तथा एक साथ मिलकर पंजाब समस्या का हल निकाला जायेगा परन्तु कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने परम्परागत ढंग से घोषणायें की हैं कि कुछ किया जायेगा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है। विपक्षी दलों को कुछ कांफ्रेंस में बुलाया गया परन्तु प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से समाधान का सुझाव देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री समाधान के लिए सुझाव देने के लिए कैसे कह सकते हैं ? उन्हें स्वयं सुझावों के साथ आगे आना चाहिए और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कल कह सकते हैं।

5.55 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

60 वां प्रतिवेदन

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं श्री एच० के० एल० भगत की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 3 नवम्बर, 1988/12 कार्तिक 1910 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-92